द्वादश माला, खंड 5, अंक 36

मंगलवार, 4 अगस्त, 1998
13 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 4 अगस्त, 1998/13 श्रावण, 1920 (शक)
का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(ii)	नीचे से 9	[illegible]	श्री मोतीलाल वोरा
1	2	13 आषाढ़	13 श्रावण
29	19	श्री तपन सिकदार	श्री तपन सिकदर
213	12	सभापिता महोदय	सभापति महोदय

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 36, मंगलवार, 4 अगस्त, 1998/13 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2—3
राज्य सभा से संदेश	7
विधेयक-पुरःस्थापित	
(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक	7—8
(दो) धन शोधन निवारण विधेयक	8
(तीन) संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	54—60
(चार) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक	60—61
(पांच) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाअधिकार) संशोधन विधेयक	61
(छ) राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक	61—62
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	62—63
विचार करने के लिए प्रस्ताव	62
खण्ड 2 से 7 और 1	62—63
पारित करने के लिए प्रस्ताव	63
संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक	64—65
विचार करने के लिए प्रस्ताव	64
खण्ड 2, 3 और 1	64
पारित करने के लिए प्रस्ताव	64
राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक	65
विचार करने के लिए प्रस्ताव	65
खण्ड 2 और 1	65
पारित करने के लिए प्रस्ताव	65
राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक	66
विचार करने के लिए प्रस्ताव	66
खण्ड 2, 3 और 1	66
पारित करने के लिए प्रस्ताव	66
नियम 193 के अधीन चर्चा	9—54,67—153,155—215
(एक) भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	9—17

विषय | कालम

(दो) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों का विवासन. . . . 17—54,67—80

श्री सोमनाथ चटर्जी . . . . 17—32

श्री राम नाईक . . . . 36—41

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे . . . . 45—46

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला . . . . 47—50

श्री तपन सिकदर . . . . 51—54

श्री लालू प्रसाद . . . . 67—70

श्री मोहन सिंह . . . . 72—73

श्री लाल कृष्ण आडवाणी . . . . 75—78

(तीन) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं . . . . 80—215

श्री राम विलास पासवान . . . . 80—91

श्री महेश्वर सिंह . . . . 91—96

श्री गिरिधर गमांग . . . . 96—100,108—109

श्री पी॰ राजरतिनम . . . . 109—113

श्री आर॰एस॰ गवई . . . . 113—118

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा . . . . 118—121

श्री बाजूबन रियान . . . . 121—122

श्री सतनाम सिंह कैंथ . . . . 122—124

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल . . . . 124—125

कुमारी मायावती . . . . 125—129

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी . . . . 129—132

डा॰ बिक्रम सरकार . . . . 132—136

श्री पीताम्बर पासवान . . . . 136—138

श्री हरि केवल प्रसाद . . . . 138—141

श्री बूटा सिंह . . . . 141—150

श्री सोडे रमैया . . . . 150—153,155

श्री किशन लाल दिलेर . . . . 155—157

श्री एस॰एस॰ पलानीमनिक्कम . . . . 157—160

श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल . . . . 160—163

श्री मोलीलाल वोरा . . . . 163—166

श्री रूपचन्द मुर्मू . . . . 166—170

श्री एन॰टी॰ षणमुगम . . . . 170—171

श्री प्रभूदयाल कठेरिया . . . . 171—174

श्री के॰ वेणुगोपाल . . . . 174—176

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . . 177—179

श्री जोवाकिम बखला . . . . 179—181

डा॰ सुशील इन्दौरा . . . . 181—182

श्रीमती रीना चौधरी . . . . 186—188

विषय कालम

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी . . . . . . 190—191

डा॰ रवि मल्लू . . . . . . 191—194

श्री पुन्नू लाल मोहले . . . . . . 194—195

श्री एस॰ अजय कुमार . . . . . . 195—196

श्री मनोरंजन भक्त . . . . . . 200—202

श्री आनन्द मोहन . . . . . . 202—203

श्री रामदास आठवले . . . . . . 203—204

श्री ज्ञान सिंह . . . . . . 204—205

श्री भास्कर राव पाटील . . . . . . 205—206

श्री कान्ति लाल भूरिया . . . . . . 206—207

श्रीमती मेनका गांधी . . . . . . 208—215

अध्यक्ष द्वारा घोषणा . . . . . . 154—155

नियम 377 के अधीन मामले . . . . . . 216—224

(एक) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी एजेंसियों को लिखे गए पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया . . . . . . 216—217

(दो) गुजरात में भावनगर और तारापुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा . . . . . . 217—218

(तीन) गुन्टाकल–हैदराबाद और गुन्टाकल–शोलापुर बरास्ता वाडी के बीच चलने वाली रेल गाड़ी को पुनः चलाये जाने की आवश्यकता

श्री बासवराज पाटील सेडाम 218

(चार) सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 218

(पांच) महाराष्ट्र के खम्बाट की घाट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के समानान्तर लेनों के निर्माण हेतु स्वीकृति दिये जाने और पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले . . . . . . 218—219

(छह) गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक . . . . . . 219—220

(सात) नासिक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री माधवराव पाटील 220

(आठ) उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री दरोगा प्रसाद सरोज 221

(नौ) डिंडीगुल और त्रिची बरास्ता करूर के बीच पुनः रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सी॰ श्रीनिवासन 221

विषय		कालम
(दस)	खनिज उत्पादक राज्यों विशेष रूप से बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को उनके खनिजों के बाजार मूल्य के अनुपात में बढ़ी हुई रॉयल्टी का भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो॰ अजित कुमार मेहता	221—222
(ग्यारह)	समेकित जनजातीय विकास एजेंसी में जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके इसका पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्दू लाल अजमीरा	222
(बारह)	सिरसा और निकटवर्ती क्षेत्रों में बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा॰ सुशील इन्दौरा	223
(तेरह)	गुजरात में कान्डला पत्तन से जार्डन को चले एम॰वी॰ गोल्डन हारवेस्ट शिप के गायब हो जाने के मामले की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	223
(चौदह)	भू-मंडलीय जलवायु में तापमान बढाने वाली ग्रीन-हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो॰ सैफुद्दीन सोज	223—224

लोक सभा

मंगलवार, 4 अगस्त, 1998/13 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

पूर्वाह्न 11.00 बजे

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी श्री चन्द्र किशोर पाठक के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री पाठक 1984-89 के दौरान आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और वह बिहार के सहरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे।

श्री चन्द्र किशोर पाठक एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और "भारत छोड़ो आन्दोलन" में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। देशभक्ति के कार्यों के लिए वह कई बार जेल भी गए।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री पाठक ने छूआछूत को मिटाने तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये अथक प्रयास किये।

एक सक्षम सांसद के रूप में श्री पाठक ने लोक सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली।

श्री चन्द्र किशोर पाठक का निधन 83 वर्ष की आयु में 2 जुलाई, 1998 को कर्णपुर, बिहार में हुआ।

हमें इस मित्र के निधन का गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 1102 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज, शून्य काल नहीं है। कृपया बात को समझें। कल मैं आप सबको मौका दूंगा। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1996-97 के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, मैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी 1452/98]

वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 1453/98]

वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन के सांख्यिकीय विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1454/98]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बाट और माप मानक (सामान्य) (दूसरा संशोधन) नियम 1997 जो 13 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बाट और माप मानक (पैकेज वस्तु) (चौथा संशोधन) नियम, 1997 जो 20 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1455/98]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में सबको मौका मिलेगा। लेकिन आज नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, कल जीरो आवर मैं सबको चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज सदन में हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कल, माननीय मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया था। मैं आप सभी को कल 'शून्य काल' में आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी कठिनाई समझता हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी, कल सबको मौका मिलेगा। आज नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल सबको चांस मिलेगा, आज नहीं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित एक महिला को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, जीरो आवर कल, आज नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, आज नहीं कल मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामदास आठवलेजी, आज नहीं, कल मौका मिलेगा।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, सवाल जीरो आवर का नहीं है। आज जीरो आवर नहीं है, यह बात सही है। हम पिछले दस दिनों से इस सदन में जम्मू-कश्मीर की हालत पर चिल्ला रहे हैं। वहां बराबर हादसे होते जा रहे हैं। सरकार का जवाब सिचुएशन रिपोर्ट का आता है और आज अखबारों में लिखा है कि हम पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की कोआर्डिनेशन बना रहे हैं।

पहले भी कोआर्डीनेशन बना है। सरकार कोई एक्शन प्लान लेकर नहीं आ रही है और दिन-प्रति-दिन हादसों में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह बढ़ोत्तरी होती रहेगी, जब तक आप कोई फर्म एक्शन नहीं लेंगे। आपको पता था कि डोडा में इंसीडेंट्स हुए हैं, आपको हिमाचल की बाउंडरी तभी सील कर देनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)* आपको कांफ्रेंस करनी चाहिए थी लेकिन आपने कुछ नहीं किया। 30 लोग मारे गए और कल गृह मंत्री जी ने बयान दे दिया।...*(व्यवधान)* आज यहां प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्हें फर्म पालिसी बना कर जम्मू-कश्मीर और उसकी सराउंडिंग स्टेस में होने वाली घटनाओं के बारे में यहां कुछ कहना चाहिए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर, इनका पूरा एक नेट है। इनमें कोआर्डिनेशन की कोई नई बात नहीं है।...*(व्यवधान)* इनको कुछ तो कहना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, अन्यथा कल अखबारों में फिर आएगा कि वहां 30 लोग मरे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा?...*(व्यवधान)* क्या हम रोज यहां सिचुएशन कोट करेंगे? कश्मीर सब्जैक्ट बहुत सेंसटिव रहा है, इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कि वह उस बारे में कुछ कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी का इस समय राज्यसभा में इसी संबंध में बयान है। वहां से आने के बाद यहां देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई -उत्तर पश्चिम) : हमने इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, दिल्ली में दलित महिला को मारा गया।...*(व्यवधान)* बीजेपी के नेताओं ने मारा है। इस बारे में अखबारों में पूरी रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। माननीय प्रधान मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। माननीय प्रधान मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की उत्तेजना समझ सकता हूं। जो कुछ नई घटनाएं हुई है वे चिन्ताजनक हैं। ऐसा लगता है कि वे योजनापूर्वक की जा रही हैं और उनके करने का राजनीतिक उद्देश्य जान पड़ता है। इन सारी घटनाओं के बारे में सदन को अवगत किया जाता रहा है। आज भी जो नई घटना हुई है,...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, क्या अवगत कराने से ही ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी।...*(व्यवधान)* आपने क्या अवगत कराया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया समझें, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : उस पर आपने क्या एक्शन लिया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह क्या है? श्री बूटा सिंह जी कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए शासन कड़ी कार्यवाही करेगा, उचित कदम

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उठाए जाएंगे, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और गृह मंत्री जी इस संबंध में सदन के सामने वक्तव्य देंगे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक 1998 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 31 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 जुलाई, 1998 को पारित किये गये लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

पूर्वाह्न 11.10 बजे

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1998*

वित्तमंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण का संप्रवर्तन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण का संपवर्तन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।*

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

इस समय डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क और अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। कृपया अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाइए।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

इस समय डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क और अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11.12½ बजे

[अनुवाद]

धन शोधन निवारण विधेयक**

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन-शोधन के निवारण और धन-शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिग्रहण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापिंत करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"धन-शोधन के निवारण और धन-शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिग्रहण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 दिनांक 4.8.98 में प्रकाशित।

** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 3 दिनांक 4.8.98 में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, एक दलित महिला को मंदिर में बुलाकर बुरी तरह से मारा गया है, उसको मार-मार कर लाल कर दिया गया है, अखबार में तस्वीर आई है।

अध्यक्ष जी, इसका जवाब मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हैं। गृह मंत्री जी बाद में वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज और कल के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण विषय हैं। कृपया इसे समझें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आज नियम 193 के अन्तर्गत बहस है उस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : कोई बहस नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया बैठ जाइए। आज हमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है। हमें उन पर चर्चा पूरी करनी है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज हम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन श्री संगमा ने जो अल्पकालिक चर्चा मांगी थी, मैं उस बहस का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषय विदेश नीति से संबंधित है और विदेश नीति हमारे देश की सुरक्षा की नीति से भी जुड़ी है। यह बात सच है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति पर इस देश में एक आम सहमति रही है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष विदेशी नीति के क्षेत्र में बहुत कम उजागर होकर आते थे। गुट निरपेक्षता की नीति को सारे देश का, सब दलों का समर्थन प्राप्त था। भारत की परमाणु नीति क्या हो, यह भी चर्चा का विषय रहा है। उस पर भी एक आम सहमति रही है। मैं इस आरोप की स्वीकार नहीं करता कि आम सहमति में दरार डाल दी गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वे कदम उठाए जाएंगे। इस सवाल को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

चर्चा में यह कहा गया कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया कि हम सुरक्षा परिषद में सीट चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करना भारत का सहज और स्वाभाविक अधिकार है। विश्व बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए-नए देश आ गए हैं, नए-नए भूखण्ड आ गए हैं। उपनिवेशवाद ने पछाड़ खाई है। स्वतंत्रता की लहर आई है। आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है, वह विश्व की वास्तविकता को प्रतिबिम्बित नहीं करता। क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसी की दया पर निर्भर होनी चाहिए? क्या इसका निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होना चाहिए? हम इसके लिए परमाणु परीक्षण करें, यह हास्यास्पद बात है।

श्री संगमा ने इस बात पर भी बल दिया था और मैं उनसे सहमत हूं कि देश को जहां सैनिक दृष्टि से तैयार होना चाहिए, वहां आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की आवश्यकता, इनमें अंतर्विरोध नहीं है।

हम अपने साधनों का उत्तमता से उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित भी रहे और राष्ट्र में समृद्धि भी आये लेकिन हम सुरक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पचास साल का अनुभवकाल हमारे सामने है। कई बार हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा है और विशाल भू-भाग खोना पड़ा है। उसे फिर से प्राप्त करने के लिये हम शान्तिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिये सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। जैसा मैंने निवेदन किया, अगर हम अपने साधनों का ठीक तरह से उपयोग करें तो सुरक्षा के तकाजों को भी पूरा किया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर भी ले जाया जा सकता है। यह कहना कि बाजार में टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गये हैं क्यों कि पोखरण में परीक्षण किया गया था, यह व्यंग-विनोद के लिये ठीक है मगर इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में एक परीक्षण हुआ था। 24 साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि जिन्होंने एटमी हथियारों के अम्बार लगा रखे हैं, वे अपने अम्बार खत्म करें और ऐसे विश्व की रचना हो जिसमें एटमी हथियार न हों, ऐसा हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पोखरण के बाद, जो अणु शस्त्रधारी देश हैं, उन पर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वे आणविक निःशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ायें।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पिछले कुछ दिनों में हमें जिन-जिन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला, इसके साथ यह सवाल भी जुड़ा हुआ है। कई माननीय सदस्यों ने एक बात को दोहराया कि भारत अलग-थलग पड़ गया है। कहां अलग-थलग पड़ गया है? सौ करोड़ के देश को कौन अलग कर सकता है? कैसे भारत की उपेक्षा की जा सकती है? चाहे वह गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो, मनीला की बैठक हो या सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हो, उसमें हमारी भूमिका, उसमें अन्य देशों के साथ हमारी बातचीत सार्थक रही है। क्या यह अलग-थलग पड़ने की निशानी है?

'नाम' सम्मेलन में इस बात का प्रयास हुआ कि अणु परीक्षण के लिए हमारा नाम लेकर हमारी आलोचना की जाए। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की यह परम्परा भी नहीं रही है।

अभी कोलोम्बो में सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के बारे में इतना कहना काफी होना चाहिए कि जो हमें अलग-थलग करना चाहते थे, वे स्वयं वहां अलग-थलग हो गये। सार्क का गठन आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए और फिर आगे जाकर एक साझा बाजार बनाने के लिए हुआ है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम कोलम्बो में उठाये गये। लेकिन पाकिस्तान की उन कदमों में रुचि नहीं थी। वह कोलम्बो में एक ही रट लगाये रहे, यह भी तर्क दिया गया कि जब तक आपस के विवाद खत्म नहीं होंगे, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। थोड़े बहुत विवाद हमेशा रहेंगे और वह केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं हैं और भी देशों के बीच में हैं। उन विवादों को वार्ता के द्वारा हल करने की दिशा में कदम उठना चाहिए और उठते रहते हैं। लेकिन उन विवादों के हल को एक शर्त बना देना कि तब तक आर्थिक सहयोग का कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे की सहायता कोई अर्थ नहीं रखती, अगर विवाद हल नहीं होते, यह चितंन की दिशा गलत हैं हम शांति के समर्थक हैं, विवादों को वार्ता द्वारा हल करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इन विवादों के कारण आर्थिक विकास रुकना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश में, इस क्षेत्र में निवास करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त है और सार्क एक महान प्रयोग हैं, सही दिशा में प्रयोग है। उससे द्विपक्षीय सम्बन्धों में भी सुधार हुआ है। शिखर सम्मेलन के अलावा कोलम्बो में जो समय उपलब्ध था, उसमें द्विपक्षीय वार्ताऐं हुई हैं, लेकिन वे सम्मेलन का भाग नहीं थीं और हमने इस बात का विरोध किया कि इनका समावेश औपचारिक ढंग से एजेंडे में नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर एक मदारी का पिटारा खुल जायेगा। हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही विवाद नहीं है और देशों के बीच में भी विवाद हैं और सार्क सम्मेलन ऐसे विवादों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक वार्ता के लिए समय देता है।

कल श्री इंद्रजीत गुप्त ने बंगलादेश में जो असम के आतंकवादी आश्रय पाये हुए हैं, उनका मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश के प्रधान मंत्री से इस बात की चर्चा हुई है और हमने मांग की है कि उनके कब्जे में जो अपराधी हैं जिनके ऊपर भारत में मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें हमें सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हम उन्हें जेलों में बंद रखे हुए हैं और जब कानूनी प्रक्रिया हमें इजाजत देगी, तो हम उन्हें जरूर आपको सौपेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से श्रीलंका के साथ मछुआरों का सवाल है।

महोदय, ये सम्मेलन हमें अवसर देते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाए। इस तरह के प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हो। सार्क के शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख भूमिका थी। भारत के अलग-थलग पड़ने का सवाल ही नहीं है। मनीला में दो बैठकों में जो कुछ हुआ, सबने देखा कि सदस्य देशों के नेताओं से हमारे प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई। भारत की सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ी है। मैटर आफ अंडरस्टेंडिंग में बहुत से माननीय सदस्य अभी 11 मई तक अपने को सीमित रखे हुए हैं, केन्द्रित रखे हुए हैं। दुनिया उससे आगे बढ़ गई है।

महोदय, परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए और किस तरह से दूरगामी और विश्वव्यापी हल निकाला जाए, अब इस पर चर्चा हो रही है। हर सम्मेलन में यह कहा गया कि आणविक निशस्त्रीकरण एक विश्वजनीन (ग्लोबल) समस्या है। इसको टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। जेनेवा में आठ देशों ने अलग होकर एक वक्तव्य दिया जिसमें जो बड़े-बड़े देश हैं, वे औरों से कहते हैं कि आप अणु शस्त्र मत बनाइए, हथियारों की दौड़ में शामिल मत होइए, वे स्वयं अपने आचरण को देखें, वे स्वयं अपने हथियार कम करें। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार एटोमिक हथियारों का विनाश होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए। यह आवाज आज जोर पकड़ रही है। द्विपक्षीय वार्ता में भी ये मामले उठे थे।

महोदय, जापान के पूर्व प्रधान मंत्री, अब तो वहां नए प्रधान मंत्री आ गए हैं, उन्होंने मुझे पत्र लिख कर मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स को अब हम बेहतर समझ रहे हैं। जापान वह देश है जिसके ऊपर अणु बम डाला गया था, जिसकी विभीषिका से अभी तक लोग त्रस्त हैं। हमने आक्रमण के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किया, बचाव के लिए किया है।

आत्मरक्षा के लिए किया है। कोई हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को फिर से खतरे में न डाल दें इसलिए डिटरेंट के रूप में और डिटरेंट भी मीनियम डिटरेंट हमारी नीति का आधार है। इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब हम भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में इस तरह की आवश्यकता पड़नी भी नहीं चाहिए। यद्यपि सी॰टी॰बी॰टी॰ इस बात की इजाजत देती है और एन॰पी॰टी॰ पर दस्तखत करने के बाद अगर कोई देश यह समझता है कि उसके सर्वोच्च राष्ट्र हित के लिए खतरा पैदा हो गया है, आशंका पैदा हो गयी है तो वह उचित कदम उठा सकता है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : दस्तखत करने की भूमिका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम तो यह चाहते हैं कि मोरेटोरियम को एक कानूनी रूप दे दिया जाये, कानूनी दायित्व दे दिया जाये। हमने यह भी कहा कि हम अणु अस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : जब दूसरा हम पर हमला कर देगा तो फिर क्या रहेगा?...*(व्यवधान)* तब क्या आप चलाने लायक रहेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि वह तर्कसंगत न हो।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, जब दूसरा चला देगा तब क्या हम चलायेंगे? हम पर खतरा हुआ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरा क्यों चलायेगा? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरा क्यों चलायेगा? ...*(व्यवधान)* देश की जनता को सच्चाई बताई गयी है और सच्चाई के अनुसार आचरण किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप दोस्ती कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर दूसरे देश उपयोग करेंगे तो हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, यह धारणा मन से निकाल देनी चाहिए। हमारा अणु शस्त्र सम्पन्न होना ही एक डिटरेंट है। हमला नहीं होना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह कहिये कि दोस्ती हो जायेगी तो चलाना नहीं पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस तरह की संधि...*(व्यवधान)* कई देशों के साथ करने को भी हम तैयार हैं।...*(व्यवधान)* कोलम्बो में यह मामला उठा था कि जिन देशों के पास अणु शस्त्र नहीं हैं, उनको आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए। मैंने कहा कि जिनके पास अणु बम नहीं है, उनके ऊपर अणु बम का प्रयोग हो, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम पहले प्रयोग करने वाले देश नहीं होंगे तो उन देशों के खिलाफ उसका उपयोग किया जाये, जिनके पास नहीं है, इसका तो कोई आधार नहीं रहता। यह भी जरूरी है कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाये। पाकिस्तान न केवल कश्मीर को केन्द्र बिन्दु बनाकर अपनी सारी कूटनीति चला रहा है मगर साथ-साथ वह इस बात पर भी बल दे रहा है कि नॉन-प्रोलीफरेशन के मामले को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। कश्मीर का विवाद पचास साल पुराना है। उसे वार्ता के द्वारा द्विपक्षीय ढंग से हल करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दुनिया के किसी देश में, चाहे वह फिर जी 5 के हों या जी 8 के हों, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रोलीफरेशन के मुद्दे को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। कश्मीर एक अलग विवाद है और आणविक निरस्त्रीकरण अपने में एक महत्वपूर्ण मुद्दे है। पाकिस्तान केवल कश्मीर पर बात करना चाहता है और किसी मुद्दे पर नहीं। क्यों? दोनों देशों की बीच में और भी मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बात क्यों न हो? हम पड़ौसी हैं, हमें साथ रहना हैं केवल कश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों?

कल सोज साहब बता रहे थे कि कश्मीर में किस तरह की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। वहां शांति है। चुनाव हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा सकुशलता से चल रही है। यह कहा जाता है कि कश्मीर एक फ्लैश पाइंट है। हां, अगर पाकिस्तान छोटे-छोटे उपद्रव कराकर विश्व का ध्यान खींचने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि उसको सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूं कि आखिर कश्मीर पर बल क्यों है। पाकिस्तान अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान यथास्थिति को बदलना चाहता है। पाकिस्तान के शासकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही है कि ऐसा प्रदेश जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वह भारत के साथ रहे। उन्होंने सैकुलरवाद को स्वीकार नहीं किया, यह उनका मामला है। लेकिन हमारे लिए कश्मीर केवल एक भूखंड नहीं है, भूखंड तो है ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ कुछ आदर्श भी जुड़े है, कुछ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। इसलिए केवल कश्मीर पर बात करो, हमने इससे इंकार किया और यह इंकार मेरी सरकार का इंकार नहीं है, जो पिछली सरकार थी, उसके द्वारा लिया गया रवैया है। एक एजेंडा तैयार हुआ था। उस एजैंडे पर बात करने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। वे हमारे ऊपर पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। हमने कहा कि कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर उसके साथ और भी जो मामले हैं, उनको भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। एक लम्बी दृष्टि से बात करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। कोलम्बो में चलते-चलते उन्होंने हम लोगों के हाथ में कागज दे दिया, जिसको पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि वार्ता में उनकी रुचि नहीं है। वे संसार का ध्यान खींचकर कश्मीर को अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाना चाहते हैं, लेकिन और कोई देश उनकी इस बात से सहमत नहीं है, अरब देश भी, पी-5 और जी-8 के देश भी, यहां तक कि चीन ने भी कहा है कि आपस की बातचीत से कश्मीर का, जम्मू-कश्मीर का मामला हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो विश्वास बनाने के सुझाव रखे हैं, कॉन्फीडेंस बिल्डिंग मैजर्स, उनमें एक सुझाव यह है कि हुर्रियत को कश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मानकर भारत सरकार उसके साथ बातचीत करे। क्या कोई भारतीय इस बात को स्वीकार कर सकता है? कश्मीर लोकतंत्र भारत का अंग है, अभी वहां चुनाव हुए हैं, चुनाव कमीशन की देख-रेख में चुनाव हुए हैं। मगर एक उदाहरण से मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान वार्ता में रुचि नहीं रखता। लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें, यह आवश्यक है। यह सही है कि सुधार की भावना दोनों तरफ होनी चाहिए, लेकिन भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मनीला में चीन के प्रतिनिधि के साथ जो बातचीत हुई, उससे बीच में जो गठान पड़ गई थी, उसको खोलने में मुझे विश्वास है, मदद मिलेगी। भारत के कुछ नेताओं के वक्तव्यों का हवाला देकर हमारे चीनी मित्र अपना रोष प्रकट करते हैं। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि आप समाचार-पत्रों में छपे हुए वक्तव्यों के आधार पर निर्णय न निकालें। हमारे रक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चीन उनका पहला एक नम्बर का शत्रु है, इसका खंडन भी भेजा था लेकिन...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : जब आप लोगों का, भारत सरकार का रिएक्शन आया तो पटना में छह दिन के बाद जाकर बोले कि हम ऐसा नहीं बोले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बोले न? बोले। लालू प्रसाद जी हमारी बात की पुष्टि कर रहे हैं। उनको शिकायत इतनी है कि छह दिन बाद बोले।

श्री लालू प्रसाद : नहीं, खंडन किया। छह दिन के बाद पटना में खंडन किया, जब विदेश विभाग का प्रवक्ता बोला कि मंत्री का, भारत सरकार का वह बयान नहीं है। मंत्री को तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने उन चीजों का हवाला चिट्ठी में भी किया है। चिट्ठी में अपने लिखा है, पता कर लीजिए।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए यह बात कही गई।...*(व्यवधान)* मैंने सुना नहीं, अध्यक्ष जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अमेरिकी राष्ट्रपति को ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : प्रधान मंत्री जी आपके मंत्री गलती करते हुए जब पकड़े जाते हैं तो अखबारों पर मढ़ देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो आपका और हमारा पुराना तरीका है। अध्यक्ष महोदय, जिस चिट्ठी का बहुत हवाला दिया जा रहा है, उस चिट्ठी में जहां चीन से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं का उल्लेख है, वहां इस बात का भी उल्लेख है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ है और हम सम्बन्धों में और भी सुधार चाहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि कुछ मामले ऐसे हैं हमारे और चीन के बीच में जो तय होने बाकी हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? उन्हें पूरा करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रधानमंत्री महोदय, कृपया इस पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारत सरकार और चीन के बीच उचित एवं मधुर सम्बन्ध होने चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इससे सहमत हूं कि भारत के चीन के साथ सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, सहयोगात्मक होने चाहिए। उनको सहयोगात्मक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वे हम उठा रहे हैं। जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीमाओं का प्रश्न है, जिस पर बातचीत चल रही हैं

श्री सोमनाथ चटर्जी : जरूर चलनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने पाकिस्तान से भी यह कहा था कि समस्याओं को हल करने का एक रास्ता यह है कि जो विवाद का आप कोई मुख्य मुद्दा समझते हैं, वह तत्काल हल नहीं होगा। उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। हम और आप व्यापार बढ़ाएं, लोगों के आने-जाने में वृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि में योगदान दें, तो स्थिति सुधरेगी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनेंगे। उसमें फिर कठिन से कठिन समस्या को हल करना भी सरल होगा। चीन के साथ यही नीति अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में हम और भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। जो चिंताएं हैं, वे भूखंड को लेकर हैं, सीमाओं को लेकर हैं, उन्हें भी बातचीत से हल करना पड़ेगा।

श्री लालू प्रसाद : मानसरोवर और कैलाश पर्वत के मामले में भी आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो उधर रथ ले जाइए, शंकर जी को ले आइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस चर्चा में सी॰टी॰बी॰टी॰ का मामला भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया था। मुझे इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह ठीक रूप से उद्धृत हो, इसके लिए मैं अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

कई माननीय सदस्य सी॰टी॰बी॰टी॰ पर सरकार की स्थिति जानना चाहते थे। 13 मई को श्रंखलाबद्ध परीक्षण पूरे करने के साथ ही भारत ने और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर स्वैच्छिक रोक लगाने की घोषणा की थी। इस रोक की घोषणा करके भारत ने परीक्षण पर प्रतिबंध के मौलिक कर्तव्य को स्वीकार किया। 1963 में भी हम एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि चाहते थे। पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसके स्थान पर केवल आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि ही निर्धारित की। अंततः भारत पी॰टी॰बी॰टी॰ में एक मूल देश के रूप में शामिल हो गया। निर्णय व्यापक राष्ट्रीय हित में लिया गया था।

जैसा कि माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से जानते हैं, भारत ने ही 1954 में पहली बार परीक्षण पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था और वह विश्व के परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, तब वह और क्या कर सकता था। रोक की घोषणा करके हमने निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सामान्य इच्छा पर भी ध्यान दिया। स्वाभाविक रूप से भारत का यह अधिकार सुरक्षित है कि उसके विवेकानुसार यदि ऐसी असाधारण घटनाएं हों जिससे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों को खतरा हो तो वह इस निर्णय की समीक्षा कर सकता हैं सी॰टी॰बी॰टी॰ भी यह अधिकार प्रत्येक देश को देती है। फिर हमने अपनी स्वैच्छिक जिम्मेदारी को विधि-सम्मत बनाने के लिए इच्छुक होने की भी घोषणा की। प्रमुख वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से इस कार्य को करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। यह बातचीत हमने इस बात की संतुष्टि होने के बाद आरम्भ की है कि भारत को और परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। हम भविष्य में बिना परीक्षण किए ही किसी परमाणु आक्रमण को रोकने की अपनी क्षमता की विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। सीटीबीटी को मानने के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने की दृष्टि से भारत इस बातचीत के प्रति प्रतिबद्ध है। 1996 में हम सीटीबीटी से मुख्यतया केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण बाहर रहे। उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ हैं

[हिन्दी]

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर हम अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में फैसला करेंगे और सदन को पूरी तरह विश्वास में लिया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

[अनुवाद]

(दो) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों का विवासन

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अगले मद पर चर्चा करेगी। श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस महत्वपूर्ण विषय को, जिसके लिए कई माननीय सदस्यों ने नोटिस दे रखा है, उठाने के लिए श्री हन्नान मोल्लाह और श्रीमती गीता मुखर्जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं, जिन विषयों पर सभा में चर्चा हो रही है उनमें से इस विषय को सबसे महत्वपूर्ण समझता हूं। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे हम सिर्फ बंगाली भाषी लोगों की समस्या मान रहे हैं।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मेरे पास एक सूचना है। कार्यसूची के अनुसार बारह बजे मध्याह्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा शुरु की जानी है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी बारह नहीं बजे हैं।

श्री राम नाईक : अभी, ठीक बारह बजे हैं। मैंने सोचा कि शुरु में मुझे व्यवधान नहीं डालना चाहिए। मेरा यह कहना है कि बारह बजे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा शुरु की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : इस मद को पूरा करने के पश्चात् हम उस विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री राम नाईक : यह यहां लिखा जा चुका है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मेम्बर्स के वेतन और भत्ते वाला विधेयक अभी ले लिया जाए क्योंकि वह यहां से पास होकर राज्य सभा में जाएगा पहले उसे ले लिया जाए क्योंकि यहां से पास होने के बाद आज राज्य सभा में पास होना है और राज्य सभा का आज लास्ट डे है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : कल फैसला हुआ था। उसमें कहा गया था कि यह चर्चा होने के बाद उसे लिया जाएगा। पहले एक चर्चा खत्म होने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : पहले इस पर चर्चा खत्म होने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : मेम्बर्स की सुख-सुविधा वाला मामला हम लगातार उठाते रहे हैं। यह सरकार आनाकानी कर रही है। अभी पांच मिनट में लाइए, हम लोग इसे पास करेंगे और उसके बाद दूसरी चर्चा चलाइए।...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

इस बिल को अभी पांच मिनट पहले लाए हैं। हम इसको पहले पास करेंगे और उसके बाद आप इस डिसकशन को चला सकते हैं। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि दो बजे अपराह्न हमें जैन आयोग पर चर्चा करनी है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण के पश्चात् माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं। फिर हम अ॰ जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के संबंध में अगली चर्चा कर सकते हैं जिससे कि 2 बजे अपराह्न हम जैन आयोग रिपोर्ट तथा की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा कर

[प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन]

सकते हैं, जैसा कि कल निर्णय किया गया था मेरा यही कहना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि अब स्थिति स्पष्ट है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए सत्ता पक्ष से बिना किसी व्यवधान के बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर) : यदि आपने वाद-विवाद शुरू नहीं किया है तो मुझे अभी-अभी कुछ कहना है।

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा था कि सी॰बी॰आई॰ द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त श्री दुर्रइ की जांच रिपोर्ट इस सभा के पटल पर रखी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मुद्दा है।

श्री बूटा सिंह : आज मैंने आपको इस रिपोर्ट की एक अधिप्रमाणित प्रति दी है। आपने मुझसे वायदा किया था कि आप मुझे समय देंगे। यदि सरकार इसे नहीं लाना चाहती तो मुझे सभापटल पर रिपोर्ट रखने दीजिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग विषय है। श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : मैं इसे पढ़ना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, अभी नहीं। यह एक अलग विषय है।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : मैंने अध्यक्ष को एक अधिप्रमाणित प्रति दी है।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह बंगाली भाषी लोगों से जुड़ा हुआ है अपितु यह एक मौलिक प्रश्न है। यह सरकार तथा संवैधानिक प्राधिकारियों को कैसे कामकाज करना चाहिए उस पर प्रश्न खड़ा करता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत नहीं। माननीय सदस्यगण, कृपा अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : और क्या, इस देश से विदेशियों के तथाकथित निष्कासन के नाम पर असभ्य तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं जो कि मानवाधिकारों के मूलाधार पर ही आघात करते हैं। हम इस विषय पर राजनीतिक विचारधारा के अनुसार चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप श्री हन्नान मोल्लाह की बातों को याद कीजिए। उन्होंने किसी भी राजनीतिक विवाद से अलग रहने का प्रयास किया। इसे एक मानवीय मुद्दा के रूप में उठाया गया था इसे इस देश के कानून को लागू करने के संबंध में उठाया गया था किंतु अत्यन्त खेद की बात है कि तृणमूल कांग्रेस् के माननीय सदस्य, मैं नहीं जानता कि वे भा॰ज॰पा॰ की 'ए' टीम के हैं अथवा 'बी' टीम के या फिर 'सी' टीम के...*(व्यवधान)*

श्री अजीत कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह 'जेड' टीम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा। यह 'जेड' टीम है। तृणमूल कांग्रेस के माननीय सदस्य ने हर प्रकार के राजनैतिक मुद्दे उठाए हैं तथा राजनीतिक पार्टियों एवं मेरी पार्टी के विरुद्ध ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि यहां जो कुछ भी कहा गया है उसका मुझे पुरजोर खंडन करना है...*(व्यवधान)*

श्री अजीत कुमार पांजा : मैंने क्या कहा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : वह जो कुछ मैंने नहीं कहा उसका खंडन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : इसका रिकार्ड है। श्री ज्योति बसु विधानसभा पटल पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिसे उन्हें अंततः वापस लेना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सभापटल पर इसका खंडन करना चाहता हूं। मैं मेरी पार्टी पर लगाए गए सभी आरोपों की चर्चा नहीं करूंगा जो सिर्फ निराधार आरोप ही नहीं हैं अपितु बहकी बहकी बातें हैं।

महोदय उन लोगों से जो अपनी पार्टी या पार्टी का चिन्ह् अपनी कमीज की तरह बदलते हैं मैं उनसे नैतिकता, आचार या राजनीतिक ईमानदारी सीखने को तैयार नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : जिस तरह से सी पी आई, सी पी आई (एम) और सी पी आई (एम एल) में बदल रही है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम यह पहले भी कह चुके हैं और दूसरों ने भी कहा है, और जो श्री हन्नान मोल्लाह ने कहा है उसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम विदेशियों के देश से निकाले जाने के विरुद्ध नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया आपस में बातचीत न करें। यह क्या हो रहा है? यदि

आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह पश्चिम बंगाल में किसी उत्तरदायी पद पर आसीन किसी व्यक्ति या यहां के किसी व्यक्ति का ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि हमने कभी भी यह कहा हो कि विदेशियों को देश से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। हमने जो कहा है वह यह है यह कैसे करना है, विदेश की पहचान कैसे करनी है? क्या धर्म के आधार पर या देश में लोग जिस भाषा को बोलते हैं के आधार पर हम फैसला करेंगे कि वह विदेशी हैं?

महोदय, इस देश में विदेशियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए कानून है। हम केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून के उन प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं। महोदय, यदि हमने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि न्यूनतम शिष्टाचार वाले कानूनी प्रावधान हैं और उनका पालन किया गया या नहीं तो क्या हमें दोषी ठहराया जा सकता है? हमसे गाली-गलौज करके वे अपनी बात साबित नहीं कर सकते। यह तो उनकी कमजोरी दर्शाता है।

महोदय, मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे खेद है कि यह कहा जा रहा है कि 'आपको क्या मतलब है?' क्योंकि पूरे देश में, विशेषकर कुछ क्षेत्रों में एक तथाकथित विचारधारा फैल रही है, हमें घृणा और असहिष्णुता का व्यवहार दिखाई पड़ता है। यह क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में एक विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति पर आक्रमण करके उसे घायल किया जाता है। एक गायक को भी उसके धर्मविशेष और देश-विशेष के कारण अपना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करने दिया जाता। महोदय, हमने देखा है कि खेलों में भी एक विशेष देश के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेने दिया जाता।

महोदय, 29 जुलाई के 'एशियन एज' में 'एक्स्ट्रीम मेजर्स' शीर्षक वाला एक लेख है। आपकी अनुमति से मैं उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। उसमें लिखा है :

> "...कहने की आवश्यकता नहीं कि देश से निष्कासन का अभियान उस क्षेत्र से आरम्भ होना था जहां रहने वाले लोगों में मुसलमानों का प्रतिशत अधिक है। देश अपने मूल अस्तित्व पर उन लोगों द्वारा आक्रमण होते नहीं देख सकता जो किसी दूसरे ही भारत की कल्पना से प्रेरित होने का दावा करते हैं। अहमदाबाद से प्राप्त रिपोर्ट" विशेष कष्टदायी है क्योंकि विश्व हिन्दू परिषद और इस तरह के अन्य दलों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए गुन्डों के वास्तविक दस्ते बना लिए गए हैं कि अलग-अलग धर्मों में विवाह सम्बन्ध स्थापित न हों। अहमदाबाद एक शहर है जहां धार्मिक अलगाव को करीब-करीब एक निश्चित रूप दे दिया गया है। लोग जिस धर्म के अनुयायी हैं उसी के अनुसार कालोनियों में रहते हैं।..."

महोदय, समाचार पत्र में आगे लिखा है :

> "यह किसी दल या सरकार का प्रश्न नहीं है। यह विचारधारा का प्रश्न है। कोई भी विचारधारा जो घृणा उत्पन्न करके देश को विभाजित करना चाहती है, उसका विरोध होना ही चाहिए। कोई भी विचारधारा जो इस बात पर आधारित है कि एक धर्म चाहे वह इस्लाम हो या ईसाई या हिन्दू दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, उसका धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्यवश अलगाववाद और साम्प्रदायिकता की ये विचारधाराएं भारतीय राजनीति के मूल को क्षति पहुंचा रही हैं। और जिम्मेदार विपक्ष को चाहिए कि अपनी निद्रा से जागे और जनता को जागरूक बनाए, वहीं विघटनकारी शक्तियों से ठीक तरह से निपट सकती हैं।"

हमें इसी से सबसे अधिक कष्ट है। आज की यह नीति, असहिष्णुता और घृणा का व्यवहार धार्मिक विचारों के आधार पर ही है।

इस हेतु देश में कानून हैं पर उनका उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाता है और लोगों को देश से बाहर खदेड़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री जी, मुझे आपके यहां होने की प्रसन्नता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप किसी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जंजीरों में जकड़कर रेल के डिब्बे में डालने की अनुमति देंगे। उन लोगों को जंजीरों से बांधकर दो हजार किलोमीटर से भी अधिक दूर ले जाया जा रहा है। क्या यह सभ्यतापूर्वक कार्य करने का तरीका है?

इस देश का कानून सुस्थापित है। मेरे पास आदेश की एक प्रति है। यह नमूना आदेशों में से एक आदेश हैं पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री को अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच इसे जानने का अवसर मिला या नहीं। उन्हें देश से बाहर भी जाना पड़ा था। मैं पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा-1), सीआईडी, मुम्बई के दि॰ 26 या 28 जुलाई, 1998 को जारी नमूना आदेश को पढ़ रहा हूं। मैंने इसकी एक प्रति माननीय गृह मंत्री को भी भेजी है। वे आज यहां नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण है और मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "कथित अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-2 के खण्ड-ग में विनिर्दिष्ट प्रकृति के आदेश तैयार करने में केन्द्र सरकार का कार्य मुझे, अर्थात् उपायुक्त को सौंपने वाले संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड-1 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं॰ 14011/24/75-एफ-3, दिनांक 19 मई, 1976 और महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना, दिनांक 1 जून, 1976 के अन्तर्गत...के रूप में जाने जाने वाले विदेशी/बंगलादेशी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

> नागरिक, बांग्लादेश निवासी को आदेश देता हूं कि वह इस आदेश के प्राप्त होने की तारीख के बाद भारत में नहीं रहेगा/रहेगी और उसे तुरंत भारत छोड़ना होगा।"

मैंने गृह मंत्रालय द्वारा जारी उक्त अधिसूचना को प्राप्त करने के प्रयत्न किए और चूंकि वह मुझे पुस्तकालय में प्राप्त नहीं हुई अतः मैंने उसे गृह मंत्रालय से प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन मेरे सचिव से कहा गया, 'नहीं, यह एक गुप्त परिपत्र है' गृह मंत्रालय उसे मुझे नहीं देगा। मुझे अचम्भा हुआ। एक पुलिस उपायुक्त को उस परिपत्र का पता है और मैं जो अट्ठाइस वर्ष से सांसद हूं, उस परिपत्र की प्रति नहीं ले सकता क्योंकि वह एक गुप्त परिपत्र समझा जाता है। प्रधानमंत्री जी, मैंने 30 जुलाई को गृह मंत्री को पत्र लिखा था। मैं परिपत्र की प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस उपायुक्त किसी गुपत परिपत्र का उल्लेख कर सकता है किन्तु एक सांसद उसे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि आप स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके कार्यालय को आदेश देंगे कि वे मुझे परिपत्र की प्रति यथा शीघ्र उपलब्ध करा दें, बल्कि हो सके तो कल तक ही ये प्रति दिलवा दें।

मैंने अपने पत्र में लिखा है : 'मैं पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी उक्त आदेश की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं।' उसके लिए न तो कोई उत्तर दिया गया है और न ही कोई पावती दी गई है। न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है। उसमें गोपनीय क्या है? यदि एक पुलिस उपायुक्त उसे प्राप्त कर सकता है तो एक सांसद के लिए वह गोपनीय दस्तावेज कैसे हो सकता है? पता नहीं उसकी गोपनीयता क्या है।

इस देश का कानून सुस्थापित हैं। उस आदेश में पुलिस उपायुक्त ने कहा है, 'तुम्हें भारत छोड़ना होगा'। मैं इस बात की भी चर्चा करूंगा कि उसे यह कहने का अधिकार है या नहीं। इस देश के किस कानून में यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति को अचानक पकड़ लिया जाय और फिर जंजीरों में जकड़कर रेल के एक डिब्बे में डालकर दो हजार किलोमीटर से भी अधिक दूर भेज दिया जाय? किस कानून के अन्तर्गत यह प्रावधान है? अजीत पांजा जी प्रमाणपत्र दे रहे हैं कि प्रत्येक आदेश और प्रत्येक कानून का पालन हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है।. ..*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें टी•वी• पर दिखाया गया था और सबने उनकी बात सुनी थी।

श्री अजित कुमार पांजा : परिपत्र श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के पास है। वह उनकी बगल में बैठे हैं। उन्होंने वह परिपत्र जारी किया था। अतः अपने पड़ौसी से पूछें, मुझसे नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किस प्रावधान के अन्तर्गत किसी से भारत छोड़ने को कहा जाता है। क्या यह विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3(2) (ग) के अन्तर्गत है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है। किस आदेश या अधिकार से उन लोगों को तत्काल जेल में डाला जा सकता है, रेलवे स्टेशन ले जाकर रेल डिब्बे में डालकर सीधे गन्तव्य तक ले जाया जा सकता है? यदि वह इसका उल्लंघन करता हो तो अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत उस पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है। उच्च न्यायालयों ने भी बार-बार यह कहा है। यह जीवन-मरण का प्रश्न है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा हैं मुझे आपसे भी सुरक्षोपाय की अपेक्षा है। कृपया सुनिश्चित करें कि संसद सदस्य किसी मामले को केवल इसलिए उठा सकने में असमर्थ न हों कि परिपत्रों को 'गोपनीय' होने की दलील पर उपलब्ध न कराया जाए। सम्बद्ध दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया जाता। वह परिपत्र किसी भी तरह गोपनीय नहीं हो सकता।

यह शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रश्न है...*(व्यवधान)* दुर्भाग्यवश, माननीय गृह मंत्री ने मुझे जवाब देने का शिष्टाचार नहीं निभाया... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने सदन में एक वक्तव्य दिया। मैं एक तरह से बहुत ही चकित हुआ और मुझे आघात पहुंचा वह एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं और गृह मंत्री के पद पर आसीन हैं। जब कुछ आरोप लगाए गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा :—

> "महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है...और उपयुक्त अवसर दिया जाता है।..."

महोदय, राज्य सरकारें चाहे वह महाराष्ट्र सरकार हो या पश्चिम बंगाल, वे केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 80,000 लोगों को निर्वासित किया है। मैंने यह अखबारों में पढ़ा है। मुझे ठीक-ठीक आंकड़े मालूम नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो किया है वह भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किया है क्योंकि केन्द्र सरकार ही कानूनन एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसे विभिन्न राज्य सरकारों को शक्तियों के प्रत्यायोजन का अधिकार है। इसने विभिन्न राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है। राज्य सरकारें प्रत्यायोजन रूप से शक्तियों का उपयोग करती हैं। जब यह प्रश्न उठता है तो केन्द्र सरकार यह नहीं कह सकती कि "अच्छा, हमने राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।" शिकायतों की जांच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? इनमें से कुछ व्यक्तियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह साबित कर दिया है कि वे भारतीय हैं न कि बंगलादेशी।

श्री अजित कुमार पांजा : यह गलत है। वे अस्थाई स्थगन आदेश लाये हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हकीकत तो यह है कि वे न्यायालय गये हैं। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय गये हैं और मुझे उम्मीद हैं कि यह विधिवत रूप से स्थापित उच्च न्यायालय है। प्रथम

दृष्टि में उनका मामला बहुत मजबूत था और इस आधार पर उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि तब से लेकर अब तक सरकार ने क्या करने का प्रयास किया श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा इस मामले को सदन में कई बार उठाया गया है। उन्होंने माननीय गृह मंत्री को लिखा भी है और उनसे मुलाकात भी की है। क्या एक भी मामले की जांच हुई?

हमने कहा है कि वास्तव में जो भी बांगला देशी है उसे यहां रहने का अधिकार नहीं है बल्कि उसे तो जाना ही होगा, और हमने इस पर आपत्ति नहीं की है। हमने यह बात अनेक बार कही है। हाल ही में हुई उन घटनाओं में से जो रेल कारागार से बाहर आ पाये हैं और जो बंगलादेशी पाए गए हैं उन्हें वापस जाने को कहा गया है और वे वापस चले गए हैं क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें जबरदस्ती भारत में रखने का प्रयास कर रहे हैं? यही हो रहा है। मगर लगता है कि गृह मंत्री इस बात की परवाह नहीं करते हैं और उन्होंने सरकार को दोषमुक्त करार दे दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि कानून के तहत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और जिन पर विदेशी होने का आरोप है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे यह सिद्ध करें कि वे विदेशी नहीं है। हां, कुछ मामलों में जिम्मेदारी होती है और इस मामले में भी यही है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने को भारतीय नागरिक साबित करने का अवसर ही न दिया जाए। जब शिकायत यही है तो सत्ता किसको प्राप्त है?

एक मामले में एक व्यक्ति को पुलिस उपायुक्त ने विदेशी करार होने का आरोप लगाया मगर उच्चतम न्यायालय ने इसके विपरीत फैसला दिया। गोधरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को दोषी करार दिया। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। जब उस व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय से गुहार की तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह नहीं होनी चाहिये, अपनी बात सिद्ध करने का अवसर दिया जाये क्योंकि उसके पास इस संबंध में कुछ सामग्री है। अतः उसे अपने को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रमाण की जिम्मेदारी (आरोपित) व्यक्ति पर है, इसके बावजूद आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय का निर्णय इस आदेश के साथ निरस्त कर दिया कि आरोपी व्यक्ति को नए प्रमाण देने का अवसर दिया जाए। मगर यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

यहां, कौन से न्यायालय की कार्रवाई प्रस्तुत की गई? उन्हें कौन सा नोटिस दिया गया? उन्हें कौन सा अवसर दिया गया? उनकी मुम्बई यात्रा के बाद भी किसी ने भी उसके बारे नहीं कहा। एक भी मामले की हमें विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, क्या उनका इशारा मेरी तरफ है?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का व्यवधान अच्छा नहीं होता है।

श्री अजित कुमार पांजा : यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा कि उन्हें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया यह रिकार्ड में है, वे नाम क्यों नहीं बता रहे? उन्हें किस बात का डर है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अजित कुमार पांजा : हर मामले में यह मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। हमें रिकार्ड दिखाया गया। यदि रिकार्ड सही नहीं है तो मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजित कुमार पांजा : मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 80,000 मामलों में से कितने निर्वासित व्यक्तियों को बंगाल के न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया वे उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वे मार्क्सवादी नहीं हैं। केवल मार्क्सवाद ही विचार करने का आधार है अन्यथा, उन्हें वापस धकेल दिया जाता है। श्री चटर्जी, क्या यही मार्क्सवाद है?...*(व्यवधान)* उन्हें कुछ पता नहीं है और वे चिल्ला रहे हैं...*(व्यवधान)* श्री तोपदार को कानून का क, ख, ग भी नहीं आता और वे चिल्ला रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस देश में मतदाता सूची तैयार करने का कानून है, और मतदाता सूची में केवल इस देशके नागरिकों के नाम ही हो सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र जारी करने हेतु इस देश में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। मतदाता सूची में नाम होने के आधार पर ही उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं। तभी तो लोगों के पास में मतदाता पहचान पत्र हैं। श्री रावले ने अभी-अभी कहा है कि ये फर्जी कार्ड हैं। मगर यह निर्णय किसने लिया—सड़कों के गुण्डों ने? यह निर्णय किसने लिया—वहां की पुलिस ने? यह निर्णय किसने लिया कि वे पहचान पत्र असली नहीं थे? मेरे पास यहां अनेक कागजात हैं। मेरे पास कुछ नमूने भी हैं। मैं श्री शरद पवार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इनकी सत्यापित कराया। वैध मतदाता सूची में नाम होने एवं मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद लोगों को यह दलील देकर खदेड़ दिया गया कि वे मान्य नहीं हैं। यह सिवाय जंगल के कानून के कुछ नहीं है और यही बात है जिस पर हमें आपत्ति है। हम एक उचित प्रक्रिया अपनाए जाने की बात कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उन्हें लिखा है। देश की खातिर विदेशियों को जरूर निकाला जाए मगर आप इस आधार पर सबको विदेशी नहीं कर सकते कि वे बंगला भाषी हैं और वे मुसलमान हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे जहां भी हो आप उसे पकड़ लें। ऐसा यहां हुआ है। हम दो-तीन वर्ष पहले जहांगीरपुरी गए वहां ऐसी ही स्थिति थी। बंगला भाषी होने के नाते लोगों को पकड़ लिया जाता है। उन्हें यह कह कर पकड़ लिया गया कि वे बांगलादेशी हैं और उन्हें वापस जाना चाहिए। कोई कानून नहीं है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को यूं ही पकड़ कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है, या नहीं। हम इस बारे में जानना चाहते हैं। यदि आप से कहा जाए कि आप यह साबित

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

करें कि आप बंगाली या बंगलादेशी हैं तो आप उसी समय कैसे कर सकते हैं? श्री हन्नान मोल्लाह ने सही कहा है वे अनपढ़ गरीब लोग हैं जो भारत के नागरिक होने के नाते रोजी-रोटी कमाने वहां गए थे। क्या मैं देश के किसी भी हिस्से में जाकर नहीं रह सकता? क्या इसके लिए मुझे कुछ लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी? हम यह स्वीकार नहीं कर सकते।

मुझे उम्मीद है कि इस देश के नागरिकों के भविष्य का निर्णय करने और इस देश के नागरिकों को विदेशी करार देने के लिए कुछ व्यक्तियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने पर यह देश और इस देश की सर्वोच्च संस्था—यह, संसद—निंदा करेगी। क्या हम सिर्फ इसलिए चुप रहें कि राजनीतिक शक्तियां इस सरकार को समर्थन दे रही हैं? नहीं। हमें यह स्वीकार नहीं है।

जस्टिस जे॰सी॰ शाह और जस्टिस वी॰एस॰ देसाई जैसी अनेक विषम विशेषज्ञ हस्तियां हैं। जस्टिस जे॰सी॰ शाह भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने बार-बार यह बात कही है कि प्रत्यायोजन का प्रमाण ठोस होना चाहिए। यह विचार उन्होंने राज्य बनाम इब्राहिम नवीजी, एआईआर 1959, बम्बई 525 मामले में व्यक्त किए थे और उस समय जस्टिस जे॰सी॰ शाह और जस्टिस वी॰एस॰ देसाई भी उपस्थित थे। मैं उस निर्णय को उद्धृत करना चाहूंगा।

> "प्रतिवादी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह धारा 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कानूनी निर्देश नहीं था कि विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3, उपधारा (2) खण्ड (ग) के अन्तर्गत लाया जाए।"

आदेश जारी करने के बारे में कहना मात्र ही विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कानूनी होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है।

> "विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा किसी वर्ग के विरुद्ध आदेश जारी करने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास है और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आदेश जारी करने की शक्ति अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती है। 17 अक्तूबर, 1955 की अधिसूचना के अनुसार शक्ति को राज्य सरकार को सौंपा जाना था। परन्तु केन्द्र सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया।"

श्री राम नाईक जी मुझे आशा है कि शायद आप उत्तर देंगे। मुझे तो मालूम नहीं है।

श्री राम नाईक : मैं आपके बोलने के पश्चात् बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन केन्द्र सरकार ने तो कोई आदेश जारी नहीं किया था। मैं मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय से पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

> *"लेकिन केन्द्र सरकार अथवा सक्षम राज्य सरकार जिसने विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 3 उपधारा (2) खण्ड (ग) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक को प्राधिकार प्रत्यायोजित किए थे, द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। 20 अगस्त 1957 को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए आदेश को अनधिकृत और विफल समझा जाए जिसमें कहा गया है कि विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत, दंडित नहीं किया जा सकता"*

श्री राम नाईक जी में समझता हूं कि आप कम से कम धारा 14 को अवश्य जानते होंगे और आपके पास यह होगा भी।

श्री राम नाईक : मैंने इसका अध्ययन किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री राम नाईक जी, मुझे आपकी सूझबूझ पर पूरा भरोसा है। मुझे आपकी सूझ-बूझ पर कोई संदेह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप आधा घंटा बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक सात सदस्यीय दल 45 मिनट ले चुका है...*(व्यवधान)*

ऐसा ही एक निर्णय (ए आई आर 1959 म॰प्र॰ 387) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था...*(व्यवधान)*

महोदय, ए आई आर 1958 कलकत्ता 565 का निर्णय भी है। इसलिए प्रत्यायोजन का मसला महत्वपूर्ण हो गया है। यह कानूनी निर्णय का मामला नहीं है बल्कि यह प्राधिकार का मामला है, क्षेत्राधिकार का मामला है, यह मानव अधिकारों संबंधी शक्तियों का मामला है और यह इस देश के नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है। हम इस बात से असहमत हैं कि इस देश में कोई पुलिस वाला अथवा कोई व्यक्ति बिना किसी उचित प्रक्रिया के, किसी इन्सान को कोई मौका दिए बिना उसे विदेशी करार दे और उसके साथ गलत व्यवहार करे। दुनिया में ऐसा उदाहरण किसी देश में नहीं मिलेगा जहां इस प्रकार से लोगों को वापस भेजा जाता है, चाहे वे विदेशी ही क्यूं न हों।

श्री अजित कुमार पांजा : जी हां, ऐसा होता है। सोवियत संघ में ऐसा होने के अनेक उदाहरण मौजूद हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम माननीय सदस्य की साम्यवाद और सोवियत संघ के प्रति वैमनस्य की भावना को जानते हैं। उनकी दुर्भावना को हम जानते हैं। लेकिन उनका कहना है कि वे सोवियत संघ और साम्यवादी देशों को पसन्द नहीं करते हैं। इस देश का सौभाग्य है कि सोवियत संघ में हमारे परम मित्र हैं। श्री पांजा जी इस बात को मत भूलिए।

श्री अजित कुमार पांजा : *यदि यह देश ताश के पत्तों की तरह ढह गया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं श्री चटर्जी जी?...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी नई पार्टी और नए सहयोगियों का

अंत पहले ही शुरू हो चुका है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय वे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं। यदि वे नहीं बन सके तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का व्यवधान डालना अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय सभा में ऐसी हास्यापद टिप्पणियां की जाती हैं...*(व्यवधान)* वे घृण्य और घिनौनी बातें कर रहे हैं।

महोदय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तथाकथित प्रत्योजित शक्तियों संबंधी कोई सही प्राधिकारी ही नहीं है। भारत के गृहमंत्री प्राधिकार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं। आज तक हम यह नहीं जान पाए हैं कि वह दस्तावेज क्या हैं और गृह मंत्री महोदय गोपनीयता के नाम पर उसे देने से हिचक रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि संसद इस मामले में अनभिज्ञ है?...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदार (दमदम) : महोदय, अपनी बात कहने का यह उचित तरीका नहीं है। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मैं दस्तावेज से उदाहरण दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महोदय, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मंत्री जी इस बारे में उत्तर देने जा रहे हैं। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, समाचार पत्रों, प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में दिल दहला देने वाली खबरें प्रकाशित हुई हैं कि कुछेक क्षेत्रों में लोगों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हमने कोई आंदोलन नहीं किया। एक के बाद एक अनेक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। महोदय आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं। सभा का समय लेने की मेरी इच्छा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बेहतर यह होगा कि आप इसे सभापटल पर रख दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि इसका अर्थ यह है कि ऐसी टिप्पणियों से मैं पीछे हट जाऊंगा तो यह आपका भ्रम है।

महोदय, मैं पुनः इसी बात को दोहराता हूं कि दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही हैं...*(व्यवधान)* क्या सदस्यों से इसी ढंग से व्यवहार किया जाता है। श्री खुराना जी हमें मर्यादा की दुहाई दे रहे हैं...*(व्यवधान)* क्या इस सभा को ऐसी टिप्पणियों के आधार पर संचालित होना चाहिए?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हमारी शिकायत यही है कि जब चटर्जी बाबू, श्री शरद पवार जी, श्री चंद्रशेखर और श्री मुलायम सिंह जी बोलने के लिए उठते हैं तो रूलिंग पार्टी का एक भी आदमी यह नहीं चाहता कि हम बोलें। वे हमेशा हमें डिस्टर्ब करते हैं। आपने मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव को...*(व्यवधान)* आप देखिए...*(व्यवधान)* यह कैसे हो गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, श्री स्वाई।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : ...*

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद जी यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात केवल सत्तापक्ष पर ही लागू नहीं होती बल्कि विपक्षी दलों पर भी लागू होती है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, खुराना जी जनसत्ता को बुलाकर ब्रीफ करते हैं कि मुलायम सिंह जी और हम हाउस के डेकोरम को मेन्टेन नहीं करते? यह आप छपवाते हैं...*(व्यवधान)* क्या इस तरह से हाउस चलेगा?...*(व्यवधान)* आपके हुक्म पर हम बैठ गए। यदि इस तरह का अतिक्रमण होता रहेगा तो फिर माफ करिए कि हम अपनी जुबान को नहीं रोक सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : कृपया इस बात पर गौर करें... *(व्यवधान)**

श्री तपन सिकदर : महोदय, क्या इस शब्द की पुनरावृत्ति ही मर्यादा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री अजित कुमार पांजा : *...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस प्रकार से 20 मिनट बीत गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कई उदाहरण दिए गए हैं। अत्यधिक जिम्मेदार व्यक्तियों ने इसे बताया है। श्री सुरेश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा है :

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

"यदि किसी भारतीय से उसकी राष्ट्रीयता को साबित करने के लिए कहा जायेगा तो वह क्या करेगा? वह अपना परिचय पत्र, राशन कार्ड अथवा पासपोर्ट दिखाएगा। यदि प्राधिकारी इसे प्रमाण मानने से इनकार करेंगे तो वह कुछ नहीं कर पायेगा। अधिकांश निर्वासित लोगों के पास ये सभी प्रमाण थे। फिर भी उन्हें वापिस भेज दिया गया यदि आप चाहते हैं कि पुलिस बंगला देशी लोगों के साथ पशुओं की तरह बर्ताव न करे तो उन्हें कतिपय मानदंडों का अनुपालन करना होगा।"

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने यह बात कही है। श्री हन्नान मोल्लाह ने भी यही कहा। मैं पहले ही कही गई बातों को नहीं दोहराऊंगा। परन्तु कार्यवाही के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने भी यही बात कही है :

"यह पाया गया है कि निर्वासितों के विरुद्ध मुम्बई पुलिस कमिश्नर द्वारा नागरिकता अधिनियम अथवा किसी अन्य सांविधि के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं चलायी गई है।"

इसके आधार पर अंतरिम आदेश दिए गए और ये मामले बंद कर दिए गए हैं मुझे यह मालूम नहीं है कि उन्होंने इसे अंतिम रूप से निपटा दिया है अथवा नहीं हम बार-बार यह कह रहे हैं कि इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेकर वे कतिपय आदर्शों, जिसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, को प्रतिष्ठापित करने के लिए मनुष्यों से निपटने के लिए एक नई प्रक्रिया स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में घृणा और असहिष्णुता की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। उन आदर्शों से ये सभी बातें प्रतिस्थापित की गई हैं। अतएव हम इस पर अपनी आपत्ति कर रहे हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। उनको शक्तियां प्रत्यायोजित करने वाले प्राधिकार के दस्तावेज को प्रस्तुत करने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जानबूझकर इनकार किए जाने का मैं कड़ा विरोध करता हूं।

मैं तो सिर्फ पीठासीन अधिकारी के रूप में आपसे इस सभा के अध्यक्ष से पूछ ही सकता हूं...*(व्यवधान)* जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो वे आपत्ति कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आप चालीस मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं इस सभा में अपने सीमित अनुभव के साथ यह कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि कम से कम यह बात मान ली जाएगी कि जब सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को निपटाने का प्रयास करते हैं और यदि संवेदनहीन और जन विरोधी सरकार कुछ काम नहीं कर सकती है और वह आवश्यक राहत उपलब्ध नहीं करा सकती है तो ऐसी स्थिति में कम से कम माननीय अध्यक्ष को आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदस्यों को अपेक्षित रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस देश में किस वर्ग विशेष अर्थात् केसरिया वर्ग अथवा इसी तरह के किसी अन्य का मनमानापन नहीं चल सकता है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करते रहेंगे।

महोदय, मैं उलूबेरिया के उन बहादुर लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इन लोगों को बचाया जिनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जा रहा था। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्पष्ट रूप से इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। परन्तु यदि यहां पर संवेदनहीन सरकार होगी और यदि कुछ प्राधिकारी कतिपय शक्तियों का उपयोग करेंगे तो लोगों को ही आगे आकर इस देश के नागरिकों और अपने भाइयों को ऐसी प्रताड़ना से मुक्त कराने में सहायता करनी चाहिए।

इसलिए महोदय मैं भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि और यह कहना चाहूंगा सरकार विदेशी नागरिकों को वापस भेजने के बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? सरकार इनको वापस भेजने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रही है? सरकार को चाहिए वह इस संबंध में लोगों और सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके इसके लिए समुचित और वैध प्रक्रिया ढूंढ निकाले। सरकार ऐसा दृष्टिकोण और रवैया क्यों अपना रही है जिससे केवल लोगों और देश का बंटवारा हो रहा है? यह कार्य करने का सही तरीका नहीं है? भारत सरकार का गृह मंत्रालय पूर्णतया विफल रहा है। विशेषकर जब कोई समस्या उत्पन्न हुई तो गृह मंत्री महोदय ने आगे आकर पूरे मामले पर लीपापोती कर दी। अब ऐसा लगता है कि वे अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। मैं इस अन्यथा नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी आ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैंने कहा था कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब देश के सामने गम्भीर समस्याएं हैं। वे इन सबमें व्यस्त होंगे। कल की घटना से हम सभी दुखी हैं। इसके बारे में हम सभी चिंतित हैं। मैं उनकी अनुपस्थिति पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। उनके पास कार्य करने के लिए डिप्टी नहीं है हालांकि श्री राम नाईक सरकार के काबिल प्रतिनिधि हैं।

महोदय, मैं इस सरकार से समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं और न कि प्राधिकारियों की ओर से ऐसे अमानवीय व्यवहार की अपेक्षा करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राम नाईक के हस्तक्षेप करने से पहले मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि अध्यक्षपीठ का विनिर्णय है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, हमारी पार्टी से एक विधानसभा सदस्य प्रभावित हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आप जानते हैं कि चर्चा के लिए हमारे समक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया है और इन्हें आज निपटाया जाना है। यदि सभा की सहमति हो तो हम आज भोजनावकाश के दौरान भी कार्यवाही जारी रखेंगे और देर तक रात 9 बजे तक बैठेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हमारी बात सुने बिना जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जवाब नहीं दे रहे हैं, यह इंटरवैंशन है।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे, उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने एक पाइंट उठाया था कि 12.00 बजे से एस॰सी॰, एस॰टी॰ का मामला एजैंडा में ऑलरेडी लिस्टेड है। एजैंडा में साफ लिखा हुआ है कि वह 12.00 बजे शुरु हो जाएगा चाहे उससे पहले कोई बिजनैस समाप्त हुआ हो या नहीं। उस समय 12.00 बजने में दो मिनट बाकी थे। अब दो मिनट देर हो गई है। सोमनाथ दादा बोल चुके। यह कहा गया था कि इनके बाद मंत्री जी रिप्लाई देंगे। हम नहीं जानते कि मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं या इंटरवैंशन कर रहे हैं क्योंकि और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह रिप्लाई नहीं है, इंटरवैंशन है।

श्री राम विलास पासवान : मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब बूटा सिंह जी ने मामला उठाया था, तो आपने चेयर की तरफ से कहा था कि दिल्ली में शैडयूल्ड कास्ट्स के संबंध में जो घटना घटी, उस संबंध में 12.00 बजे से डिस्कशन होने वाला है। इसलिए मैं भी अभी ऐलाऊ नहीं करूंगा। हम आपसे इतना ही जानना चाहते हैं कि एस॰सी॰, एस॰टी॰ डिस्कशन का फेट क्या है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो हम अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰जा॰ से संबंधित चर्चा अपराह्न 1.00 बजे कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, इसका मतलब श्री राम नाईक अपनी बात अपराह्न 1.00 बजे तक पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब यदि सभा सहमत हो तो हम अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰जा॰ पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा अपराह्न 2.00 बजे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : ये इंटरवीन क्यों करें, ये इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। इससे एक सदस्य और बोल लेगा।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, ये मुद्दे कल से सूचीबद्ध हैं। आज हमने पहले आधा समय बरबाद कर दिया है...*(व्यवधान)* महोदय, हमें भी अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा में रुचि है।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष जी, मैं राज्य मंत्री के नाते और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई भी नहीं बोला है, इसलिए मैं इंटरवीन करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को (इदुक्की) : श्री राम नाईक जी, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते...*(व्यवधान)* महोदय, कल हमने जैन आयोग की रिपोर्ट के बारे में इस मुद्दे को उठाया था और अध्यक्ष पीठ ने हमें आश्वासन दिया था कि जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा अपराह्न 2.00 बजे की जाएगी... *(व्यवधान)*। महोदय, कृपया आप ही हमारे हितों की रक्षा करें... *(व्यवधान)*। महोदय, अध्यक्षपीठ ने हमें आश्वासन दिया था कि जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कल अपराह्न 2.00 बजे की जाएगी... *(व्यवधान)* महोदय, अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)* महोदय, हम यह सुझाव दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, इस पर कार्यसूची के अनुसार चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को कृपया इस बात को समझें कि जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नियम 193 के अंतर्गत अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा पूरी होने के पश्चात् ही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, यह सभा केवल दो दिन और बैठेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या नहीं होगी और हम इसे पूरा कर लेंगे। अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा के पश्चात् हम जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, कृपया आप अपना विनिर्णय दें. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा की जाएगी और उसके पश्चात् जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महोदय, यह किस समय की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा के तत्काल पश्चात् जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा पूरी करने के लिए दो घंटे आबंटित किए गए हैं उसके पश्चात् हम जैन आयोग पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : महोदय, अध्यक्षपीठ कोई निर्णय दे सकती हैं। हम इस पर कोई प्रश्न नहीं करने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हम इन्हें एक के बाद एक पूरा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाडा) : महोदय, मुझे संदेह है कि क्या हम अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा दो घंटे में समाप्त कर सकते हैं. ..*(व्यवधान)* महोदय, इसे दो घंटे में समाप्त नहीं किया जा सकता. ..*(व्यवधान)* नियम 193 के अंतर्गत अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा पूरी करने में कुछ घंटे लगेंगे।...*(व्यवधान)* महोदय, इसे दो घंटे में समाप्त नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : क्या आप समझते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी महत्वपूर्ण चर्चा आप दो घंटे में समाप्त कर सकते हैं?...*(व्यवधान)* हम सभा की कार्यवाही के प्रति कोई न्याय नहीं करने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चाक्को जी कृपया इस बात को समझें। मैं समझता हूं आप समय के प्रति बहुत सचेत हैं।

श्री पी॰ सी॰ चाक्को : आप इस कार्यवाही को दो घंटे में समाप्त नहीं कर सकते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। हम अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)* अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा 14.00 बजे तक समाप्त नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। जैसे ही हम अनु॰ जा॰ और अनु॰ज॰जा॰ पर चर्चा समाप्त कर लेंगे हम जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि मैं एक राज्य मंत्री के नाते इस डिबेट में इंटरवीन कर रहा हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का अब तक कोई भी सदस्य नहीं बोला है इसलिए भी मैं बोल रहा हूं। मैं महाराष्ट्र से मुम्बई से आता हूं।

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, एस॰सी॰, एस॰टी॰ पर डिसकशन कब होगा?

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बोलते हैं, आप बैठ जाइए।

श्री राम नाईक : मेरे से पहले विपक्ष के जो भी नेता बोले हैं, उनकी सारी जानकारी केवल अखबारों के आधार पर है। वहां की हकीकत क्या है, उनको मालूम नहीं है, मुझे इस बात का खेद है। जब यह सवाल यहां पर उपस्थित किया गया तो विपक्ष के नेता शरद पवार और सी॰पी॰आई॰ (एम॰) के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, मुझे इस बात का दुख है। देश में जो घुसपैठिए आ रहे हैं, यह समस्या उससे जुड़ी हुई है। इसलिए सबको मालूम है, आपको सोमनाथ जी मालूम है कि देश में जो घुसपैठिए आते हैं, उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। जिस प्रकार से निकालना चाहिए, उस प्रकार के कानूनी तरीके से ही उनको निकाला जाता है, कम से कम महाराष्ट्र में तो ऐसे ही निकाला जाता है। मुझे पता नहीं है कि वैस्ट बंगाल में कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपने कहा कि आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कैसे निकाला जाता है, यह मुझे मालूम है। इसके लिए फारनर्स एक्ट है, जिसका उल्लेख आपने किया है। उसके अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, जिसका भी उल्लेख आपने किया है। इसमें सीधी-सीधी बात है कि पासपोर्ट के अंदर रूल्स बनाए हुए हैं। यह रूल्स ऑफ एक्ट के अंदर राज्य सरकार को अधिकार दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में भी जो सारी प्रक्रिया चलती है, महाराष्ट्र में, मुम्बई में मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं। पुलिस अधिकारी को जब पता चलता है कि यहां पर इस प्रकार का विदेशी है तो उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है, सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, उस व्यक्ति को अवसर देना पड़ता है और अवसर देने के बाद ही वह मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना एफिडेविट देता है। आपको मालूम नहीं है, आप कहें तो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास सारे कागज हैं। मुम्बई में जो यह काम चलता है, वह चीफ एडीशनल मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 37 कोर्ट एस्प्लेनेड, उसमें हरेक पुलिस अधिकारी को शिकायत करनी पड़ती है। आपने कहा कि हमें मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सरकार के निर्वासन संबंधी आदेश को पढ़ता हूं। हम वही तो मांग रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आपको यह मालूम नहीं है, वहीं बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी है। इसलिए मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अधिकार है। उनके यहां सारी बातें होती हैं, चर्चा होती हैं, जिनका नाम है, उन्हें मौका दिया जाता है और फिर प्रूव किया जाता है कि उनको डिपोर्ट किया जाए, फिर उसके बारे में फैसला किया जाता है। यह सालों-साल चली हुई पद्धति है। इसमें यह बात आई कि केवल भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार ने यह किया, यह आक्षेप की बात दिखती है। मैं बताना चाहता हूं फिगर्स के साथ और ये सारे खुले फिगर्स हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार महाराष्ट्र में नहीं थी, तब आज के विपक्ष के नेता, शरद पवार जी, वहां के मुख्य मंत्री थे।

1992-1995 के पीरिएड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1990 में 736 और 1991 में 750 लोगों को बंगलादेश को डिपोर्ट किया गया। हमारी सरकार 1995 में आई थी। 1995 में 560 और 1996 में 771 लोगों को डिपोर्ट किया गया।

सामान्यतः इस मामले में कांग्रेस की एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी और हमारी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी एक ही है। उसमें कोई नयी बात नहीं है, जैसा कानून से चलना चाहिए, उसी प्रकार से हम वहां काम करते आए हैं। इस भूमिका में जिनको डिपोर्ट करना था, ऐसी तीन टुकड़ियों को, मैजिस्ट्रेट ने अधिकार देने के बाद, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर देने के बाद, जिसका यहां उल्लेख किया गया कि उसके तहत पुलिस अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर को ऑथोरिटी दी जाती है : उन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करना चाहिए। वे ऐसे घुसपैठियों को सीमा पर लाते हैं। 21 और 22 जुलाई को इस प्रकार तीन बैचेज लिये गए और उनमें से दो बैचेज डीपोर्ट होकर पहुंच गए लेकिन 31 जुलाई को जो बैच गया, उसे बीच में ही एक रेलवे स्टेशन पर रोका गया। वहां के पुलिस अधिकारी को कहा गया कि आप उतर जाइए। जो पुलिस अधिकारी उनको लेकर जा रहे थे और जिनके साथ 34 डीपोर्टीज थे, उनको नीचे उतारा गया। मौब साइक्लॉजी के नाते मौब ने उन पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उन पर हमला किया और सारे डीपोर्टीज को वह भगाकर ले गई। यह आपकी पुलिस की सभ्य कार्रवाई है पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। नौ हजार का मौब वहां पर इकट्ठा हो गया जो उनको लेकर गया। क्या आपके राज्य में यही कानून है? एक रूल, जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को अधिकार दिया है कि वह उनको बॉर्डर पर ले जाएं, तब इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा उनको रोकना...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने एक विशिष्ट मुद्दा उठाया है, मैंने निर्वासन संबंधी आदेश पढ़ा है जिसमें केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना का उल्लेख किया गया है। वे इसे क्यों नहीं प्रस्तुत करते?

श्री राम नाईक : मैंने कहा है कि उन प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्री द्वारा दिया जाएगा। वे अभी राज्य सभा में हैं। वे अंतिम उत्तर के समय सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : आपके रिश्तेदार को, आपके लड़के को इस तरह चेन में बांधकर ले जाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा?... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सोमनाथ दादा, कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यदि जंगल का कानून वहां चलता है तो महाराष्ट्र में नहीं चलता। पश्चिम बंगाल में चलता है जहां से पुलिस हमला करके उन लोगों को ले गई।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आपके रिश्तेदार को, लड़के को या लड़की को पुलिस चेन में बांधकर ले जाएगी तो आपको कैसा लगेगा?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइन, यह क्या है? आप मंत्री जी के भाषण के दौरान क्यों व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इन लोगों ने मान भी लिया कि जंगल का कानून वहां है। वहां से छुड़ाकर ले गए, ऐसा मान रहे हैं और इसलिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें। श्री रूपचंद पाल, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : जिन 38 लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस छुड़ाकर ले गई, उनको पश्चिम बंगाल की कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

उनमें से तेरह लोगों ने अनामत बांड दे दिया और फिर इन लोगों को मैजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन तेरह लोगों की एन्क्वायरी की। बाकी 25 लोग 600 रुपए नहीं दे

[श्री राम नाईक]

पाए। पश्चिम बंगाल की पुलिस को जांच के दौरान इन तेरह लोगों ने बताया कि हम बंगलादेश से आए हैं। इसके बाद इन लोगों को मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस को इन्टैरोगेशन से पता चला कि ये तेरह लोग एडमिट कर रहे हैं और फिर 600 रुपए जमानत को विदड्रा कर दिया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने जो काम किया है, वह सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस प्रकार से मोबोक्रेसी चलाई है, उससे काम नहीं चलता है। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : बाकी लोगों का क्या हुआ। बंगलादेशी जो पकड़ लिए, भेज दो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। यह क्या है? उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सोमनाथ जी ने संविधान का हवाला दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस कानून के अन्दर काम कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने जिस प्रकार का काम किया, उसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को महाराष्ट्र सरकार से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से पुलिस को अपमानित किया है। यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है... *(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल के इस समय जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अन्दर कानून के अनुसार काम नहीं हो रहा है। अब महाराष्ट्र में कानून के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह तय करने का काम पश्चिम बंगाल के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का नहीं है, यह काम तो न्यायालय का है। इसीलिए. ..*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : कानून तो एक ही है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, हस्तक्षेप करने का क्या यही तरीका है?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसलिए वहां के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, ने जो वक्तव्य दिया है, हम उसका विरोध करते हैं और बताना चाहते हैं कि उन्होंने काम सही नहीं किया है। उन लोगों को छुड़ाने के बारे में भी बताया गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने समुचित राजनीतिमत्ता का प्रदर्शन किया है।

श्री राम नाईक : और क्या सम्मान आप चाहते हैं?

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : कृपया व्यवधान मत डालिए। मैं नहीं जानता कि वह आज इतना बेचैन क्यों है? कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह बताया गया है कि फारवर्ड ब्लाक एम॰एल॰ए॰ ने यह काम किया है। ऐसा यहां बताया गया है, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : फारवर्ड ब्लाक का एमएलए नहीं, 20 हजार लोगों ने यह काम किया है...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसी फारवर्ड ब्लाक के एमएलए ने, जिसकी मान्यता अभी दे रहे हैं, पुलिस की हिरासत से लोगों को छुड़ा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि उसने बेकानूनी काम किया है। वामपंथ और लैफ्टफ्रन्ट ने इस प्रकार की घोषणा की है कि यह सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं है। अब सिविलाइज्ड बिहेविर किसका है, यह तो आपको पता है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें हिन्दू-मुसलमान की बात भी लाई गई है कि मुसलमानों को डिपोर्ट किया जा रहा है। आप चाहें, तो मैं फीगर्स दे सकता हूं और आप चाहें, तो मैं नाम भी पढ़ सकता हूं। जो गैर-मुसलमान हैं, ऐसे भी लगभग 34 लोगों को महाराष्ट्र से डिपोर्ट किया गया है। आप चाहते हैं, तो मैं नाम पढ़ने के लिए तैयार हूं।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस काम में कांग्रेस का भी रोल है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष, सदन में दिखते नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं।

कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने 27 जुलाई को कलकत्ता एयरपोर्ट के सामने पब्लिक मीटिंग में भाषण किया। मैं यह समझ सकता हूं कि उन्होंने बंगलादेशियों के बारे में कहा।...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे विश्वास था कि कम से कम राम नाईक जी जैसे व्यक्ति इस सवाल पर राजनीति से ऊपर उठ कर बात करेंगे।...*(व्यवधान)* लेकिन आप राजनैतिक तरीके से बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह बात आपको शोभा नहीं देती। आप सही ढंग से बताइए कि क्या बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं आपका आभारी हूं, लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आपको राजनैतिक बात याद आ गई। जब वहां से विरोधी नेता बोल रहे थे और उन्होंने उनका नाम लेकर शिवसेना

का 15-20 साल का इतिहास निकाला, उस समय आपको यह बात याद नहीं आई।...*(व्यवधान)* जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर पब्लिक मीटिंग में 27 जुलाई को कहा कि इस प्रकार का व्यवहार यदि महाराष्ट्र सरकार आगे करती रहेगी तो महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोग जो कलकत्ता में हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार का भाषण आपके अध्यक्ष ने किया है।...*(व्यवधान)* मेरे पास इसकी जानकारी है। हमारी सरकार के बारे में किसी के मन शंका क्यों आई। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि आप में से भी कुछ लोग वहां आए थे। हमने कहा कि आइए, देखिए, आप जानकारी लीजिए, हम जानकारी देने के लिए उत्सुक हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार करती है, यहां से कोई जानकारी लेने के लिए वहां जाना चाहता है तो कहते हैं कि मत आओ, ऐसी हमारी सरकार नहीं है। हम खुले ढंग से काम करते हैं।...*(व्यवधान)* पिछले छः-सात साल में पश्चिम बंगाल से जो भी कानूनी ढंग से डिपोर्ट किया, ऐसा आपने कहा।...*(व्यवधान)* आपने पहले कहा कि 60 हजार डिपोर्ट किए हैं, क्या यह फीगर सही है, क्या ऐसा आप मानते हैं।...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, यह आपको भी मालूम नहीं है। इतने महत्व के विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है कि यह जो तरीका है, देश से बाहर के जो घुसपैठिए आए हैं, उनको देश से बाहर निकालने के काम को राजनैतिक रंग देना देश के हित में नहीं है और जो बात देश के हित में नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को और वहां की पार्टियों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)* वहां जो काम हो रहा है उसमें अड़ंगा डालने का कोई काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, इन बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण पूरा करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्री राम नाईक कल जब मैं बोली थी तो संभवतः आप थे नहीं। हमारी सरकार ने पहले ही फैसला किया है कि यदि ऐसे व्यक्तियों की कोई भी सूची उनके पास आती है, जो बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो उनके नाम और पते विभिन्न जिलों के समाहर्त्ताओं को वास्तविक स्थिति का तात्स्थानिक अध्ययन करने के लिए भेज दिए जाएंगे और उसकी रिपोर्ट हमें दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगेन्द्र कवाडे।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : क्या मैं विनम्रपूर्वक कह सकता हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं? कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि कल बाकी बचे कार्यों को निपटा लेने का निर्णय किया गया था। लेकिन उसे फिर आज के लिए टाल दिया गया था। मैं जानता हूं कि अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ की समस्याओं के संबंध में चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और उसे तो शुरू करना ही था। अब यह शुरु हो चुकी है। कम से कम 2 बजे हमें की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष, महोदय, इस पर पहले ही सभा में चर्चा हो चुकी है।...*(व्यवधान)* इसी प्रश्न पर चर्चा सदन में पहले हो चुकी है।...*(व्यवधान)* इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है और उसे अंतिम रूप भी दिया जा चुका है।...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : हमने उस पर निर्णय नहीं लिया है।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : इस पर निर्णय लिया जा चुका है।...*(व्यवधान)* हम चर्चा करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : किसने उस पर निर्णय लिया था?..*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : इस सभा में हमारे निर्णय को कुछ तो महत्व दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : अध्यक्ष, महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।...*(व्यवधान)* जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सभा की बैठक बढ़ाने का निर्णय किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : ऐसा मत कहिए।...*(व्यवधान)* आप चर्चा क्यों रोकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : वे ऐसा नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, क्या सभा की कार्यवाही इस प्रकार से होगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से सीधे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मैं सभा का विचार जानना चाहता हूं। हमें अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए अथवा जैन आयोग की रिपोर्ट पर?

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, यह सूची में आज के लिए नियत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह आज की सूची में है लेकिन हमें आज की कार्यसूची के सभी मदों को समाप्त करना है।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : निर्वासन की समस्या पर चर्चा अब समाप्त की जा सकती है। यह इस तरह से हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : *वह अंतिम वक्ता हैं। मैंने उनका नाम पुकारा है।*

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, हमें जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा अपराह्न 3 बजे शुरू कर देनी चाहिए अन्यथा इसे आज नहीं शुरू किया जा सकेगा...*(व्यवधान)* महोदय, यदि वे इसे बन्द करना चाहते हैं तो उन्हें इस पर चर्चा बन्द करने दीजिए...*(व्यवधान)* इस सभा की बैठक केवल जैन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बढ़ाई गई थी कल अनेक बार घोषणा की गई थी कि इस पर आज चर्चा की जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कवाडे जी उस विषय पर बोलने वाले अंतिम वक्ता हैं। कृपया पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष जी, ये लोग जानबूझकर टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)* जैन कमीशन की रिपोर्ट को आप कब लेंगे यह बताएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : कल इसकी घोषणा की गई थी और महोदय अब आप निर्णय को बदल रहे हैं। मैं इस पर सरकार का रवैया जानना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : यह सभा का निर्णय है। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : यह जानबूझकर टाइम को बढ़ा रहे हैं, यह सारे देश के भविष्य का सवाल है...*(व्यवधान)* ऐसे कैसे काम चलेगा?

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, ये जानबूझकर बीच में डिस्टर्ब करके टाइम को बर्बाद करवा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, मेरा कहा है कि कम से कम अपराह्न 3 बजे हम लोगों को जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। मैं सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री मदन लाल खुराना : हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे यह अपराह्न 2 बजे शुरू हो या 3 बजे...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, क्या सरकार अपराह्न 3 बजे के लिए राजी है।

श्री मदन लाल खुराना : जी हां...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव गांधी न केवल इस सभा के नेता थे अपितु वह देश के नेता थे। यदि इस सभा को इस बात की कोई चिंता नहीं है तो मुझे खेद है कि इसे अन्य विषयों की तरह लिया जा रहा है। केवल खानापूर्ति की जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव गांधी की हत्या किसी अन्य विषय की तरह नहीं है...*(व्यवधान)* उस हत्या की वेदना को लोग अभी भी महसूस करते हैं। वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वे इसे टालना चाहते हैं...*(व्यवधान)* मुझे बड़ा दुख है। यह बहुत बुरा है। सभा की बैठक जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही बढ़ाई गई थी।...*(व्यवधान)* अनेक सदस्य उस पर आपत्ति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन, कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, सभा को कम से कम अपराह्न 3 बजे जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। हम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा अपराह्न 2 बजे आरम्भ करेंगे। जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा अपराह्न 4 बजे आरम्भ करेंगे।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, इसे 3 बजे आरम्भ किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ का यह निर्णय है कि यदि सभा की सहमति हो तो हम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर चर्चा अपराह्न 2 बजे और जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा अपराह्न 4 बजे आरम्भ करेंगे।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा पूरी की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूं परन्तु आप इसे पूरा होने नहीं दे रहे हैं। हर बार यह क्या हो रह है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे चार बजे आरम्भ किया जाएगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : इसे आगे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आप पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ का निर्णय यह नहीं है। हमें समय को भी समायोजित करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई से बंग्लाभाषियों को बंगलादेशी समझ कर बाहर निकाला जा रहा है जो कि बहुत गम्भीर और मानवीय अधिकारों से जुड़ा मामला है। मैं सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मानवीय भावना, मानवीय सम्बन्ध से जुड़ी समस्या के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि इसे सदन बहुत गम्भीरता से ले। अभी ट्रेजरी बैंचिज के साथियों ने बंग्लाभाषियों के डीपोर्टेशन का समर्थन करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन और हनन किया है उनके साथ जैसा अमानुषिक व्यवहार हुआ, उसे कहने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज 80 हजार बंग्लाभाषी देश के कोने-कोने में रहते हैं। वे मुम्बई में रहते हैं। महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग भी देश के सभी राज्यों में रहते हैं। यह देश सभी का है। यह किसी की जागीर, जायदाद और प्राइवेट प्रापर्टी नहीं है—चाहे मुम्बई हो, कलकत्ता हो, नागपुर हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां देश का कोई भी आदमी रोजी-रोटी कमाने के लिए जाता है उसे इज्जत, शान और सम्मान के साथ रोटी कमाने का अधिकार मिलना चाहिए। मुम्बई में बंग्लाभाषी के नाम पर बंगला मुसलमानों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, उसका हमें बहुत दुख है।

अध्यक्ष महोदय, जब बंगलादेश का निर्माण हुआ था और उसकी लड़ाई चल रही थी, उस समय बंगलादेश से हजारों-लाखों लोग हमारे देश में आए थे। हमारे देश की भूमि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि है यह महान पुरुषों की भूमि रही है। हम सर्व समावेशक भूमिका रखते हैं। हम सबको अपने में समा लेते हैं। तिब्बत और बंगलादेश से हमारे भाई आए। हमने उनको सीने से लगाया। जो दुखी आदमी हमारे देश में आया, हमने उनको साथ ले लिया। यह केवल मुम्बई का मामला नहीं है। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं, उसमें भंडारा जिला आता है। उसमें बंगलादेश से आए हिन्दू भाइयों का रिसैटलमैंट कैम्प बना है। बोठन गांव, गौर नगर, अरुण नगर, गढ़ चिरौली और चन्द्रपुर में बंगलादेश से आए हिन्दू भाइयों का रिसैटलमैंट कैम्प है। यहां भी राजनीति लाई जा रही है। वे वहां 20 बरस से रह रहे हैं। उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उन्होंने दो-तीन चुनावों में वोट भी डाला है। वे ग्राम पंचायत के मैम्बर हैं, सरपंच हैं। उनको सरकार ने जमीन दी। वे वहां खेती कर रहे हैं। जो इनके विधायकों और एमपीज को मानने वाले लोग होते हैं, उनको वहां रखा जाता है। जो इनकी राजनीतिक विचारधारा के नहीं होते, ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के नोटिस दिए गए। यह बहुत गम्भीर मामला है। बी॰जे॰पी॰ की विचारधारा को मानने वाले लोगों को डीपोर्ट नहीं किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के मानने वाले लोगों को बंगालादेशी कह कर डीपोर्ट करने के और निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं।

यहां पर बंगलादेशियों और बंगलाभाषियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है...*(व्यवधान)* आपने मजाक बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे बंगलादेशी और बंगलाभाषी भाइयों को अमानुषिक तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बंगला देश की प्रधानमंत्री कह रही हैं कि वे अंदर नहीं आने देंगी और आप कह रहे हैं कि हम उनको बाहर भगा देंगे। मैं आपके सामने इस मानवाधिकार की बात को रखना चाह रहा हूं कि यदि केवल नियम के तहत, विदेशी नागरिकों के तहत इन्हें पांव तले रौंदने की कोशिश की गई तो वह हमारे देश की शान के खिलाफ होगा। इसलिये मेरी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस विषय को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाये और जो गलत रवैया अपनाया गया, उसको दुरुस्त किया जाये। वह सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो या कोई और हो, इस पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। यहां श्री सरपोतदार जी और श्री रावले जी बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मानवाधिकारों को पांव तले कुचलने की चेष्टा की जा रही है। उन पर जुल्म या अत्याचार मुसलमान होने के नाते किया जा रहा है उसे रोकने की कोशिश करें। उधर से हमारे एक साथी ने कहा था कि उस समय आप क्या कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का सवाल आता है तो उनका जवाब बंदूक की गोली से दिया जाता है। जब अयोध्या कांड हुआ था तब आपकी बंदूकें और पुलिस कहां गई थी? इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब जगह आतंकवाद फैला हुआ है यानी हिन्दू आतंकवाद के नाम पर बंगलाभाषियों को सताया जा रहा है और मुसलमानों को सताया जा रहा है। उस पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी होगी। इस पर रोक लगाई जाये, यही मेरी मांग है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अभी माननीय गृह मंत्री जी राज्य सभा में हैल्ड-अप हैं। वे यहां आते ही होंगे क्योंकि वे वहां पर डिप्टी चेयरमैन के आदेश से जवाब दे रहे हैं। आज राज्यसभा का लास्ट डे है, इसलिये मैम्बर्स की सैलेरी से संबंधित बिल पेश करने की मुझे अनुमति दी जाये। मेरा निवेदन है कि आप रूल वेव करके यह बिल पेश करने की अनुमति दें।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष जी, श्री कवाडे ने हमारी सरकार के ऊपर जो इलजाम लगाया है, उसका हमें जवाब देना है।

श्री मदन लाल खुराना : इसके बाद वे जवाब देंगे।

अध्यक्ष जी, इस बिल की अंग्रेजी की कापियां आ गई हैं, थोड़ी देर में हिन्दी की कापियां आने वाली हैं। आप नियम को वेव करके इस बिल को पेश करने की अनुमति दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव और अन्य व्यक्ति इसकी जांच कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को और पांच अथवा दस मिनट के बाद आरम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब, आज इस इवान में बहुत ही नाजुक और अहम मसले पर गौर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बनातवाला को बुलाया है। श्री रामदास आठवले यह तो ज्यादती है। आप सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आपको प्रक्रिया और नियमों को भी समझना चाहिए। आप हर बार अनावश्यक रूप से सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह तो ज्यादती है।

[हिन्दी]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : जनाब स्पीकर साहब, इस मामले पर मैंने भी नोटिस दिया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस इवान के सामने अपनी बात रखने की इजाजत दी है।

मैं इस इवान से गुजारिश करूंगा कि हम पार्टी की सतह से कुछ ऊपर उठकर इस अहम् मसले पर गौर करें। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि बंगलादेशी के बहाने लोगों को सताया जा रहा है। यह कहना कि सताया जा रहा है, बहुत ही मामूली लफ्ज है, कहना तो यह चाहिए कि बंगलादेशी के बहाने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने जो रवैया अख्तियार कर रखा है, उसका कोई कानूनी जबाज नहीं है, उसका कोई इख्लाकी जबाज नहीं है, उसका कोई इंसानी जबाज नहीं है।

अपराह्न 1.06 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

यह अथॉरिटी और हक पुलिस को कहां पहुंच गया कि बेतहाशा पिटाई की जाए। मैं आपके सामने बात को ज्यादा तूल न दिलाने के लिए एक रिपोर्ट पर तवज्जह दिलाता हूं, जो रिप्रजेन्टेटिव रिपोर्ट है मुम्बई के अखबार "इंकलाब" के 1 अगस्त, 1998 के शुमारे के अंदर यह रिपोर्ट इस उन्वान के तहत है। उन्होंने ट्रेन में सबकी पिटाई की और रुपये छीन लिये। "पुलिस टीम की ज्यादती और जुल्म की लरजाखेज दास्तान, बंगालियों की जुबान"। इस रिपोर्ट के तहत खुद जिन लोगों की पिटाई हुई और पुलिस ने उन पर जो जुल्म और सितम ढाया है, जरा उसके ऊपर गौर किया जाए। उनकी जुबानी यह रिपोर्ट आती है, वह मैं पेश कर रहा हूं। वे लोग चूंकि उन पर कयामत टूटी है, कह रहे हैं—

"हमारे साथ जईफ जवान औरतें बच्चों समेत, हम सब 60 से 70 अफरात थे। वह ट्रेन जो हावड़ा जा रही थी, उसमें हमें ठूंस दिया गया। जैसे ही ट्रेन चली, पुलिस ने हमें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे पास रखा तमाम रुपया ले लिया और कल्याण उतर गये। तीन दिन के सफर में हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। जैसे ही हावड़ा स्टेशन आया, उन्होंने मालदा की ट्रेन में बैठाया और अब ट्रेन चली तो मर्दों के साथ औरतों को भी पीटा गया और औरतों के हाथ खिड़की से बांध दिये गये। हत्ता औरतों को टायलेट में ले जाकर उनके साथ गलत काम किया गया।"

यह एक हकीकत है) इस जुल्म और सितम को बंद होना होगा। यहां अगर कोई बंगलादेशी करार भी दिया जाता है, डीपोर्टेशन का अगर तरीका शुरू भी हो जाता है तो यह जुल्म, यह ज्यादती क्या इसी का नाम रूल ऑफ लॉ है?

मिस्टर चेयरमैन सर, यह हमारे देश और हमारी जम्हूरियत के ऊपर एक स्याह कलंक का टीका बनकर हमारे सामने मौजूद है। मैं इस अखबार से आगे कोट करता हूं—इस पूरे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यह कि हिन्दुस्तान से ही नहीं बंगलादेश की सरहद पर जब उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो बंगलादेश राइफल्स पुलिस के जवान उनको कहते हैं कि यदि तुम बंगलादेश की सीमा में घुसे, तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या अखबार इस प्रकार से सदन में पढ़ा जा सकता है?

सभापति महोदय : दैनिक समाचार-पत्र का रैफरेंस दिया जा सकता है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। हमने अपनी रूलिंग दे दी। आप क्यों खड़े हो गए। बैठिए। शांति-शांति।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मिस्टर चेयरमैन सर, मैं खुद मुम्बई का हूं और उन लोगों से भी मेरी वाकफियत है, उन लोगों से भी मेरी मुलाकात है। मैं भी मुम्बई से ही आया हूं। मैं जो बात यहां पर कहना चाहता हूं वह यह है कि बंगलादेशी का हौवा खड़ा कर के मुहिम को तेज करने का काम हो रहा है। सबसे पहले मैं इस ऐवान में 1977 में आया। उस समय जनता पार्टी की हुकूमत थी। जनाब मेरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यह कहां का तरीका है कि लोगों को ले जाकर बार्डर के पास जंगल में धकेल दिया जाए और बंगलादेश राइफल्स पुलिस यह कहे कि तुम अंदर नहीं घुस सकते और हम यह कहें कि तुम इस देश में नहीं रह सकते। इस प्रकार से इन लोगों का जीना दूभर बना दिया है। इसका कोई तरीका होना चाहिए। बंगलादेश सरकार से बात कर के, मामलात तय कर के कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर किसी को बंगलादेशी साबित भी कर

दिया गया हो, तो फिर डिपोर्टेशन का तरीका क्या होगा, यह उस हुकूमत के साथ तय करना होगा। हमारे देश के अंदर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ देशों के लोग आकर बस गए हैं, लेकिन कयामत टूटती है, तो इन लोगों के ऊपर टूटती है और इनको कहते हैं कि बंगलादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं। मैंने यहां इस हाउस में पिछली लोक सभा में यह सवाल किया था कि विदेशियों को डिपोर्टेशन करने के बारे में हुकूमत ने क्या किया और क्या उन कंट्रीज के साथ कोई बात करके कोई मैथोड तय किया है? जवाब आया कि "नहीं" यह हाल है। इन जुल्म और सितम के मारे हुए लोगों के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जुह नहीं दी जाती है। देश के कानून की धज्जियां उड़ी दी गई। अब राशन कार्ड प्रूफ नहीं माना जाता है। वे कहते हैं यह बिकाऊ चीज है। किसी प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र नहीं मानते। इलैक्टोरल रोल्स में एंट्रीज तक को प्रूफ नहीं मानते। मुम्बई के अंदर इलैक्टोरल रोल्स में नाम मौजूद हैं, लेकिन मुम्बई थाने की तरफ से नोटिस भेजे जाते हैं कि थाने में आओ और अपनी शहरीयत का प्रूफ दो।...*(व्यवधान)*

चेयरमैन सर, इनमें सुनने का माद्दा और ताकत नहीं है। इसीलिए ये मेरी तकरीर के दौरान मदाखलत किए जा रहे हैं। इलैक्टोरल रोल्स में नाम मौजूद है, फिर भी हजारों लोगों को पुलिस की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं कि थाने में आओ और अपनी शहरीयत का प्रूफ दो। इलैक्टोरल रोल्स को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और नोटिस कैसे-कैसे लोगों को भेजे जा रहे हैं वह भी सुन लीजिए जो आदमी सालोंसाल से म्युनिसिपल कौंसलर रहा, जो सालोंसाल तक हज कमेटी का चेयरमैन रहा और जिनको नोटिस आए हैं उनमें ऐसे भी शख्स हैं जो महाराष्ट्र असेंबली का मैम्बर रहा है। उनको नोटिस आता है कि थाने में आओ और अपनी शहरीयत का सुबूत दो। यह क्या तरीका है। यहां पर कोई तरीका अख्तियार नहीं किया जा रहा है।

रात का खटका हुआ और देखा कि उसे मारते पीटते ले जा रहे हैं। यह तरीका नहीं है। मैं यहां पर बंगलादेशियों की वकालत के लिए या किसी विदेशी की वकालत के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए और जो गलत तरीका-ए-कार इख्तियार किया गया है, जो जुल्म व सितम ढहाया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। आज इन हालात में जरूरत इस बात की है। मैंने बड़े गौर से माननीय श्री पांजा जी को सुना। उनकी हर बात से मालूम होता था कि वह जानते हैं कि गलतियां हुई हैं, गलत तरीके-ए-इख्तियार किये गये हैं लेकिन सिर्फ उन्हें लोकल, टेक्नीकल गलतियां कह दी गई। लोकल पुलिस स्टेशन पर कुछ शिकायतें हैं, इस तरह कहकर उन्होंने गवर्नमैंट को माफ करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यह है कि यह ऐवान खामोश तमाशाई नहीं रह सकता।

मैं दो-तीन सजेशन्स देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। पहला सजेशन, मरकजी हुकूमत को इस बात का होना चाहिए कि साफ वाजेह तौर पर गाइडलाइन्स हो। स्टेट्स को जो हक दिया गया है कि वह खुद डिपोर्टेशन की कार्यवाही करे, ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं हो और यह काम बरा-ए-रास्त मरकज अपने हाथों में लेकर इस पर तवज्जो दे। आज हद तो यह है कि हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन में बुनियादी हकूक के अंदर शहरियत का हकूक शामिल ही नहीं है। हम यह तो कहते हैं कि "राइट टू लिव" बुनियादी हक है लेकिन सिटीजनशिप आज फंडामैंटल राइट के रूप में मौजूद नहीं है। इसको भी हमें तसलीम करते हुए जो फॉरनेर एक्ट वगैरह के कवानीन हैं, उनमें तब्दीलियां लानी पड़ेंगी।

साहब, अगर हम एदाद-व-शुमार देखें, तो हम कहते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर बॉर्डर स्टेट से इनफिलट्रेशन होता है। मैं सिर्फ हवाला देकर मामले को खत्म करूंगा और यहां तमाम एदाद-व-शुमार पेश नहीं करूंगा। एक अनस्टार्ड क्वश्चैन जिसका नम्बर 2376, डेटिड 17 अगस्त, 1995 था। उसमें कितने इनफिलट्रेटर्स आईडेंटिफाई हुए, वे दिये गये हैं—जम्मू-कश्मीर में उनकी नम्बर 1993 में 77, 1994 में 264 और 1995 में 154 थी। राजस्थान में 1993 से 1995 तक इनफिलट्रेशन की तादाद 208, 196, 107 है। जो मामूली एदाद-व-शुमार इनफिलट्रेशन हैं, वे हमारे इस क्वश्चैन के अन्तर्गत दिये गये हैं। उनकी तादाद घटती हुई राह पर है लेकिन इसके बावजूद एक हौवा खड़ा किया जा रहा है। खासतौर पर बंगलादेश और मुसलमान बंगाली बोलने वालों पर एक जुल्म सितम का फिरका वाराना रंग दे दिया गया है। अगर बंगाली जुबान बोल रहा है और वह मुसलमान है तो फिर एक कयामत है जो तोड़ी जा रही है।

मैं ऐवान से, हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जज्बात से बुलंद होकर और इंसाफ के नाते गौर किया जाये। कानून सही तौर पर इस्तेमाल हो और जो जुल्म व सितम ढहाया जा रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। इस पर तवज्जो दी जाये।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : सभापति जी, यह मामला रामदास जी की कांस्टीटुऐंसी से जुड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से प्रो॰ जोगिन्दर कवाडे बोल चुके हैं। आप आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बीच में क्यों खड़े होते हैं। कार्यक्रम में जो भी नाम दर्ज है, मैं उन सबको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : सभापति जी, यह मामला रामदास जी की कांस्टीटुऐंसी से जुड़ा हुआ है इसलिए आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से प्रो॰ जोगिन्दर कवाडे का नाम आया था और वह बोल चुके हैं। क्षेत्र के नाते आपको बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप खड़े मत होइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा करने से मौका नहीं मिलेगा। आपने ध्यान आकृष्ट किया, हम देखेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा करने से आपका समय समाप्त हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री तपन सिकदर (दमदम) : सभापति महोदय, कल से जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह वास्तव में गंभीर विषय है। आज हमारे सीनियर माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने जिस भावना को प्रकट किया, यदि घुसपैठियों की समस्या इस तरह का रूप धारण नहीं करती तो शायद उस भावना को प्रकट करने की जरूरत नहीं होती।... *(व्यवधान)* महाराष्ट्र की समस्या वास्तव में घुसपैठियों के साथ जुड़ी हुई है और यही मूल समस्या है।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिति पैदा हुई है, यदि देश का बटवारा नहीं होता तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होती।...*(व्यवधान)* आज सोमनाथ दा ने जिस भावना के साथ सारे वक्तव्य रखे, यदि उस समय हमारे कम्युनिस्ट बंधु देश के बटवारे का समर्थन नहीं करते तो शायद इसकी जरूरत नहीं होती।...*(व्यवधान)* यहां पर बंगलाभाषी और बंगलादेशी के विषय आए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बशीरहाट) : महोदय, वह पूरी तरह से सभा को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तपन सिकदर : जो मीटिंग हुई, उसमें हिन्दू महासभा का नाम लिया।...*(व्यवधान)* आज जो पश्चिमी बंगाल भारत में है, यदि डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो यह पाकिस्तान या बंगलादेश में चला जाता, यह भी मानकर चलिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, इसका फारवर्ड ब्लाक ने विरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री तपन सिकदर : मैं कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों की समस्या इतनी गंभीर समस्या है जिसे सभी ने राष्ट्रीय समस्या और ज्वलंत समस्या मान लिया है। ऐसा नहीं है कि इसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना गया है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने माना, राजीव गांधी जी ने माना और बाद में, विलंब होने के बावजूद, बंगाल में ज्योति बाबू ने भी माना कि यह गंभीर समस्या है। इस समस्या के साथ आज जो प्रश्न उठाया गया कि मुम्बई से बंगला भाषियों को भगाया जा रहा है, यह बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां से मुस्लिम समुदाय को भगाया जा रहा है क्योंकि वे मुस्लिम बंगला भाषी हैं, यह भी ठीक नहीं है। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बंगला भाषी के नाम पर, चाहे वह मुसलमान हो या हिन्दू हो, यदि वह भारतीय नागरिक है तो उसे देश से किसी भी तरह नहीं भगाया जाएगा।

उसके बारे में अगर कोई कदम उठाएगा तो मैं भी उसके खिलाफ बोलूंगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आप मंत्री हैं क्या? फिर आप विश्वास कैसे दिला रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सुनिये। आपको जवाब नहीं देना है। आप आसन की तरफ देखिये।

श्री तपन सिकदर : मैंने पार्टी की बात बताई। मैंने सरकार की बात नहीं बताई। मैं बता रहा था कि यह समस्या कैसे पैदा हुई, यह हमारी बात नहीं है, इस समस्या ने कैसे गम्भीर रूप धारण किया है। माननीय पी॰एम॰ सईद जी अभी सदन में हैं, उनसे सदन में प्रश्न पूछा गया था, उनका जो आंसर था, उसमें से उनका एक ऑब्जर्वेशन मैं पढ़कर सुना देता हूं, उन्होंने क्या बताया :

[अनुवाद]

"(1) भारत में 23.79 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मुस्लिम जनसंख्या में 32.76 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि हिन्दू जनसंख्या की वृद्धि दर केवल 22.78 प्रतिशत है।

(2) पश्चिम बंगाल और अन्य सीमा क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर बंगलादेशी नागरिकों द्वारा घुसपैठ एक कारण है।"

[हिन्दी]

मैं आपको बता रहा हूं कि वैस्ट बंगाल में हिन्दुओं की एक दशक में जो आबादी बढ़ी है, वह 21.5 परसेंट है और जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन की संख्या 38 परसेंट बढ़ी है। यह जो इन्क्रीज है, यह इन्क्रीज सारे देश में जो स्थिति पैदा हो गई...*(व्यवधान)* सुनिये-सुनिये। यह बी॰जे॰पी॰ के नहीं, यह संसद में दिये गये आंकड़े हैं। आप यह सुनने का कष्ट करें। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन देखिये।

[अनुवाद]

"(3) धार्मिक और आर्थिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से

बड़े पैमाने पर बंगलादेशी नागरिक लगातार भारत में आए हैं।

(4) इस क्षेत्र में नए प्रवासी लोगों औश्र दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय प्रवासी लोगों की संख्या में भारी वृद्धि के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल गया है।"

[हिन्दी]

अर्थात् सीमा पर रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, वे डर के मारे अन्दर जा रहे हैं और बंगलादेश मुस्लिम आकर के सीमा पर भारी मात्रा में बैठ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इस विषय में अपनी वैस्ट बंगाल सरकार ने क्या किया? आज 80 हजार का हिसाब आया, लेकिन बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी लम्बी सीमा है। मैं 1991 के बाद की बात बता रहा हूं।

तीसरे, अब यह मानकर चलना चाहिए कि इसके पहले राशन कार्ड की बात आई कि अपनी नागरिकता के प्रमाण के लिए राशन कार्ड की बात आई। राशन कार्ड के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। गार्डन रीच एक स्थान है। गार्डन रीच में आज से चार साल पहले 2.92 लाख पोपुलेशन थी, लेकिन गार्डन रीच में 3.98 लाख राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। राशन कार्ड किसको दिये गये? ये हजारों राशन कार्ड वाम फ्रण्ट के एक मिनिस्टर ने बंगलादेशियों को दिये। मैं प्रमाण दे सकता हूं, मैं जिम्मेदारी लेकर आपके सामने बता रहा हूं। मालदा के एक भूतपूर्व विधायक, सी॰पी॰एम॰ के विधायक और कांग्रेस के सभाधिपति, दोनों ने मिलकर ऐसे तीन-चार लोगों को प्रमाण-पत्र दिया कि हम तीन, चार, पांच साल से इसको जानते हैं। लेकिन वे आदमी कई मामलों में पुलिस के हाथों में पकड़े गये। जब उसको कोर्ट में ले जाया गया, तब देखा गया कि केवल तीन महीने पहले वह भारत में आया है, वह बोला और... *(व्यवधान)*

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : तीन महीने का साबित कैसे हुआ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बीच में खड़े नहीं होना है। नहीं, सवाल-जवाब नहीं करना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कन्क्लूड किया जाये। अब समाप्त किया जाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब इसमें सवाल-जवाब नहीं होगा। कृपा कर आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री तपन सिकदर : बी॰एस॰एफ॰ ने बताया है कि उन्होंने 1984 में 2961 हिन्दू पकड़े और 6387 मुस्लिम पकड़े, 1985 में 21127 हिन्दू पकड़े 8698 और मुस्लिम पकड़े, 1986 में 7160 हिन्दू पकड़े और 15300 मुस्लिम पकड़े और 1987 में 7077 हिन्दू पकड़े और 17959 मुस्लिम पकड़े।

अपराह्न 1.51 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

यह जो संख्या है, आप देखें कि कुल मिलाकर बंगलादेश से पश्चिम बंगाल में 80 लाख मुसलमान आए। हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। एक हिन्दू या भारतीय मुसलमान को हम देश से भगाने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन आज जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, वह बहुत गम्भीर है। वैस्ट बंगाल में इन्होंने ऐसे घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी प्रमाणिकता की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 1.51 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट से सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन बढ़ाने सम्बन्धी दस्तावेज का हिन्दी वर्शन नहीं आया इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अंग्रेजी वर्शन को ही मानकर चले।

[अनुवाद]

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। प्रक्रिया के सभी नियमों की अनदेखी करना अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विभिन्न मदों के अंतर्गत संसद सदस्यों को भुगतान की जानी वाली धनराशि की जांच करने का औचित्य नहीं है। इस मामले में मैं अपनी

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खंड-2, दिनांक 4-8-98 में प्रकाशित।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

ओर से और हमारी पार्टी की और से बार-बार यह अनुरोध किया जाता रहा है कि इस मामले में निर्णय का अधिकार अध्यक्ष महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय अथवा ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहिए ताकि लोगों को यह टिप्पणी करने का मौका न मिले कि हम अपने वेतन और भत्तों के बारे में अपने-आप निर्णय ले रहे हैं। कृपया मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। प्रत्येक मामले में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।

यह किसी तरह नहीं किया गया। कई माननीय अध्यक्षों ने यह महसूस किया है कि सही प्रक्रिया है। इसलिए यह मामला बार-बार यहां क्यों आता है? ऐसे प्राधिकारी द्वारा एक स्वतः निर्मित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। हम न्यायिक आयोग और ऐसे कई स्वतंत्र निकायों की बात कर रहे हैं यह क्यों नहीं किया जाता? परन्तु यह नहीं किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभा सभी प्रक्रियाओं को ताक पर रख कर इस विधेयक पर विचार कर रही है। इस समय यह विधेयक परिचालित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि नेताओं की बैठक में इसके बारे में बताया गया है लेकिन इसका भी अनुपालन नहीं किया गया है। इतनी सारी चीजें नई हैं कि कोई इसे पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि कहीं यह धारणा न बने कि हम ऐसा अधिकता एवं जल्दबाजी में कर रहे हैं। हम इसमें शामिल हैं अतः इन सारी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं आप से अपील करता हूं कि इसे जल्दी किया जाए। महोदय, आप पहल कर सकते हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। वह इस सदन के ही नहीं बल्कि देश के एक अत्यंत अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। कृपया एकाध सप्ताह के अन्दर इसे कर दें। निर्णय लेने के लिए इस तरह से आप हम पर क्यों टाल रहे हैं। इस मामले से हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं आप से अपील कर रहा हूं। ऐसा न सोचा जाए कि मैं किसी वृद्धि के या इस पर कोई विचार किए जाने के खिलाफ हूं। कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस बात पर मेरा कोई प्रतिवाद नहीं है। मगर ऐसा न कहा जाए कि हमें अपनी ही बहुत चिंता है और इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यदि मंशा यही है, यदि हमारे साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है तो मैं मत विभाजन चाहूंगा. ..*(व्यवधान)* यदि इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, तो हमें बाहर समझौता कर लेना चाहिए...*(व्यवधान)* पीछे से हमें कोई भी उपदेश दे सकता है और यहां भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सदस्यों के वेतन परिलब्धियां और भत्तों का यह मुद्दा समय-समय पर संशोधन, परिवर्तन और बदलाव के लिए उठाया जाता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है मुझे वर्ष तो याद नहीं है लेकिन जब से मैं इस सदन में हूं, यह मुद्दा कम से कम चार-पांच बार उठाया गया है। हममें से कुछ लोगों ने वृद्धि का प्रस्ताव किया था और यह नियमित मुद्दा बन गया है। मैं इस दलील का भी विरोध नहीं करता कि सदस्यों को इसकी आवश्यकता है। अनेक सदस्यों की आर्थिक स्थिति वास्तव में गंभीर है। उन्हें दो जगहों की देख-भाल करनी होती है, एक-दिल्ली में और दूसरा उनके निर्वाचन क्षेत्र में। कुछ सदस्यों के परिवार भी बहुत बड़े हैं। उन्हें अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है। मगर हमारा सुझाव यह था कि स्थाई तौर पर कोई स्वतंत्र निकाय, कोई छोटी समिति या कोई आयोग या कुछ और गठित किया जाए और जब भी संशोधन की आवश्यकता हो तो इस मामले को उस निकाय को सौंप देना चाहिए और निकाय को सदस्यों से मिलना चाहिए। निकाय उनसे बातचीत करे। उनकी बात सुनें और इसके बाद ऐसी सिफारिश दें जिन्हें स्वीकार किया जा सके। इन सिफारिशों के अनुसार सदस्यों को वही मिलेगा जिसके वो हकदार होंगे। मुझे पता है कि 99.9 प्रतिशत सदस्य इस वृद्धि को तुरन्त पारित किए जाने के पक्ष में हैं और मुझे पता है यह पारित भी हो जाएगा। मगर मेरा कहना यह है कि आप चाहे सहमत हों या न हों मैं एक बात कहना चाहूंगा जो चाहे यहां प्रासंगिक न हो। जहां तक मेरे दल का सवाल है तो हमारी परिलब्धियों एवं भत्तों के तौर पर हमें जो मिलता है, इसका 50 प्रतिशत दल को चला जाता है। मेरी समझ से ऐसा सभी दलों में नहीं होता है। अतः यदि यह वृद्धि स्वीकार कर ली जाती है तो मेरा दल मुख्य रूप से लाभान्वित होगा। दल को हर माह अनुपाततः अधिक राशि प्राप्त होगी। जो दल के हरेक सदस्य सांसद द्वारा दल को लेवी के रूप में दी जाती हैं। मगर मुद्दा यह था कि जनता, प्रेस, मीडिया और अन्य लोगों को यह नहीं महसूस होना चाहिए कि केवल हम लोग ही अपने लिए यह वृद्धि कर रहे हैं। जब एक ओर इस सदन में रोज हम सब इस बात पर आंसू बहा रहे हैं कि इस देश में गरीबी है, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए उन्हें आश्रय, और पीने को उन्हें पेय जल नहीं मिलता और दूसरी ओर हम अपने भत्तों एवं परिलब्धियों में भारी वृद्धि कर रहे हैं, तो मुझे बहुत शर्मिन्दगी महसूस होती है। मेरे विचार से यह सही नहीं है। एक समिति ने कुछ अन्य देशों में उपलब्ध प्रक्रिया का अध्ययन किया और उसे यह मालूम हुआ कि वहां उस तरह की व्यवस्था है। वहां निरपेक्ष लोगों की स्थाई समिति या आयोग का प्रावधान है और यह समिति इस मुद्दे पर गौर करती है और आवश्यकतानुसार सिफारिश करती है। इन सिफारिशों पर बहस होती है और इन्हें या तो स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। मगर सिफारिशें सदस्यों द्वारा नहीं की जाती हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे देश के लिए यह सही है।

मुझे याद है, पिछली बार जब वृद्धि की गई थी तो देश के सभी अखबारों ने सम्पादकीयों द्वारा हमारी निंदा की और कहा कि हमें अधिक से अधिक पैसा लेने की फिक्र है और शेष देश की चिंता नहीं है। हम ऐसा काम क्यों करें जिससे कि हमारी निंदा हो? मेरी समझ में नहीं आता। मैं इस तरह से नहीं करना चाहता। अतः मैं इस सदन में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सुन लीजिए। हम लोगों की बात भी सुन लीजिए।...

अपराह्न 2.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, सदस्यों की सुविधा के लिए समिति बनी हुई है। उस समिति ने कई बार विचार-विमर्श करने के बाद मामला सरकार के पास भेजा है कि किस तरह से सुविधा मिलनी चाहिए।

जहां तक ओपीनियन का सवाल है, माननीय सदस्य, जो एक दल के नेता हैं, ने टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र पढ़ा होगा कि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वह यह बिल राज्य सभा और लोक सभा में पेश करने वाले हैं। इसलिए यह कहना कि जल्दबाजी में बिल लाया गया है, ऐसा नहीं है। सांसदों की डिमान्ड थी और समिति ने रिकमैंड किया। सभी चाहते हैं कि इसको पारित किया जाए। बड़े-बड़े कम्पनी वाले लोग यह समझकर चले आयें कि इनको पैसा दे देते हैं, क्योंकि सांसद पानी का बिल नहीं दे सकता है, बिजली का बिल नहीं दे सकता है और वह परेशानी में रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को बिना बहस के पास किया जाए।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इन्द्रजीत गुप्त जी इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिल का नहीं, पद्धति का विरोध कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : सवाल यहां का नहीं है। एसेम्बली चाहे बिहार की हो या देश की हो, सुख-सुविधा की समिति बनी हुई है और यह सरकार कोई नयी चीज नहीं कर रही है। सुख-सुविधा समिति, चाहे विधान सभा की हो या संसद की है, वह समस-समय पर माननीय सदस्यों की सुख-सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करती रही हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा दौलत नहीं दी जा रही है। रेल की सुविधा है, बहुत से हमारे जैसे लोग रेल में चढ़ते भी नहीं है, क्योंकि लेट चलती हैं। जहां तक जहाज का प्रश्न है, जहाज में भी सड़ा हुआ खाना मिलता है, जो हम लोगों को खाना पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम वामपन्थी दल प्रगतिशील लोग हैं। बिहार एसेम्बली में भी जब सुविधायें बढ़ायी जाती हैं, तो वे सबसे आगे वाकआउट करते हैं। मेरे विचार से इसमें प्रावधान कर दें कि जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, वे न लें। इस तरह जिनको बदनाम होना है, वह बदनाम हो जाएगा। इनकी समस्या को हम समझ सकते हैं, पार्टी आधा पैसा गला दबा कर ले लेती है। यह उचित नहीं है। हम इलैक्शन के लिए स्टेट फन्डिंग की बात कहते हैं। एम पी और एमएलए की हालत देखिए यदि वे एक पर्दा अधिक ले लेते हैं, तो उसका पैसा काट लिया जाता है। पानी ठीक नहीं मिल रहा है। पोल्युटेड पानी है। बागवानी के लिए गन्दा पानी लिया, तो पैसा काट लिया जाता है। राज्य सभा का आज अंतिम दिन है। इसको आज पास नहीं किया जाएगा, तो वहां से बात अटक जाएगी। हम मानते हैं कि इनके पक्ष में कुछ लोग मंत्री बन गए हैं, लेकिन जो सांसद नहीं बन पाए हैं, उनको भी तो कुछ सुखसुविधा हो जाए। हम चाहते हैं कि इसको पास किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और खुराना जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। मेरे विचार से आगे के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि बार-बार संसद के समक्ष न आना पड़े, स्वतः ही सुख-सुविधायें बढ़ती रहें। इस बारे में बाद में बैठकर विचार कर सकते हैं। हम अपने अधिकार दूसरों को क्यों दें। समय कम है, बंगलादेश से संबंधित चर्चा को भी पूरा करना है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर होने वाली चर्चा को भी पूरा करना है। इसलिए इस विषय पर चर्चा न करते हुए, आप ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, इस विधेयक को पास किया जाए।

यह 50,000 रुपए कार एडवांस दे रहे हैं और उस पर सूद 15 प्रतिशत ले रहे हैं। आप पेंशन कहां दे रहे हैं? आज जो एम॰पी॰ हैं, कल जब हाउस डिजोल्व हो गया तो इन बेचारों को एक पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। अब जो एम॰पी॰ नहीं हैं उनकी आप हालत देखिए कि वे चाय पीने के लिए भी मारे-मारे फिरते हैं। जितने हारे हुए एम॰पीज हैं उनकी हालत आप देखिए वे दिन भर कैसे बैठते हैं, यह हालत पोलिटिशियंस की है। इसलिए आप इसको पास करिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, अभी श्री सोमनाथ और श्री इन्द्रजीत गुप्त बोले। मैं संसद में 1970 से हूं और 1970 के बीच में दो बार नहीं रहा। मैं राज्यसभा या लोकसभा में लगातार रहा हूं। मैं जानता हूं, मुझे भी एम्बर्समेंट होता है, जब भी सदन के अंत में, आखिरी दिन या दो दिन पहले इस प्रकार का विधेयक पारित होता है और सब प्रकार के नियमों को एक तरफ रखकर बिना बहस के हम पास कर लेते हैं। इसलिए मूलतः इन्होंने जो बात कही उसमें बहुत वजन है। हमने हाउस आफ कॉमन्स की नकल करके यह तय किया कि हाउस के मेम्बर्स अपना फैसला खुद करेंगे और उसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यह है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सैलरी एलाउंसेज की हमने बनाई हुई है। उसके आधार पर हम फैसला करते हैं और चूंकि वह भी एम॰पीज की कमेटी है, कोई बाहर की कमेटी नहीं है। इसलिए हम जब भी फैसला करते हैं, मैं जानता हूं कि सांसदों को आर्थिक दृष्टि से कितना कष्ट रहता है। दो-दो एस्टेब्लिशमेंट रखना, अगर ईमानदार सांसद है और अपने काम में जुटा हुआ है तो वह निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से परेशान रहता है लेकिन उसके बावजूद इस बात पर सोचना चाहिए कि हम जब भी अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो दुनिया भर में हमारी कितनी आलोचना होती है। हम सैलरी को 1500 रुपए कह कर अपने को टैक्स से मुक्त कर लेते हैं, पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि फैसला हम करते हैं और इसलिए जो बात हमारे दोनों नेताओं ने कही है, मैं समझता हूं कि हमको उस पर विचार करना चाहिए और आपको भी सभी पार्टियों के नेताओं को बुला कर विचार करना चाहिए। मैंने वर्षों तक, जो भी वित्त मंत्री आए उनके सामने सुझाव रखे कि दुनिया के बहुत सारे लोकतंत्रीय देशों ने व्यवस्था की है कि एम॰पी॰ को किसी न किसी ब्यूरोक्रेट के लेवल के साथ जोड़ते हैं और जब भी पे कमीशन आता है, उसकी तनख्वाह बढ़ती है तो इनकी भी तनख्वाह आटोमेटिकली बढ़ती है, अपना फैसला नहीं करते। दूसरा यह है कि जो स्पीकर, चेयरमैन राज्यसभा का है उसके साथ किसी ओर

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

को जोड़ दीजिए। उसकी एक कमेटी बन जाए, लेकिन मूलतः जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा कि इस प्रकार का निर्णय जब भी हम करेंगे तो हम दुनिया की नजरों में यह होंगे कि ये तो अपनी ही चिन्ता करते हैं और बात गरीबों की, जनता की करते हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, इसी कारण पिछले सप्ताह जब सरकार के सामने यह प्रस्ताव आया तो हमारे मन में संकोच हो रहा था, लेकिन मैं स्वीकार करूंगा कि संकोच होते हुए भी लोग समझते हैं कि बात में वजन है। इसलिए सब सदस्यों ने मिल कर, खास कर राज्यसभा के लोगों ने मिल कर प्रधानमंत्री जी के पास जाकर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। मंत्रिमंडल के सामने जिस प्रस्ताव को हमने रोक लिया था, मैं उस प्रस्ताव को एक बार फिर से रखूंगा और फिर यह प्रस्ताव रखा गया। जिस प्रस्ताव को स्वीकार करवा कर आज हमारे संसदीय कार्य मंत्री सदन में लाए हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दोनों नेताओं की बात का वजन स्वीकार करते हुए इसको स्वीकार करें और मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जो बात कही है और जिसकी मैं पुष्टि करता हूं,

[अनुवाद]

कोई संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अपने ही वेतन और भत्तों पर निर्णय लेने की समस्त जिम्मेदारी सदस्यों पर नहीं डालनी चाहिए। कोई और पृथक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आप भले बनें और हम बुरे बनें, तो फिर आप इसको वापस ले लो। यह तरीका ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* आप तनख्वाह बढ़ाएं या न बढ़ाएं।

हमारे एम॰पीज॰ के जितने रैजीडेंस हैं उन पर कितना भ्रष्टाचार बिजली और पानी का है, कितने गलत बिल आते हैं, कितना पानी रिस रहा है। फर्नीचर पुराना लाकर रख देते हैं और नया अपने घर ले जाते हैं। इसलिए रैजीडेंस के लिए जितने पैसे हों वह दे दीजिए और अपना बंगला वापस ले लीजिए। उसमें चाहे होटल बनाओ, होस्टल बनाओ, जो मर्जी हो वह बनाओ, अगर हम रहें तो हमसे उसका किराया लीजिए, लेकिन उसके बदले हमको तनख्वाह दे दीजिए, रैजीडेंस एलाउंस दे दीजिए। करप्शन बहुत बढ़ रहा है वह मिटेगा और आप देखेंगे कि उससे सरकार को फायदा होगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। आज एम॰पीज॰ बिजली कर्मचारी के हाथ जोड़ते हैं, चीफ इंजीनियर को कहते हैं तो कभी-कभी वह आ जाता है...*(व्यवधान)* तार खुले पड़े रहते हैं, एम॰पीज॰ को करंट लग सकता है, एम॰पी॰ मर सकता है, ठीक करने में पूरा दिन वे ले लेते हैं। इस प्रस्ताव पर सबकी राय आ गयी है, इसलिए अब इस पर टाल-मटोल करके, जनता में प्रचार करके हमारे लोगों को बदनाम मत कीजिए। सैलरी और एलाउंस बढ़ाने हो तो बढ़ा दीजिए, नहीं तो मैं अपना बिल वापस ले लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता* हूं।

अपराह्न 2.12 बजे

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक कार्य सूची की मद सं॰ 2 पर विचार करेंगे। श्री मदन लाल खुराना।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

** भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड-2 दिनांक 4.8.98 में प्रकाशित।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.13 बजे

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 3 ली जाएगी—श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय गृह मंत्री विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.13½ बजे

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 4 लिया जाएगा—श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 4.8.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय गृह मंत्री विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.14 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक कार्य सूची की मद संख्या 5—विचार किए जाने वाले तथा पारित किए जाने वाले विधेयक। श्री मदन लाल खुराना।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं**:

> "कि ससंद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गये।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हमें संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता विधेयक ही प्राप्त हुआ है। केवल एक विधेयक परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

एक प्रजीडेंड एमॉल्यूमैंट्स एण्ड पेंशन अमैंडमैंट बिल है और दूसरा मैम्बर्स सैलरीज एण्ड एलाउंसेज बिल है। केवल दो ही बिल हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मुझे खेद है यदि किसी माननीय सदस्य को यह प्राप्त नहीं हुआ है। चार विधेयक हैं जो राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संसद सदस्यों के वेतन तथा उपलब्धियों से संबंधित हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद हमें इन विधेयकों को पारित करके दूसरी सभा में भी भेजना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : इससे यह गलतफहमी पैदा होगी कि हमने अपनी सैलरी और एलाउंसेज बढ़ा लिए।...*(व्यवधान)* मैं कभी दो साल एम॰पी॰ रहा और कभी सवा साल एम॰पी॰ रहा। हम इस कारण पेंशन के हकदार नहीं हैं। अगर अब की बार छः महीने में लोक सभा डिजॉल्व हो गई तो हमें पेंशन नहीं मिलेगी।...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि आप यह व्यवस्था करें कि अगर कोई दस दिन भी मैम्बर पार्लियामेंट रहे तो वह पेंशन का हकदार होगा।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : असेम्बली में ऐसा ही है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप एक बार यह बिल पास कर दो, वरना यह फिर लॉ डिपार्टमैंट में चला जाएगा। अगर इसमें एक भी अमैंडमैंट किया तो लॉ डिपार्टमैंट में जाना पड़ेगा और यह मामला फिर लम्बा हो जाएगा।

अपराह्न 2.17 बजे

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री मद संख्या 6 पर दर्ज विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.18 बजे

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.20 बजे

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्य इस मुद्दे पर विस्तार से बोले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, बंगलादेशियों के बारे में मुझे भी कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए। समय बिल्कुल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की पार्टी को समय नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर्स बोल चुके हैं। नैक्स्ट डिक्सशन में पार्टिसिपेट करिए। अभी टाइम नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें अगले मद को लेना है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.24 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(दो) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों का विवासन—जारी

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। इस देश में घुसपैठियों और बंगलादेशियों के नाम पर हालात बराबर खराब होते रहे हैं। उन परिस्थितियों ने इस देश के वातावरण को बिगाड़ने का काम किया है। माननीय आडवाणी जी को याद होगा कि पूर्व की सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में फार्नर्स घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें कैसे उनके देश या सरकार को वापस भेजा जाये, इस पर काफी चर्चा की गई थी। इस देश में जनभावनाओं और जनमानस को उद्वेलित करने के लिये ऐसी बात कही जाती रही है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिय जिलों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी युवा विद्यार्थी परिषद् बंगलादेशी घुसपैठियों के नाम पर वातावरण बिगाड़ने का काम करते रहे हैं। वे लोग हमेशा आन्दोलन और बयानबाजी करते रहे हैं। श्री शेषन देशभर में पालिटिकल पार्टीज...

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इलैक्शन कमिश्नर का यहां क्रिटिसिज्म करना उचित नहीं है। आइडेन्टिटी कार्ड की पहचान करने, राज्यों को इंगित करने और कम्युनल हेटरेड फैलाने का काम विगत दिनों होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब पाकिस्तान से बंगलादेश अलग हुआ था...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, आज आपने ही रूलिंग दी है कि दो बजे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर डिस्कशन शुरू हो जायेगा। आपकी रूलिंग का क्या मतलब है। अगर ऐसे पार्लियामेंट चलेगी तो हम क्या करेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, आपने सदन की सहमति लेने के बाद ही यह व्यवस्था दी है। उसके बावजूद, वह सब हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। अन्यथा, हम बहिष्कार करेंगे। श्री राम विलास पासवान ने अब चुप्पी साधी हुई है। वह पहले चाहते थे कि यह चर्चा पहले दिन ही शुरू की जाय।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं चुप नहीं बैठा हूं। मैं केवल अध्यक्षपीठ द्वारा दी गई व्यवस्था का अनुपालन कर रहा हूं। अध्यक्षपीठ ने बताया कि प्रारम्भ में इसे 11 बजे लिया जाएगा, उसके बाद अध्यक्षपीठ ने बताया कि इसे 12 बजे लिया जाएगा और बाद में अध्यक्षपीठ ने कहा कि इस पर चर्चा 2 बजे शुरू की जाएगी। अब, मुझे नहीं पता कि इसे कब शुरू किया जाएगा। अतः आप नहीं कह सकते कि हम इस मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सर, मैं समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी पार्टी नहीं बोलेगी?...*(व्यवधान)* यह क्या तरीका है। आपको कौन मना करता है, आप बोलिये...*(व्यवधान)* हम बोलेंगे।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी को याद होगा कि 1971 में बिहार के चंदवारा,सीरीपुर, हजारीबाग और गोपालगंज में बंगलादेश से आने वाले शरणार्थियों के लिए कैम्प बनाये गये थे। बंगलादेश से वहां शरणार्थी, गरीब लोग आये थे।

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, टाइम नहीं है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : उस समय जो बंगलादेशी आये थे, उनके शादी-ब्याह हुए और यहां की जनसंख्या में इजाफा हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर वे यहां हैं। बंगलादेश की सरकार ने कहा कि ये हमारे नागरिक नहीं हैं। ये गरीब लोग हैं, कोई लुंगी में है, कोई गंजी में है और वे बंगला भाषा बोलते हैं। इनके विरुद्ध महाराष्ट्र में शिवसेना के द्वारा साजिश हो रही है। शिवसेना कोई पार्टी नहीं है, वह सेना है। पार्टी यहां बैठी हुई है, ये पार्टी के लोग हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सेना ही देश को बचायेगी, सेना ही देश की रक्षा करेगी।

श्री लालू प्रसाद : वहां बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम बिहारी और उत्तर प्रदेश के गरीब लोग मजदूरी आदि करने के लिए गये थे, जो वहां झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर रहते थे, परंतु अब उन्हें वहां से उजाड़ा जा रहा है। मुस्लिम लोगों के साथ जो हिंदू गरीब मजदूर लोग मुम्बई गये हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनमें से कोई टाइल्स की फैक्टरी में काम करने वाला है, कोई पान बेचने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी है, कोई चाट बेचने वाला है, ऐसे लोगों को एक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर वहां से निकाला जा रहा है। उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि खुराना जी ने साजिश करके यहां 50 लाख बिहार के गरीबों, मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाने दिया, यह साजिश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है। इस देश के अंदर बंगलादेशी भाषा-भाषी भाइयों और बहनों के विरुद्ध हेटरेड फैलाई जा रही है, ये लोग बंगली मूल के हैं। इनके और बिहार के मजदूरों के खिलाफ देश के अंदर अशांति फैलाई जा रही है इसके साथ ही मैं बैठ जाता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, लेकिन समय अधिक नहीं है। मुझे लोग बोलने नहीं देते। हम लोग डेकोरम का पालन कर रहे हैं। ये लोग डेकोरम का पालन नहीं करना चाहते। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक साजिश है। अपने वोटों को ठीक करने के लिए ये गरीब लोगों को बंगलादेशी के नाम पर हटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे रोका जाए। यह पाठ तपनदास और ज्योति बाबू पढ़ा रहे हैं। बंगला देश और कलकत्ता दोनों के बाजारों में हजारों आदमी इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि उन्हें भेड़-बकरी की तरह हांका जाए। इसलिए आप अपने अंदर संयम लाइये।

ये सब धंधे और लड़ाई बंद करिए। यदि पहचान हो जाती है, तो उस देश को लिखिए और उनको इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, जिस देश के वे हैं, उसको हैंड ओवर करिए। अगर वह देश कहे कि हमारे आदमी नहीं हैं, तो क्या आप उनको समुद्र में धकेलेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अब जब आप हमें नहीं बोलने दे रहे हैं, तो हम बैठ ही जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। आज सुबह पुंछ में 18 लोगों की हत्या की गई है। क्या यह सच है? हमें सूचना मिली है कि पुंछ में आज सुबह 18 लोगों की हत्या की गई है। क्या यह सच है कि कल 35 लोग मारे गए थे और 18 लोग आज सुबह मारे गए थे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : हमें जो सूचना मिली है वह यह है कि इम्तियाज नामक उग्रवादी जिसने समर्पण कर दिया था, के 18 रिश्तेदारों की अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यही संक्षिप्त संदेश मुझे मिला है। यह आंतरिक मामला हो सकता है। मैं नहीं जानता। हम पूरे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज नामक पूर्व आतंकवादी के रिश्तेदार हैं। मेरे पास तो यही सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री चर्चा सम्बन्धी अपना जवाब दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी इस पर बोलने के लिए अपना नाम दिया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपना नाम दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका दल चर्चा में पहले ही भाग ले चुका है। श्री मोहन सिंह जी कृपया इस बात को समझने की कोशिश करें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह, मैं कार्यवाही कैसे पूरी कर सकता हूं? इस चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किए गए थे लेकिन सदस्यों ने एक ही विषय पर सात घंटे लगा दिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सर, यह गलत बात है। हमारी भी पार्टी है और हमारी पार्टी का भी टाइम है। मेरा आग्रह है कि श्री मोहन सिंह जी को दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी कृपया इस बात को समझें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। वास्तव में दो घंटे आवंटित किए थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी कृपया इस समय अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। श्री फातमीजी मैं आपसे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने की अपील कर रहा हूं। हमने इस चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किए थे लेकिन सदस्यों ने सात घंटे ले लिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, बंगलीपुरा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, वहां से लोगों को अरैस्ट करके बंगलादेश भेजा गया है और मुझे ही बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है यह कैसे चलेगा। मुझे दो मिनट का समय तो दिया जाए. ..*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.33 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए तथा सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा में आचरण करने का यही तरीका है? आप बार-बार अध्यक्ष के आसन के सामने आ रहे हैं। यह क्या है? यह अच्छी बात नहीं है। आप नारे लगा रहे हैं और अध्यक्ष के आसन के सामने आ रहे हैं सदन में आप उचित तरीके से व्यवहार करें?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री मोहन सिंह जी आप केवल दो मिनट बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.34 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.34 बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले आए तथा सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। यह क्या है? आप बार-बार सभा में विघ्न डाल रहे हैं। यदि आप उचित तरीके से व्यवहार नहीं करते तो मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यदि आप सभा में उचित तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा आप सभा में विघ्न डाल रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.34 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा मूड अच्छा कर लें। बहुत जद्दोजहद के बात मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए मिला है। मैं आपका आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने कहा था कि हम मुम्बई की सफाई करना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुम्बई की सफाई के नाम, हर एक विशेष भाषा बोलने वाले और विशेष पहनावे वाले नागरिकों को नगर से निकाल कर बाहर किए जाने का कार्य महाराष्ट्र सरकार ने करना आरंभ कर दिया हैं।...*(व्यवधान)*

क्योंकि वहां दुर्भाग्य से एक ऐसी पार्टी की सरकार आ गयी जिसने सन ऑफ दी सॉयल के सिद्धांत के नाम पर जन्म लिया था। जिसका सिद्धांत है कि जो धरती के लाल हैं, उन्हीं को वहां रहने का अधिकार है। जब इस तरह के सिद्धांत की पार्टी वहां सरकार में आई और उसको केन्द्र से आर्शीवाद प्राप्त हो गया, वे इस बात की लड़ाई लड़ते

रहे कि हिन्दुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहां पर आकर रहे। वे इस बात को हमेशा कहते रहे। आज वे ऐसे लोगों को आईडेंटिफाई कर रहे हैं जो इसी देश के रहने वाले हैं। मैं इस बात को अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि 1971 में जब भारत और बंगला देश का युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पर भारत में रिफ्यूजी आये। हमारे उत्तर प्रदेश में आज जो विवाद चल रहा है और जिसे हम उधम सिंह नगर से जानते हैं, वहां बड़े पैमाने पर बंगला भाषा बोलने वाले लोगों को बसाया गया। वे लोग जब मुम्बई में काम करने के लिए जाते हैं तो उनका धर्म पूछकर, जाति पूछकर, भाषा पूछकर वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। यह भारत की एकता, परम्परा और संविधान के विरुद्ध है। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और गृह मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार ऐसी सरकार को प्रोत्साहित न करें। वे उस पर अपनी नजर रखें और वहां के लोगों को सुरक्षा देने का काम करें। इतनी अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मोहन रावले केवल दो मिनट।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं दो मिनट में कैसे बोल सकता हूं।... *(व्यवधान)* बंगलादेश का जो निर्माण हुआ... *(व्यवधान)* 1972 में जो... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों की पार्टी से इस पर कोई नहीं बोला है क्योंकि इसके बाद एस॰सी॰ एस॰टी॰ का डिस्कशन लेना है। यदि आप उन्हें एलाउ करेंगे तो हमें भी बोलने के लिए एलाउ कीजिए... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें केवल दो मिनट बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : 1972 में जो... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, माननीय गृह मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं यथा सम्भव संक्षिप्त में बोलूंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इससे पहले मेरा प्रोटेस्ट होना चाहिए।... *(व्यवधान)* आपका आदेश है।... *(व्यवधान)* लेकिन मैंने नहीं बोला... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं यहां एक पार्टी हूं।... *(व्यवधान)* सभी पार्टियों के लोग बोल चुके हैं। मैंने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। क्यों?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कोई तो उसूल हो।... *(व्यवधान)* आप एक मिनट दे दीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : टाइम नहीं है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : टाइम नहीं रहेगा... *(व्यवधान)* हमें लड़ना पड़ेगा।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ सोज, आप हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भाग नहीं लिया है।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : आप कोई कानून बताइए? कोई तरीका बताइए कि आप यहां कैसे डिसीप्लेन रखेंगे... *(व्यवधान)* आप दो मिनट दे दीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अब कोई समय नहीं है। कृपया इस बात को समझें।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : आप एक मिनट दे दीजिए।... *(व्यवधान)* आप कोई तो कानून बनाइए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : आप एक मिनट दे दीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ सैफुद्दीन सोज अब आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, कल हन्नान मोल्लाह जी ने जो विषय चर्चा के लिए रखा और जिस पर संभवतः आपने दो घंटे का समय दिया था, उसके बजाए कल भी चार घंटे इस पर चर्चा हुई। आज जो लोग बड़े आग्रह से इस पर बोलने के लिए कह रहे हैं, वे कल उपस्थित नहीं थे।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हम उपस्थित थे।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : रात के साढ़े आठ बजे तक हम उपस्थित थे।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो उपस्थित थे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जो अनुपस्थित थे, उनके लिए कह रहा हूं। इस पर जो चर्चा हुई और उस चर्चा में श्री हन्नान मोल्लाह जी ने जो सवाल उठाये, वे सवाल यह थे कि महाराष्ट्र सरकार ने 20, 21 और 22 तारीख को कुल मिलाकर 94 लोगों को आईडेंटिफाई करके कि ये बंगलादेशी हैं और उनको डिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया शुरू की।

उसमें हन्नान जी का यह कहना बहुत वजनदार था कि कोई बंगला भाषी है, इस कारण यदि उसे कोई सरकार बंगलादेशी कहती है तो यह सरासर गलत हैं यदि वह बंगला भाषी और अल्पसंख्यक है तो उसे उस आधार पर डिपोर्ट करने की बात करना सरासर गलत है। मैं शत-प्रतिशत उनकी इस बात से सहमत हूं कि हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी निवासी, वह किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में रहने का पूरा अधिकारी है। वह बंगला भाषी हो, तमिल भाषी हो, मराठी भाषी हो या तेलगू भाषी हो, हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में रहने का उसका संवैधानिक अधिकार है जिस संवैधानिक अधिकार को किसी भी सरकार को तोड़ने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हिन्दुस्तान बोलिए। नहीं बोलना आता तो भारत बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इन दिनों मुझे वहां के उप-मुख्य मंत्री से मिलने का अवसर मिला। मैंने एक बयान दिया था जिसे देने से पहले महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार से जानकारी की थी। किसी ने सही कहा कि मैंने तो केवल, दोनों से जो जानकारी मिली, उसे एक वक्तव्य के रूप में सदन के सामने रख दिया, उसमें अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा। न कहने का एक कारण था कि मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में चला गया था। इसलिए मैं सोचता था कि यदि कलकत्ता हाई कोर्ट अपना निर्णय दे दे तो शायद उससे कुछ मामला साफ हो जाएगा कि क्या सरकार ने कोई गलती की। मैं आज जिस स्थिति में हूं, उसमें एक तरफ तो मैंने स्वयं वहां के उप-मुख्य मंत्री से पूछताछ की और मुझे इस बात की खुशी हुई कि वहां से एक शिष्टमंडल, श्री अजीत कुमार पांजा और श्री अकबर अहमद, दोनों मिलकर, शायद उनके साथ तीसरा भी कोई होगा, वहां पर गए जिसका कल उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री और वहां के अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई, उनसे क्या-क्या सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हम जिस सवाल के बारे में उनसे पूछते थे, उसका वे उत्तर देते थे। हमको इस बात का पूरा यकीन हुआ कि पूरे ट्रांसपेरैंट तौर पर उन्होंने कानून का पालन किया।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : ट्रांसपेरैंट तब होता जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी को मनाही नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : केन्द्र सरकार को ऑल पार्टी डैलीगेशन भेजना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : केन्द्र सरकार की जवाबदारी यह है कि इस मामले में जो कानून बने हुए हैं, उस प्रक्रिया का पालन होता है या नहीं होता। मैं कह सकता हूं कि उस प्रक्रिया का पालन हुआ है और जो भी निर्णय हुए हैं, वह वहां के मैट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट की अनुमति से हुए हैं और उसके बाद डिपोर्टेशन आर्डर निकले हैं। इतना ही नहीं, मुझे यह जानकारी मिली कि पश्चिमी बंगाल में, जहां 38 लोगों को बेल पर रिहा कर दिया गया था, बाद में जब उनमें से कई लोगों ने स्वीकार किया कि हम बंगलादेशी हैं, तो वहां के सैशन जज ने उनकी बेल कैंसल कर दी। यह भी हुआ।

[अनुवाद]

यह मिदनापुर में हुआ था। अतः इस वक्त मैं किसी बात का अनुमान नहीं लगा रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि यह सरकार इस बात को देखेगी कि कोई भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब को मानने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसका यह अधिकार कि वह हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में बस सके, उसका अबाध रूप से पालन हो और कोई संविधान का उल्लंघन न करे।

दूसरी बात, मैं मानता हूं यह सोचना कि हिन्दुस्तान में कोई विदेशी नहीं है, यह भ्रम हमको नहीं पालना चाहिए। विदेशी हैं, बड़ी संख्या में हैं और एक करोड़ की बात कोई श्री रावले नहीं कह रहे, हमारे पूर्व गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त ने कहा है कि यहां पर एक करोड़ विदेशी हैं। कानून कहता है कि सरकार का दायित्व है कि यदि कोई विदेशी बिना पासपोर्ट, बिना वीसा के यहां पर आए तो आईडैंटीफाई करके आप उन्हें उनके वहां भेजिए।

मैं मानता हूं कि इतने सालों तक हमने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के बाद इतनी बड़ी संख्या में अगर विदेशी यहां आ गये हैं तो उनको एक साथ डिपोर्ट करना सम्भव नहीं है। उसमें किसी ने इन्फिलट्रैटर शब्द प्रयोग किया होगा। मैं समझता हूं कि सही शब्द

इल्लीगल इम्मीग्रेंट है। शायद उनमें से कुछ लोग घुसपैठिये हैं जिन्होंने जानबूझकर घुसपैठ की है। लेकिन सब के सब इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स की जो समस्या है, उसके बारे में यह सरकार सोच रही है, विचार कर रही है कि क्या यह सम्भव है कि इन सब इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स को बंगलादेश वापस भेज दिया जाये। अगर यह सम्भव नहीं है तो चूंकि अधिकांश लोग गरीब हैं, काम-काज के लिए आये हैं, रोजगार के लिए आये हैं तो उसके मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर इस सरकार ने अभी सोचा कि हम जिस समय एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस बनाएंगे और हिन्दुस्तान भर के नागरिकों को एक परिचय-पत्र देंगे, पहचान-पत्र देंगे, आइडेंटीफिकेशन कार्ड देंगे तो उस समय जो नॉन सिटीजंस हैं, वे चाहे इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स भी हों, उनको भी हम आइडेंटीफाई करेंगे और उनको एक ऐसा पहचान-पत्र देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : वह पासपोर्ट यहां ले लिया। पुरानी जो सारी नागरिकता मिली है, जो पाकिस्तान से लोग आये थे,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : जो पाकिस्तान से आये थे, जिन्होंने यहां पर जन्म लिया है, वे हकदार हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस पूरी योजना पर विचार करके और उसके बारे में पिछले दिनों में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी इसकी चर्चा की है और उसके आधार पर इस समस्या के... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हों तो उसके साथ-साथ नहीं बोलें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक सही मानवीय हल की व्यवस्था यह सरकार करेगी। इतना ही मुझे अनुरोध करना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुझे अत्यधिक खेद है। आज मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से अत्यधिक निराश हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

मंत्री महोदय ने इस चर्चा में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का कोई उल्लेख किए बिना अनापत्तिजनक उत्तर दिया है। मैंने अपनी बात में एक से अधिक बार विशेष रूप से यह कहा है कि मैंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई अधिकारों के परिपत्र की एक प्रति की मांग की थी। मैंने मंत्री महोदय को लिखा था लेकिन उनके मंत्रालय ने इसकी एक प्रति देने से इंकार कर दिया। हालांकि मैंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है लेकिन मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख नहीं किया हैं यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है तथा राज्य सरकार के पास सिर्फ प्रत्यायोजित है। मैंने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि यदि प्रत्यायोजन विधिपूर्ण नहीं है तो कोई आदेश वैध नहीं होगा। मैं एक प्रति की मांग कर रहा हूं लेकिन आज तक मुझे यह प्राप्त नहीं हुई है। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने मेरे पत्र अथवा अधिसूचना का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री महोदय ने इसे ठीक माना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे अभी श्री राम नाईक द्वारा बताया गया है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसका उल्लेख किया है। मुझे इसका अत्यंत खेद है, मैं दूसरी सभा में था। मैं निश्चित रूप से इस पत्र को देखूंगा। तथा आपको सही स्थिति से अवगत कराऊंगा।. ..*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे 30 जुलाई को आवश्यक पत्र के रूप में भेजा गया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इसे नहीं देखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब मंत्री महोदय को अपने कार्यालय के अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए। मंत्री महोदय देश की आंतरिक सुरक्षा का कार्य देख रहे हैं। मंत्रालय उनके अधीन है लेकिन सभा के किसी दल के नेता का पत्र उनके पास नहीं पहुंच रहा है। क्या सरकार इसी प्रकार चल रही है। यह एक गंभीर मामला है। काम को काफी अनमने ढंग से किया गया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं इसके विरोध में सभा का बहिर्गमन कर रहा हूं।

अपराह्न 2.48 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने इसका समर्थन किया है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो कहा, उसका ठीक तरह से उत्तर नहीं दिया गया और यह सच है

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कि अगर यह सिलसिला चलेगा तो यह आवाज भी उठेगी कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आये हैं, उनका भी विचार करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.49 बजे

(इस समय श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : साहब, बात यह है कि राष्ट्र भर में ये घृणा पैदा कर रहे हैं। हिन्दू मुसलमानों का नाम लेकर, बंगलादेशियों का नाम लेकर राष्ट्र में नफरत फैला रहे हैं, इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.49¼ बजे

(इस समय श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : हम माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। अतः हम सभा का विरोधस्वरूप बर्हिगमन कर रहे हैं।

अपराह्न 2.49½ बजे

(इस समय प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं भी इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

अपराह्न 2.50 बजे

(इस समय श्री राम विलास पासवान सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : *अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा अत्यंत असंतोषजनक उत्तर दिया गया है। हमारी किसी भी बातों का उत्तर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान) *हम इसके विरोध में सभा का बहिगर्मन करते हैं।*

अपराह्न 2.50¼ बजे

(इस समय श्री जी॰ एम॰ बनातवाला तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या जैन आयोग की रिपोर्ट पर सभा में विचार करने हेतु कोई विशेष समय निर्धारित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

अपराह्न 2.52 बजे

(तीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं॰ 12 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या के संबंध में विचार करेगी। श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कोई गलत मैसेज न जाए इसलिए मैंने वाकआउट को जाइन किया था।

अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति देने का काम किया है। मैं सबसे पहले सरकार से आग्रह करूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने 1997-98 की रिपोर्ट दे दी है। एक विशेष रिपोर्ट आरक्षण के सम्बन्ध में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ हमारे बहुत से साथियों को लाइब्रेरी से अनआफिशियली मिल चुकी है। मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट को संसद में रखने का काम किया जाए, जिससे हम इस पर विस्तृत चर्चा कर सकें। इसी तरह से सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है। उसने भी 1994-95 और 1996-97 की रिपोर्ट दे दी है और वह सरकार के पास पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाए, ताकि उस पर बहस हो सके।

मैं एक आग्रह और करना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि 1990 में कल्याण मंत्रालय पूरी कैबिनेट में नोडल मिनिस्टरी के रूप में स्थापित हो गया था। जब हमने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया था और सेंट्रल हाल में उनकी प्रतिमा लगाई थी, तब मंडल आयोग भी लागू हुआ था। चाहे वह गलत हो, लेकिन उसके सम्बन्ध में लोग

दो भागों में बंट गए थे। लेकिन कल्याण मंत्रालय तब से एक पिलर के रूप में खड़ा हो गया था और कल्याण मंत्री को केबिनेट का दर्जा दिया गया था।

अपराह्न 2.54 बजे

(डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई और उसमें सीता राम जी केसरी कल्याण मंत्री, केबिनेट मंत्री के रूप में काम करते रहे। मैं यह नहीं कहता कि मेनका गांधी जी सक्षम नहीं है, वे सक्षम हैं। जब वे हमारे समय में पर्यावरण मंत्री थी तो उनका अपना के रूतबा बन गया था, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी यहां भी कहा जा रहा था कि विदेश मंत्रालय ठप्प है, उसमें राज्य मंत्री है, उसी तरह से कल्याण मंत्रालय है, उसके पास कैसे पावर आएगी, क्योंकि कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं। केबिनेट में बैठकर सारी चीजों के लिए वहां लड़ने का काम कौन करेगा? इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से आगह करूंगा। यदि वह यहां रहते तो अच्छी बात थी। होम मिनिस्टर साहब भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि कल्याण मंत्री जी को केबिनेट रैंक दीजिए। मेनका गांधी जी को कैबिनेट रैंक दीजिए। लेकिन जो वैल्फेयर मिनिस्टर हैं, जैसे शैड्यूल्ड कास्ट्स् अनटचेबल थे, उसी तरह से कल्याण मंत्रालय को अनटचेबल नहीं बनाना है, उसको मजबूत बनाना है ताकि उसमें ताकत आए और यह नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम कर सके, ऐसी हम मांग करते हैं। हम ही नहीं तमाम एस॰सी॰एस॰टी॰ फोरम के लोग चाहे कांगेस के हों या विपक्ष के हों, हम सबने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था कि कल्याण मंत्री जी को कैबिनेट का दर्जा दीजिए जिससे वह नीति और निर्णय लेने के मामले में सक्षम हो सकें।

हम लोगों को इस बात का दुख है और हम कोई पार्टी की भी बात नहीं कहना चाहते हैं। चूंकि हम भी सब सरकार में थे, तो हम जानते हैं कि चूंकि नौकरशाही परमानेंट होती है और उसमें किस तरह से सारी चीजों को डाइल्यूट किया जाता है, यह हमें मालूम है। हम लोगों ने बार-बार कोशिश की कि जिस समय देव गौड़ा जी और नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे, उनसे एस॰सी॰ एस॰टी॰ फोरम की तरफ से मिलकर उनसे आग्रह किया। बाद में गुजराल जी जब प्रधान मंत्री बने, उस समय भी एस॰सी॰ एस॰टी॰ फोरम की तरफ से हमने मिलकर उनसे आग्रह किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री हैं, उनसे भी एस॰सी॰ एस॰टी॰ फोरम ने मिलकर आग्रह करने का काम किया और मांग एक ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मांग से परिवर्तन किया है। कुल मिलाकर वही मांगें हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार लाचार हो जाती है। चूंकि आज की ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो जाती है तो जब तक सरकार कोई कदम उठाने के बारे में सोचती है, तब तक सरकार ही चली जाती है। नतीजा यह हो रहा है कि यह एस॰सी॰ एस॰टी॰ वाला मुद्दा, जिनके ऊपर मैं अभी बाद में आऊंगा, ये मांगें ज्यों की त्यों अधूरी रह जाती हैं।

सभापति जी, आप पुराने सदस्य के रूप में रहे हैं और आप सारी बातें समझते हैं। जिस प्रकार से किसी चीज को टिकाने के लिए पिलर होते हैं, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी चार पिलर हैं। पहला पिलर सामाजिक है, दूसरा पिलर इकोनॉमिक है, तीसरा आर्थिक है और चौथा राजनीतिक पिलर हैं लेकिन हमें दुख इस बात का है कि सबसे बड़ा सामाजिक पिलर जाति की ईंट के ऊपर खड़ा है। इस देश में हम सारी चीज बदल सकते हैं, धर्म बदला जा सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है लेकिन जाति अगर आप बदलना भी चाहें तो भी नहीं बदल सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कहे कि हम एस॰सी॰ हो जाएं और मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश में हर जाति, हर धर्म में पैदा हुए लोगों ने सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ने का काम किया है। इस देश में पैदा हुए भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे लेकिन जब उन्होंने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया "बुद्ध शरणम् गच्छामि", संघम शरणम् गच्छामि, धर्मम् शरणम् गच्छामि। इस पर भगवान बुद्ध को कितनी यातनाएं दी गईं। इसी प्रकार से स्वामी दयानन्द जी ब्राह्मण थे लेकिन जब उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने का काम शुरू किया तो दयानन्द सरस्वती जी को एक ब्राह्मण ने जहर देने का काम किया। महात्मा गांधी जी वैश्य थे लेकिन गांधी जी को भी किसी मुसलमान या दलित ने गोली नहीं मारी, उनको नाथूराम गौडसे ने गोली मारी। चाहे कोई क्षत्रिय हो या राजपूत हो, विवेकानन्द स्वामी जी कायस्थ थे और उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोगों, समय रहते अपने अधिकारों को इन शूद्रों के हाथ में दे दो नहीं तो ये उठकर तुम्हारी सारी ताकत को उठाकर रख देंगे।

ऐसा भी नहीं है कि राम विलास पासवान चूंकि दलित हैं, इसलिए हम दलित की लड़ाई लड़ें। कोई मुसलमान है तो वह मुसलमानों के हक के लिए लड़े। इस देश में सही समाजवाद तब आएगा, सही सैकुलरिज्म तब आएगा जब इस देश में एक जाति या एक धर्म विशेष की चिंता करने के लिए दूसरी जाति या दूसरे धर्म विशेष के लोग लड़ने का काम करेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास कमीशन की पूरी रिपोर्ट है। इस विषय पर और माननीय सदस्य भी बोलेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि देश में आज भी छुआछूत बरकरार है। जुल्म और अत्याचार...*(व्यवधान)* गांवों में आज भी छुआछूत बर्करार है।...*(व्यवधान)* मैं कोई ऊची जाति और पिछड़ी जाति की बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपने गांव की बात कहता हूं। हम अपने गांव में देखा करते थे, किसी रास्ते से जब कोई ऊंची जाति का आदमी निकलता था, तो अनुसूचित जाति का आदमी नहीं जा सकता था।...*(व्यवधान)* मेरे पास जुल्म और अत्याचार के बारे में पूरी रिपोर्ट है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जुल्म और अत्याचार बरकरार है। मैं परसों छः तारीख को मेरठ जा रहा हूं। वहां चार मुस्लिम लोगों को फेक एन्कान्टर में मार दिया गया है। जोगिन्दर सिंह के भाई सुरेन्द्र जाटव

[श्री राम विलास पासवान]

है, जो जिला के अध्यक्ष हैं। इनको पकड़कर जंगल में ले गए और गोली मारने का काम किया गया। बिजनौर के बारे में अभी कुछ दिन पहले समाचार आया है कि वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम किया है। दिल्ली में भी जो घटना घटी है, उसको हमारे साथी उठा रहे थे। कितनी शर्मनाक बात है और इस मामले में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। आज के अखबार में गुड्डी देवी के बारे में छपा है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मामला नहीं है, गम्भीर घटना हैं

श्री राम विलास पासवान : कहने का मतलब है, मामला बनेगा, तभी तो कार्यवाही होगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि दलित महिला को भाजपाइयों ने पीटा। चूंकि पार्टी का नाम आया है, इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि यह बात गलत हो। गुड्डी देवी को मंदिर में प्रवेश नही करने दिया गया और यह दिल्ली की घटना है। मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा जाए, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मैं और इनुमलाई, हम सरकार में मंत्री थे। हम लोग जब दक्षिण में जाते थे, तो ये हिन्दी में ट्रांसलेशन करते थे। ये हिन्दी बहुत अच्छी जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु में कुछ साल पहले एक लड़के की आंख फोड़ दी गई। कारण यह कि उसने सवर्ण जाति के घड़े से पानी पीने का काम किया। लालू जी बिहार से आते हैं। मेरे पास आज ही बिहार से यह फैक्स आया है, जिसमें लिखा है कि वहां चार दलित लोगों, जिला गया, मोहपुर थाना, को मार दिया गया। मान लीजिए, बिहार में घटनायें घटती हैं। कहीं पर वीर सेना है और कहीं पर दुसरी सेना है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार की जवाबदेही है कि वह इन गरीब लोगों की जान-व-माल की रक्षा करे। इसी तरह भरतपुर, राजस्थान के बारे में भी मेरे पास यह क्लिपिंग है। वहां पर बेगारी न करने पर तीन दलित महिलाओं, तीन में से दो गर्भवती महिलायें थीं, की हत्या कर दी गई। जयपुर से जो हमारे साथी हैं, वे हो सकता है कि इस विषय पर बोलें। 27.4.98 को जयपुर में यह घटना घटी। मेरे पास उस घटना का फोटो है। एक दलित को बेगारी न करने पर जिस प्रकार बैल की नाक में रस्सी डालकर नकेल डाला जाता है, उसी प्रकार इस व्यक्ति की नाक में रस्सी डालने का काम किया गया और फिर खूंटे से बांध दिया गया। भोपाल में शाजापुर जिले में बलात्कार करने के बाद महिला को नंगा घुमाया गया। इन सब घटनाओं के बारे में पिछली सरकारों के जवाबों को आपको देखना चाहिए। 1996-97 में 1995 के मुताबिक कम घटनाएं घटीं।...*(व्यवधान)*

महोदय, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप रिकार्ड देखें कि 1995 की तुलना में 1996-97 में घटनाएं कुछ कम हुई हैं, 1998 की अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। जिस प्रश्न का पार्लियामेंट में जवाब हुआ उसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बना था, आज उसका कहीं कोई पता ही नहीं है। उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। आज गांवों में आप चले जाइए, वहां पुलिस स्टेशन में जाकर देखिए। उस थाने में कहीं कुत्ता रहता है, वहां न कोई गाड़ी है, कुछ भी वहां नहीं है। मेरा यह कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब मंत्री जी बोलें तो निश्चित रूप से यह बताने का काम करें कि इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, जिससे कि एट्रोसिटी के मामले पर रोक लगाई जा सके।

महोदय, इसी तरह आरक्षण का मामला है, इसमें भी तीन तरह के हुए हैं। पार्लियामेंट और असेम्बली में एस॰सी॰ बैकवर्ड क्लासिस, माइनोरिटी और ऊंची जाति के लोग सब जनता से चुनकर आते हैं। नतीजा यह होता है कि हम पार्लियामेंट में कानून पास कर देते हैं, लेकिन जब वह कानून एग्जीक्यूटिव की साइड में जाता है तो वहां इनकी संख्या नगण्य है, ब्यूरोक्रेसी में संख्या नहीं है।...*(व्यवधान)* अब थोड़ी बहुत संख्या आने लगी है लेकिन वह संख्या क्लास तीन और चार में है। पहला जो ऑबस्ट्रक्शन होता है वह एग्जीक्यूटिव साइड से होता है और उसके बाद ज्यूडिशियरी साइड से होता है। आप यदि ज्यूडिशियरी में जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि आज की तारीख में एक भी एससी या बैकवर्ड क्लास का सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है। नतीजा यह होता है कि हर चीज में जहां से सबसे बड़ा इनजस्टिस होता है वह कोर्ट में होता है। पिछले जो चार-छः जजमेंट हुए हैं, उनमें जो एस्टेब्लिश थे, जो पहले था कि एससी, एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा और अब कह दिया कि नहीं, एससी, एसटी का रिजर्वेशन में जो रोस्टर सिस्टम है उसको खत्म करने का काम करो। यह कहा गया था कि परमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। हमें याद है कि जब मंडल कमीशन का जजमेंट आया तो नौ जज बैठे थे। उन्होंने सब ने मिल कर कहा था कि परमोशन में रिजर्वेशन पांच साल तक चलेगा। मतलब, 16 नवम्बर या 16 दिसम्बर को मंडल कमीशन का जजमेंट आया था और 16 दिसम्बर, 92 से लेकर 16 दिसम्बर, 97 तक रिजर्वेशन में किसी तरह का उलट-फेर नहीं होगा। परमोशन में रिजर्वेशन रहेगा लेकिन हमलोगों को संदेह था कि पांच साल के बाद यह रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हम सब लोगों ने, हर पक्ष के लोगों ने इसी सदन में प्रेशर डालने का काम किया था और नतीजा यह हुआ कि संविधान में संशोधन हो गया। संविधान में संशोधन करके यह कह दिया गया कि परमोशन में रिजर्वेशन चलता रहेगा। आपको जान कर दुख होगा कि कोर्ट में नौ जजों के खिलाफ तीन जजों का जुलाई के महीने में एक जजमेंट आ गया। जजमेंट आने के बाद, उसके आधार पर परमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि परमोशन में जो रिजर्वेशन था, वैसे भी दिसम्बर, 1997 से पहले उसमें कोई उलट-फेर नहीं होना चाहिए था, लेकिन परमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया गया।

मंत्री जी, जब हम कैबिनेट में थे तब हमने इस बारे में गुजराल साहब को लिखा था और उनको दुख भी हुआ था कि हमने इसको सार्वजनिक चीज क्यों बनाया। हमने तब कहा था कि हां, हमने पत्र

लिखकर अपने फौरम के मैम्बरों को यह बांटा है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गयी जिसमें वैलफेयर सैक्रेट्री थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पाइंट्स को बहुत ही कारगर ढंग से रखने का काम किया था। उसमें सॉलिसिटर जनरल थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सैक्रेट्री थे। इन सारे लोगों को बुलाकर निर्णय हुआ कि जो सरकारी आदेश हुआ है उसको वापस किया जाए। लेकिन मुझे अब मालुम नहीं है कि उसका क्या हुआ। लेकिन उस समय के कैबिनेट सैक्रेट्री का व्यवहार एस॰सी॰ एस॰टी॰ के खिलाफ था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का सैक्रट्री कौन होना चाहिए, इसको आप ठीक ढंग से जांचने का काम कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि वह आपके समय का है, वह हमारे समय से ही है, लेकिन वे कैसे और कौन लोग होते हैं इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग समझते हैं कि ये तो राजनीतिक लोग हैं, आज मंत्री हैं कल नहीं रहेंगे और हम तो परमानेंट यहां बैठे हुए हैं।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : राम विलास पासवान जी, बहुत देर बाद यह बात बुद्धि मे आई।

श्री राम विलास पासवान : मैं सरकार की बात नहीं कहता हूं। हमारी भी सरकार होगी तो मैं वहां सब पोस्टों पर नहीं बैठा रहूंगा। वहां भी प्रधान मंत्री दूसरा होगा, होम-मिनिस्टर दूसरा होगा। आप भी कल प्रधान मंत्री बन जाओ तो भी मैं यही कहूंगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं व्यवस्था की बात कह रहा हूं। जो बनी हुई व्यवस्था है वहां लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसके बाद भी कभी-कभी चीजें नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं इसको अपने ऊपर भी लेता हूं। आज बी॰जे॰पी॰ की सरकार है तो मैं कहूं कि बी.जे.पी. यह कर रही है या वह कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बात व्यवस्था की है। आप उस मुद्दे को निकलवाइये। हमारी अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो सब-कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में हम लोगों ने रिपोर्ट दी थी तथा उसके साथ-साथ हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बिल भी बनाकर दिया था, लेकिन उसका अब कहीं पता नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसको आप गंभीरता से लें। अभी एक नया जी॰ओ॰ निकला है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा लेकिन रिलेक्सेशन खत्म हो जाएगा। मतलब कि हाथ-पांव बांधकर नदी में फेंककर तैरने के लिए कहो और कहो कि हमने तो तैरने की छूट दे रखी है। अब रिलेक्सेशन खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन का क्या मतलब है। अभी दिल्ली में पुलिस की भर्ती निकल रही है लेकिन 645 सीटों में एक भी एस॰सी॰एस॰टी॰ की सीट रिजर्व नहीं रखी गयी है। यू॰पी॰एस॰सी॰ में नियम था कि अगर कोई कैंडिडेट एस॰सी॰ का है अगर वह जनरल कैटेगरी में आ जाता है तो वह एस॰सी॰ में नहीं लिया जाएगा, वह जनरल कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है। इस बार यू॰पी॰एस॰सी॰ का आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस॰ का रिजल्ट निकला है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एस॰सी॰ एस॰टी॰, बैकवर्ड क्लॉस के टॉप में आए हैं उनको कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि सबको रिजर्वेशन कोटा के अंदर आना पड़ेगा और उसमें आपको रिजर्वेशन की रिलेक्सेशन मिल रही है; ऐज में रिलेक्सेशन मिल रही है, क्वालिफिकेशन में रिजर्वेशन मिल रही हैं आपको सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार नहीं समझा जायेगा। आपको आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार समझा जायेगा। यह कहकर उसको नीचे लाने का काम किया जा रहा है। सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा और आरक्षण के बारे में अपने दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। यहां दोनों पक्षों के सांसद बैठे हैं। तमिलनाडु में नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जहां के दलित एझिलमलाई जी हैं उसमें 25 हजार कर्मचारी हैं वहां पर 1992 से 1200 पोस्ट एस॰सी॰ की खाली पड़ी हैं। 12 रिक्त पड़ी पोस्ट्स के बारे में एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन उनकी अभी तक बहाली नही हो रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वे हड़ताल पर हैं। मैं जब रेल मंत्री था तो हमने एक जून से स्पैशल रिक्रूटमैंट ड्राइव करने का काम किया था। मैंने कहा था कि रेलवे के जितने स्टाल हैं, उनमें से 20 परसैंट शेडयूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मंडल कमीशन के तहत बैकवर्ड क्लासिज के होंगे। हमारे समय रेलवे रिक्रूटमैंट बोर्ड में कम से कम 5 शेडयूल्ड कास्ट्स और दो शेडयूल्ड ट्राइब्स के थे। असम का शेडयूल्ड ट्राइब का था, रांची का शेडयूल्ड कास्ट का था, पटना का शेड्यूल्ड कास्ट का था, गोरखपुर का शेड्यूल्ड कास्ट का था और उड़ीसा का भजबन बेहरा शेड्यूल्ड कास्ट का था। राम सिंह जो जम्मू-कश्मीर का था, वह शेड्यूल्ड कास्ट का था। उस समय तीन मुसलमान थे, दो क्रिश्चयन थे, दो सिख थे, चार बैकवर्ड क्लास के थे और दो ऊची जाति के थे।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में रहने वाले हर वर्ग के साथ न्याय किया जाए। यदि उसके साथ न्याय नहीं होता तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि सब को अपना अधिकार मिले। आज व्यवस्था का ऐटिट्यूड बहुत खतरनाक है।

मैं 1990 में जब मिनिस्टर था तो एक कानून बनाया था। आज रिजर्वेशन का कानून गवर्नमैंट ऑर्डर से चलता है। गवर्नमैंट ऑर्डर का मतलब है कि यदि कोई अधिकारी उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है। आप इसके लिए कानून बनाइए और उसे संसद में पास कराइए। ऐसे कानुन का ड्राफ्ट बना हुआ है, आप इसे संसद में मूव करिए। जिस दिन वह कानून संसद में पास हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई अफसर इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दंड की कार्यवाही हो सकेगी। जितने भी डिपार्टमैंट ऑफ परसोनल से आदेश जारी हुए हैं, वे सारे के सारे संविधान के मूल विचारों के खिलाफ हैं। यदि उसे ऑर्डिनैन्स के द्वारा पास करवाना पड़े, या सीधे संसद में पास करवाना पड़े या संविधान में संशोधन करना पड़े तो आप उसे जल्दी लाएं। जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या वीकर सैक्शन के विरोध में सरकार के आदेश पारित हुए हैं, उन्हें आप निरस्त करवाने का काम करें।

गवर्नमैंट की उदारीकरण की पालिसी बनी है। इस कारण पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सैक्टर में कनवर्ट हो रहे है।। हम मांग करना चाहेंगे कि आज आरक्षण न केवल पब्लिक सैक्टर में हो बल्कि प्राइवेट सैक्टर में भी हो जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के मुताबिक हर सैक्टर में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या न्यू बुद्धिस्ट के कारण बढ़ी है, दूसरी जातियों के जुड़ने से इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इनकी संख्या बढ़कर 25 परसैंट हो गई है लेकिन रिजर्वेशन 22.5 परसैंट है। मंडल

[श्री राम विलास पासवान]

कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। जब हम दलित क्रिश्चयन की रिजर्वेशन के बारे में मांग करते हैं, तो बाधा आती है कि 50 परसेंट की सीलिंग है। यहां तमिलनाडु के साथी बैठे हैं। वहां की सरकार ने 69 परसेंट रिजर्वेशन का कानून बना कर यहां भेजने का काम किया। संसद ने उसे संविधान की नौवी अनुसूची में डाल दिया, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि 50 परसेंट की सीलिंग को खत्म किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बढ़ती संख्या है, उसके मुताबिक सरकारी नौकरी से लेकर लोक सभा, विधान सभा में उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिससे इस नियम के अनुसार न केवल लोक सभा में बल्कि राज्य विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ सकें। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र हो, वहां इसे लागू करने का काम किया जाये।

सभापति महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस सब के मूल में ज्युडिशियरी है। उसके पास जब मामला जाता है तो सब पंख कतरने का काम करते हैं। अब समय आ गया है कि इसे सब जगह करना है। जहां तक जूनियर ज्युडिशियरी का सवाल है, वहां रिजर्वेशन है लेकिन सीनियर ज्युडिशियरी में अभी तक नहीं है। हम मांग करना चाहते हैं कि जो सीनियर ज्युडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेज हैं, वहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाये ताकि संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात न हो सके।

सभाषित महोदय, अब बात सफाई मजदूरों की आती है। आज देश में उनकी हालत बहुत खराब हैं उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय एक अच्छी बात हुई थी कि वहां जितने सफाई कर्मचारी थे, उनको वेतन देने का काम राज्य सरकार ने ले लिया था। आपको याद होगा कि मलकानी कमेटी 1960 में बनी थी जिसे आज 38 साल हो गये हैं लेकिन उसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं की गई। आप पार्लियामेंट हाउस में देख लीजिये कि जितने झाड़ु लगाने वाले हैं, उनमें से कोई परमानेंट नहीं हो पाता। जब हम रेलवे मिनिस्टर थे तो हमने एक कलम से पास कर दिया कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो कांट्रेक्ट सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, उनको रेलवे का कर्मचारी बनाया जायेगा और उनको बना दिया गया जब वहां ऐसा हो सकता है तो यहां भी आप यह निर्णय ले लें कि कांट्रक्ट सिस्टम में कोई सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा। जो भी ऐसा कर्मचारी होगा, वह सरकारी कर्मचारी होगा।

क्या आप जानते हैं कि वह अपने बच्चों की कैसे देखभाल करता है? वह 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक काम करता है लेकिन जब उसके बच्चों के स्कूल का समय होता है तो मां और बाप दोनों को झाडू लगाने का काम करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि पैसे होते हुये भी उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस कांट्रेक्ट सिस्टम को खत्म किया जाये। आप इनके टाइमिंग पर ध्यान दें। वह टाइम ऐसा होना चाहिये जिसमें वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके। यदि 24 घंटे में सफाई करनी है तो रात में ही उससे सफाई करवा लें या ऐसे समय रखें ताकि सुबह अपने बच्चों की देखभाल कर सके।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की 1994-95, 1995-96 की रिपोर्ट यहां पेश हो चुकी है। मलकानी रिपोर्ट भी आपके पास आई हुई है। इन रिपोर्टों को देखकर कांट्रेक्ट सिस्टम को खत्म किया जा सकता हैं आप कहते हैं कि इस देश में छूआछूत नहीं रहेगा। आप कहीं भी चले जाइये, कोई उसके नजदीक आने का काम नहीं करता है। आप एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाइये और सिर पर मैला उठाने का काम बंद कराइये। मैं पूछता हूं कि सफाई कर्मचारियों को तकनीकी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? हमें आश्चर्य होता है कि सफाई कर्मचारियों को जाति के आधार पर बहाल नहीं किया जायेगा। संविधान में लिखा है : जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिये जो सफाई कर्मचारी का काम करेगा, उसकी बहाली सफाई मजदूर की तरह होगी। यह तो एक्ट है लेकिन फैक्ट अलग होता है। एक्ट यह है कि जो भी सफाई कर्मचारी का काम करेगा, फैक्ट में सफाई कर्मचारी के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि सफाई कर्मचारी के नाम पर या तो वे दफ्तरी या पिउन का काम करते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जिस क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों का बाहुल्य हो, वहां सारे सफाई कर्मचारी सरकारी सेवा में माने जायें जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके।

सभापति महोदय, मैं इनके आर्थिक मामले पर एक और बात आपसे आग्रह करूंगा यहां पर अनुसूचित जनजाति के काफी भाई बैठे हुये हैं। मेरे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट आई हुई है।

आप इसमें देखेंगे कि जो 1995-96 की योजना है, सभी मंत्रालयों में 1995-96 के लिए 19,375 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था जबकि आबंटन केवल 1484 करोड़ रुपये किया गया। उसी तरीके से आठवीं योजना के दौरान 1,81,735 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और आबंटन 38,221 करोड़ रुपये किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन के मुताबिक, हर मंत्रालय ने मान लिया था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पैसा है, वह प्रत्येक मंत्रालय में अलग रखा जाएगा। हम आपसे इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि आप उस पैसे को अलग नहीं रखिये बल्कि देखिये कि क्या वह खर्चा हो रहा है। आज ट्राइब्ल इलाकों में अलग राज्य की मांग हो रही है—कहीं झारखंड की मांग हो रही है, कहीं उत्तराखंड की मांग हो रही है, कहीं छत्तीसगढ़ की मांग हो रही है—उसके पीछे कारण है। हमारे यहां बिहार में हैवी इंडस्ट्रीज रांची, बोकारो और धनबाद जैसे ट्राइबल इलाकों में है लेकिन एक ट्राइबल भी उस इलाके का वहां चपरासी के पद पर बहाल नहीं होता है। अगर वह दातुन के लिए लकड़ी भी काटता है तो भी उसको पटना में आकर ही बेचना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उसके मन में गुस्सा होता है और वह सोचता है कि उनको अलग राज्य की मांग करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 ट्राइबल्स के घर तक सड़क पहुंचाने के नाम पर 45 किलोमीटर सड़क बनी। मालूम हुआ कि ट्राइबल के

गांवों में तो सड़क नहीं पहुंची लेकिन दूसरे लोगों को फायदा हो गया। नेशनल हाईवे से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को क्या फायदा है? अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को सुविधा देना चाहते हैं तो उनके लिए लिंक रोड बनवाइए, स्कूल बनवाइए, लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम दीजिए। हमें आश्चर्य होता है क्यों कि भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। इंदिरा आवास योजना में 80 प्रतिशत पैसा सरकार का है। लेकिन आप देखिये कि क्या कहीं दलितों की बस्ती बन रही है? जिसके मकान हैं, उसके मकान पर मकान बन रहे हैं, लेकिन दलित उसी तरीके से रह रहे हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना और ट्राइबल सब प्लान है लेकिन कितनी ऐसी योजनाएं हैं। यदि कोई सारी की सारी योजनाएं देखे तो कहेगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भारत सरकार ने स्वर्ण भंडार खोल दिया है, लेकिन यदि उसका लाभ देखें तो मेरे पास आजादी के बाद के आंकड़े हैं—किसानों की संख्या घटी है, लैण्डलैस लेबरर्स की संख्या घटी है, हर क्षेत्र में संख्या घटी है। सिर्फ थोड़ा बहुत फायदा सरकारी नौकरियों के माध्यम से हुआ है।

मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार इस सदन में सरकारी नौकरियों पर डिस्कशन होता है। सरकारी नौकरियों का मामला न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न जनता दल का है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण एक जमाने से चला आ रहा है।

सभापति महोदय : भाषण थोड़ा संक्षिप्त करिये।

श्री राम विलास पासवान : मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री लालू प्रसाद : नौकरी कहां मिलेगी? आपने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 60 कर दी। बी॰एस॰एफ॰ में आपके बच्चों की हाइट कम है, छाती नहीं है, उन्हें कहां भर्ती कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं कह रहा था कि जो रिजर्वेशन का क्षेत्र है, उसमें भी एक प्रश्नवाचक चिह्न लगाया जाता है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने दस साल के लिए रिजर्वेशन की बात की थी, वह विधान सभा और लोक सभा के लिए की थी। विधान सभा और लोक सभा में 10 साल की सीमा रखी गई थी, लेकिन जहां तक जॉब रिजर्वेशन का मामला है, वह ऐग्रीमेंट गोलमेज सम्मेलन में किया गया था। इसलिए आज रिजर्वेशन को कड़ाई से लागू करना चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग थे, आज उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्ज नहीं माना जा रहा हैं

यदि आप इस समस्या का निदान करना चाहते हैं तो एक कानून बनाइये कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति एक स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना गया है, यदि वह देश के किसी भी कोने में जायेगा तो वह अनुसूचित जाति और जनजाति का ही माना जायेगा। आपके अधिकारी कहेंगे कि ऐसा कानून बना हुआ है। लेकिम मैं कहता हूं कि यह कानून सैंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए है। लेकिन जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं जैसे दिल्ली में है, यदि कोई पासवान है तो दिल्ली में वह शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आता। उसी तरीके से यदि कोई बिहार में मछुआरा है, फिशरमैन है, वहां शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिशरमैन शेड्यूल्ड कास्ट में है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने से क्या उसकी जाति बदल जाती है, उसका सोशल स्टेटस बदल जाता है? इसलिए एक स्टेट में जो शेड्यूल्ड कास्ट हो, दूसरे स्टेट की राज्य की सेवा में भी वह शेड्यूल्ड कास्ट माना जाए। भारत सरकार की सेवा में वह सर्टिफिकेट लेकर कहीं भी कम्पीट कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार की सेवा में उसका स्टेटस वही रहता है।

सभापति जी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। चूंकि मैंने बहुत तैयारी की थी, वैसे तैयारी भी क्या, हम लोग तो उसी परिवार में पैदा हुए हैं। हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है।... *(व्यवधान)* मैं महिला बिल वाली बात नहीं कह रहा हूं। वह बिल तो आ नहीं रहा है। महिला बिल वाला मामला दूसरा है। उस पर मेरा कहना है कि कोई भी मेल मैम्बर नहीं चाहता कि उसके स्थान पर कोई महिला आये—पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। उसके लिए कोई न कोई बहाना ढूंढा जा रहा है। श्री मुलायम सिंह जी और लालू जी को बदनाम करते हैं। लेकिन कोई आदमी नहीं चाहता कि उसकी सीट किसी महिला को जाए। इसलिए महिलाओं के लिए रिजर्वेशन यदि करना है तो पार्लियामेंट की जितनी सीटें हैं, उसमें एक-तिहाई सीटें और बढ़ा दीजिए। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड्स और माइनोरिटी के लिए अलग-अलग रिजर्वेशन कर दीजिए। सब मैम्बर्स भी खुश हो जायेंगे और उन्हें भी अपनी सीटें मिल जायेंगी।

श्री लालू प्रसाद : शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एम॰पीज॰ की जो रिजर्व सीटें हैं, उसी में 33 प्रतिशत रिजर्व करने जा रहे हैं। जिसमें आपकी हाजीपुर की सीट भी रिजर्व हो जायेगी, आप कहां से लड़ेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यदि हाजीपुर की सीट रिजर्व हो जायेगी तो हमें कोई दुख नहीं है। मैं हाजीपुर रिजर्व सीट से हूं और जनरल क्लास के लोगों को 21 साल से मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें हार्ट बर्निंग होती है। यदि वह सीट हमारी किसी बहन को मिल जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह वैसा मामला नहीं है। महिलाओं के जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वह मुद्दा सैक्स के आधार पर, जैन्डर के आधार पर है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन अनटचेबिलिटी के आधार पर है। इसलिए इसे अनटचेबिलिटी के साथ न जोड़ा जाए। मैं इससे सहमत हूं कि जो अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए उसमें इस रिजर्वेशन को न जोड़ा जाए, बल्कि इससे अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाए। चूंकि उस आरक्षण का सिद्धांत ही अलग हैं इसमें कोई यह न समझे कि इस बहाने से हम महिला बिल को रोकना चाहते हैं, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदय, हमने जो अनुसूचित जाति और जनजाति की मांगें यहां रखी हैं, मैं समझता हूं उस पर पूरे सदन की एक राय है, पूरे फोरम की एक राय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं। चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की

[श्री राम विलास पासवान]

सरकार हो, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। महोदय, जब चुंडूर की घटना घटी थी, हम 106 एम॰पीज॰ बहुत शालीनता के साथ राष्ट्रपति जी से मिलने गये थे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने हमसे मिलने से इंकार कर दिया। उसी समय हम लोगों ने फैसला लिया था कि यदि राष्ट्रपति हमसे नहीं मिलते हैं तो हम लोग अपना राष्ट्रपति बनायेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि श्री के॰आर॰ नारायणन पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट फोरम को जाता है। मैं आज फिर आपको शालीनता के साथ चेतावनी देना चाहता हूं। यह बिल परसों आ रहा था, लेकिन चलते-चलते आज आया है, चूंकि हम दूसरे कार्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम इसमें भी उतने ही इंटरेस्टिड हैं, जितना कि जैन कमीशन रिपोर्ट में है। लेकिन हम सोचते हैं कि अब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले को आप अनटचेबल के समान ट्रीट मत कीजिएण बल्कि इसकी गंभीरता से लेने का काम कीजिए। यदि इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, यह कोई पार्टी की लाइन नहीं है। हम सब इकट्ठे मिलकर न सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बल्कि हम सभी लोग आह्वान करेंगे और जो दूसरे एम॰पीज॰ हैं, वे भी इस आंदोलन में हमारा साथ दें। इस समय एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसके तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति का हक है और आजादी के 50 वर्षों के बाद जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसे दोबारा लाने का काम किया जाए।

सभापति महोदय, अन्त में यह कह कर बैठ जाना चाहता हूं कि जमीन के अंदर गर्म पदार्थ होते हैं। अगर उन्हें निकलने का मौका दिया जाता है, तो ज्वालामुखी नहीं फटता है, लेकिन यदि उसे दबाया जाता है, तो ज्वालामुखी फटता है और जब ज्वालामुखी फटता है, तो जो सबसे नीचे होता है उसे गिरने का भय नहीं होता, भय उसको होता है जो सबसे ऊपर बैठा है। इस संबंध में अंग्रेजी की एक कहावत कहकर मैं समाप्त करता हूं—"वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले"

हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं के बारे में जो चर्चा इस माननीय सदन के सदस्य श्री राम विलास पासवान जी ने उठाई है, मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह सर्वविदित है कि देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरंभ में कहा था कि दलितों के लिए जो आरक्षण होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ राजरतिनम (पेरम्बलूर) : महोदय, मैंने सूचना दी है और मेरा नाम सूची में दूसरे स्थान पर है।

सभापति महोदय : आपको बुलाया जायेगा परन्तु अभी नहीं।

[हिन्दी]

जब ऐक बार मूवर ने मूव कर दिया जो फिर यह आवश्यक नहीं कि दूसरे मूवर को भी पहले के तुरन्त बाद बोलने का अवसर दिया जाए। आपको बाद में अवसर दिया जाएगा। श्री महेश्वर सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री महेश्वर सिंह: सभापति जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रारंभ में कहा था कि यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए रहेगा और 10 वर्ष की समयावधि इस आशय से तय की गई थी कि आजादी के बाद इस देश की बागडोर संभालने वाली सरकार उनको न्याय प्रदान करेंगी और 10 वर्ष की समाप्ति के बाद उनको आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। अतः सर्वप्रथम हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए कि उनको अब तक क्यों न्याय नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उनको आज भी आरक्षण की आवश्यकता है।

सभापति जी, जहां तक पासवान जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण की आवश्यकता की बात कही है, मैं उनसे सहमत हूं। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, उनको कभी भी समय पर साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जाता और सुनियोजित ढंग से ऐसा किया जाता था ताकि उनको समय पर पत्र न मिले और वे समय पर साक्षात्कार में उपस्थित न हो सकें। उसके बाद उन पदों को डीरिजर्व कर के नोटिफाई करके दूसरों को दे दिया जाता है। इसलिए मैं पासवान जी से बिलकुल सहमत हूं कि यदि ऐसा होता है तो साक्षात्कार लेने वाले अधिकारी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाए।

महोदय, जहां तक विकास का संबंध है, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ट्राइबल सबप्लान के नाम से करोड़ों रुपया भारत सरकार की ओर से आता है, लेकिन सही मायने में उस धन का जनजातीय क्षेत्रों के विकास में उपयोग नहीं होता। वह धन उस क्षेत्र के दलितों के उत्थान में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए मेरा भारत सरकार को सुझाव है कि केन्द्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी मानिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, जो प्रान्तशः जाकर यह सुनिश्चित करे कि ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा भारत सरकार ने उस क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए दिया था, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं। यदि हुआ तो कितना और यदि नहीं हुआ तो क्या कारण रहे और उन कारणों को दूर करने के उपाय किए जाएं।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से अकेले मंडी क्षेत्र का अपना क्षेत्रफल 34,383 वर्ग किलोमीटर है। इसमें तीन जनजातीय क्षेत्र हैं जिन्हें लाहौल-स्पीति, किन्नौर और भरमौर के नाम से जाना जाता है। इन अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों का अपना कोई प्रतिनिधि नहीं है बल्कि मंडी संसदीय क्षेत्र के नाते मैं ही 23665 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का आधा भाग है। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या कम है जिसके कारण उनका अपना कोई प्रतिनिधि इस सदन में नहीं आ

पाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी संसदीय चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो, तब इन जनजातीय क्षेत्रों को भी अपना एक जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, लोक सभा में उस क्षेत्र की एक ट्राइबल सीट होनी चाहिए, भले ही उनकी जनसंख्या कम है, ताकि उनका अपना प्रतिनिधि यहां आकर अपने क्षेत्र और लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके।

महोदय, कल जब यहां विदेश नीति पर चर्चा हो रही थी, उस समय जम्मू-कश्मीर का उल्लेख आया था।

मुझे प्रसन्नता है कि जब सोज साहब यहां बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आज बहुत परिवर्तन है। वहां शांति है। यह भी एक सत्यता है कि हिमाचल प्रदेश मात्र एक ऐसा पहाड़ी प्रांत है जो कि शांतिप्रिय प्रदेश है। अगर हम कभी अपनी समस्याओं के लिए कोई मांग करते हैं तो वह भी शांतिप्रिय ढंग से करते हैं। चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध हो या जम्मू-कश्मीर का संबंध हो, वे किस तरह से उग्रवाद के घेरे में हैं, यह बात सर्वविदित है। यह खेद का विषय है कि इस प्रकार के शांतिप्रिय प्रदेश में कल जो घटना चंबा के शतरुंदी और कालाबन क्षेत्र में घटी, उसमें 35 लोगों की निर्मम हत्यायें हुई। यह घटना हिमाचल प्रदेश में हो रहे उग्रवाद का परिणाम नहीं है बल्कि हमारा जो पड़ौसी राज्य है, वहां से उग्रवादी आये हैं। यह क्षेत्र डोडा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और निश्चित रूप से वहां पाकिस्तान से आये हुए उग्रवादियों ने यह काम किया है। वे हिमाचल प्रदेश की भी शांति भंग करना चाहते हैं। इसके लिए हिमाचल सरकार प्रयासरत है कि वहां शांति रहे। मैं केन्द्र सरकार का भी आभारी हूं, जो हिमाचल सरकार की पूरी मदद कर रही है।

मैं यह कह रहा था कि इतने बड़े क्षेत्रफल की अपनी समस्याएं हैं। जो जन-जातीय क्षेत्र पहाड़ों में हैं, वे ऐसे हैं जहां सर्दियों के मौसम में हिमपात होता है और वे क्षेत्र देश के बाकी भागों से कट जाते हैं। विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के लाहौल-स्पीति और पांगी ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बीच में नेचुरल बैरियर है, जो रोहतांग दर्रे के नाम से जाना जाता है। उसकी ऊंचाई 13 हजार फुट है। जब 13 हजार फुट का पास बंद हो जाता है तो ये क्षेत्र देश के बाकी भागों से नौ महीने के लिए कट जाते हैं और केवल तीन महीने की देश के बाकी भागों से जुड़े रहते हैं। वहां के लोग समस्याओं से जूझते हुए इतने तंग हो गये हैं कि वे वहां से पलायन कर रहे हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इन जन-जातीय क्षेत्र के लोग जो सही मायने में देश के प्रहरी हैं, वे वहां से चले जायेंगे। वे ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि देश की सीमा है। हमारे देश की सीमा एक तरफ चीन के साथ जुड़ी हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अगर इनका पलायन नहीं रूका और क्षेत्र खाली हो गया तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिए आवश्यक है कि उन लोगों को वहां मूलभूत सुविधायें मिलें।

हमारी बहन ममता बनर्जी जी कह रही थी कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो उग्रवाद है, उसक मूल कारण वहां के लोगों का मूलभूत सुविधायें से वंचित रहना है। इस कारण वे देश की उन्नति की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं, वे अलग-थलग हो गये हैं। ये ट्राइबल्स क्षेत्र होते हुए भी देश की अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं इसलिए इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत हैं

1981 में जब निवर्तमान प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी लाहौल-स्पीति गई थी तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि रोहतांग दर्रे के नीचे एक टनल बनाया जायेगा ताकि देश के बाकी भागों के साथ ये क्षेत्र जुड़े रहें। इसका सर्वे भी हो चुका है लेकिन खेद का विषय है कि 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल 9 किलोमीटर का टनल अभी तक नहीं बन पाया है। आज संबंधित विभाग में बैठे अधिकारी, डिफेंस में बैठे अधिकारी कहते हैं कि यह वॉयबल प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर 1400 करोड़ रुपया खर्च होगा। वे इस बात को नहीं समझते हैं कि भले ही इस पर 1400 करोड़ रुपया खर्च हो जाये लेकिन देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह परम आवश्यक है। इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि यह टनल बनाया जाये। यह शोर्टेस्ट रूट है जहां से डिफेंस की सारी सुविधायें लेह और लद्दाख तक जाती हैं। यदि इन लोगों को ये सारी सुविधायें नहीं मिलेंगी तो वहां के लोग लाहौल को छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। मेरा कहना है कि पैसे की दृष्टि से इन टनल को नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। इस टनल के लिए "राइट्स" ने फिजिबिलटी रिपोर्ट भी तैयार की है। मुझे प्रसन्नता है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी कुल्लू गये थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम इस टनल को बनाने पर पुनर्विचार करेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस टनल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द धन का प्रावधान किया जाये क्योंकि यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इस टनल के बनने से 45 किलोमीटर लैंथ कम हो जायेगी। इससे जहां जनजातीय क्षेत्रों को सुविधा मिलेगी वहीं यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। जो लोग कभी लाहौल-स्पीति गये हो या रोहतांग दर्रे तक गये हों, वे इस बात को जानते होंगे कि वहां लगभग 10 किलोमीटर सड़क है, जो हर साल हिमखंडों के टूटने से, ग्लेशियर के टूटने से टूट जाती है और नई सड़क बनती है। आज ट्राइबल सब-प्लान का पैसा विकास पर कम खर्च होता है बल्कि सर्दियों में उनके लिए हैलीकॉप्टर की व्यवस्था करके घर से बाहर ले जाने और फिर घर पहुंचाने के लिए सबसिडी के रूप में खर्च किया जा रहा है। यह पैसा विकास पर खर्च हो सकता है। यदि टनल बन जाती है तो हैलीकॉप्टर की विशेष सुविधा की जरूरत नहीं रहेगी।

सभापति महोदय : कृपया विषय पर आइए।

श्री महेश्वर सिंह : यह विषय है, मैं ट्राईबल लोगों को सुविधा देने की बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं केवल आदिवासी लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कह रहा हूं। यह भी आदिवासी क्षेत्र हैं।

[श्री महेश्वर सिंह]

[हिन्दी]

ट्राईबल एरिया में रहने वाले लोग जो पैदावार करते हैं, उसके विपणन और विधायन की सुविधा भी सरकार को देखनी होगी क्योंकि वे आजीविका कमाने के लिए काम करते हैं। हमारे लाहौल में हॉप्स पैदा होती है। पिछले साल 132 मैट्रिक टन हॉप्स पैदा हुई लेकिन चूंकि पहले पैलेट फॉर्म में हॉप्स चाहिए, इसलिए जनजाति क्षेत्र के लोग अपनी उपज बेचने के लिए भी दर-दर की ठोकरें खाते हैं। बाद में वह हॉप्स सरकार को मिट्टी के भाव पर खरीदनी पड़ी जो आज घाटे में चला गया है। मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि उनके लिए वे एक प्लांट की व्यवस्था करेंगे।

हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर उत्तर प्रदेश का देहरादून जिला लगता है। वहां एक क्षेत्र आता है जो पहले कभी टिहरी रिसायत में था और जिसे गिरीपार का क्षेत्र कहते हैं। वह कभी एक ही रियासत में था लेकिन आज जौनसार बावर क्षेत्र तो जनजाति क्षेत्र घोषित हो गया, जो मूलभूत सुविधाएं जनजातीय क्षेत्रों को मिलती हैं, वे वहां मिल रही हैं लेकिन उससे लगा क्षेत्र जो नाहन हिमाचल प्रदेश में चला गया, उनकी संस्कृति, सामाजिक रीति-रिवाज एक से हैं लेकिन फिर भी वे इन सुविधाओं से वंचित है। पासवान जी कह रहे थे कि एक जाति जो देश के एक कोने में शेड्यूल्ड ट्राईब्स या शेड्यूल्ड कास्ट्स घोषित की गई है, वह देश के दूसरे कोने में भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित होनी चाहिए। मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहां अनेक विसंगतियां हैं। टौंस नदी के इस तरफ के लोग, जिनकी जमीनें हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनकी रिश्तेदारी हिमाचल प्रदेश में है, डौंस नदी के उधर का एरिया जो गिरी पार का क्षेत्र कहलाता है, जहां आज भी बहुपति प्रथा चली आ रही है, उस क्षेत्र को गैर-जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है और जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है, वह जनजाति क्षेत्र कहलाता है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की दो जातियां हैं—गद्दी और गुर्जर। हिमाचल प्रदेश के दो भाग हैं जिसमें एक पुराना हिमाचल कहलाता है, वह क्षेत्र जो 1966 में हिमाचल में आकर मिला था, पहले वह पंजाब में था, उसमें मेरा गृह जिला कुल्लू भी आता है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना भी आता है, यहां के गद्दी और गुर्जर ट्राइबल नहीं हैं जबकि उनकी भाषा और संस्कृति वही है जो आज भरमौर की गद्दी जाति की है। भरमौर की गद्दी जाति जनजाति कहलाती है, मंडी जिले का हिन्दू गुर्जर भी जनजाति कहलाता है लेकिन दूसरे क्षेत्रों को, चाहे वहां हिन्दू गुर्जर हैं या मुसलमान गुर्जर हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसे मान्यवर राजेश पायलट जी भी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मेरे चुनाव में ये मंडी संसदीय क्षेत्र में आए थे। मंडी में वे लोग जानजाति घोषित हैं लेकिन कुल्लू के गुर्जर और गद्दी के लोग जनजाति में नहीं है, कांगड़ा के गद्दी जनजाति में नहीं हैं। जब भी हमने ये प्रश्न इस सदन में उठाए, हमें एक ही जवाब मिला कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और जब समिति की रिपोर्ट आएगी तब ये विसंगतियां दूर होंगी और कुछ नई जातियां भी जनजाति घोषित की जाएंगी। न जाने वह रिपोर्ट कब आएगी और कब यह काम होगा। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं, मैं पासवान जी के साथ सहमत हूं कि यदि एक एरिया में कोई जाति अनुसूचित जाति कहलाती है या जनजाति कहलाती है तो देश के दूसरे भाग में भी उसको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने से किसी की जाति या उसका रहने का स्तर नहीं बदल जाता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अंत में फिर एक बात कहूंगा कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों के बारे में गंभीरता से सोचें। क्योंकि वहां स्कैटर्ड पौपुलेशन है, इसलिए हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। पहाड़ों में बसे हुए लोग देश के प्रहरी हैं। यदि उनका पलायन नहीं रुका और वहां पर चहुंमुखी विकास के बारे में नहीं सोचा गया, अगर ये लोग पलायन कर गये तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से वह ठीक नहीं होगा, इसलिए जनजातीय क्षेत्र की ओर भी सरकार ध्यान दे।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गमांग (कोटापुट) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस विषय पर वाद-विवाद की शुरुआत करते हुए श्री राम विलास पासवान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के समक्ष समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला।

इस विषय पर आते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कल्याण मंत्रालय के नाम से एक पृथक मंत्रालय बनाया। मुझे उस मंत्रालय में आदिवासी कल्याण विभाग का प्रभारी बनाया गया था। इस प्रकार मैं पहला मंत्री था। परन्तु हाल ही में उस मंत्रालय का नाम बदलकर अब उसका नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रखा गया है। इस मंत्रालय के नाम परिवर्तन के साथ ही इसकी संकल्पना में भी निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ ही होगा। परन्तु संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री ही कल्याण विभाग का प्रभारी होगा। तदनुसार भारत सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन के अनुसार राज्यों ने भी इसका नाम बदल दिया। कुछ राज्यों ने आदिवासी कल्याण विभाग का नाम बदलकर इसका नाम कल्याण विभाग रखा है। परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और राज्यों के मामले में ऐसा नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां आदिवासी कल्याण विभाग का एक प्रभारी मंत्री होना चाहिए। विशेषकर उड़ीसा में आदिवासी कल्याण विभाग का नाम बदलकर इसका नाम कल्याण विभाग रखा गया है। इस विभाग का नाम कल्याण विभाग रखा गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रथम परन्तुक के अनुसार न्यायोचित नहीं है।

हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं पर हमारे पास समय की कमी है। अतएव, मैं मंत्री जी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के संसद सदस्यों की एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग बैठक आयोजित करने का अनुरोध करता हूं। क्योंकि इस सभा में अनुसूचित जनजातियों के 46 संसद सदस्य हैं और अनुसूचित जातियों के संसद सदस्यों की संख्या 85 से भी अधिक है। इस विषय से संबधित विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने में समयाभाव की समस्या सामने आयेगी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कुल सदस्य संख्या 156 है।

श्री गिरिधर गमांग : सदस्यों की कुल संख्या 156 है। एक सम्मिलित बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। अनुसूचित जनजाति के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा के लिए पृथक रूप से संवैधानिक मुद्दे निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें राज्यपाल की भूमिका, अनुसूचित क्षेत्रों में विधायकों और संसद सदस्यों को प्रदत्त शक्तियों और अनुसूचित क्षेत्रों में कानून का अनुप्रयोग जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। इस संबंध में संसद अथवा विधानमंडल द्वारा अधिनियम पारित करके शक्तियां प्रदान की गई हैं। हमें इन पर विचार करना है कि क्या ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू होंगे अथवा नहीं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी है।

सीमाएं तीन प्रकार की हैं। पहली सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी राज्य की सीमा है और तत्पश्चात् राज्य में ही अनुसूचित क्षेत्र की सीमा भी है। अनुसूचित क्षेत्र सीमा और संवैधानिक है। अतएव यह निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कानून के अनुप्रयोग और अन्य समस्याओं से संबंधित है। राज्यों ने अनुसूचित जिलों का बंटवारा करके जिलों का नाम बदल दिया है। अतएव अनुसूचित क्षेत्रों में कानून के अनुप्रयोग में दिक्कतें आयेंगी।

आज अनुसूचित जनजातियों के विकास की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है। हम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। यह प्रक्रिया तो चल रही है।

इस संबंध में केन्द्रीय अथवा राज्य योजना में दर्शायी गई राशि के आंकड़े बड़े-बड़े प्रतीत होते हैं परन्तु यह निवेश अत्यल्प है। दो बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए राज्यों में पृथक रूप से अनुदान की मांगें और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की प्रशासन की मांग की जा रही है। भारत सरकार द्वारा टी एस पी क्षेत्र अथवा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि का आवंटन कार्यक्रमों के साथ-साथ समस्याओं के मद्देनजर किया जाए। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा निर्धारित की गई धनराशि के बारे में राज्य सरकारों और राज्यों के आदिवासी कल्याण विभाग को सूचना भेजी जाए। संस्थागत वित्त सहित अन्य स्रोतों से उपलब्ध धनराशि भी नित की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत किया जाए।

इन सभी निधियों को एकत्रित करके एक पृथक अनुदान की मांगों में डाल दिया जाए। यह निधि आई टी डी पी क्षेत्र और क्लस्टर गांवों में वितरित कर दी जाये। यदि निधियों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए तो राज्य स्तर पर आदिवासी विकास की संकल्पना सार्थक हो पाएगी।

दूसरी बात 'सिंगल लाइन' प्रशासनिक ढांचे की है जिसकी आवश्यकता आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं अथवा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है। इसकी आवश्यकता विभागों और ऐजेंसियों की विविधता के कारण है जिनके कारण निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न होता है। आंध्र प्रदेश राज्य में 'एकल मांग' (सिंगल डिमांग) और 'सिंगल लाइस' प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी 'सिंगल लाईन' प्रशासन की सकंल्पना लागू की गई है। हम ऐसी व्यवस्था को बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में क्यों नहीं लागू कर सकते? इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 'सिंगल लाइन' प्रशासन की व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गई है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह व्यवस्था क्यों नहीं सम्भव हो पायी है। मैं यह भी नहीं जानता कि वे इस व्यवस्था को लागू करेंगे भी अथवा नहीं।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई नीतियां हैं। एक वन नीति भी है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से एक शिक्षा नीति भी हैं एक नीति उत्पाद शुल्क की है जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में मद्य निषेध लागू किया जाता है और तत्पश्चात् भूमि के आबंटन से संबंधित नीति है।

पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के आबंटन को विनियमित करने तथा आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने का अधिकार है।

संविधान के कई प्रावधानों की योजना के क्रियान्वयन के लिए ठीक ढंग से व्याख्या नहीं की गई है। अनुसूचित क्षेत्र में इन प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरे, इन प्रावधानों को बिना किसी व्याख्या के लागू किया जाता है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें न तो लागू किया गया है और न ही उनकी व्याख्या की गई है।

संविधान में वर्णित कई प्रावधान काफी बड़े हैं। उनका इस तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए कि उन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिकार एवं संरक्षण दिया जा सके। केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत तैयार की जा रही तथा क्रियान्वित की जा रही जो भी योजनाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं या बांधों पर निवेश की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

[श्री गिरधर गमांग]

राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्वास नीति तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इन परियोजनाओं के कारण हुए भूमि हस्तांतरण तथा अतिक्रमण की समीक्षा की जानी चाहिए। इसके बिना आदिवासी लोगों को कोई परियोजना लाभ नहीं पहुंचा सकती है। जैसाकि कहा गया है कि पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों कल्याण मंत्रालय तथा राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं है। इन आदिवासियों को भूमि, पानी और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की जाती है। उनके लिए जीना काफी मुश्किल हो रहा है। जनहित के नाम पर राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने अपनी भूमि सहित सब कुछ दांव पर लगा दिया है।

दूसरी महत्वपूर्ण चीज सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति है। श्री पासवान इसका उल्लेख कर रहे थे। जहां तक केन्द्र तथा राज्यों की लोक सेवा आयोग की भूमिका तथा दायित्व का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 320(4) के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है :

> "खण्ड(3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाना है।"

इसका मतलब है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती के तरीकों के मामलों में या सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने के संबंध में या अनुशासनात्मक कार्यवाही में या पदोन्नति में सलाह नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सेवा आयोग स परामर्श नहीं लिया जाना चाहिए। अब तक, इस प्रावधान को न तो लागू किया गया है तथा न ही उचित ढंग से इसकी व्याख्या की गई। हमने नहीं देखा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं तथा पदों में आरक्षण नीति क्रियान्वित करते वक्त इनकी ठीक-ठीक व्याख्या की जानी है।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, संविधान का अनुच्छेद 339(1) के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के ऊपर केन्द्र को नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का उपबंध है। 1995 में, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आयोग स्थापित करने के संबंध में तत्कालीन सरकार तथा निर्णय लिया गया था। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग के गठन का मामला अब तक लंबित है तथा उन्होंने अब तक इसका गठन नहीं किया है। यह 1961 के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दूसरा आयोग है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य की सूची के अन्तर्गत आती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लगाए गए क्षेत्र प्रतिबंध को राज्य के अन्दर हटा दिया गया है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, अभी चार बजे हैं। माननीय अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार, जैन आयोग रिपोर्ट पर बहस आज अपराह्न 4 बजे शुरू होनी थी। मैं जानता हूं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर चर्चा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे काटा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है तथा समूची सभा मुझसे सहमत होगी कि जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है जो पूरे राष्ट्र के नेता थे।

मेरा सुझाव यह है कि यदि जैन आयोग पर चर्चा अभी नहीं की जा सके, तो सभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाये ताकि कल तथा परसों हमें इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए समय मिल सके।. ..*(व्यवधान)*

श्री टी॰ आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का पूरा समय मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.02 बजे

[**श्री पी॰ एम॰ सईद** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : मुझे सुनने दें।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय के मुताबिक जैन आयोग रिपोर्ट पर बहस 4 बजे यानी अभी शुरू की जानी है। यदि यह संभव न हो, तो सभा की बैठक एक और दिन के लिए यथा 6 अगस्त 1998 तक के लिए बढ़ा दी जाये ताकि हमें जैन आयोग रिपोर्ट पर बहस के लिए दो दिन का समय मिल जाये तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर विस्तृत चर्चा क लिए पूरा दिन दे सकते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण विषय है। माननीय पीठासीन अधिकारी हमारे मुद्दे पर विनम्रतापूर्वक विचार करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : हम लोग इस चर्चा को टाल रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक चर्चा पूरी हो जाए तब उसके बाद दूसरी चर्चा शुरू कीजिए।

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हम लोगों को भी चर्चा का मौका दीजिए जिससे हम भी उन बातों को रख सकें जिन पर चर्चा नहीं हुई है।...*(व्यवधान)* हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया एक बार में एक व्यक्ति बोले।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : आप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर चर्चा जारी रख सकते हैं। लेकिन सभा का समय एक दिन के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि हमें जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दो दिन का समय मिल सके। सभा का समय वास्तव में जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बढ़ाया गया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : यह हाउस का सुझाव है कि दो दिन के लिए, कल और परसों इस पर डिसकसन हो जाए।...*(व्यवधान)*

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो कुछ और घंटे बढ़ा दिए जाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ सुब्रहम्ण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, या तो इस पर अभी विचार होना चाहिए या कल 11 बजे, तथा सभा का समय एक और दिन के लिए बढ़ा देना चाहिए क्योंकि पूरा देश जैन आयोग पर बहस सुनेगा। अतएव, यह काफी महत्वपूर्ण है कि देर रात में यह नहीं होना चाहिए। यह कल 11 बजे या आज 4 बजे शुरू होनी चाहिए यानी अभी तथा एक और दिन के लिए बढ़ानी चाहिए। प्रो॰ कुरियन का प्रस्ताव उपयुक्त है तथा सभा को इससे सहमत होना चाहिए।

श्री वी॰ सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : माननीय सभापति महोदय, इसे जारी रखने की अभी क्या जरूरत है? यह पीठासीन अधिकारी का निर्णय था कि हम जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा आज 4 बजे शुरु करेंगे।

जैसा निर्धारित किया गया है, जैन आयोग रिपोर्ट तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पर चर्चा इस समय चार बजे शुरू की जानी चाहिए।

श्री टी॰ आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : आज सुबह, माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या पर चर्चा पूरी होने के बाद जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्या के संबंध में चर्चा कब तक समाप्त होगी।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, वह महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी हम सबके नेता थे। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, हम भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। समाज के दबे, कुचले और पीड़ित लोगों की भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि दो घन्टे समय बढ़ा दिया, लेकिन चर्चा ठीक तरह से सदन में होनी चाहिए।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : वही मैंने बोला है।

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सदन का समय एक दिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चाहें तो इस चर्चा का समय दो घन्टे और बढ़ा सकते हैं और फिर जैन कमीशन लिया जा सकता है। लेकिन सदन का समय एक दिन और बढ़ाने को आवश्यकता नहीं है।

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी (शिमला) : इस चर्चा के लिए कुछ घन्टे बढ़ा दिए जायें, लेकिन जैन कमीशन की रिपोर्ट के लिए पूरा समय मिलना चाहिए, ताकि सभी माननीय सदस्य बोल सकें। जैन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटील (लातूर) : महोदय, कुरियन जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उस प्रस्ताव का समर्थन उधर और इधर के माननीय सदस्यों ने किया है। अभी सदन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स विषय पर चर्चा चल रही है। इस विषय पर बहुत सारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। उनको अगर नहीं बोलने दिया गया, तो उस विषय के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ऐसे विषय पर केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही नहीं बोलना चाहिए या विमैन बिल पर केवल विमैन को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि दूसरे सदस्यों को भी बोलना चाहिए। अगर इस चर्चा को पूरा समय नहीं दिया गया, तो इस विषय के साथ अन्याय होगा। इसके साथ-साथ जैन कमीशन की रिपोर्ट के साथ सब लोगों के भावनात्मक संबंध हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से संबंधित यह विषय है। इस पर पिछले सात-आठ सालों से इन्वैस्टिगेशन होता रहा है। अब उसकी रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट 15 वोल्युम्स में है—अन्तरिम रिपोर्ट के छः वोल्युम्स हैं और फाइनल रिपोर्ट के 9 वोल्युम्स हैं—जो दस हजार पेजेज की है। कल इस पर श्री शिवशंकर जी बोलेंगे और दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे। इस चर्चा के साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों का आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : जैन कमीशन की रिपोर्ट पिछले सात वर्षों तक चली। यह रिपोर्ट हिन्दुस्तान के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता की हत्या से संबंधित है। इस पर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। इस पर दो दिन बहस होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए।

श्री लालू प्रसाद : इस रिपोर्ट के बारे में पूरा राष्ट्र जानना चाहता है सब दलों की भावनाओं को जानना चाहता है। क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। इसमें कोई शार्टकट नहीं होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर चर्चा आज पूरी हो जाए। कल का दिन तो शेड्यूल्ड है, इसलिए एक दिन और बढ़ा दिया जाए। जिन लोगों को यहां रहना होगा, वे यहां रहेंगे। जो यहां रहने वाले हैं, जो कन्सर्न्ड हैं, वे विचार करेंगे। मरहूम राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे, लोकप्रिय नेता थे। इसलिए कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मेरे पास करीब 20-21 माननीय सदस्यों के नामों की सूची है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित समस्याओं पर बोलना चाहते हैं। मैं सदन की भावना को माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा। वह सदन की बैठक एक दिन के लिए बढ़ाए जाने पर विचार कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं कुछ नेताओं से अनुरोध करूंगा। इस बीच हमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर बहस जारी रखनी चाहिए। इस बहस में 21 सदस्यों को बोलना है।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर चर्चा आज ही समाप्त करनी चाहिए। फिर कल सुबह हम जैन आयोग पर बहस कर सकते हैं। मेरे विचार से सदन की बैठक बढ़ाए जाने के लिए सदन में सर्वसम्मति है। मैं सभापति महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन की भावना से अवगत करा दें...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : पहले सत्र 4.8.98 तक था। बहस के बाद इसे 5.8.98 तक बढ़ा दिया गया।

[हिन्दी]

अब अगर आपने इसे ले लिया है तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मुझे प्रधानमंत्री जी से और सबसे बात करनी पड़ेगी, तभी एक्सटेंशन की बात होगी। आपने जो बात कही है उसके लिए मैं बात कर लेता हूं। मेरा सुझाव यह है कि इस समय हम कल तक के लिए एस॰सी॰, एस॰टी॰ का डिस्कशन पोस्टपोन करके इसको ले लें, अन्यथा मुझे फिर एक्सटेंशन के बारे में मालूम करना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय सदन की बैठक बढ़ाए जाने पर सर्वसम्मति है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, हाउस के एक्सटेंशन की बात है। इसलिए मैं जब तक अपने यहां बात न कर लूं तब तक मैं कैसे बताऊं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री को बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री टी॰ आर॰ बालू : सदन में इस बात की सहमति है कि बैठक बढ़ाई जाए।...*(व्यवधान)* कृपया आप सदन का मत जान लें... *(व्यवधान)* आप संसदीय कार्य मंत्री से क्यों पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री भजनलाल (करनाल) : महोदय, हाउस ने फैसला लेना है। हाउस के सामने एक प्रस्ताव आया है, आप मेहरबानी करके फैसला लीजिए और हाउस का एक दिन का समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या कोई छोटी बात नहीं है, यह देश के लिए बहुत घिनोनी बात हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इसलिए दो दिन की डिस्कशन जैन आयोग की रिपोर्ट पर होनी चाहिए ताकि सारे देश को पता चले कि किन हालत में, कैसे राजीव गांधी जी की हत्या हुई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और सारा हाउस चाहता है कि आप एक दिन के लिए हाउस का समय बढ़ा दें।

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय, सदन के अधिकतर सदस्य बैठक बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, अब यह नये सिरे से विचार का सवाल है। दो दिन चर्चा होगी, इसीलिए हाउस बढ़ाया गया था। आज सवा चार बज चुके हैं और अभी इस पर बहस होनी है, हमें भी इस पर बोलना है। इसलिए आप हाउस का समय बढ़ा दीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है वह सही नहीं है। पहले हाउस का शेड्यूल 29 जुलाई तक था। आपने जब बैठक हुई तो सब माननीय सदस्यों की राय थी कि 30 जुलाई तक हाउस का समय बढ़ा दें। कांग्रेस के साथियों की राय थी कि जैन कमीशन की रिपोर्ट को हमें पढ़ने का समय चाहिए और हाउस को एडजार्न करने के बाद 13-14 तारीख को इस पर हम डिस्कशन करेंगे, तब यह तय हुआ कि अगर 13-14 अगस्त को हाउस बुलाया जाएगा तो मालूम होगा कि स्पेशली जैन कमीशन रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। फिर बाद में सुझाव आया कि 16-17 अगस्त को या 17-18 अगस्त को डिस्कशन कर लीजिए।

सरकार तैयार नहीं हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया और सदन 31 तारीख तक बढ़ाया गया, फिर सरकार ने तीन-चार तारीख तक प्रस्ताव किया और हम लोगों ने उसे भी माना। लेकिन बाद में स्पीकर साहब ने पांच तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि सोचा यह गया कि पांच तारीख तक जैन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस पूरी हो जाएगी। जैन कमीशन की रिपोर्ट पर दो दिन का समय देना है, आप कहें या न कहें लेकिन उसमें इस बात का मीनिंग इम्पलाइड था। आपने देखा कि महाराष्ट्र का सवाल आया, विदेश मंत्रालय का सवाल आया तो हर चीज पर आप बहस करवाते

चले गये लेकिन एस॰सी॰ का मामला आ रहा है तो आप इसे खत्म करवाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* अभी-अभी आपने कहा है।

श्री मदन लाल खुराना : आप अपनी बातों को मनवाते भी हैं और उसके बाद आप इस तरह की बातें कहते हैं। पूरे सेशन में आप लोगों ने जो-जो कहा उस पर हमने बहस कराने की बात मान ली।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आप रिकार्ड निकलवाकर देख सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि एस॰सी॰ पर डिस्कशन को आप पोस्टपोन कीजिए और जैन कमीशन की रिपोर्ट को रखिये।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने कहा है कि इसको कल लीजिए, कल के लिए कहा है।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं इसका विरोध करता हूं। एस॰सी॰एस॰टी॰ पर जितने सदस्य बोलने वाले हैं उनको बुलवाइये और जैसी कि आवश्यकता पड़ेगी, एक दिन का समय बढ़ाइये। जब एक हफ्ते आपने बढ़ाया है तो एक दिन में कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : सभापति जी, हाउस जब फैसला कर लेता है उसके बाद किसी को हक नहीं है कि उस फैसले को बदल दे, यह हाउस की कन्वैंशन है। मेरे ख्याल में यह इतना गहन विषय है जिस पर आंख बंद नहीं की जा सकती है, यह इतना जघन्य अपराध हुआ है इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। खुराना जी, आपसे आग्रह और प्रार्थना है कि...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जाखड़ साहब, आप मिनिस्टर रहे हैं, मैंने ना नहीं की है। मैंने कहा है कि मैं प्रधान मंत्री जी से बात करके आपको बता दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय, यह उचित नहीं है। वह प्रधान मंत्री से क्यों पूछेंगे? इससे उनका क्या संबंध है? आपको सदन की भावना को मानना चाहिए। महोदय, आपको संसदीय कार्य मंत्री या प्रधान मंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। सदन सर्वोच्च है और आपको सदन की सर्वसम्मत भावना का पालन करें।

सभापति महोदय : मुझे सदन की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : महोदय, सदन सर्वोच्च होता है। सदन पर कोई अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता; हम सदन के आधीन हैं। अतः इस बात पर वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया न्याय करें। हमें जैन आयोग की रिपोर्ट पर बहस करनी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए 4.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मुझे एक मिनट बोलने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मुद्दे के बहस के लिए 4.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

(व्यवधान)

श्री टी॰ आर॰ बालू : इसे 4.50 बजे तक समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इस पर सब बोलना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे बोलने दें। सदन सर्वोच्च है। अभी हम बहस कम से कम आधे घण्टे तक जारी रख सकते हैं। इस बीच आप अध्यक्ष के साथ बैठकर निर्णय ले सकते हैं। अध्यक्ष इस पर पहले ही विचार कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्यों परेशान हो रहे हैं? अतः हमें सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्यों को उस विषय में बोलने दें।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, कृपा करके माननीय अध्यक्ष को सदन की भावना से अवगत करा दें।

सभापति महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, सदन में कोई सर्व सम्मति नहीं है। हमारे विचार भिन्न हैं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। छः अगस्त को देश के अनेक हिस्सों में हिरोशिमा दिवस मनाया जाएगा। सभी सदस्यगण अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों को चले जाएंगे। सदन को बार-बार बढ़ाए जाने के मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार-विमर्श हुआ था। पहले यह 29 जुलाई तक होना था। फिर इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। हमारे नेता ने कहा था कि सदस्यों के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने-अपने कार्यक्रम हैं। इसके बावजूद हम इसे कुछ और दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर बहस के लिए 4.50 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा एक सुझाव है। इस चर्चा को समाप्त करने के बाद जैन आयोग पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, प्रोफेसर कुरियन ने जो प्रस्ताव रखा, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई। मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल एक सबमिशन करना चाहता हूं। सदन की कनवैंशन रही है कि एजेंडा के मुताबिक किसी आइटम का जब वक्त आता है तो कोई मैम्बर उठ कर अपनी बात कह सकता है। प्रोफेसर कुरियन ने इसलिए इस बात को कहा कि चार बजे जैन कमीशन पर चर्चा शुरू होनी थी। यह कहना कि यह वेस्टेज ऑफ टाइम है, गलत बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं के बारे में चर्चा इस सैशन में नहीं हो पाएगी क्योंकि इसे रोजाना एजेंडा से आगे किया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से गरीबों की दुर्दशा के ऊपर नियम 193 के अधीन चर्चा श्री राम विलास पासवान ने शुरू की। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिस ढंग से इसमें उदासीनता दिखाई और कहा कि अभी जैन कमीशन पर चर्चा शुरू कर दी जाए, उससे पता चलता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार और उनके मन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के प्रति कोई आदर नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो प्रस्ताव कुरियन साहब ने रखा, जिस का समर्थन श्री शिवराज पाटील और श्री लालू प्रसाद ने किया, उसको हाउस की सैंस मान कर आप अपनी रूलिंग दें। आप एक दिन सैशन बढ़ाकर जैन कमीशन की रिपोर्ट पर दो दिन तक चर्चा कराएं। अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाली चर्चा को जब तक सदन चाहे, चाहे चर्चा करते पूरी रात हो जाए, इसके ऊपर पूरी डिसकशन कराएं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा हक है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मेरा अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा शुरू करवाएं।

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : यह एक दिन का सैशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरा कहना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 8 तारीख को है। हम अपने घर कैसे पहुंच पाएंगे? सैशन एक दिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय में इसे पूरा कराना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला इम्पार्टेंट है लेकिन जैन कमीशन का मामला भी उतने ही महत्व का है। इसलिये एस॰सी॰ एस॰टी॰ का मामला खत्म करने के बाद जैन कमीशन के मामले पर बहस 6 और 7 अगस्त को हाउस बढ़ाकर पूरी कराई जाये।

सभापति महोदय : आपकी भावना को स्पीकर साहब तक पहुंचा दिया है।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गमांग ने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है। अतएव, वे बोलेंगे।

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट) : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा था। लेकिन बीच में ही समस्या शुरू हो गई।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां बहुत सी हैं। अधिकांश राज्यों में उन्हें सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकार को उन्हें सूची में शामिल करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है। गैर आदिवासी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में अपने आपको शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए।

जाली जनजातियां बहुत सी हैं। वे नौकरी के संबंध में आरक्षण का फायदा उठा रहीं हैं तथा विकास योजनाओं या राजनीतिक स्तर पर फायदा उठा रही हैं, जो एक बड़ा गंभीर मसला है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक आरक्षण कब तक चलेगा। यह अभी 2000 ईस्वी तक है। और फिर अनुच्छेद 334 के अन्तर्गत इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाना है। राजनीतिक आरक्षण एक अस्थायी आरक्षण है। जब सरकार लोक सभा विधान सभा तथा पंचायतों के सन् 2000 के बाद रानैतिक आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है तो अनुच्छेद 335 सेवाओं तथा पदों से संबंधित एक स्थाई आरक्षण है।

पंचायतों में महिलाओं को दिया गया एक तिहाई आरक्षण आरक्षण के अन्दर आरक्षण है। आज जो हमारी आवश्यकता है वह यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के अन्दर आरक्षण नहीं होना चाहिये। यह काफी महत्वपूर्ण मसला है। हम इससे सहमत हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 336 में 'अनुसूचित जातियों' तथा 'अनुसूचित जनजातियों' के संबंध में दी गई परिभाषाओं तथा अनुच्छेद 241 तथा 242 के अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा संसद को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने या शामिल न करने की दी गई शक्तियों के अनुरूप आरक्षण होना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान वे हैं जिन पर विस्तृत चर्चा होनी है। कृपया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाएं। इन वर्गों के संरक्षण हेतु इन प्रावधानों की सदाशय से व्याख्या की जानी चाहिए तथा फिर इन्हें लागू किया जाना चाहिए।

यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि आज कौन-कौन से अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि हर डेढ़ साल या ढाई साल में चुनाव होने चाहिए तो अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अनिश्चित राजनीतिक माहौल की सबसे ज्यादा भुक्तभोगी होंगी। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, आर्थिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तथा सेवाओं और राजनैतिक क्षेत्र में आरक्षण देने हेतु इनके संरक्षण के लिए कतिपय उपाय करते समय इन्हें आरक्षण संवैधानिक और कानूनी तौर पर दिया जाना चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ी बैचेनी और असंतोष के कारण अलग राज्यों की मांग हो रही है। यह असंतोष क्यों बढ़ रहा है? किसी ने इस पर अध्ययन नहीं किया है। मेरे विचार से सरकार इसे गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। मध्यभारत आदिवासी बेल्ट के विकास पर कोई दो मत नहीं है परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों का विकास मध्य भारत की आदिवासी बेल्ट के साथ तुलना करके संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश इत्यादि सभी मध्य भारत आदिवासी बेल्ट में आते हैं। पांचवीं अनुसूची तथा छठी अनुसूची के प्रावधानों पर, अलग-अलग चर्चा की जानी है। दूसरा विश्लेषण किया जाना है कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तथा छठी अनुसूची क्षेत्रों में जनजातियों के उत्थान के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं।

मुझे यहां उपस्थित रहने का संवैधानिक अधिकार है। मैं सभा में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आठ बार रहा हूं। श्री पासवान जैसे माननीय सदस्य तथा अन्य भी इस सभा में लोगों के प्रतिनिधि बन कर आए हैं। कृपया उनके संरक्षण के उपाय लागू करते वक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संविधान के प्रावधानों को पढ़ें।

श्री पी॰ राजरतिनम (पेरम्बलूर) : सभापति महोदय, मेरे पहले ही भाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देमा चाहता हूं।

इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, अपने प्रिय नेता तमिलनाडु के दुर्जेय नेता, सामाजिक न्याय के रक्षक डा॰ पूरातची थलैवी जिन्होंने मुझे इस महान सभा में भेजा है को धन्यवाद देना मेरा कर्त्तव्य है। उनका शासनकाल तमिलनाडु का स्वर्णकाल था। अपने शासन काल में उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया। डा॰ पुरातची थलैवी के शासन काल के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। छठी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 100 रु॰ प्रतिमाह भुगतान किया जाता था। उन कालोनियों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग निवास कर रहे थे वहां निःशुल्क बिजली तथा शुद्ध पेय जल की आपूर्ति की जाती थी तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने सबसे पहले पूरे देश में एक योजना शुरू की जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिला के तिरुपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 100 युवकों को उद्योगपति बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का अन्तर्राष्ट्रीय शेयर व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया। उनके शासनकाल में संपूर्ण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय की रक्षा की गई जबकि इस सरकार के शासनकाल में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं।

यह पूरे देश में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है। हर दिन पुलिस या अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर जुल्म हो रहे हैं। हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं को समाचार-पत्रों में देख सकते हैं। कुछ समाचार-पत्रों के शीर्ष समाचार इस प्रकार हैं : "एस॰सी॰/एस॰टी॰ पैनेल पुल्स अप स्टेट गवर्नमेन्ट", "स्टेट्स आस्कड् टू चेक ऐट्रोसिटीज ऑन दलित्स", "दलित्स एलेनियेटेड एण्ड एंग्री", "दलित एक्ट मिसयूस? इट इज नॉट बीइंग यूज्ड", "ट्राइबल्स स्ट्राइक टेरर" इत्यादि।

राज्य सभा में हमारी पार्टी के सहकर्मी तिरु निरायकुलाथन और तिरु ओ॰एस॰मनियान और तिरु मार्गबन्धु ने हमारे देश में साम्प्रदायिक तनाव और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के बारे में आम प्रश्न उठाया था। प्रश्न यह था कि क्या सरकार का विचार सर्वत्र व्याप्त साम्प्रदायिक हिंसा और देश के कई भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर जुल्म को रोकने का है।

अपने उत्तर में तत्कालीन संयुक्त मोर्चे के गृह राज्य मंत्री श्री मकबूल दार ने कहा था कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति में कुल मिलाकर बहुत हद तक सुधार हुआ है। पिछले दो महीनों के दौरान तमिलनाडु में हिंसा की दो बड़ी घटनाएं हुईं। यह 1996 की बात है। दूसरी ओर डा॰ पुरातची थलैवी के शासन काल के दौरान स्थिति अत्यन्त शांतिपूर्ण थी। इन दिनों जहां तक साम्प्रदायिक हिंसा और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार का संबंध है तमिलनाडु वर्तमान 'डीएम के' सरकार के शासन में सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य है।

राज्य सभा के सदस्य तिरु थलावै सुन्दरम द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में संयुक्त मोर्चा सरकार के तत्कालीन केन्द्रीय कल्याण राज्य मंत्री श्री रामूवालिया ने कहा था कि तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों पर 1996 और 1997 के दौरान क्रमशः 535 और 372 अत्याचार किए गए थे। जब मैं अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं तो डी एम के के शासनकाल में तमिलनाडु में हाल ही में घटित घटनाओं का उदाहरण देना प्रासंगिक होगा।

तमिलनाडु के वालांकैमन तिरवरुर जिला में सोराकुदी में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रुप आवास के आवंटन के समय एक दुखद घटना हुई। दो परस्पर विरोधी समूहों के बीच कुछ झड़पें हुईं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया।...*(व्यवधान)*

श्री टी॰ आर॰ बालू : सभापति महोदय, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना

[श्री टी. आर. बालु]

चाहिए। कृपया यह सुनिश्चित करें कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

सभापति महोदय : न्यायालय के विचाराधीन मामले कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किए जाएंगे।

श्री पी॰ राजरतिनम : जब उन्हें तिरुची ले जाया जा रहा था हिरासत में भेजे गए अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसका नाम चिन्नयन था, रास्ते में पुलिस ज्यादती के कारण मर गया। तत्पश्चात् वे मृतक की अनपढ़ पत्नी को गांव से पकड़ कर ले आए तथा सत्तारूढ़ 'डीएमके' सरकार के कुछ शीर्ष राजनीतिज्ञों के उकसावे पर उसे पहले से ही तैयार अभिकथन पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी। उलांगैमन के तहसीलदार ने पुलिस की सहायता से मृतक का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। उस समय, ग्रामवासियों ने श्री ओ॰एस॰ मनियान, संसद सदस्य (राज्य सभा) और 'ए आइ ए डी एम के' के जिला सचिव के साथ उसके दाहसंस्कार को रोक दिया तथा श्री चिन्नयन के शव का अंत्यपरीक्षण करने की मांग की। लंबे आंदोलन के पश्चात् दुबारा अंत्यपरीक्षण किया गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरा प्रश्न है कि किसके अनुदेश पर तहसीलदार ने पुलिस के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया।

ऐसा तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के राजनीतिज्ञों के इशारे पर हो रहा है। तमिलनाडु में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लोगों के द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। मैं अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं और उन पर हो रहे जुल्मों से संबंधित एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना का उद्धरण दे सकता हूं जो तिरुनेलवेली जिला के थुरैयुर गांव में घटा है। पुलिस ने अनुसूचित जाति के युवक के विरुद्ध झूठा आपराधिक मामला गढ़ दिया तथा कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए। इस प्रकार, अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान किया गया। थुरैयुर व आसपास के गांवों में लोगों ने पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की भर्त्सना की और उन्होंने जुलूस निकाला। तमिलनाडु में सरकार के उकसावे पर पुलिस ने भीड़ पर लाठी बरसाए तथा गोलियां चलाई जिसमें अनुसूचित जाति का फिलिप नामक व्यक्ति मारा गया।

महोदय, केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कई योजनाएं चला रही है किंतु ये योजनाएं समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को बैंकों से कोई ऋण नहीं मिल रहा है। बैं अतंतः उन्हें ऋण देने से मना कर देते हैं। वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से जमानत मांगते हैं। परमाकुदी में एक घटना में एक निर्दोष लड़की जिसका नाम पंजावरनम था तमिलनाडु की सत्तारूढ़ 'डीएमके' पार्टी की अक्षमता के कारण मारी गई।

अब मैं तमिलनाडु से प्रवास करके कई वर्षों से मुम्बई में बस गए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्हें पूरे देश में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को संबंधित राज्य द्वारा निर्गत मूल प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने पर प्रमाण-पत्र जारी करने के केन्द्र सरकार के आदेश के बावजूद सामुदायिक प्रमाण-पत्र नहीं मिल सका। मैं केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र में प्रवास कर रहे अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी के माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करता हूं।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु में निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का प्रबन्धन आरक्षण नीति को लागू करने में असफल रहा है। इसकी मांग अनुसूचित जाति के 3000 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं को प्रदर्शित करता है।

हम अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। महोदय, मैं यहां तमिलनाडु के महानतम कवि महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"जादीगल इलैयादि पापा
कुला थाझची उयारचि सोलाल पावम"

मैं कवि भारतीदसन की एक दूसरी कविता का उद्धरण भी देना चाहता हूं :

"इस्तारैयिल उल्लाथदा उलागम
साथी इरुक्किन्द्राथेनबौम इरुक्किन्द्रेन"

महोदय, अपने पहले भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर वह कम से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा॰ पुराची थल्लेवी के कुशल नेतृत्व में पूरी तरह ए॰आइ॰ए॰डी॰एम॰के॰ दल को वोट दिया है। हमारे दल के पांच सांसद हैं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का डी॰एम॰के॰ दल का कोई संसद सदस्य नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डा॰ पुराची थल्लेवी के कुशल नेतृत्व वाली भूतपूर्व ए॰आइ॰ए॰डी॰एम॰के॰ सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी लोगों का पूरा ध्यान रखा। हम केवल इससे ही समझ सकते हैं कि डा॰ पुराची थल्लेवी ही इन वर्ग के लोगों के मसीहा हैं। उनका इन वर्ग के लोगों को राज्य सभा में भी प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु भी अध्यधिक मंशा है। लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री और डी॰एम॰के॰ दल की इन वर्गों से एक भी सदस्य का प्रतिनिधित्व देने की मंशा नहीं है। इससे हमारे नेता तथा डी॰एम॰के॰ के नेता श्री एम॰करुणानिधि के बीच अंतर स्पष्ट होता है।

जैसा कि जैन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि डी॰एम॰के॰ पार्टी तथा इसके प्रमुख का न सिर्फ श्री राजीव गांधी की हत्या में हाथ है बल्कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्दोष लोगों की हत्या में भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गत दो वर्षों के दौरान इन वर्गों के लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचार की जांच करने हेतु एक जांच समिति गठित करे तथा तमिलनाडु की डी॰एम॰के॰ सरकार के खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री टी॰ आर॰ बालू : महोदय, ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ दल के सदस्यों ने अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है। अपने पहले भाषण का फायदा उठाकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। इसे मैं रिकार्ड में रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री आर॰ एस॰ गवई (अमरावती) : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से संबंधित है।

मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु सेवाओं, शिक्षा भूमि, उद्योग, वाणिज्य आदि के क्षेत्र में उत्थान तथा कल्याण हेतु संविधान में की गई व्यवस्थाओं के संबंध में ही अपनी बात सीमित रखूंगा।

भारतीय संविधान में उपलब्ध सुरक्षोपाय का एकमात्र उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के लोगों को अन्य लोगों के बराबर लाना है। जैसाकि श्री बूटा सिंह जी द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह सहानुभूति नहीं दुःख की बात है, यह उनके वैध अधिकार की बात है। ऐसा क्यों है? उनके बिना किसी गलती के उन्हें केवल जातीय विद्वेष के कारण परेशानी उठानी पड़ती है तथा राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग रहना पड़ता है। अतः भारतीय संविधान के निर्माताओं विशेषकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डा॰ बाबा साहेब अम्बेदकर ने इस पर ध्यान दिया। इस सुरक्षोपाय की व्यवस्था सिर्फ उन्हें अन्य लोगों के बराबर लाने के उद्देश्य से किया गया है।

महोदय, सबसे पहले मैं सेवा संबंधी मामलों की बात करूंगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि कार्मिक और प्रशिक्षण द्वारा लगभग 5 अथवा 6 ज्ञापन जारी किए गए हैं, अतः संविधान की भावना के अनुरूप ये नहीं है तथा यह इसका उल्लंघन हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 30 जनवरी, 1997 को एक आदेश जारी किया गया जो भारत सरकार बनाम वीरपाल सिंह से संबंधित है। इस मामले में यह कहा गया है कि यदि अनुसूचित जाति वर्ग के किसी उम्मीदवार को किसी उच्च पद अथवा ग्रेड में सामान्य वर्ग के उससे वरिष्ठ किसी उम्मीदवार से पहले पदोन्नति दी जाती है तो इसके पश्चात् उसी उच्च पद पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पदोन्नत किए जाने के पश्चात् सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की वरीयता बहाल रखी जायेगी। यह समान्य वर्ग के उम्मीदवार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार की वरीयता तथा पदोन्नति के अवसर का हनन किया जाना मात्र है।

कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस मामले पर दिए गए अद्यतन निर्णय को ध्यान में नहीं रखा। यह केवल संविधान में उपलब्ध सुरक्षोपाय की अवहेलना करना है। यह 7 मई 1997 को जगदीश लाल तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य मामले में दिए गए निर्णय की भावना से खिलाफ है। इसमें यह कहा गया था कि उच्च ग्रेड में पदोन्नत होने के पश्चात् आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से वरिष्ठ हो सकते हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दूसरा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 जुलाई 1997 को जारी किया गया तथा यह आर॰के॰ सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य और जे॰सी॰ मल्लिक बनाम रेल मंत्रालय के मामले से संबंधित है। लेकिन विभाग द्वारा यह ध्यान नहीं रखा गया कि यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अर्थात् श्री आर॰के॰ सब्बरवाल और पी॰एस॰ गेहलोत के लिए प्रासंगिक है। यह टिप्पणी की गई है कि सामान्य उम्मीदवारों के साथ स्पर्द्धा करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की गणना आरक्षित श्रेणी के पदों के स्थान पर सामान्य श्रेणी के पदों पर की जायेगी। कार्यालय ज्ञापन में कही गई बात निर्णय के विपरीत है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यालय ज्ञापन को वापस ले तथा निर्णय में कही गई बात को ध्यान में रखते हुए एक नया कार्यालय ज्ञापन जारी करे।

तीसरा कार्यालय ज्ञापन 22 जुलाई, 1997 को जारी किया गया। यह कार्यालय ज्ञापन उच्चतम न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात् जारी किया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन में यह कहा गया है कि दी गई छूट रियायत इत्यादि वापिस ले ली गई है। इस मुद्दे पर श्री राम विलास पासवान ने अपनी बात कही है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि आपको अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पदों में निष्पादन के मूल्यांकन के स्तर पर ध्यान देना है। अतः 22 जुलाई को जारी कार्यालय ज्ञापन निश्चित रूप से वापिस लिया जाना चाहिए।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 13 अगस्त, 1997 को एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है इसमें यह कहा गया है कि पदोन्नति के मामले में वर्तमान आरक्षित पद सिर्फ समूह 'क' स्तर तक हैं उसके पश्चात् नहीं। यह अनुच्छेद 16(4ए) की भावना के प्रतिकूल है। तथा यह निर्णय इस सर्वोच्च सभा द्वारा संविधान के 27वें संशोधन के माध्यम से लिया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को क्या अधिकार प्राप्त है। यह संसद द्वारा लिए गए निर्णय का अपमान है। पूरे संसद द्वारा इस मामले पर विरोध प्रकट करना चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संसद द्वारा लिए गए निर्णय के प्रतिकूल कोई निर्णय क्यों लिया जायेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यालय ज्ञापन को वापिस ले तथा संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित संविधान के 27वें संशोधन का सम्मान करे। कृपया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को संसद के इस निर्णय की अनदेखी करने की अनुमति न दें।

[श्री आर. एस. गवई]

29 अगस्त, 1997 को जारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में यह कहा गया है कि पूर्व की रिक्तियों को भरने हेतु चलाई जा रही विशेष भर्ती अभियान को जारी नहीं रखा जा सकता है। वे आरक्षण नीति की समाप्त करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च बनाम के एल नरसिम्हा मामले में दिए गए निर्णय की अनदेखी की है। इस निर्णय में यह कहा गया है कि विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरे जाने वाल पिछले पद इन पदों को एक वर्ष के अंदर 'कैरी फारवार्ड' करने तथा 50 प्रतिशत के कोटा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि यह कार्यालय ज्ञापन वापस लिया जाना चाहिए।

जैसाकि मैंने पहले ही अनौपचारिक तौर पर उल्लेख किया है कि 'की गई कार्यवाही रिपोर्ट गैर-अधिकारिक रूप से प्रकाशित हुई है। लेकिन यह इस सभा का आपमान है कि इसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है। वैसे भी उनकी दलील क्या है? उनकी यह दलील है कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है, यह इस देश का कानून है तथा यह उदाहरण उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है लेकिन साथ ही साथ वे उच्चतम न्यायालय की भावना के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। एक स्पष्ट मुद्दा यह है कि क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अथवा न्यायालय द्वारा लिए गए किसी निर्णय की भारतीय संविधान के तहत समीक्षा की जा सकती है।

यदि इन कार्यालय ज्ञापनों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संविधान के मूलभुत ढांचे की भावना का उल्लंघन किया गया है तो इस अतिक्रमण की इस सर्वोच्च सभा द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि हमें एक व्यापक विधान बनाना चाहिए जिसमें प्रारंभिक भर्ती आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, 'कैरी फारवार्ड' पद भरे जाने और इससे संबंधित मामले जैसे प्रशिक्षण स्थानांतरण तैनाती और प्रतिनियुक्ति इत्यादि में अनुसूचित जातियों की समस्याओं से निपटते हुए इसे संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जायेगा। संबंधित अधिकारी को भी उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। उन्हें अपनी सनक के अनुसार निर्णय नहीं लेने चाहिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति जाति के आधार पर सनक के साथ पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। मै सरकार से इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह करता हूं।

इसे आरक्षण संबंधी व्यापक अधिनियम में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और उसमें प्रतिष्ठानों और न्यायपालिका के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए जैसा कि मेरे मित्र ने पहले उल्लेख किया था। आमतौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों की यूनियनों और एसोसिएशनों को मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए वे यह सिद्ध करने के लिए अपने प्राधिकारियों के पास जाते हैं कि उनके कार्य का प्रयोजन सामाजिक है और मजदूर संघ का दृष्टिकोण उदासीन है। विभिन्न विभागों को आगे आना चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की एसोसिएशनों अथवा संगठनों को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।

जैसाकि मेरे मित्र श्री राजा जो श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, ने पहले उल्लेख किया है, हमें अत्याचारों के स्वरूप पर ध्यान देना होगा। आज समाचार पत्रों में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधान परिषद के कुछ सदस्यों के सामने मोंदन में एक लड़की के साथ छेड़-छाड़ की है। वस्तुतः मुझे सही बात की जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे जो हुआ हो जिस तरह के अत्याचार होने की बात उन्होंने की है, उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री टी॰ आर॰ बालू : यह बात एकदम गलत है। आप मेरी बात नहीं समझ पाए हैं।

श्री आर॰ एस॰ गवई : हमें इस घटना को भूल जाना चाहिए। अत्याचारों की प्रकृति जानकर सरकार क्या करेगी? इस संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार निवारण अधिनियम है।

एक माननीय सदस्य : सिविल प्रोटेक्शन अधिनियम।

श्री आर॰ एस॰ गवई : जी नहीं, वह अलग बात है। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार निवारण अधिनियम की बात कर रहा हूं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि एक पुलिस उपनिरीक्षक को अत्याचारों की सुनवाई करके आरोप पत्र तैयार करना पड़ा। अतः मेरा कहना यह है कि शीघ्र मुकदमा चलाने और तुरन्त निर्णय के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

अब मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर आता हूं। यदि आप संविधान के अनुच्छेद 335 को देखें तो इसमें कहा गया है कि सरकार और माननीय अध्यक्ष का दायित्व है कि ऐसी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएं। उन रिपोर्टों पर चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत दुखद स्थिति है।

मेरे माननीय मित्र श्री बूटा सिंह जी के पास की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट है। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें यह रिपोर्ट कैसे मिली। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। मैं रिपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं? लेकिन मैंने यह रिपोर्ट पढ़ ली है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखे बगैर प्रकाशित हो गई है और ग्रंथालय को भेज दी गई है। यह सभा का अपमान है। इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्टों पर पिछले दस वर्षों से चर्चा नहीं की जा रही है। रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने की सदस्यों के न्यायोचित अधिकार और उस पर चर्चा कराने की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही है।

अपराह्न 5.01 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्हें यहां पर उपस्थित होना चाहिए। मुझे आशा है कि वह बाद में यहां आएंगी। मैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से संबंधित मामले पर बाद में बात करूंगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के मन में यह धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि उनके अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है।

भूमि सुधारों के इस युग में पट्टेदारी, भूसीमा और गरीब लोगों को आबंटित भूमि के बारे में क्या हुआ? कुछ सरकारी कर्मचारी मुझे दीर्घा में मिले और उन्होने मुझे अपने अभ्यावेदन दिये उन्होंने कहा कि उन्हें भूमि आबंटित की गई थी, पट्टे जारी किए गए थे लेकिन उन्हें बाद मे वापिस ले लिया गया है।

हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अन्य लोगों के बराबर लाने का प्रयास करना होगा। अतः उन्हें वाणिज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। उनके न्यायपालिका में प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। संविधान के दायरे में न्याय दिया जाना चाहिए। न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं है। यह एक जाति विशेष का एकाधिकार है। क्यों? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ भी न्याय होना चाहिए।

मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। माननीय राज्य मंत्री जी सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि कोई उन्हें मेरी भावनाओं से अवगत करा देगा। वह डा॰ बाबा साहिब अम्बेडकर फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं। फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिबों के लाभ के लिए बनाई गई हैं। विभाग के नौकरशाह डा॰ बाबा साहिब अम्बेडकर फाउंडेशन के दैनिक कार्यों में हर रोज बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। नौकरशाहों का दृष्टिकोण जाति आधारित है वे नहीं चाहते हैं कि डा॰ बाबा साहिब अम्बेडकर फाउंडेशन कार्य करता रहे। वे बजट आबंटन में कटौती करते हैं, योजना को बिगाड़ देते हैं और मंत्रियों के मन में दुर्भावना भरते है। यद्यपि मुझे इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैं इस फाउंडेशन का सदस्य था। 10 अगस्त को एक बैठक निर्धारित की गई थी लेकिन नौकरशाहों की सलाह पर यह बैठक टाल दी गई। उन्हें इस बात का डर था कि यदि बैठक होती है और यदि उनके दृष्टिकोण का पता चल गया तो उन्हें दण्डित किए जाने की संभावना है। इसलिए यह बैठक टाल दी गई।

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाड़े : फाउंडेशन के कार्यालय से डा॰ बाबा साहिब अम्बेडकर का चित्र हटाया जा रहा है।

श्री आर॰ एस॰ गवई : मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि फाउंडेशन के कार्यालय से डा॰ बाबा साहिब अम्बेडकर का चित्र हटा दिया गया है। शायद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के कार्यालय से बाबा साहिब का चित्र हटाया गया है फाउंडेशन के कार्यालय से नहीं।...*(व्यवधान)* यह जानकारी हाल ही में इस सभा के एक माननीय सदस्य ने दी थी।

जैसा कि श्री राम विलास पासवान जी ने बताया है मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। पहले इसका नाम कल्याण मंत्रालय था और अब इसका नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। बड़े खेद की बात है कि जिस विभाग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ध्यान रखना चाहिए था और सामाजिक न्याय दिलाना चाहिए था वही विभाग अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय कर रहा है।

अपराह्न 5.06 बजे

[श्री पी॰ एम॰ सईद *पीठासीन हुए*]

मैं सरकार, प्रधान मंत्री जी और सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर ध्यान दें। मैं आमतौर पर सभी संसद सदस्यों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित संसद सदस्यों से इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए सतर्क रहने और जो भी गलत कार्य होता है उसका विरोध करने के लिए तत्पर रहने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

श्री टी॰आर॰ बालू : जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के निर्णय का क्या हुआ?

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। वे इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा में आज हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की अर्थ-व्यवस्था भी अगर जाति पर आधारित है तो इस देश की समाज-व्यवस्था भी जाति पर आधारित होकर रह गई है, यह हम सब जानते हैं।

आज कर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार मनुष्य की कीमत मानी जाती है। हजारों वर्ष पुरानी मान्यताओं के कारण जाति के नाम पर अधिकार मिलते हैं और जाति के नाम पर ही अधिकार छीन लिए जाते हैं। जाति के नाम पर मान दिया जाता है और जाति के नाम पर अपमानित भी किया जाता है। इसी तरह अधिकारों का हनन भी जाति के नाम पर ही होता है। जाति के आधार पर लोग शिक्षित और अशिक्षित होते हैं। हमने देखा है कि जाति के नाम पर ही एक व्यक्ति को ऊंचा या नीचा समझा जाता है। भारतीय समाज की यह व्यवस्था हजारों वर्ष पुरानी है और इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज तक अपने अधिकारों

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

से वंचित रहे हैं। जिस जगह पर उन्हें पहुंचाना चाहिए, वहां वे नहीं पहुंच पाएं।

जहां तक साक्षरता का सवाल है, इस क्षेत्र में भी 1991 की आबादी के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13.82 करोड़ थी, उसमें 7.70 करोड़ पुरुष और 6.12 करोड़ महिलाएं थीं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6.77 करोड़ थी जिसमें से 3.33 करोड़ पुरुष और 3.44 करोड़ महिलाएं थीं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज उस आबादी में, अनुसूचित जाति में 16.49 प्रतिशत और आज अनुसूचित जनजाति में 8.1 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। भारत की आजादी के बाद यदि एस॰सी॰ और एस॰टी॰ को शिक्षा सही रूप में मिली होती तो आज यह हालत न होती। बहुत से लोगों ने कहा कि दस साल के लिए जो रिजर्वेशन था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ।

भारत को आजाद हुए पचास साल हो गए, लेकिन विभागों में आज भी कोई सैक्रटरी लैवल तक नहीं पहुंच पाया है। क्लास-2 में भी पदों को भरा नहीं गया है। रिजर्वेशन केवल क्लास-4 में पूरा हुआ है। इसके अलावा किसी भी श्रेणी में आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं। वहां अनुसूचित जाति के 61.07 प्रतिशत लोग शिक्षित हुए हैं और राज्यों की स्थिति में गुजरात का स्थान चौथे स्थान पर आता है। सबसे पहले केरल, दमन और दीव, मिजोरम और दादरा नगर हवेली का स्थान है। कुछ काम हुआ है, लेकिन आतंक अभी भी कम नहीं हुआ है। दक्षिण में शिक्षण ज्यादा है, लेकिन दलित लोग फिर भी परेशान हैं। मेरे से पूर्व वक्ता ने दक्षिण में अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया। मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के चन्द्रपुर गांव में 10 फरवरी, 1996 के दिनकुशोराम नाम के व्यक्ति ने एक भूमिपति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस व्यक्ति ने आवाज लगाई कि इस मंदिर का ट्रस्ट बनना चाहिए, क्योंकि वह भूमिपति मंदिर की जमीन का दुरुपयोग कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि उसके लड़के को इतना मारा गया कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। इसी प्रकार 8 अगस्त, 1995 को सेलम जिले में पांच साल की बच्ची की आंख उसके अध्यापक द्वारा निकाल ली गई। कारण यह था कि उसने ऊची जाति के बच्चों के लिए पानी पीने के गिलास से पानी पिया। तमिलनाडु में थेवर जिले के मिलगापुर गांव में जब एक बूढ़ी मां से पत्रकार ने पूछा, तो उसने जवाब दिया कि हम पैदा ही क्यों हुए। वह अस्सी साल की बूढ़ी मां है, जो कहती है कि हमारे लोगों को तालाब में नहाने नहीं दिया जाता है, गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है और न ही मंदिरों में जाने दिया जाता है। इतना ही नहीं, बस अड्डों पर हम लोग छाया में भी नहीं खड़े हो सकते हैं। पचास साल की आजादी के बाद देश की यह हालत है। कितनी दयनीय स्थिति इन लोगों की है।

महोदय, अगर आप भी इन गांवों में जायेंगे, तो इन लोगों की स्थिति को देखकर आप की आंखों में भी पानी भर जाएगा। यह सही है कि बड़े-बड़े शहरों में छूआछूत कुछ कम हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में अच्छे कपड़े पहने हुए और हिन्दी-अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गांवों में स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। सामाजिक स्थिति और महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा इस सदन में हुई है। आप देखें, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, वे कौन सी महिलाओं पर होते हैं। ये अत्याचार कोई सवर्ण जाति की महिलाओं पर नहीं हुए हैं, ये अत्याचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर हुए हैं। इन महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसके साथ-साथ प्रमोशन के मामले में रामविलास पासवान जी ने सदन को जानकारी दी कि किस प्रकार अन्याय हो रहा है। अहमदाबाद में आल इंडिया रेडियो के एक आफिसर का यहां ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग खेतों में काम करते हैं, लेकिन खेतों के मालिक नहीं हैं। करखानों में काम करते हैं, लेकिन कारखानों के मालिक नहीं हैं। ईंट के भट्टों में काम करते हैं, लेकिन उसके मालिक नहीं है। टैम्पों चलाते हैं, लेकिन टैम्पों के मालिक नहीं हैं। बहुमंजिली इमारतें बनाते हैं, लेकिन झुग्गी-झौंपड़ियों में रहते हैं। चारपाई बनाते हैं, लेकिन नीचे सोते हैं।

जो जूते बनाते हैं, वे जूते पहन नहीं सकते। वे नंगे पांव घूमते हैं। जो कपड़े बनाते हैं, वे अपने शरीर को ढक नहीं सकते।... *(व्यवधान)* थोड़ा सा परिवर्तन आया है, जैसा मैंने पहले कहा है कि वह आरक्षण के कारण आया है। लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं आया है। इन वर्गों के बीच की जो खाई है वह कम होनी चाहिए, अभी तक वह खाई कम नहीं हुई है। बल्कि दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। इतनी विषमताओं के बाद भी दलितों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। विदेशों से सांठ-गांठ नहीं की। वे देश के लिए मरने-मिटने के लिए तैयार हैं। दलितों में कोई भी आतंकवादी नही बना, दलित उग्रवादी नहीं बने हैं। इतना ही नहीं, दलित भू-माफिया नहीं बने, कभी हमलावर भी नहीं बने। वे एनआरआई नहीं हैं। इन लोगों का विदेश में धन नहीं है। इन्होंने कभी देश के साथ द्रोह नहीं किया, ये निरंतर सेवा और निर्माण के कार्य में लगे रहे। फिर भी अन्य वर्गों के दिल और दिमाग में दलितों के प्रति जो भावना और प्रेम होना चाहिए, वह नहीं है।

महोदय, मैं खुशी के साथ कह रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देश के आदिवासी और दलितों के अंदर विश्वास पैदा किया है और उस विश्वास के कारण जो इस साल का बजट आया है उसमें उन्होंने दलितों के लिए छात्रावास की सुविधा दी है। छात्रावास बनाने के लिए धन आबंटित किया गया है। अगर पहले प्राइमरी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया गया होता तो यह हालत न होती। हमारे यहां साक्षरता बहुत कम रही है, इसलिए आज यह हालत है। लाखों लोगों को रोजगार देने का वचन दिया है। इन्होंने गुजरात में अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं एवं नवयुवकों की पढ़ाई के लिए सभी को साइकिल देने का निर्णय किया है। 50 प्रतिशत लोगों

को तो साइकिल दे दी गई हैं बल्कि इनका सौ प्रतिशत लोगों को देने का विचार है।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका समय बढ़ना चाहिए, अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई। फिर भी मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बाजूबन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में बोलने का मुझे अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम इस देश की 22 प्रतिशत जनसंख्या की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इतिहास पर गौर करेंगे तो यह पायेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग कृषक थे अथवा खेतिहर मजदूर थे। परन्तु स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद वे अधिकांश खेती योग्य भूमि गंवा चुके हैं। इस समय उनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अधिकांश लोगों को वनों पर आश्रित रहना पड़ता है। पूर्वोत्तर में आदिवासी लोग ऊंची भूमि में खेती करते हैं। ऊंची भूमि की खेती के लिए उनको वन क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु वन क्षेत्र प्रतिदिन घटता जा रहा है। पूर्वोत्तर में आदिवासियों के लिए बहुत कम समतल भूमि उपलब्ध है। अतएव उनका जीवनस्तर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में अधिकांश लोग आदिवासी हैं। केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी इनके आर्थिक स्तर के उन्नयन के लिए कई योजनाएं बनायी हैं। परन्तु मुझे आशंका है कि या तो इन योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है अथवा ये योजनाएं सफल नहीं हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में यह देखा जा सकता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस वर्ग के लिए आबंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त पड़ा रहता है। इस प्रकार से अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के उन्नयन के लिए प्रयास असफल हुये हैं। ऐसी बात नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से कोई अवगत न हो। सरकार उनकी समस्याओं से अवगत है। केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर कई समितियां गठित की गई हैं और इस समय भी कई बहुमूल्य सुझाव उपलब्ध हैं। परन्तु यदि हम इस तथ्य की जांच करेंगे कि इनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई तो यह पायेंगे कि इनमें से अधिकांश सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है अथवा उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है। अतएव आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति बहुत ही खराब है।

संवैधानिक उपबंधों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कतिपय आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। परन्तु सभी विभागों में रिक्तियां बकाया हैं। मैं प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं बल्कि चतुर्थ श्रेणी, जहां निम्न शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है, के संबंध में भी कोटा पूरा नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एक संसदीय समिति भी है। इस समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों और कतिपय सरकारी विभागों की जांच की और यह पाया कि किसी भी श्रेणी में शत प्रतिशत कोटा पूरा नहीं है।

महोदय, आदिवासी लोग वन पर आश्रित रहते हैं और क्योंकि वहां लघु वन उत्पादों को एकत्रित करने की सम्भावना होती है। इस समय देश के अधिकांश भागों में इसकी अनुमति नहीं है।

संविधान की छठीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। हमारे देश के पूर्वोत्तर हिस्से में अर्थात् असम, मिजोरम और त्रिपुरा में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं सरकार से आदिवासी लोगों के जीवनस्तर के उन्नयन के लिए आग्रह करता हूं। स्वायत्त परिषदों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि वे सुचारु रूप से कार्य कर सकें। बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में और कुछ अन्य हिस्सों में जहां आदिवासियों का संकेद्रण हो, केन्द्र सरकार द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त परिषदों का गठन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एस॰सी॰, एस॰टी॰ की प्राबलम पर बोलने का मौका दिया। माननीय राम विलास पासवान जी और दूसरे सदस्यों ने एस॰सी॰, एस॰टी॰ की प्राबलम पर बड़े विस्तर से रोशनी डाली है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। आज शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होता है, उनको देख कर यही कहा जा सकता है कि

"हादसे इतने हैं वतन में,
अपने खून से छप कर अखबार निकल सकता है,
तुम तो ठहरे ही रहे झील की तरह,
दरिया बन कर निकलते तो बहुत दूर निकल सकते थे।"

50 साल की आजादी के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की आर्थिक, राजनीतिक दशा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जितनी बुरी दशा इन लोगों की है, दुनिया के किसी समाज की ऐसी हालत नहीं होगी—चाहे वह न्याय का मामला हो या उनके साथ होने वाले अत्याचार का मामला हो। ऐसी घटनाएं ज्यादा से ज्यादा इन लोगों पर होती हैं। यहां जितनी भी सरकारें आई, वे लोग उन सरकारों की दया पर ही निर्भर रहे। इनके कल्याण के लिए कार्यक्रम बनने चाहिएं। इनका रहन-सहन इनकम के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। इस बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी ट्रैंड बदलना चाहिए। उन्हें इस बारे में अपनी सोच बदलने की जरूरत है। डाक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि—

[अनुवाद]

"सम्मानपूर्वक जीने के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यदि आप अन्याय और अमानवीय

[श्री सतनाम सिंह कैंथ]

> *व्यवहार के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आपको अपने पिता की क्रूर हत्या और अपनी बहन के साथ बलात्कार को देखने से पहले ही मर जाना ही बेहतर होगा।* आपको मुक्ति केवल उसी समय मिलेगी जब आप तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा अत्याचार को समाप्त करने के लिए शक्ति जुटा लेंगे और अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी आवाज उठा पायेंगे।"

[हिन्दी]

यहां हमारे साथियों ने कहा कि ऐसी जातियों से सम्बन्ध रखने वाले जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता। किसी भी कौम की तरक्की के लिए पांच चीजों की जरूरत होती है—लैंड, ब्यूरोक्रेसी, तेल, कॉमर्स और इंडस्ट्री। जब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि इनका शेयर न के बराबर है। हमारा पब्लिक सैक्टर हर क्षेत्र में फेल हो रहा है। प्राइवेट सैक्टर में चाहे स्कूल हों, कालेज हों या इंडस्ट्रीज हों, उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि इन्हें रोजगार का मौका मिल सके। प्रो॰ बोडसंकी अमेरिका के बहुत ग्रेट इकोनमिस्ट थे। उन्होंने जापान इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया की कैम्परेटिव स्टडी की थी। उन्होंने कहा था कि नैचुरल रिसोर्सिज, मैन पावर, रा-मैटिरियल दुनिया में उतने कहीं नहीं हैं जितने इंडिया में हैं लेकिन फिर भी भारत गरीब है। उन्होंने इस बारे में एक किताब भी पेण्णस्वालिनिया लिखी थी। उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

> "यदि लोगों के रवैये को बदले बिना ओहियो के सभी कारखानों को एक ही रात में स्थानांतरित करना संभव होता तो देश अब से दो दशक बाद भी ऐसी ही स्थिति में होता"

[हिन्दी]

हम जब तक इन लोगों की दशा नहीं बदलते, सोच नहीं बदलते, इन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, एस॰सी॰ और एस॰टी॰ की प्राबलम में चाहे ऑल इंडिया लैवल पर रिजर्वेशन एक्ट बनाने की बात हो, इसके लिए पहले बैकलॉग को पूरा करना आवश्यक है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं पर दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

आज विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यह कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन रिजर्वेशन का आधार इकोनमिक होना चाहिए। ऐसे एम॰पीज॰ और दूसरे लोगों की सोच शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सही नहीं है। आजादी के 50 साल बाद भी देश में ऐसी समस्या रहेगी तो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। आज देश के लोगों में चेतना बढ़ रही है। *कमजोर वर्ग के लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इनके वैलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इन लोगों की प्राबलम को सॉल्व करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने चाहिएं। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सैट-अप को* मजबूत करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (फूलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं को श्री राम विलास पासवान द्वारा दिये गये विचारों से सम्बद्ध करते हुये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, वैसे तो अनुसूचित जातियों पर अत्याचार बहुत होते हैं लेकिन अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा में, इलाहाबाद के अनुसूचित जाति के एक जज के स्थानान्तरण के बाद उसकी जगह आये दूसरे जज साहब ने अपनी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया था, वह मामला उठा था। इसी तरह इलाहाबाद के यूनियन बैंक में वहां के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो आफिस में लगाया हुआ था जिसे वहां के मैनेजर ने जबरदस्ती हटा दिया। इस तरीके से पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनायें होती हैं। इन घटनाओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कुछ तो अखबारों में छप जाती हैं और कुछ रह जाती हैं। कुछ लोग पुलिस में रिपोर्ट करने से इसलिये डरते हैं क्योंकि पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उनको परेशान ज्यादा करती है।

सभापति महोदय, यद्यपि इस देश को आजाद हुये 50 वर्ष हो गये हैं लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दलित एवं शोषित समाज लाचार और गुलाम क्यों है। इनकी लाचारी और गुलामी को हल करने के लिये क्या किया जा सकता है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दलितों का उद्धार करने के लिये जीवन-पर्यन्त संघर्ष किया था। उस संघर्ष को बढ़ाने के लिये उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलामी और लाचारी से निजात पाने के लिये उनकी शिक्षा पर जोर दिया था।

सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के आपस के भेद के बारे में भी संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक प्रदेश में अनुसूचित जाति है तो दूसरे प्रदेश में पिछड़ी जाति है। अगर एक राज्य में पिछड़ी जाति है तो दूसरे राज्य में वह अनुसूचित जाति हैं। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचारों के संबंध में अधिनियम आया तो उसमें मध्य प्रदेश में धोबी जाति पिछड़े वर्ग में आती है और उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति पिछड़े वर्ग में आती है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला और मध्य प्रदेश का रीवा जिला मिला हुआ है। अगर कुम्हार इलाहाबाद की तरफ धोबी के साथ मारपीट करे तो अनुसूचित जाति एक्ट के अंतर्गत उसका चालान होगा और अगर कोई धोबी रीवा के कुम्हार के साथ मारपीट करे तो एस॰सी॰ एक्ट के तहत एक्शन होगा।

मेरा निवेदन है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों को पुनः चिन्हित करके एकरूपता के आधार पर रिजर्वेशन में रखा जाए। कुछ ऑफिस मेमोरण्डम हैं जिनके बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा कि 30.1.97, 27.7.97, 13.8.97 तथा 29.8.97 के जरिये अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की सर्विसेज में रिजर्वेशन तथा उनके प्रमोशन पर एक बंदिश सी लगा दी गई है। उसे खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति कमीशन की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा गया है। उस पर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अवश्य कार्रवाई करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, जब से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद लोक सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर नियम 193 के तहत यह पहली बार चर्चा हो रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर चर्चा हो रही है तो इस मौके पर माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा केन्द्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं के मामले में गंभीर नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याएं काफी हैं, चाहे हम उसके सामाजिक पहलू को लें, आर्थिक पहलू को लें या राजनैतिक पहलू को लें। मैं सामाजिक पहलू के बारे में अपनी बात रखते हुए बताना चाहूंगी कि इस देश में ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम मनुवादी व्यवस्था के नाम से पुकाराते हैं। मनुवादी व्यवस्था के आधार पर इस देश की सामाजिक व्यवस्था गैर-बराबरी के आधार पर बनाई गई जिसकी वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिन्दगी के हर पहलू में गुलाम और लाचार बनाकर रखा गया। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए और जिन्दगी के हर पहलू में इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समय-समय पर हमारे महान् पुरुषों ने अथक प्रयास किये।

महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज और पेरियार जी ने इन लोगों के उत्थान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की। इन्हीं महापुरुषों की वजह से आज थोड़ा बहुत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मान मिल रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन महापुरुषों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए इतना किया, उन्हीं लोगों की समस्याओं पर सदन में चर्चा हो रही है। इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए इन महापुरुषों ने समय-समय पर संघर्ष किया।

सभापति महोदय, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बी॰जे॰पी॰ की सरकार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन महापुरुषों का बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है, यह मैं इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं। यदि इसमें एक परसेंट भी मेरी कोई बात गलत निकले तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लखनऊ से प्रधान मंत्री जी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आये हैं। महोदय लखनऊ में एक हजरत गंज चौराहा है, जहां एक तरफ बाबासाहेब अम्बेडकर का स्टेचू लगा हुआ है, उसके नजदीक ही महात्मा गांधी जी का स्टेचू लगा हुआ है। उसके थोड़ा और आगे चलें तो बेगम हजरत महल पार्क है, उसके नजदीक एक तरफ नेताजी सुभाष चंद बोस का स्टेचू लगा हुआ है और उसके पास ही परिवर्तन चौक है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ें तो लक्ष्मण पार्क है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो महापुरुषों के बीच में कोई पक्षपात नहीं किया गया, हमने सबको आदर-सम्मान दिया था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ही वहां बी॰जे॰पी॰ की सरकार बनी, तब से हजरत गंज चौराहे से महात्मा गांधी के स्टेचू तक लाइट रहती है लेकिन बाबा साहेब की स्टेचू पर आज भी अंधेरा रहता है। नेताजी सुभाष चंद बोस के स्टेचू पर लाइट रहती है, लेकिन परिवर्तन चौक पर अंधेरा रहता है। बाबा साहेब की याद में लगभग सौ करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत बड़ा पार्क, स्थल बनाया गया, जिसका बी॰जे॰पी॰ सरकार ने कार्य रोक दिया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बी॰जे॰पी॰ के लोग बोलते थे कि हम बाबा साहेब के खिलाफ नहीं हैं, 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब की जयंती थी, इसी पार्लियामेंट के प्रांगण में बाबा साहेब का स्टेचू लगा है, 14 अप्रैल के दिन इस स्टेचू के दर्शन हेतु आम जनता के लिए मुख्य द्वार खोल दिया जाता है, लेकिन लखनऊ में जहां बाबा साहेब के नाम पर गार्डन है, एक स्थल बना हुआ है, 14 अप्रैल के दिन उस गार्डन को बंद रखा गया और लोगों को अंदर जाने से रोका गया। उस दिन उस गार्डन में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हजरत गंज चौराहे और बाबा साहेब के स्टेचू पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि जहां से प्रधान मंत्री जी चुनकर आये हैं, वहां महापुरुषों का अपमान हो रहा है। ऐसे महापुरुष का अपमान हो रहा है जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिन्होंने वीकर सैक्शंस के लिए कार्य किया...*(व्यवधान)* उनका अपमान हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा॰ शास्त्री कृपया व्यवधान न डालें। हमारे पास समय नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि जहां तक अन्याय और अत्याचार का सवाल है, उसे रोकने के लिए कानून की कमी नहीं है, बढ़िया से बढ़िया कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों को इम्पलीमेंट करने वालों की नीयत हमें साफ नजर नहीं आती है। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एस॰सी॰, एस॰टी॰ अन्याय अत्याचार निवारण एक्ट बनाया, लेकिन इस एक्ट का सही मायने में सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं समझती हूं कि अन्याय और अत्याचार करने वालों को इस एक्ट के तहत मुंहतोड़ जवाब मिल सकता है, लेकिन यह दुख की बात है कि इस एक्ट का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में बी॰जे॰पी॰

[कुमारी मायावती]

की सरकार बनी, इस एक्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिए और अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जुल्म और ज्यादतियां होती रहें। जुल्म करने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए बी॰जे॰पी॰ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस एक्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक जी॰ओ॰ जारी कर दिया।

सभापति महोदय, जबकि उत्तर प्रदेश में और भी एक्ट हैं, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फंसाया जाता है, उनके बारे में जी॰ओ॰ जारी नहीं हुआ, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट का जी॰ओ॰ जारी हो गया जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे और उत्पीड़न बढ़ गया। इससे ही हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा साफ नजर आती है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भूमिहीन लोगों को भूमि दी, लेकिन वह भूमि प्रैक्टीकली नहीं दी गई, केवल कागजों में दे दी गई। उसको व्यावहारिक रूप में अमलीजामा नहीं पहनाया गया। इसी प्रकार से रिजर्वेशन के मामले में मैं कहना चाहती हूं कि आज देश को आजाद हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन आज तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं भरा गया और अभी तक बैकलाग चला आ रहा है। हम बार-बार बैकलॉग को पूरा करने की बात कहते हैं, लेकिन बैकलॉग को पूरा करने के लिए नियमों को इम्पलीमेंट करने वालों की मंशा साफ नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश में मौका मिला, तो हमने बैकलॉग को पूरा करने का प्रयास किया और उसको पूरा करने के लिए अभियान चलाया, तो सब पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा। ये सिर्फ बात करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके पेट में दर्द होता है कि इनको क्यों नौकरियां मिल रही हैं। ये सब पार्टियां बढ़िया-बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन इनके दिल में कपट और छल भरा है।

सभापति महोदय, भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनके प्रति होने वाले अन्याय तथा अत्याचार को रोकने के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं, बहुत कानून बने हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं है। जब देश का संविधान, देश के प्रथम राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्र प्रसाद को डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर ने सौंपा, उस मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान किसी देश का कितना ही बढ़िया क्यों न हो, अगर उस संविधान को लागू करने की नीयत साफ नहीं होगी, तो बढ़िया से बढ़िया संविधान, घटिया से घटिया साबित हो सकता है।

सभापति महोदय, आज देश की सरकार संविधान को ठीक प्रकार से लागू करके अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में कानूनों को भलीभांति प्रकार से लागू नहीं कर रही है जिसके कारण उनको बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आज सरकार के जितने भी विभाग और मंत्रालय हैं, उनमें जितनी भी सुविधाएं और सहूलियातें देने की बातें कही गई हैं, जो नियम कानून बने हैं, वे सब कागजों में हैं। उनका व्यवहार में प्रयोग नहीं होता है। यदि उनको सही मायनों में इम्पलीमेंट किया जाए, तो मैं समझती हूं कि उनकी सब समस्याओं का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं दूर की बात नहीं कहती, इसी पार्लियामेंट के अनुसूचित जाति और जनजाति के अनेक छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला और रिजर्वेशन का कोट पूरा नहीं हुआ। मुझे अनेक ऐसे लोग इसी संसद भवन में मिले, जिन्होंने बताया कि हमारा कैरेक्टर रोल खराब करके हमारी प्रमोशन रोक दी जाती है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जब तक कानून और नियमों को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक उनको फायदा इनको नहीं मिल सकता है।

सभापति महोदय, हमें महान पुरुषों के प्रयासों के कारण आरक्षण मिला और मैं यहां तक कहना चाहती हूं कि यदि बाबा साहेब अम्बेडकर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं करते, आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस॰ में हम लोगों को जाने का मौका मिलता ही नहीं। नियम और कानून होने के बाद जब आज यह स्थिति है कि परीक्षा देते हैं और क्वालीफाई करते हैं, तो भी उनको सीनियारिटी के हिसाब से जो मौका मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता और वे नीचे के पदों पर, यानी मातहत के पदों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, यही हाल है। इसी प्रकार से जुडीशियरी में देख लीजिए, यही हाल है। कहीं भी कोटा पूरा नहीं किया गया है। हर विभाग और मंत्रालय में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक और बात कहना चाहती हूं। राजनीतिक दृष्टि से हर पार्टी के मैम्बर अनुसूचित जाति और जनजाति से चुनकर आते हैं, लेकिन उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब उनके हितों की बात आती है, तो सब दूर भाग जाते हैं। अभी महिला आरक्षण विधेयक के समय, जब अनुसूचित जाति और जनजाति, बैकवर्ड तथा मायनिरिटीज की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने की बात सामने आई, जब हमने सदन के समक्ष इस पक्ष को रखा, तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष में ऐसे अनेक तो जो शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बेकवर्ड क्लास के मैम्बर पार्लियामेंट हैं, वे कहने लगे कि मैडम आप अच्छा इश्यु उठा रही हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं।* मैं कहना चाहती हूं कि जब तक शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर पार्लियामेंट विभिन्न पार्टियों में...बनकर काम करते रहेंगे तब तक आप अपनी कौम का भला नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)* हमें यह हथकड़ियां

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

तोड़नी होंगी।...*(व्यवधान)* मैंने आपके माध्यम से जो बातें रखी हैं, वे कड़वी जरूर हैं...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है...*(व्यवधान)* अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का भला करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।..*(व्यवधान)*

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप...शब्द को वापस लेने के लिए कहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है...वे असंसदीय है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जहां तक मेरे साथियों का ताल्लुक है तो उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में काफी कुछ बताया है। मैं कुछ बातें यहां अर्ज करना चाहता हूं। यदि आप नौकरियों में देखें तो वहां पर अनुसूचित जाति-जनजाति का बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। मैं भी उसी कमेटी का चैयरमैन रहा हूं। इस कारण मैं सारे हिन्दुस्तान में गया और मैंने देखा कि भारत सरकार के हर विभाग में अनुसूचित जाति-जनजाति के जितने प्रतिनिधि होने चाहिए, जो रिजर्वेशन पोस्टें हैं, वे पूरी नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे घराने से हैं, अच्छे ढंग से सोचने वाली हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए आपके दिल में हमेशा ख्याल रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर आप खास तौर से ध्यान दें और अनुसूचित जाति-जनजाति का जो बैकलॉग है, उसे पूरा कराने का प्रयत्न करें।

मैं ज्युडिशियरी के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसके बारे में हमारे साथियों ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह ठीक समझता हूं कि निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जायें तो वहां अनुसूचित जाति-जनजाति के जजों की कमी है। वह कम ही नहीं बल्कि न के बराबर हैं मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे लिए रिजर्वेशन का कोटा रखा है, संविधान में प्रावधान किया है तो फिर यह कोटा पूरा होना चाहिए। इसके लिए एक टाइम बाउंड कार्यक्रम होना चाहिए। इसके लिए एक सीमा निर्धारित हो कि इतने समय के अंदर हम इसे पूरा करेंगे। अगर सरकार यह करेगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा।

अभी बहन जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी आपका ही सहयोग था। आप उनसे तिलक और राखी बंधवाने के लिए गये और फिर आपने ही उनके साथ ज्यादती की। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की ज्यादती बंद करें। आज हिन्दुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति-जनजाति पर अन्याय हो रहा है। आप बैंकों में जाइये, रेलवे में जाइये, हर जगह उन पर अन्याय हो रहा है। अभी राम विलास पासवान जी कह रहे थे कि जब मैं मंत्री था तब हमने फटाफट भर्ती शुरू कर दी। अब जटिया जी हैं लेकिन वे लेबर मिनिस्टर हैं। उनके पास मजदूरों का महकमा हैं जो मजदूर बाहर जाते हैं, वे उनकी सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं, उनको भी कही जगह नहीं मिलती है। सारे हिन्दुस्तान में आप रोजमर्रा के अखबारात को पढ़ें और उससे अंदाजा लगायें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ज्यादती महिलाओं पर हो रही है और वह भी अनुसूचित जाति की महिलाओं पर हो रही है।

मैं हैरान हूं और मुझे इस बात का अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले एक हरिजन लड़की, जिसकी उम्र 25 साल के लगभग थी, सड़क पर जा रही थी तो उसे चार आदमियों ने पकड़कर रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसके ऊपर तेल फेंक कर उसे जला दिया वहां पर यह पहला मौका है जब इस तरह की घटना घटी। दिल्ली व अन्य प्रदेशों, महाराष्ट्र, यू॰पी॰ के बारे में जब हम पेपर में पढ़ते हैं तो पता लकगता है कि हर राज्य में महिलाओं के साथ ज्यादती होती है और वे महिलाएं अनुसूचित जाति, जनजाति की होती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपको इनकी शिक्षा, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हमारे बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिले ताकि वे पढ़-लिखकर अपना हक जान सकें।

पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट या और किसी रिपोर्ट पर यहां कभी डिस्कशन नहीं हुई। आज पहली बार डिस्कशन हो रही है, वह भी थोड़े समय के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं हो रही। एक ही पार्टी के मंत्री होने चाहिए। कुछ यहां फालतू बैठकर वाजपेयी जी का गुणगान कर रहे हैं। पुराने हरिजन सदस्य, जो डिजर्व करते हैं, उनको लेना चाहिए। उधार आदमी लेकर कितने दिन चलाएंगे। इम्प्लीमैंटेशन का तरीका गलत है। इस सरकार को अक्ल से काम लेना चाहिए। यदि यह सरकार अक्ल से काम नहीं करेगी तो अपने आप चली जाएगी। हमने बहुत समय देखा है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वह इनको अक्ल दे।

श्री सूरज भान, जो आजकल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी। हमारी भी रिपोर्ट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र जाकर देखा कि एक लड़की ने अपना नाम शैड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में दर्ज करवाया। वह वहां कैपेबल नहीं थी। जब वह दिल्ली आई तो उसने अपना नाम शैड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में दर्ज नहीं करवाया और वह एकदम सलैक्ट हो गई। हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि सूरज की रोशनी यह कहे कि यह शैड्यूल्ड कास्ट है और वह बड़ी कास्ट का है तो मैं मान जाऊंगा। यदि पानी में यह लिखा हो कि शैड्यूल्ड कास्ट के आदमी को नहीं पीना है, दूसरे लोगों को पीना है तो ठीक है। शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की भलाई के लिए सबसे पहले उनके बैकलॉग को पूरा करना चाहिए। लोकसभा में रिजर्वेशन कर दिया लेकिन राज्य सभा में नहीं किया गया। राज्य सभा में भी होना चाहिए। श्री महेश्वर सिंह ने जो बातें कहीं, मैं उनकी सब

[श्री के. डी. सुल्तानपुरी]

बातों का समर्थन करता हूं। हिमाचल प्रदेश में 35 आदमी मार दिए गए जिसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग भी होंगे। हम वहां जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए सारा राष्ट्र चिंतित है। मैंने आडवाणी जी से कल कहा था, इससे पहले भी कहा था कि वहां गड़बड़ी होने वाली है, गड़बड़ी हुई और इतने लोग मारे गए। हिमाचल प्रदेश में यह पहला मौका है जब इस तरह का हादसा वहां चंबा जिले में हुआ।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं यहां सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस क्राइटीरिया को जो ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित जनजाति का एरिया है, इसका विकास करने के लिए ध्यान दें। जो गरीब लोगों को एलाट की हुई जमीन है, उसके लिए आपको चाहिए कि उनके जो पट्टे हैं, वे बनावटी नहीं रह जायें, उनको पूरी तरह से मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए। जिस आदमी के पास जमीन होती है, वह अमीर होता है, जिसके पास जमीन नहीं है, वह कुछ नहीं है। जो किसान हैं, गांवों में काम करने वाले हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इस सरकार से तो उम्मीद कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप सब पार्टी वाले जोर देंगे, 18 पार्टियां हैं, 18 के 18 ही जोर लगाएंगे तो शायद इस सरकार को अक्ल आ जायेगी, नहीं तो ये और ही काम करते हैं।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्रांस गिरी का इलाका है। जिला सिरमौर में बोर्डर का क्वार का इलाका है, वह इलाका उत्तर प्रदेश के इलाके के साथ लगता है। वह पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर उत्तर प्रदेश के लोग ट्राइब घोषित हैं और जो मेरे चुनाव क्षेत्र के हैं, वे ट्राइब में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए हैं, वे हट्टी नाम से जाने जाते हैं। मंत्री जी, हमने पहले सीता राम केसरी जी जब मंत्री थे तो उनको भी उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया, आपको भी दिया। अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने भी इस बात को पास किया है कि उनके ट्राइब एरिया किया जाये, उनको ट्राइब्स के राइट्स दिये जायें।

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह गिरी पार का, ट्रांस गिरी का जो इलाका है, जहां के लोग अपने आपको हट्टी कहते हैं, उनके कस्टम्स एक से हैं, उनके रिवाज एक से हैं। वे लोग एक ही इलाके के रहने वाले थे, वे सिरमौर में आ गये, उनको ट्राइब घोषित करने के लिए और ट्राइब्स को जो सुविधा मिलती है, वह उनको भी मिलनी चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात कही गई कि कई जगह धोबी, कई जगह चमार हैं, यहां हमारे गुजरात के एक साथी ने बताया कि वहां वे अपर कास्ट में कहे जाते हैं, लेकिन वे गुजरात में बैनीफिट उठाते हैं। इस तरह से जो कास्ट में ऊपर हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स की कास्ट्स हैं, उनमें शैड्यूल्ड कास्ट के रहने चाहिए और और जो ट्राइब्स की हैं, वे ट्राइब की कास्ट्स रहनी चाहिए। संविधान के अनुसार उनको जो सुविधा दी जानी चाहिए, वह देनी चाहिए। अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो यह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकेगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर मुझे बोलने का समय दिया। मुझे यही आशा है कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है, यह जाने वाली सरकार है, इसलिए जाने वाली सरकार से अर्ज है. ..*(व्यवधान)* मगर यह जरूर है कि जितने दिन आप यहां बैठे हुए हैं, कम से कम इन कुर्सियों को थपथपाकर ही सपोर्ट विथड्रा करो, इसको आगे बढ़ाने का काम करो ताकि आपको गरीब लोग दुआ देते रहें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद : यह पार्टीवाइज नहीं चल रहा है, कई राउंड परिक्रमा हो गई, न आर॰जे॰डी॰ का, न समाजवादी पार्टी का नाम आया, जबकि नाम आपके पास दिये गये हैं।...*(व्यवधान)* कहां कॉल किया गया?

सभापति महोदय : सिर्फ आर॰जे॰डी॰ का बाकी है। मैंने इधर दो-तीन बार बुलाया।

श्री लालू प्रसाद : कितने ही राउंड चल चुके हैं।

सभापति महोदय : अब नैक्स्ट नम्बर आर॰जे॰डी॰ का है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : जब टाइम मांगते हैं तो लड़ना पड़ता है। लड़ने से ही टाइम मिलेगा क्या?

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। लड़ने का मौका नहीं है। लालू जी, नैक्स्ट उन्हीं का नम्बर आ रहा है।

डा॰ बिक्रम सरकार (हावड़ा) : सभापति महोदय, लोक सभा के सभी अधिवेशनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाती है। यह एक आम चर्चा है। मुझे गृह मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी कार्य को देखने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। 1982-87 तक की अवधि के दौरान मुझे माननीय संसद सदस्यों के साथ बातचीत करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला। हमें राजनीतिक दलों के आधार पर अनुसूचित जनजाति को विभाजित नहीं करना चाहिए। हमें राजनीति में जाकर इसमें प्रवृत नहीं होना चाहिए।

संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की थी। तब से इस बारे में विधि के अनुसार चर्चा की जा रही है। मैंने विधि के अनुसार शब्द का प्रयोग जान बूझकर किया है। क्योंकि वाद-विवाद, विचार-विमर्श, सिफारिशों और सुझावों अथवा संस्तुत सिफारिशों के संबंध में बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जाती है, हम उसी बात को दोहराने के लिए बार-बार मिलते हैं।

स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद भी हम आज यहां इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमने समाचारपत्र में पढ़ा कि तथाकथित ऊंची जाति के कुछ लोगों द्वारा अनुसूचित जाति की महिला का उत्पीड़न किया गया, उसके साथ छेड़खानी की गई और उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। यह बहुत ही दुःखद समाचार है।

मैं अनुसूचित जाति से संबंधित हूं। हम कोई भिक्षा नहीं चाहते हैं हम अपना न्यायसंगत अधिकार मांगते हैं...*(व्यवधान)* जब मैं शैक्षणिक अथवा आर्थिक विकास अथवा अस्पृश्यता को समाप्त करने के पहलू के बारे में बात करता हूं तो मैं अपनी बात अंतिम प्वाइंट से शुरु करना चाहता हूं। हालांकि डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर भारत के संविधान में नौकरियों और विधानसभाओं की सदस्यता सहित सामाजिक शिक्षा और आर्थिक विकास के संबंध में कुछ प्रावधानों को शामिल करने में सफल हुए, लेकिन पिछले 50 वर्षों के दौरान हमने देखा है कि समाज के कमजोर वर्गों की दशा को सुधारने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं किया गया है।

वर्ष 1950 में अस्पृश्यता के संबंध में संविधान ने अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। आज भी हम यह देखते हैं कि देश के कई भागों में अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में व्याप्त है। यह एक बहुत बड़ा पाखण्ड है जो देशभर में व्याप्त है। हम इस बारे में क्या करते हैं। क्या यह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सदस्यों को जिम्मेदारी है। क्या यह राजनीतिक भावना से उठकर हम सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व नहीं है? ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? यह कहा जाता है कि हमें सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। लेकिन कौन किसको एकजुट करेगा? यह तथाकथित ऊंची जाति के लोगों की सोचने की प्रवृत्ति है। मैं यह बात अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं। मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे एक सगे-सम्बन्धी ने आईआईटी में प्रथम श्रेणी प्राप्त की चूंकि उसके उपनाम में यह नहीं लिखा गया था कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है इसलिए तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने इस बारे में चर्चा करनी शुरु कर दी। किसी भी स्थिति में वह प्रथम आया था। उसका अधिकारी जो सामान्य जाति से संबंधित था, ने उसके वैवाहिक रिश्ते के बारे में बातचीत की। बाद में, चूंकि वह एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में काम कर रहा था, इसलिए उस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के विभाग ने उसकी जाति की स्थिति जाननी चाही। जब उसने स्थिति स्पष्ट कर दी तो परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से बदलाव हो गया। उसे नौकरी से बाहर किया जाने लगा। मैं यह बात बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूं। मैंने बहुत सी बातों को महसूस किया है। तथाकथित ऊंची जाति के लोगों का रवैया नहीं बदला है। कुछेक क्षेत्रों में, तथाकथित ऊंची जाति के लोग हुए कार्यों के लिए परिवर्तित हुए हैं।

मेरे मित्र ने इस संबंध में नाराजगी व्यक्त की क्योंकि उसे बंधुआ श्रमिक समझा जाता है। मैं पुनः दोहराता हूं कि सभी दलों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सदस्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। वे यह कैसे कर सकते हैं? अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र पर एक नजर डालें तो मैं कुमारी ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं सामान्य श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर आया हूं। उन्होंने मुझे यह सम्मान दिया है। लेकिन मैंने यह देखा है कि 40 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। अतः इस बात का निर्णय हिन्दू जाति के लोग करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है और कौन सा उम्मीदवार अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में आयेगा। इस प्रकार के मामले हैं। संविधान में इस प्रकार की गलती की गई है।

मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। अन्यथा यह पूरी तरह से तथाकथित उच्च जातियों के हाथों में रह जायेगा।

उच्च जाति के लोगों द्वारा विश्वविद्यालयों में कटुक्तिया की जाती हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जानते हैं? इनको 'सोने का जात' और 'सोने का टुकड़ा' कहा जाता है। सभी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा इस पर चर्चा की जा रही है। हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आजादी के 50 वर्षों के बाद हम कहां पहुंचे हैं? ऊंची जाति के हिन्दू लोगों द्वारा इस तरह का बर्ताव अत्यंत दुखद है। जब वे देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उनके भाई और बहन शैक्षिक और आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं तो गांवों में इन लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्यंत आक्रामक रवैया परिलक्षित होता है। यदि हम 1981 से 1987 तक की अवधि के दौरान अत्याचार की घटनाओं की संख्या पर गौर करेंगे तो यह पाएंगे कि यह संख्या चौदह हजार से पंद्रह हजार प्रति वर्ष के आसपास है। परन्तु गत कुछ वर्षों में यह संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की वर्ष 1996 की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 30,000 से भी अधिक है। इससे हमारे देश की हालत का पता चलता है।

महोदय, आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही है तो व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यहां माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं और सभा में भी जागरूकता है। 1982-87 की अवधि के दौरान कार्यपालिका के सदस्य के रूप में मैंने यह पाया कि सभा में जब कभी भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती थी तो यहां मुश्किल से 20 से 25 सदस्य उपस्थित रहते थे।

महोदय, मैं समूह क, ख, ग और घ सेवाओं में रोजगार से संबंधित कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। यह अत्यंत प्रासंगिक है। मैंने इन आंकड़ों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग और डीओपीटी की रिपोर्ट से प्राप्त किए हैं। समूह 'क' की केन्द्रीय सेवा की श्रेणी में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व मात्र 10.5 प्रतिशत है जबकि इसे 16 प्रतिशत होना चाहिए। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में यह स्थिति और भी खराब है। वहां यह आठ प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। इस प्रकार यह क्या किया जा रहा है? इससे मंत्रियों सहित प्राधिकारियों की मानसिकता का पता चलता है।

[डा. बिक्रम सरकार]

महोदय, मैं एक अत्यंत मजेदार बात का उल्लेख करना चाहूंगा। समूह 'ख' में रोजगार की प्रतिशता थोड़ी बेहतर है। जोकि 12.61 प्रतिशत है। समूह 'ग' में यह 16.15 प्रतिशत और समूह 'घ' में यह 21.26 प्रतिशत है। यह उनकी कुल जनसंख्या से भी अधिक है। परन्तु समूह 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावास में तैनाती के समय यह देखा जाता है कि ऊंची जाति के हमारे मित्र अपनी ही जाति के भाई को प्राथमिकता देते हैं। इससे लोगों की मानसिकता, रवैया और आडम्बर का पता चलता है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा॰ बिक्रम सरकार : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। उच्च्य न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या लगभग नगण्य है और मेरे विचार से इस समय उच्चतम न्यायालय में भी इन समुदायों का कोई न्यायाधीश नहीं है।

महोदय, आर्थिक विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार करती थीं और उन्होंने विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप-योजना तैयार की। मेरे मित्र श्री गिरिधर गमांग इसका उल्लेख कर चुके हैं। उस समय यह भी उल्लेख किया गया था कि उनको अपेक्षित धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। इन योजनाओं के साथ एक विशेष सहायता योजना समायोजित की गई थी। यह विशुद्धतया और शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना थी। मैंने सातवीं योजना के दौरान विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये दिलाने में योगदान किया था। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना के अंतर्गत धनराशि को घटा कर गतवर्ष इसे आधा कर दिया गया। जब कभी भी आर्थिक विकास का प्रश्न उठता है तो यह देखा जाता है कि इस संबध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग ही सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा॰ बिक्रम सरकार : महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, शैक्षिक विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मानविकी के क्षेत्र में 90 प्रतिशत स्थान ऊंची जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं। विज्ञान संकाय में 94 प्रतिशत स्थान ऊंची जातियों के लिए आरक्षित हैं। उनको यह सुविधा क्यों दी जाती है? उन्हें उनके हिस्से की प्रतिशतता से अधिक स्थान नहीं मिलने चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक साथ मिलाकर प्रतिनिधित्व विज्ञान संकाय में केवल 8.5 प्रतिशत है जबकि मानविकी संकाय में यह मात्र 1.2 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति निराशाजनक है।

महोदय, हम यह कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में शपथ लेते हैं। हम यह कहते हैं सब कुछ सरकार के हाथ में हैं और संसद में भी इस संबंध में असहाय महसूस करते हैं। संविधान में कई उपबंध किए गए हैं।

महोदय, छात्रवृत्ति की धनराशि जितनी अपर्याप्त है। यह राशि अत्यल्प है जितना कि किसी भिखारी को दे दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि वास्तविकताओं के आधार पर तय की जानी चाहिए। अन्यथा यदि किसी व्यक्ति के 1000 रुपये के खर्चे के लिए उसे मात्र 200 रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे तो वह शेष 800 रुपये कहां से जुटाएगा? अतएव यह वास्तविकताओं पर आधारित हो।

महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे पास उपबंध हैं फिर समस्या उठ खड़ी होती है कार्यान्वयन के प्रश्न पर, कार्यान्वित करने की सोच के संबंध में जैसाकि सुश्री मायावती और अन्य लोगों ने कहा है, और संसद को इस मामले में असहाय नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग पूरी तरह से असहाय है। इसके द्वारा जिस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं और इसका जिस प्रकार से सम्मान किया है उसको देख कर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक इसके कार्यान्वयन और इसे लागू करने का संबंध है, मैं संसद से कुछ कदम उठाने का अनुरोध करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा) : सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

भारत की आजादी के पचास साल के बाद भी हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह बात कही जा सकता सकती है कि आरक्षण पाकर कुछ लोग विधान सभा, लोक सभा और सर्विसेज में आ गए हैं, लेकिन जो लोग गांवों और कसबों में रहते हैं, उनकी आज भी वही स्थिति है,

जो आजादी से पहले थी। आज भी वे बेबस हैं, परेशान हैं और कष्ट में हैं। मनुवादी व्यवस्था में इन लोगों पर जुल्म हो रहे हैं। इसमें दो रायं नहीं हो सकती है। चाहे महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार का मामला हो, चाहे छुआछूत का मामला हो, चाहे मंदिर में प्रवेश का मामला हो, चाहे दलित पदाधिकारियों के अपमान का मामला हो—ये अत्याचार सब जगहों पर व्याप्त हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे आयोग बने, नीतियां और कानून बने, लेकिन इनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है—"जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीड़ पराई"। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए जिम्मेदारी भी ऐसे लोगों के हाथों में दी गई हैं, जिनको उनके दर्द का एहसास नहीं है। जो इस जाति में पैदा नहीं हुआ है और जिसने इनकी घुटन को नहीं देखा है। ऐसे लोग इनके उत्थान के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सभी लोगों को

अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, मनुवादी विचारधारा से निकलकर इन लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मनुवादी व्यवस्था में काम करने वाले लोग ही इन लोगों पर अत्याचार करते हैं। यह विडम्बना है कि अनुसूचित जातियों में से लोग नेता बनकर लाभ उठा लेते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं। नेता बनने के बाद इन लोगों में उस नेता के प्रति एक आशा जगती है कि अब उनकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा नेता बनकर शहर की चमक-दमक में उस जगह को भूल जाता है जहां से यह आया है। जब यह स्थिति होगी, तो वह अनुसूचित जाति के लोगों का क्या कल्याण करेगा। आरक्षण पाकर वह बड़ा नेता बनता है या सरकारी पदों पर पहुंचता है, लेकिन इन लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं सोचता है। इसलिए कथनी और करनी में अन्तर करना होगा। आरक्षण पाकर, ऊंचे पदों पर पहुंच कर, वह अपने परिवार के बच्चों के लिए सोचता है कि वह उसका बच्चा कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ेगा जहां बड़े लोगों, पूंजीपतियों का लड़का तालीम पाता है, 20 लाख की गाड़ी पर चलेगा, प्रिंस की तरह लिबास पहनेगा, बड़े लोगों के ज्ञान में रहेगा। उनके साथ ठाठ-बाट से हम रहें। हमारी पोषाक उस ढंग की होगी तो आरक्षण और जनरल में क्या फर्क रहा। अगर फर्क करना चाहते हैं तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप आरक्षण का लाभ मत लो, आप जनरल कोटे में जाकर राज कुमार बनो। इतना ही नहीं, हमारे दलित समाज में, अनुसूचित जाति की उन महिलाओं को बड़ी भारी आशा जगती है जब उनका पति बड़ा नेता हो जाता है, हाकिम हो जाता है। जब वह बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो उसकी दलित पत्नी को बड़ी आशा जगती है कि हम ऐसे बड़े नेता की पत्नी हैं, लेकिन उस समय उसे बहुत मर्माहट होती है जब वह उसे रास्ते में छोड़ देता है। धक्के मारकर घर से निकाल देता है। बेचारी दलित महिला के भाग्य में वह चमक-दमक नहीं लिखी होती है और वह फिर अपने समाज में वापस चली जाती है। वे यहां चमक-दमक वाली महिलाओं को अपनी जीवन संगिनी (अर्द्धांगिनी) बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कथनी और करनी में सामंजस्य करना होगा।

महोदय, जो समय काम करने का होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उद्धार करने का, सम्मान करने का समय होता है, उस समय नहीं किया जाता है और जब लोग कुर्सी पर नहीं होते तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं—इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं "नाविक नाव मझधार पार उतारे, जब नाविक ही नाव डुबोए तो उसको कौन बचाए।" बिहार में दलितों के उत्थान और उद्धार के लिए करिश्मे का काम हुआ और वह करिश्मा करने वाले का नाम लालू प्रसाद जी है, जिन्होंने दलितों को उठाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। दलितों को हिम्मत दी, अच्छे संस्कार दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अमूल्य मंत्र दिया कि दलितों, तुम शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो—इस नारे को बिहार में लालू जी ने चरितार्थ दिया ऐ दलितों, तुम पढ़ना-लिखना सीखो तुम पढ़ना लिखना सीखो और जब तुम पढ़-लिख लोगे तो अपने अधिकार को जानोगे। अपने अधिकार के लिए संगठित होकर लड़ो और आज वहां दलित सीना तान कर चलते हैं। पटना में सैंकड़ों-हजारों झुग्गी-झोंपड़ियां थीं। पन्नी और पोलिथीन के घर में लोग रहते थे माननीय लालू जी ने अपने शासन काल में तीन-चार मंजिले मकान बनाकर दलितों को सम्मानित करने का काम किया। दलितों के घर जाकर, मुख्य मंत्री के पद पर रहने के बाद भी दलितों के बच्चों को प्यार और सम्मान देने का काम किया। रोम, हलखोर पासी धोबी, मुसहर, दुसाध,...*(व्यवधान)* चमार, मेहतर आदि सब अनुसूचित जाति के लोगों को गले लगाने का काम किया। सभी वर्ग के बेटे को ओहदे पर बिठाया। यह करिश्मा बिहार में हुआ और लालू जी के शासन काल में हुआ। उनके दिल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए दर्द है, बीजेपी वालों में वह दर्द नहीं है। बी॰जे॰पी॰ के राज में दलितों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, घरों को दिन दहाड़े जलाया जा रहा है नौकरी से निकाला जा रहा है। बी॰जे॰पी॰ का जहां-जहां राज है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के हालात ठीक नहीं हैं।

महोदय, महाराष्ट्र में दलित महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे अनुसूचित जाति के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को जूतों की माला से अपमानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे दलित का बेटा जब न्यायाधीश के पद पर पदस्थापित हुआ और उसक जब वहां से ट्रांसफर हुआ तो उसकी कुर्सी को गंगा जल से धोया गया, घर को धोया गया—यह सच्चाई है। जब तक यह भावना खत्म नहीं होगी तब तक बी॰जे॰पी॰ की मनासिकता का पता चलता रहेगा।

महोदय, जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां फरियाद क्या करना। बी॰जे॰पी॰ की सरकार के लोगों के मन में दलितों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति जी, 2 जून 1962 को इसी सदन में स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गावरी ने देश की गरीबी का चित्रण करते हुए कहा था कि पूर्वांचल में बैलों के गोबर में जो अनाज निकलता है उसे खाकर अनुसूचित जाति के लोग जीवन-यापन करते हैं। उस समय के प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उसी विवरण के आधार पर पटेल कमीशन की घोषणा की थी। पटेल कमीशन ने उन लोगों के विकास के लिए जो आयोग गठित किया था उसकी रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आदरणीय राम विलास पासवान जी ने जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर बहस नियम 193 के अन्तर्गत कराई है वह आज के परिवेश में उचित है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज भी गांवों में वर्ण-व्यवस्था के कारण छूआछूत की भावना लोगों में भरी पड़ी है। दिल्ली से पटना तक जो सवर्ण जाति के लोग हैं वर्ण-व्यवस्था के कारण उनका व्यवहार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति हीनभावना का है जिस पर विवाद होता है, मैं ऐसा महसूस करता हूं।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

बंधुआ मजदूरों के बारे में मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे ही लोकसभा क्षेत्र के गांव में क्या हो रहा है? एक दलित ने दो सौ रुपया कर्जा लिया तो उसकी जगह पर देने वाले ने 28 हजार रुपया अपनी डायरी में लिख लिया और वह बढ़कर 84 हजार हो गया। जब दलित कर्जदार के लड़के ने कहा कि आपने दो सौ रुपया के बदले में हमारी बकरी ले ली, हमने एक हजार रुपया भी जमा कर दिया तो 84 हजार रुपया कहां से हो गया, तो उसके बाप का अपहरण कर लिया गया। इसी तरह से उसी गांव के दूसरे दलित को 600 रुपया दिया था, उसके लड़के को बंधक बनाकर सात साल काम करवाया गया और उसके ऊपर 94 हजार रुपया बना दिया गया। इसी तरह से सारे देश में और विशेष रूप से पूर्वांचल में जो दलित बसा है जिसका घर है, झोंपड़ी है, वह गांव के प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज है। जब तक वह बेगार करता रहेगा तब तक तो ठीक है, बेगारी छोड़ दी तो दरोगा से कहकर पीटने का काम करवाया जाएगा और कोई न कोई जुर्म लगाकर उसको मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की परम्परा आज भी वहां है। देश के पैमाने पर कानून और नियमों के होते हुए भी यह हो रहा है। अभी हरिजनों पर उत्पीड़न की आदरणीय मायावती जी चर्चा कर रही थीं। मायावती और भाजपा की सरकार दोनों ने मिलकर केवल एक मूर्ति के अनावरण पर अरबों रुपए खर्च कर दिए लेकिन दलित और पिछड़े, दबे-कुचले लोगों के उत्पीड़न के बारे में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वह नहीं हुई।

उस समय मूर्तियों को लगाने की होड़ सी लग गई। आज दलितों पर उत्पीड़न जन्म के आधार पर होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, जिस संविधान के अनुसार हम अपने अधिकार के लिए लड़े, उसी संविधान पर आचरण करने वाले समाज के सवर्ण वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। केवल कहने के लिए कहा कि हमारा उनके प्रति दर्द है। वे जब उनके बारे में सोचते हैं तो हीनग्रस्त होकर सोचते हैं। इससे जुल्म बढ़ जाते हैं। उन्हें बलात्कार जैसे गलत मुकदमों में फंसाया जाता है। कागजों में स्कूलों और कालेजों में ऐसे लड़कों की बढ़ी संख्या बताई जाती है। छात्रवृत्ति लेने में भी होड़ सी लग जाती है। दलितों का उत्पीड़न होने के बाद उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं। हम 50 साल की आजादी के बाद भी इसे रोक नहीं पाए। दलित परिवार के किसी आदमी की अगर उत्पीड़न और जुल्म के आधार पर मौत होती है तो उसके परिवार को एक निश्चित धनराशि मुआवजे के तौर पर देने का प्रावधान होना चाहिए जिससे जुल्म रुक सकें। नाम के लिए हरिजन उत्पीड़न निरोधक कानून लागू हो जाता है लेकिन बहुत से सवर्ण परिवार के लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। हर गांव में गोलबंदी है। जहां हरिजन उत्पीड़न हो, वहां मुकदमा चलना चाहिए। समाज को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। गलत तरीके से उस अधिनियम को बदनाम करके, गांव की गोलबंदी के आधार पर हरिजन उत्पीड़न के मुकदमे चलाए जाते हैं। इसके तहत दलितों को बदनाम करने की साजिश चलायी जाती है। मैं कल्याण सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बढ़ते हुए हरिजन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए अध्यादेश द्वारा उनको रोकने की पहल की। जो लोग गांव की गोलबंदी के आधार पर मुकदमे कायम कर रहे थे, उन्होंने उसे रोकने की एक पहल की।

सभापति महोदय, दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक आरक्षण कागजों में है लेकिन वह लागू नहीं होता। मैंने सेना में आरक्षण करने के लिए एक सवाल किया था तो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सेना में आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ईमानदारी से देखा जाए तो यही देखने को मिलेगा कि पिछली सरकारों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। हम इस सरकार में साझेदार हैं। मैं भारत सरकार की कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कोई कदम उठाएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऊंची पोस्टों में क्या दलितों का कोटा पूरा है? अगर वह पूरा नहीं है तो कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे उस कोटे को पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर हो सके। इससे उन वर्गों के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होगा कि यह सरकार उनके कल्याण के लिए कुछ काम कर रही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को जब ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो मनुवादी व्यवस्था शुरु हो जाती है। वे जाति के आधार पर आचरण करने लगते है। उनके मन में यह भावना पैदा होने लगती है कि झोंपड़ी में रहने वाले हलवाहा का बेटा दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया। वे डरने लग जाते हैं कि हलवाहा का बेटा दिल्ली कैसे आ गया? कैसे ऊंची नौकरी में पहुंच गया? जब ऐसी सोच के आधार पर परम्परा हो जाएगी तो वह संविधान का अपमान भी होगा।

हम दलितों के अधिकार को वंचित करने का प्रयास भी करेंगे। इसलिये हमारी मांग है कि यदि उन में हीन भावना है तो उसे समाप्त करके आरक्षण की परिधि में पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। आज पूरे देश में, किसी न किसी राज्य में, रोजाना अखबार की सुर्खियों में निकलता रहता है कि किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया। अगर इसकी लिस्ट देखी जाये तो ज्ञात होगा कि सबसे ज्यादा दलित परिवार की महिलायें होती हैं। जब एक दलित महिला का नाम आता है तो उस पर विचार करना चाहिये कि आखिर यह क्यों हो रहा है, इसके निदान का रास्ता क्या है और यह कैसे कम हो सकता है?

सभापति महोदय, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। हम संविधान के तहत दिये गये अधिकारों की दुहाई देकर लोगों की भावनाओं में सुधार नहीं कर सकते। संविधान में दिये गये अधिकारों का कड़ाई से पालन करना होगा। जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा, छोटे-बड़े, ऊंच-नीच और जन्म के आधार पर हमारा व्यवहार खत्म नहीं होगा, मानवता के आधार पर व्यवहार की प्रक्रिया नहीं चलेगी, तब तक दलितों का उत्पीड़न समाप्त नहीं होगा। मैं भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष जुल्म के आधार पर दलितों की हत्यायें हो रही हैं, उनके परिवार को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। यद्यपि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया कागजों पर है और राज्य सरकारें भले ही इस कार्य को करती हों लेकिन दलितों को दी जाने वाली सहायता का दुरुपयोग न हो। देश के किसी कोने में नौकरी के लिये आरक्षण का मामला हो, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, यह देखना चाहिये कि

उस कोटे की पूर्ति हुई है या नहीं। यदि नहीं हुई है तो उसकी पूर्ति करने के लिये जिन परिवारों का नाम कागजों पर है और वे बेगारी का काम करते हैं, वहां उनका नाम खारिज कराकर आबादी में अंकित कराने का काम किया जाये। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो दलितों को प्रसन्नता होगी कि यह उसकी सरकार है। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह स्वाभाविक है कि किसी को ज्यादा दिन दबाने से उसमें विस्फोट होगा। चाहे वह किसी जाति का हो, जब उसके अधिकार पर हमला होगा तो वह एकजुट हो जायेगा और फिर विस्फोट हो जायेगा।

सभापति महोदय, श्री राम विलास पासवान द्वारा उठाई गई चर्चा के बाद तथा अन्य माननीय सांसदों के बयान के बाद सरकार एक ऐसी नीति निर्धारित करे, दिशा-निर्देश दे ताकि देश के गरीब तथा झोंपड़ी में रहने वाले दलित को न्याय मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सोडे रामैया, क्या आपने सचिवालय को यह सूचित कर दिया है कि आप तेलुगु में बोलने वाले हैं?

श्री सोडे रामैया (भद्रा चलम) : जी हां मैंने अपना नाम पहले ही दे दिया है।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम भाषान्तरण की व्यवस्थ करेंगे। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

अब श्री बूटा सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति जी, इससे पहले कि मैं श्री राम विलास पासवान जी द्वारा उठाई गई चर्चा पर अपने विचार रखूं, मैं एक बुनियादी बात पर सदन के सामने स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो विभाग शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के मुद्दे को देखने के लिए बना है, आदरणीय मंत्री महोदया के मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मगर देखा जाए तो इस मुद्दे के सभी जवाब हमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग से मिलते हैं। इसको लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी पार्टियों के सभी सदस्य नाराज हैं क्योंकि

[अनुवाद]

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की देखरेख करने वाला विभाग नहीं है। मेरे पास विभिन्न विभागों को कार्य आबंटन करने वाले आदेश की प्रतिलिपि है।

[हिन्दी]

इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की एलोकेशन है,. ..*(व्यवधान)* राम विलास जी और गवई जी, आप भी ध्यान दें क्योंकि यह बुनियादी प्रश्न है। मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि वह भी ध्यान दें। उसमें लिखा हुआ है—

मद सं॰ 1 : सेवाओं में कतिपय वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण।

इसको लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल यह मानता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिजर्वेशन का जितना भी काम है, उनके पास है यह गलत है, क्योंकि कांस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए अलग प्रावधान है और बैकवर्ड क्लासेज के लिए अलग है। मेरा नम्र निवेदन है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग क्लासेज के साथ संबंध रखता है न कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ। इसलिए इसको स्पष्ट करके मंत्री महोदया सीधी जिम्मेदारी लें क्योंकि हमने जितने जवाब रिजर्वेशन के देखे हैं, वे सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग से आ रहे हैं जो नाजायज हैं, इल्लीगल हैं।

[अनुवाद]

उन्हें भारत के संविधान के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। भारत के संविधान में यह बिल्कुल स्पष्टतया उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत शामिल है और पिछड़ा वर्ग कल्याण संविधान के एक भिन्न अनुच्छेद के अन्तर्गत शामिल है। अतः यह बहुत स्पष्ट अन्तर किया जाना है अन्यथा मुझे लगता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकार से कभी न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि नौकरशाही द्वारा गलत व्याख्या के कारण आबंटन सही नहीं है।

अतः मेरा इस माननीय सदन से अनुरोध है कि हमें ये समस्याएं कार्मिक विभाग के सम्मुख नहीं रखनी चाहिए। सौभाग्य से आज कार्मिक विभाग से कोई नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्यों ने स्पष्ट किया है, वे कोई नहीं हैं। उनका हमसे सम्बन्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं। मैं चाहूंगा कि वे हमारी और सभा के हर वर्ग के सदस्यों की समस्याओं पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

आज इस सदन में सर्वसम्मति यदि किसी एक विषय पर, किसी एक वर्ग पर, किसी एक मुद्दे पर है तो वह अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दे पर है और सभी पार्टियों के जितने भी सदस्य फोरम में बैठते हैं, वे यह कहकर अपनी बात शुरु करते हैं कि इसमें दलगत आधार पर बात न की जाए।

इसलिए आज जो भी आपके सामने मुद्दे उठाये जायेंगे, वे सर्वसम्मत मुद्दे हैं, जिनको लेकर अभी मेरे साथी श्री रामविलास जी और गवई साहब बोले हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक आर्डीनेन्स निकले या कोई अमेंडमेंट निकले, जिससे कि यह विभाग डी॰ओ॰पी॰टी॰ से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वैलफेयर के साथ सम्बद्ध हो जाए।

[श्री बूटा सिंह]

इसके बाद मुझे एक बेसिक बात उठानी है जो यह है कि रिजर्वेशन को लेकर आज देश में यही समझा जाता है कि केवल नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। व्यवसायों में क्या होता है, भूमि वितरण में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कुटीर उद्योगों में क्या होता है उनका रिजर्वेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है, जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि श्री लालू प्रसाद जी ने इन सब चीजों पर बिहार में ध्यान देकर हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को दूसरे व्यवसायों में भी हिस्सा दिया है, जो सही बात है। मगर आज इस देश में रिजर्वेशन का मतलब गवर्नमेंट जॉब में था कुछ कैटेगरी से लगाया जाता है, अभी तृणमूल कांग्रेस से एक मेम्बर बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वयं के पब्लिक अंडरटेकिंग्स रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग सैक्टर में पब्लिक सैक्टर के मुट्ठी भर बैंक्स हैं, जिनमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है। सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर बैन लगाया हुआ है। इसलिए मै यह बात बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उसमें रिजर्वेशन अंशमात्र भी नहीं है। यदि भारत सरकार की खुद की पब्लिक अंडरटेकिंग्स बैकिंग सैक्टर में रिजर्वेशन की अवहेलना हो रही है तो उसका दायित्व आदरणीय मंत्री महोदया के ऊपर है। वह उसे लागू करने के लिए आदेश जारी करें।

सभापति महोदय, एक और बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की परसेंटेज अभी तक 22.5 है, जबकि सैंसज कमिश्नर की 1991 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमारी जनसंख्या 25 प्रतिशत है। जो 22 प्रतिशत अभी हमें मिल रहा है, इसमें से तीन प्रतिशत सरकार ने गायब कर दिया है। जब कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन यह कहता है कि लेटेस्ट सैंसज के अनुसार रिजर्वेशन पालिसी को लागू करना चाहिए, पिछले 15-20 वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रतिशत क्रमशः लगभग 16 ओर सात है, उसके हिसाब से 15-20 सालों में हर साल तीन प्रतिशत हमारा कोटा खत्म हुआ है, क्योंकि यह सरकार लेटेस्ट सैंसज को लागू नहीं कर रही है।

एक अन्य बुनियादी बात जिसके बारे में सभी ने जिक्र किया, गवई साहब ने भी जिक्र किया वह यह है कि रिजर्वेशन पालिसी आज तक सरकार के रहमो-करम पर निर्भर है, सरकारी आर्डर से चल रही है। उसके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है। 1996 में एक कानून बना, कैबिनेट ने पास किया और वह कानून सदन में आना था, लेकिन वह सदन में नहीं आया। आज जब हमने यह मांगा है तो सरकार की तरफ से एक स्टॉक रिप्लाई आया है। उस रिप्लाई की एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एस॰सी॰ एस॰टी॰ कमीशन ने भारत सरकार के पास एक रिकमेंडेशन भेजी कि एक बिल जो कैबिनेट से पास हो चुका है, उसे इस सदन में पारित कराकर एक्ट बनाया जाए, ताकि रिजर्वेशन की जिम्मेदारी कानून के माध्यम से फिक्स की जा सके। यदि वह एक्ट बन जायेगा तो भारत सरकार का चाहे कोई भी विभाग हो, अंडरटेकिंग हो, राज्य सरकार हो या कोई भी परिषद हो, उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। उस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई अफसरशाही या बड़े से बड़ा कर्मचारी उसकी अवहेलना करेगा तो उसे तुरंत सजा मिलेगी। मगर जो सरकार ने जवाब दिया है, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है—

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की विशेष रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

[हिन्दी]

उसको देखकर हमें बहुत गुस्सा और शर्म आती है और हम यह मानते हैं कि यह बी॰जे॰पी॰ सरकार का निर्णय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका जवाब क्या है—

[अनुवाद]

> "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कथित प्रारूप विधेयक को लागू करने का काम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इन्होंने डी॰ओ॰पी॰टी॰ वाली बात कहकर उसको छोड़ दिया। मंत्री महोदया, शायद आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं होगी। उसकी आखिरी लाइन पढ़कर मुझे गुस्सा आता है। उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस विधेयक को लागू करने के पक्ष में नहीं है। क्या यह उत्तर है? यह विधेयक आरक्षण नीति को शामिल करने के लिए है। यह इस समय सरकारी आदेशानुसार शासित है। इसे कोई कानूनी स्वीकृति नहीं है। हम सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने फोरम में इस सम्बन्ध में आम सहमति से निश्चय किया है। यह विधेयक पिछले मंत्रिमण्डल द्वारा भी चर्चा के उपरांत अनुमोदित किया गया था। इस विधेयक को इस सभा के समक्ष लाया जाना था। किन्तु की गई कार्रवाई की रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के बाद,

[हिन्दी]

इससे तो हमारे मुद्दे के ऊपर पानी फिर गया। मंत्री महोदया, मैं आपसे आग्रह करूंगा और कहना चाहूंगा कि आप इस एक्शन टेकन रिपोर्ट को वापस लें और कैबीनेट में जाकर इसको डिसकस करें। हम आपको यह आखिरी मौका देते हैं, वरना इस देश में एक बड़ा आंदोलन चलेगा और इस बिल को इसी सदन में पास करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस एक्शन टेकन रिपोर्ट को आप वापस ले लें।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं केवल तीन-चार मुद्दों पर संक्षिप्त रूप से कहूंगा। भारत सरकार ने 1994 में एक नेशनल कमीशन फार सफाई कर्मचारीज ऑफ इंडिया बनाया था। उसने दो रिपोर्ट दीं। वे रिपोर्ट अभी तक आपके किसी विभाग के कचरे में पड़ी हैं, कूड़ेदान में पड़ी हैं। आपको मालूम है कि देश में सफाई कर्मचारियों का जीवन आज भी अमानवीय है। आज स्थिति यह है कि सफाई कर्मचारी का बच्चा जब सोकर उठता है, तो उसकी मां और उसकी बहन सुबह छः-सात बजे झाडू लेकर नौकरी पर गई होती हैं। उस बच्चे को नहलाने वाला, कपड़े पहनाने वाला, खाना देने वाला, उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं होता। उस सफाई कर्मचारी की झोपड़ी भी नाले पर बनी होती है और जब उसका बच्चा बाहर निकलता है, तो उसको खेलने के लिए कौन मिलता है—वह सुअर के साथ खेलता है, कचरे के ढेर के सथ खेलता है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया, तो सांप, बीछू, कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, गाय, घोड़े और अन्य तमाम पशुओं से प्रेम करने वाली हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे पशुओं के साथ-साथ जरा आदमी के बच्चे से भी प्यार करना सीखें ताकि वह सफाई कर्मचारी का बच्चा जो सुबह-सुबह सूअर जैसे निरीह प्राणी के साथ खेलता है, उसको भी अन्य शहरी आदमियों की तरह कुछ सुविधाएं मिल सकें ओर वह भी अपने नारकीय जीवन से ऊपर उठ सके। आप स्वयं यदि कभी सुबह छः बजे उठ सकें, तो सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाकर देखें कि वह कितनी गन्दगी में, कैसे जलील और जालिम पशु के साथ खेलता है। उनकी आशा की किरण वह रिपोर्ट जो विधिवत् ढंग से, संविधान के मुताबिक, मंत्रालय में आई हुई है। उस रिपोर्ज पर आप एक्शन लें और उसको सदन के पटल पर रखें।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी की जन्मस्थली में आज भी सफाई कर्मचारी आदमी का मैला अपने हाथ से उठाकर, सर पर ढोकर ले जाता है। यह शर्म की बात है कि भारत की आजादी के 50 वर्ष के बाद भी इंसान की गंदगी को सफाई कर्मचारी अपने हाथ से उठाकर, अपने सिर पर ढोने के लिए विवश है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सफाई कर्मचारियों को 20,000 मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिल्ली नगर निगम को दिए, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने वह पैसा और कार्यों पर खर्च कर दिया और जो 400 मकान बनाए उनमें आज पशु रह रहे हैं। उन मकानों के ऊपर छत नहीं है, उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें पाखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए दिया गया करोड़ों रुपया दिल्ली की बी॰जे॰पी॰ सरकार द्वारा हड़प लिया गया और सफाई कर्मचारियों को जो मकान देने की योजना थी वह धरी की धरी रह गई। मंत्री महोदया, दिल्ली सरकार आपके नीचे है। आपको उससे पूछने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। आप म्युनिसिपल कार्पोरेशन से इस बारे में रिपोर्ट मंगवाईए।

20 हजार क्वार्टर्स जो भारत सरकार के पैसे से सफाई कर्मचारियों के लिए बनने थे, उन क्वार्टर्स का क्या हुआ?...*(व्यवधान)* ऐट्रासिटीज की बात बहुत बड़ी है। उसको मैं इतने थोड़े समय में नहीं कह पाऊंगा मगर कमीशन ने ऐट्रासिटीज पर जो तीन-चार लाइनों का हवाला दिया है, वह मैं पढ़ सकता हूं। अभी मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि राजस्थान के एक गांव में दो दलित महिलाओं के पांव में बेड़ी डालकर, उनको आधा नंगा करके, उनके कपड़े उतारकर एक वृक्ष के साथ लटका दिया। वे छः-सात घंटे उसी वृक्ष पर लटकी रहीं... *(व्यवधान)* डायन तो दूसरी जगह कहा है। यह राजस्थान की बात है।. ..*(व्यवधान)* आज सुबह जब हम उठे तो इस देश के अखबार "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने पहले पन्ने पर छापा है कि

[अनुवाद]

"भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जाति की महिला की पिटाई की। इस महिला का कहना है कि दोषी लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करने के खिलाफ उसे धमकाया था।"

[हिन्दी]

उस गुड्डी देवी का क्या कसूर था? उसका कसूर यह था कि त्रिलोकपुरी में एक पुजारी की इजाजत से वह मेहंदी के झाड़ से कुछ पत्ते तोड़ने के लिए गई थी। वहां बी॰जे॰पी॰ के वरिष्ठ नेता काउंसलर सुभाष कोहली और बी॰जे॰पी॰ के टिकट पर इलैक्शन लड़ने वाले राम चरण गुजराती थे। उन दोनों के सामने...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपको फैक्ट्स का पता नहीं है। इन दोनों के ऊपर कोई आरोप नहीं है। न मारने का आरोप है और न झगड़ने का आरोप है।

श्री बूटा सिंह : उनके सामने गुड्डी देवी की वह हालत हुई है।. ..*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप पहली लाइन पढ़िये...*(व्यवधान)* कार्पोरेशन के जो मैम्बर प्रैजेंट नहीं है, उसके बारे में यह क्यों बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, गुड्डी देवी की तस्वीर छपी है।.. .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे केवल उद्धृत कर रहे हैं।

श्री विजय गोयल : महोदय, मैं बस उनके कथन में सुधार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : ये सुधार न करें। वे समाचार पत्र से उद्धरण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : वे दिल्ली में नहीं रहते, मैंने फैक्ट्स पता किये हैं।...*(व्यवधान)* जिन दोनों नेताओं के नाम हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : *श्री गोयल, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति जी, इनके बाद आप मुझे दो मिनट बोलने का मौका देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गोयल, आप बिना अनुमति कैसे बोल सकते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री थामस, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : यह गुड्डी देवी की तस्वीर है। मैं चाहूंगा कि इसकी तस्वीर बी॰जे॰पी॰ के दफ्तर के सामने लटका देनी चाहिए और जिसको डिनाइं करना है, वह बी॰जे॰पी॰ के दफ्तर में एफीडेविट दे। गोयल जी के यहां इस तरह से बोलने से यह बात खत्म नहीं होगी। इसके साथ ऐट्रासिटीज का उल्लेख करते हुए हमारे कमीशन ऑफ शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स ने क्या लिखा है, वह मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"अनुसूचित जाति के दूल्हों को अनुमति नहीं है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त में बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : ये सीनियर मैम्बर्स हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी॰ पी॰ राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई वरिष्ठ नेता जितना चाहे उतना समय ले सकता है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, समय बहुत सीमित है। कृपया मुझे सभा का संचालन करने दें।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : आज सुबह लालू प्रसाद यादव जी ने एक मांग की है और जिसके साथ सभी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स मैम्बरों का इत्तफाक है कि जब भी डिफेंस में भर्ती हो, सी॰आर॰पी॰एफ॰ में हो, बी॰एस॰एफ॰ में हो, आई॰टी॰बी॰पी॰ में हो या आर॰ए॰एफ॰ में हो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के नौजवान के साधारण मापदंड में, ऊंचाई में, छाती में कमी करके उनको भर्ती करना चाहिए. ..*(व्यवधान)* मैं यह प्रस्ताव रखता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर उनकी ड्राप संख्या देखी जाये तो सबसे ज्यादा बच्चे मीडिल स्टैंडर्ड पर, मैट्रीकुलेशन पर, बी॰ए॰ पर ड्राप कर जाते हैं। कोई किस्मत वाला बच्चा ही पोस्ट ग्रेजुएट करता होगा।

सायं 7.00 बजे

इसी तरह से देश की शिक्षा प्रणाली सचमुच अस्पृश्यता का व्यवहार कर रही है। महर्षि दयानन्द यूनीवर्सिटी जो रोहतक में है, वहां के वाइस चांसलर ने इतना आतंक फैलाया हुआ है कि किसी अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे को ऐडमीशन नहीं मिलता। वहां के हमारे दो नेता जो अनुसूचित जाति और रिजर्वेशन पर आंदोलन कर रहे थे, उनको यूनीवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। होस्टल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : महोदय, वह विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी निकाय है।

आज ये वही बोल रहे हैं। लालू जी इनको धक्का दे रहे हैं कि यह बोलें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : वस्तुतः यही बात है। मेरे माननीय मित्र नहीं जानते कि आरक्षण नीति भारत के संविधान से शासित होती है। वहां स्वायत्तशासी होने का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

इसी तरह से हमारे बच्चों को, नौजवानों को साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, टैक्नीकल इंस्टीट्यूशन, मैडिकल ऐजूकेशन से वंचित किया जाता है और यूनिवर्सिटी तो इतनी क्षीण हो चुकी है कि वहां न ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और न किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडमीशन मिलता है। बच्चों के ऐडमीशन में काफी दुर्व्यवहार किया जाता हैं टैक्नीकल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैंने डिपार्टमैंट ऑफ परसोनेल से शुरु किया था। जितने मैमोरंडम गवई साहब ने यहां पढ़े, उन्होंने सब यह कहकर टर्न डाउन कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। मेरे पास एक दर्जन से अधिक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं।...*(व्यवधान)* मैं सब नहीं पढूंगा लेकिन केवल एक आर्डर, जो महाराष्ट्र में मुम्बई काउंसिल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, की एक पंक्ति पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें यह था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। मुम्बई म्यूनिसिपल कॉरपॅरेशन में एक इम्प्लाई को इसलिए प्रमोशन नहीं मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई आर्डर उसके रास्ते में आता था। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट का जो 1994 का डिसीजन रिपोर्ट हुआ, उसकी एक लाइन मैं पढ़कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है—

[अनुवाद]

निगम की कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित करते हुए न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति हेतु विचार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 46 के साथ पठित अनुच्छेद 16(1) के अन्तर्गत आदेश के अनुपालन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया गया मौलिक अधिकार है।

[हिन्दी]

इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वे आर्डर तो सारे लागू कर दिए जिन्होंने हमारे बच्चों के सारे कनसेशन्स खत्म कर दिए और यह जो स्पीकिंग आर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फंडामैंटल राइट मांगा है, उसकी ओर नौकरशाही ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी आज्ञा से आर्डर की सारी प्रतिलिपि टेबल पर रखना चाहूंगा। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राईब्स के नौजवानों को फेवर करते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और जो आर्डर सरकार की मिलीभगत, मैं जान-बूझकर कहता हूं, जहां भी शैड्यूल्ड कास्ट्स इम्प्लाई के खिलाफ कोई रिट पिटीशन होती है तो सरकार बड़े से बड़ा वकील करके देती है जबकि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता...* प्रभावत शब्द नहीं लेकिन वकील तो बड़े होते हैं, वे अच्छा आरग्यू कर लेते हैं। मैं उस शब्द को वापिस लेता हूं। लेकिन वो फैसले जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के खिलाफ जाते हैं, उनको गवर्नमैंट के आर्डर में छाप दिया जाता है लेकिन जो फैसले शैड्यूल्ड कास्ट्स के पक्ष में जाते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इसलिए महोदया, मैं ऐन वक्त पर आपको वार्न करने जा रहा हूं कि डिपार्टमैंट ऑफ परसोनेल की धांधली, तानाशाही, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय को समाप्त कर दिया जाए वर्ना आपका डी॰ओ॰पी॰टी॰ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सारे काम को अपने हाथ में लीजिए। कभी इस महकमे के इंचार्ज गृह मंत्री हुआ करते थे, आज इस महकमे में आपको केवल एक खिलौना बनाकर रखा गया है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है क्योंकि आपके जितने जवाब आते हैं, उनमें एक ही बात लिखी जाती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सहमत नहीं है।...*(व्यवधान)*

बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बूटा सिंह : मेरा आखिरी पाइंट है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है, मैं सरदार बूटा सिंह जी की बेहद इज्जत करता हूं। मैं तो बच्चा था, जवान था, जब से इनकी रहनुमाई मुझे मिलती थी, लेकिन आज बोलते हुए दो बातें इन्होंने कहीं। एक तो यह कि मैं मंत्री को वार्न करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : वह तो करना होता है, वह पार्लियामेंटरी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अच्छा, कोई बात नहीं, कर दिया। फिर यह कह देना कि आपको खिलौना बनाकर रखा हुआ है, यह बात अच्छी नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री बूटा सिंह कृपया अब समाप्त करें। यह आपका अन्तिम वाक्य होगा, इसके बाद समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : यह अनपार्लियामेंटरी तो नहीं है, मैंने इसलिए कहा। मैं आखिरी पाइंट कहने जा रहा हूं।

मेरा पाइंट यह है कि 20 नुकाती प्रोग्राम में जवाहर रोजगार योजना में जितनी तथाकथित मदद अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों को दी जा रही है, उसमें 20 हजार रुपया दिया जा रहा है। आई॰आर॰डी॰पी॰ में भी दी जाती हैं। आज आप 20 हजार रुपये लेकर बाजार में जाइये तो छोटी से छोटी कोई मशीन नहीं खरीद सकते और उनको क्या कहा जाता है, इसके साथ आप सूअरबाड़ा खोल दीजिए, इसके साथ आप जूता मरम्मत करने का काम खोल दीजिए, इसका मतलब जातिवाद को और पक्का कर दिया जाये। हमारा अनुरोध यह है कि उन बच्चों के लिए कम्प्यूटर, उन बच्चों के लिए इण्डस्ट्री, उन बच्चों के लिए व्यवसाय, सरकार की डीलरशिप, लाइसेंस देकर उन बच्चों को उस धन्धे से हटाकर नया काम दिया जाये, जिससे वे सही मायनों में समाज के दूसरे वर्गों के साथ विकसित हो सकें। जितनी स्कीमें हैं, उनको मोडीफाई किया जाये।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : सभापति जी, केवल एक मिनट। मैं सिर्फ यह क्लियर करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक मिनट दिया। सरदार बूटा सिंह जी ने जो हिन्दुस्तान टाइम्स को कोट करके कहा है, "भाजपा के कार्यकर्त्ताओं ने अनुसूचित जाति की महिलाओं की पिटाई की।" अखबार ने जो कहा है। हमारे यहां क्या हो रहा है कि जो अखबार में आ जायेगा, उसकी बिना जांच किये हम प्रश्न उठा देंगे।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।*

*(व्यवधान)**

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। आपने सबमिशन के लिए कहा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एलाऊ करने का क्या मतलब है। आप क्लैरीफिकेशन के लिए, सबमिशन के लिए खड़े हुए हैं। इसके साथ आपने भाषण देना शुरू कर दिया।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तभी के तभी मैंने रूलिंग दी थी। मैंने आपको बोलने का अवसर दिया। अब आपको मेरी बात सुननी चाहिए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब आपकी स्पीच की बारी आयेगी तो आप उसका खंडन कीजिए। आप इस सदन के नये मैम्बर नहीं हैं, आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम है कि आपकी पार्टी भी खंडन कर सकती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे समाचार पत्र से उद्धृत कर रहे हैं लालू प्रसाद जी, एक मिनट।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): आप सुन तो लीजिए।

सभापति महोदय : लालू जी, यह तरीका नहीं है। मैं खड़ा हूं, आप बैठिये।

श्री लालू प्रसाद : मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने जो कोट किया, वह उसमें है। अब उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : हम कोट नहीं कर रहे हैं, वे गलत समझ रहे हैं। आप पहले सुनिये न।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिए। मैं यह कह रहा हू उन्होंने कोट किया वह उसमें है अब दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोट कर दिया, अब बात खत्म हो गई।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बैठिए, मैंने उनको बुलाया है।

*(व्यवधान)**

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : सभापति जी, आपने श्री विजय गोयल का रिकार्ड में नहीं जाने दिया, क्या लालू जी का रिकार्ड में जाएगा, यह मैं जानना चाहता हूं?

सभापति महोदय : किसी का नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप क्यों खड़े हो गए। मैंने कह दिया है आपका भी नहीं जाएगा, उनका भी नहीं जाएगा। जो भी हो, मैंने कहा कि कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने यह पहले ही कह दिया है।

*(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : मैं तो आपकी इजाजत से बोला हूं। आप मेरी आखिरी दो लाइनें काट सकते हैं।

सभापति महोदय : जब मैंने कहा कि रिकार्ड में नहीं जाएगा, तभी से नहीं जाएगा। सोडे रमैया जी, गीता मुखर्जी ने आपका नाम भेजा है, लेकिन आपने कौन सी भाषा में बोलना है, यह मेंशन नहीं है इसलिए ट्रांसलेटर का इंतजाम नहीं हो पाया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ट्रांसलेटर का इंतजाम है, अब आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं।

****श्री सोडे रमैया** (भद्राचलम) : सभापति महोदय, हमें आजाद हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो गए पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कई समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इस अवसर पर उनमें से कुछ समस्याओं का उल्लेख कर रहा हूं और आशा करता हूं कि सरकार अब उन पर ध्यान अवश्य देगी। महोदय, मैं भी अनुसूचित जनजाति समुदाय का हूं अतः उनकी समस्याओं से भलीभांति परिचित हूं। कई समस्याएं हैं जिनमें से आवास, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क आदि की समस्याएं गम्भीर हैं।

सबसे महत्वपूर्ण समस्या आवास की समस्या है। महोदय, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाए जा रहे हैं किंतु इनमें से कई मकानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित नहीं किया जा रहा है जबकि वे हमारे समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल विधान सभाओं के विधायक ही आबंटन के अधिकारी हैं, सांसद नहीं, महोदय, हम इस माननीय सदन में आए चयनित सदस्य हैं औ उसी समुदाय से संबंध रखते हैं, फिर भी हमें इस योजना के अन्तर्गत आवास की सुविधा से वंचित किया जा रहा है, मात्र इसलिए कि हम संसद सदस्य हैं। महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूं कि यह सुविधा संसद सदस्यों को भी दी जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिकाधिक आवास आबंटित किए जाने चाहिए।

सभी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर एक योजना चल रही है। विशेष सर्वेक्षण कराके ऐसे गांवों

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

का पता लगाया जाए जहां पेयजल की गम्भीर समस्या है और इन गांवों को उक्त योजना में शामिल किया जाए। इस तरह की समस्या वाले गांवों को पेयजल की कमी से बचाया जाना चाहिए।

देश में हर एक को शिक्षा के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, आज भी देश में ऐसे कई गांव हैं जहां स्कूल नहीं हैं। प्रत्येक गांव में और विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्कूल बनाए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लड़के-लड़कियों को हर सम्भव सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना रोकटोक व कठिनाई के जारी रख सकें। प्रत्येक गांव में छात्रावास बनाए जाने चाहिए।

महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कई किसान अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के हैं जो विशेषकर पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में हैं। उन्हें कृषि हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देश के किसानों को अधिक अनाज उत्पादन के लिए बेहतर सिंचाई सुविधाओं, ऋण सुविधाओं, उच्च कोटि के बीजों आदि की आवश्यकता है। सरकार को इस आवश्यकता पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

हर दो या तीन गांवों के लिए कम से कम एक अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। देश के प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य कर्मचारी होना चाहिए जो ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रख सके और प्रतिदिन ग्रामीणों से सम्पर्क करके उनकी समस्याओं की जानकारी ले सके।

जनजाति वाले क्षेत्रों में जनजाति विकास निगम कार्यरत हैं। इन निगमों से केवल जनजातियों के हितों का ध्यान रखने के लिये कहा जाए। इस समय वे केवल जनजातियों से विशेषया सम्बद्ध समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन संगठनों को देश के जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु स्थापित किया गया था अतः इन्हें केवल जनजातियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। महोदय, अनुसूचित जनजाति के हजारों पुरुष और महिलाएं अभी भी बेरोजगार हैं। उन्हें तुरंत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सरकार उन्हें रोजगार दिलाने में समर्थ नहीं होती तो कम से कम उन्हें बेरोजगारी भत्ता अवश्य उपलब्ध कराया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में तेंदु पत्ता बहुतायत में उपलब्ध है। लेकिन आदिवासी लोग इस संसाधन का दोहन करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई बीड़ी फैक्ट्री नहीं है। अतएव सरकार को इन क्षेत्रों में बीड़ी फैक्ट्री स्थापित करने के संबंध में कदम उठाने चाहिए जिससे आदिवासी क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सके। यह रोजगार सृजन में सहायक होता है। इस तरह इन लोगों के बीच से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।

सायं 7.16 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोडे रमैया, कृपया एक मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मदन लाल खुराना कुछ कहना चाहते हैं। आप बाद में अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, सदन की भावनाओं को देखते हुए लीडर ऑफ अपोजीशन तथा नेता, कांग्रेस प्रधान मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने मैसेज दिया है कि यदि सदन चाहता है, आप चाहते हैं तो परसों तक के लिए सदन बढ़ा सकते हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : पूर्व निर्णय यह था कि जैन आयोग की रिपोर्ट पर दो दिनों तक चर्चा होगी। म॰प॰ 4 बजे सभा की आम सहमति ली गई। लगभग सभी ने सभा को एक दिन के लिए बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। मैं श्री मदन लाल खुराना को इस पर सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : बढ़ा दीजिए लेकिन पन्द्रह दिन में एक ही बार दस्तखत होंगे।...*(व्यवधान)* बढ़ा दीजिए।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपने हमें यह नहीं बताया कि हाउस क्यों बढ़ाना है?

[अनुवाद]

श्री एन॰एन॰ कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, हम इससे सहमत नहीं हैं...*(व्यवधान)* 6 तारीख को हम हीरोशिमा दिवस मना रहे हैं जो पूरे देश में काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। अतः हम उस निर्णय से सहमत नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, जैन आयोग की रिपोर्ट पर 17 और 18 अगस्त को बहस की जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, हम लोग इस पर सहमत हैं कि राजीव गांधी हत्याकांड के विषय में कोई विवाद नही, चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* एक दिन और आप बढ़ा दीजिए।

[श्री लालू प्रसाद]

आप बढ़ाइए लेकिन साथ-साथ यह ध्यान रखिएगा कि हम एक दिन दस्तखत करेंगे, उसे पन्द्रह दिन माना जाएगा। रोज-रोज हाजिरी मत लगवाइएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अतएव, सभा का यह विचार है कि सभा की बैठक 6 तारीख तक बढ़ाई जाये। श्री सोडे रमैया अब आप बोलना जारी रखें।

सायं 7.18 बजे

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

[अनुवाद]

(तीन) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं—जारी

श्री सोडे रमैया : महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उनकी जिंदगी तथा सम्पत्तियों की कोई सुरक्षा नहीं है। उन पर जानलेवा आक्रमण, बलात्कार तथा दुर्व्यवहार आम बात हो गई है। केन्द्र तथा राज्य सरकार को इस बात को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए तथा इन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए कड़े से कड़े उपाय किए जाने चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि ये बेसहारा महिलायें भविष्य में ऐसे अत्याचारों का शिकार न हो सकें।

प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार को समाज के इन वर्गों में व्याप्त व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि दी जानी चाहिए।

वर्तमान 1/70 अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अपना मकान बनाने के लिए प्लाटों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को भी प्लाटों के आबंटन करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किशनलाल दिलेर (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामविलास पासवान जी ने सदन में नियम 193 के अधीन हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान दिलाने के लिए ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं बातों की पुनरावृत्ति न करते हुए, अपने कुछ विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदय, हरिजनों पर आज तक अत्याचार होते रहे हैं और उसकी चर्चा यहां पर हुई है। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पिछली सरकारें इन पर हो रहे अत्याचारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पाई, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई और हरिजनों पर अत्याचार होते रहे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन लोगों पर हो रहे अत्याचारों में कमी आ रही है और उत्पीड़न में भी कमी आ रही है। जितने अत्याचार पहले होते थे, उतने अत्याचार अब नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार पर कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाए हैं, जो शोभाजनक नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से वर्तमान केन्द्रीय सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन अत्याचारों पर रोक लगाए, जिससे जो मित्र आरोप लगा रहे हैं, वे गलत साबित हों। यह सरकार हरिजन विरोधी नहीं है। एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि यह सरकार आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस सरकार की ऐसी कोई मंशा हरिजनों पर कुठाराघात करने की नहीं है। जब संविधान बनाया गया था, तब संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि समाज में जो दबे, कुचले और पिछड़े लोग हैं, उनको किसी प्रकार देश की विकास की धारा के साथ लाया जाए। आज हम दूसरी ही स्थिति देखते हैं। वास्तविकता यह है कि इन दबे हुए लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आरक्षण के बारे में भी हम सदन में चर्चा करते हैं, लेकिन इनके साथ अगर इन्साफ नहीं हुआ, तो इन लोगों में एक दिन ज्वाला भड़केगी और इस जातिवाद के अलग-अलग पहलुओं से देश को गुजरना होगा। एक दूसरे पर आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों में एकता होनी चाहिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरिजनों के उत्थान में काम करें और देश से इस जातिवाद को समाप्त करें।

आज सबसे बड़ी समस्या सफाई कर्मचारियों की है, जिसके लिए आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, जो मजदूर रात-दिन मजदूरी करते हैं, उन्हें समय पर पैसा भी नहीं मिल पाता। मैं आपको एक प्रदेश की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की कहानी बता रहा हूं। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि उनको दस-दस, 12-12 महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती है। जिस मजदूर को आज के महंगाई के समय में तनख्वाह नहीं मिले तो वह किस तरह अपना गुजारा कर सकता है, अपने बच्चों के जीवन का निर्वाह कर सकता है। जब उनको पहनने, ओढ़ने को कपड़ा नहीं मिलता, खाने को रोटी नहीं मिलती, तो उनके सामने हड़ताल करने और आंदोलन करने का ही एकमात्र सहारा रह जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार सभी प्रदेशों को आदेश दे कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिले। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो मेरी मांग है कि उनको राज कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे

कि उन्हें समय पर तनख्वाह मिल सके। इनकी हालत बहुत दयनीय बन चुकी है, वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते। उनको अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, इन चीजों पर ध्यान दिया जाए।

महोदय, आज के युग में जो पिछड़ा और दुर्बल वर्ग है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो यहां माननीय सदस्यों ने अत्याचारों के बारे में कहा है, उसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन अत्याचारों को खत्म किया जाए। इनके वजीफे, ग्रेच्युटी वगैरह पर ध्यान दिया जाए। गांवों में जो गरीब लोग हैं उनको ठीक से पैसा नहीं मिलता। इंदिरा आवास या जो भी सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जाती हैं या छूट दी जाती है उसमें भी धांधलियां होती हैं, उसमें भी कटौती होती है। जो सुविधा शुल्क दे देते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है लेकिन बाकी गरीब बेचारे उस छूट से वंचित रह जाते हैं तथा वे बेचारा कर्जे में डूबे रहते हैं। इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि गरीब तक वह पैसा ठीक से पहुंचे और उसको पूरा लाभ मिले।

महोदय, मायावती जी जब मुख्य मंत्री थी तो उन्होंने हरिजन एक्ट लगाने का प्रयास किया था, जिसे कल्याण सिंह जी ने वापस ले लिया और कहा कि जांच करके न्यायोचित कार्यवाही की जाए, तब जनता को राहत मिली। माननीय पासवान जी ने जो बातें रखी हैं, सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलने वाली बातें हैं, उसके लिए मैं सहमत हूं और इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस॰ एस॰ पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : अध्यक्ष महोदय इस चर्चा में भाग लेना मेरा दायित्व है। पी सी आर अधिनियम तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम लागू करने के पहले ही हमने तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्तर में भारी सुधार लाया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का समाधान दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो कानून द्वारा उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोककर तथा दूसरा समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़कर सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करना।

हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तमिलनाडु में द्रविड़ आन्दोलन के प्रणेता पेरियार ई॰वी॰ सम्बास्वामी नैकर ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कांग्रेस से केवल इस कारण से बाहर आए क्योंकि उच्च जाति के लोगों द्वारा चलाए जा रहे आश्रम के भोजन कक्ष में हरिजन लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। वे कांग्रेस से बाहर आए तथा द्रविड़ कजगम बनाया। उन दिनों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को गली में स्वतंत्रतापूर्वक नहीं घूमने दिया जाता था।...*(व्यवधान)* जब कनिष्ठ सदस्य बोल रहे हों तो वरिष्ठ सदस्यों को भी सुनना चाहिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : वरिष्ठ सदस्यों को कनिष्ठ सदस्यों के भाषण सुनने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री एस॰ एस॰ पलानीमनिक्कम : तमिलनाडु राज्य में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाता था। जो मोची चप्पल बनाया करते थे उन्हें उस सड़क पर चप्पल पहनकर चलने नहीं दिया जाता था जहां उच्चतर जाति के लोग रहते थे। जो मंदिर बनाते थे उन्हें उसी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी जब नए बने मंदिर में पूजा हो जाता था। सूरज की किरणों से बचने के लिए उन्हें छाते ले जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें साइकिल पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये चीजें स्वाभिमान तथा तर्कवाद के माध्यम से पिछले पचास वर्षों के दौरान बदलीं गई।

तमिलनाडु में हम मंच भाषण, नाटक के माध्यम से तथा सिनेमा के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। हम अनुसूचित जाति के लोगों के मन में परिवर्तन ला रहे हैं। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति ऊंची जाति के लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव भी ला रहे हैं। वे लोग जो आत्म सम्मान के आंदोलन में शामिल हैं वे लोगों के मन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भाई और बहनों के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तमिल संस्कृति के युग में कोई जाति अथवा वंश नहीं था। ईश्वर, धर्म और वेदों के नाम पर हम बंट गए हैं।

एक रास्ता है कि हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसी सम्पत्ति है जिसे चुराया नहीं जा सकता। तमिलनाडु में स्नातक स्तर के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। हमने उनके लिए छात्रावास उपलब्ध कराया प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की हैं। छात्रावास में एक अच्छा ग्रन्थालय भी है। उनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम छात्रावास में टेलिविजन लगा रहे हैं। इसके साथ ही उनको आईएएस ओर आईपीएस परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए हम सभी सुविधाओं से युक्त कोचिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराकर हमने ऊंची जातियों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच भेदभाव को दूर किया है।

लाखों की संख्या में लोग आवास और पेयजल जैसी मौलिक सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। वे अन्य लोगों के घरों में रह रहे हैं। तमिलनाडु सरकार लाखों लोगों को आवास पट्टा उपलब्ध करा रही है। आंध्र प्रदेश के मेरे सहयोगियों ने कहा है कि आवास योजना का समुचित रूप से उपयोग नही किया जा रहा है। हमारे राज्य में हम लोगों के लिए पक्के मकान बनवा रहे हैं। वर्ष 1974 में बाबू जगजीवन राम जी मेरे राज्य की यात्रा पर आए थे। उस समय वे एक आवासीय कालोनी स्थापित कर रहे थे। उन्होंने तत्कालीन

[श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम]

मुख्यमंत्री की प्रशंसा की जो कि वर्तमान में भी मुख्य मंत्री हैं वे हैं डा॰ कलैन्गार उन्होंने यह कहा कि यह एक आदर्श और कल्याणकारी राज्य है। उन्होंने उस योजना को खूब सराहा जिसके अंतर्गत किराया रहित मकान उपलब्ध कराये गए थे। हमारी स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती वर्ष में हमारी सरकार ने इस वर्ष के अंत तक पेयजल, सम्पर्क सड़क आदि जैसी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए ऐसा करने पर ही वे ऊंची जातियों के लोगों के दमन और शोषण का सामना कर पायेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निजी उद्यमों को अस्सी प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उनको बीस प्रतिशत राशि राज्य आदि द्रविड बोर्ड उपलब्ध करायी जायेगी। चीनी मिलों के आसपास रहने वाले एक हजार युवाओं को ट्रक खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। इसके लिए केवल ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त रखी गई है।

तमिलनाडु के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सरकार सभी मौलिक सुविधाओं से सम्पन्न समथुवापुरम उपलब्ध करा रही है। इसके अंतर्गत 100 मकानों में से 40 मकान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए, 25 मकान सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए, 25 मकान पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं और 10 मकान अन्य लोगों के लिए होते हैं...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान ने कहा कि तमिलनाडु राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। इसलिए मैं भी इन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं। यदि हम जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा। अतएव हमारी सरकार अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे विवाहों के लिए हम 20,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और रोजगार में प्राथमिकता दे रहे हैं।

हाल ही में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के दौरान हमने यह देखा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं हैं। इसलिए सरकार ने प्रत्येक कालेज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 50 छात्रों के लिए पृथक रूप से प्रशिक्षण कक्षाएं आरम्भ कर दी हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात् अध्यापकों के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दस मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री एस॰ एस॰ पलानीमनिक्कम : मेरे सुविज्ञ साथियों ने कहा है कि कई राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे की रिक्तियां भरी नहीं गई हैं। परन्तु हमारे राज्य में हमने यह कानून पारित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे की रिक्तियां किसी अन्य उम्मीदवार से न भरी जायें।

मेरे अन्य सहयोगी ने कुछ समय पहले तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र किया था। जी हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं। दो वर्ष पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री केन्द्र के एक केबिनेट मंत्री को विमान से बाहर निकाल दिया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल बोलेंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री एस॰ एस॰ पलानीमनिक्कम : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल (रोपड़) : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जो बहस चल रही है, आपने उसमें मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

यह बहस उस समाज से, उस वर्ग से संबंधित है जो सदियों से लताड़ा हुआ है। वे सदियों से ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा शायद पशु भी नहीं जीते। इतिहास साक्षी है कि उन पर कैसे अत्याचार किये जाते थे, कैसे उनको अलग-थलग रखा जाता था? देश की आजादी के 50 वर्ष बाद भी अगर सदन में यह बहस होती है कि उन पर अत्याचार किये जाते हैं या अभी भी उनकी समस्यायें हैं, वे अच्छा जीवन-स्तर व्यतीत करने के काबिल नहीं हैं, वह हमारे जैसे लोकतंत्र और भारतवासियों के लिये शर्म की बात है। अखबारों में रोज सुर्खियां आती हैं कि कैसे इन लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं? अगर किसी ने अपना नाम राणा प्रताप रख लिया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। यदि एस॰एच॰ओ॰ मंदिर से क्रिमिनल को निकाल देता है तो उसे पत्थर से मार दिया जाता है। इस देश का प्रत्येक दल, मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं लूंगी, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वह इन लोगों के कितने ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकता है। लेकिन इन लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि यह वर्ग हमेशा अपने आपको उपेक्षित समझता रहा है। इसके लिये हमारा समाज, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारी अफसरशाही जिम्मेदार है। यह आवश्यक है कि हम लोग इनकी समस्यायें समझें और उन्हें हल करने

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का प्रयास करें। यदि कोई ह्रासमेंट होता है या बलात्कार होता है तो ज्यादातर दलित महिला का होता है। मैं पंजाब को इससे अलग रखते हुये दूसरे राज्यों की बात करती हूं जहां बड़े पैमाने पर इनकी हत्यायें की जाती हैं। दलित लोगों के घरों को जला दिया जाता है। सामाजिक तौर पर उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। इसलिये यह आवश्यक है कि पहले हम उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और उन्हें एम्पलायमेंट दें। उनको नौकरी दें या ऐसा काम दें ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी रोजी-रोटी कमाकर स्वाभिमान का जीवन व्यतीत कर सकें। इस समुदाय में नौकरी-पेशा वाले लोगों का ह्रासमेंट कम नहीं है।

नौकरियों में उन्हें पूरा सम्मान नहीं मिलता। अगर कभी प्रमोशन की बात आती है तो उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ता है या उन्हें कचहरियों में जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको प्रमोशन्स मिलती हैं। इन प्रमोशन्स को लेते समय भी जो अपने साथी कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार उनके प्रति ज्यादा इज्जत या सत्कार वाला नहीं होता। कचहरियों में केस जाते हैं, चाहे वे प्रमोशन्स के हों या अपॉइंटमेंट के हों, वहां से जो फैसले होकर आते हैं, वह फैसले अगर उनके विरोध में हैं तो नौकरशाही उन्हें एकदम लागू कर देती है और अगर उनके पक्ष में फैसला होता है तो उन्हें दबाकर रख लिया जाता है। इसलिए जहां राजनेता लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वहीं अफसरशाही भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए जरूरी है कि अफसरशाही को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

आज इस बात की आवश्यकता है कि जो भेदभाव हो रहा है, इसको खत्म करें और उन लोगों के मन से इस भावना को निकालें कि वे दूसरे दर्जे के शहरी हैं। वे भारत में ही रहने वाले दूसरे लोगों के समान हैं। मैं पंजाब से संबंध रखती हूं और अगर हम इतिहास देखें तो गुरू नानक देव से लेकर गुरू गोविन्द सिंह तक ने समाज-सुधार के लिए बीड़ा उठाया। दूसरे समाज-सुधारकों ने—राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानन्द ने समाज के दलित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किये परंतु गुरू नानक देव जी ने, जिन लोगों को बहुत नीचे स्तर का समझा जाता था, उनको बराबरी पर लाने के लिए लंगर की व्यवस्था चलाई क्योंकि उसमे राजा या रंक का कोई फर्क नहीं होता। एक ही पंगत में बैठकर सब खाना खाते थे। हमारे यहां नाम जपणा, वंड छकणा ते किर्त करणी कहा गया है। इसमें करनी की जो बात है, उसमें डिग्निटी ऑफ प्रोफैशन पर बल दिया गया है कि जो हाथ से काम करता है, वह हमेशा ही सम्माननीय होता है। इसलिए काम के आधार पर, कि यह सफाई मजदूर है, यह दूसरी तरह का काम करता है, हम उसे नीचा नहीं मान सकते। आज उसी भावना को लेकर चलने की बात है तभी दलित वर्ग की जितनी भी समस्याएं हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं और उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।

आज 21वीं सदी में प्रवेश करने के लिए हमें डेढ़ साल बचा है लेकिन आज भी बातें वही 14वीं शताब्दी वाली हो रही हैं। तब तो बात मानी जाती थी क्योंकि समाज न तो इतना मॉडर्न था और न ही लोग इतने पढ़े-लिखे थे परंतु आज जब शिक्षा का प्रचलन बहुत हो रहा है, जब हम न्यूक्लियर युग में पहुंच गए हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तब भी उन्हीं पुरानी बातों पर अटके रहें तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए जरूरी है कि जो अत्याचार हो रहे हैं, हम उनको बंद करें।

दूसरी बात है कि रिजर्वेशन के लिए कानून तो बने हैं, मगर उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। केन्द्र में या राज्यों में देखिये तो वहां इतना बैकलॉग है कि उसे कभी पूरा नहीं किया जाता। केन्द्र सरकार इस पर बल दे और पता लगाए कि किन-किन राज्यों में कितना बैकलॉग है और उसको पूरा किया जाए। अपॉइंटमैंट्स भी की जाएं और प्रमोशन्स भी दी जाएं तभी हम उनको आगे ला सकते हैं।

दूसरी बात हमारी मानसिक व्यवस्था को बदलने की है। यहां इकट्ठा हुए, बहस की और फिर सारा कुछ खत्म हो गया—ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े-बड़े विद्वान संसद में आते हैं और ऊंचे स्तर की बातें बोलने वाले बहस में अच्छे-अच्छे सुझाव देते हैं, उनको कॉपी में नोट करके या किताब में बंद कर देने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। जब तक हम उनको लागू नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। इसलिए इस बात पर बल देने की जरूरत है कि जो अच्छे सुझाव आते हैं, उनको इंप्लीमेंट करें ताकि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसका सुधार हो सके। पासवान जी ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। मैं उनकी बातों से सहमत हूं। उन सभी बातों को लागू किया जाए और हम अपने दिमाग से यह विचार निकाल दें कि हम किस पार्टी से संबंधित हैं। जब पिछड़े हुए और दलित वर्ग की बात आती है तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। यह बात छोड़ दें कि पार्टी कौन सी है। हम सुधार कर सकते हैं और जब हमारा समाज मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा।

मैंने इतिहास पढ़ाया है, मैं इतिहास की प्राध्यापिका रही हूं। मैंने देखा है कि जब किस्तमुखी समाज था, मनुष्य समाज किस्तों के आधार पर बंटा हुआ था। इतिहास में उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति के घर में चार बेटे थे—चारों में से एक ब्राह्मण हो गया, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया और एक क्षत्रिय हो गया। परंतु धीरे-धीरे रिजीडिटी हो गई और इन्होंने इसे जन्म के आधार पर जाति के आधार पर बांट दिया और जब ऐसा हो गया तभी हमारा देश गुप्त पीरियड के बाद गुलाम हो गया। उस गुलामी को हमने सदियों तक सहा है। उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली है। अगर हम इस आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी एकता बनी रहे और जो वर्ग आपके लिए दिन-रात काम करता है, उस वर्ग को एक तरफ छोड़कर आप इस एकता को मजबूत नहीं बना सकते। उनको साथ लेकर ही एकता को मजबूत बना सकते हैं। तभी हमारा देश तरक्की करेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप बराबर बोला करें। आप बी॰जे॰पी॰ की तरफ से हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं जानते

[श्री लालू प्रसाद]

हैं। आप बराबर बोला करिये, दबिये मत, मौका लेकर जबरदस्ती बोला करिये। हम लोग इधर बैठे हैं।

श्रीमती सतविन्दर कौर धालीवाल : आप किसी को बोलने नहीं देते, इसलिए हमे बोलने का मौका नहीं मिलता।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं पर नियम 193 के अंतर्गत आज जो चर्चा श्री रामविलास पासवान और श्री पी॰ राजरतिनम ने प्रारम्भ की है, उस चर्चा में मैं भी भाग ले रहा हूं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं का जहां तक सवाल है, जो समस्याएं हमारे सामने विद्यमान हैं, उनके निदान के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इस बात की ध्वनि जाए कि दरअसल में हम इस समस्या के समाधान के लिए संकल्पित हैं और इस समस्या का निदान एक समयावधि में करना चाहते हैं। अत्याचारों की जो श्रृंखला है, वह हर सदस्य की जानकारी में है। आज दरअसल आवश्यकता इस बात को देखने की है कि हमारा चिंतन, हमारा सोच और हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है। हम समाज के उस वर्ग के प्रति क्या कर रहे हैं जो समाज की सेवा के लिए ही नहीं बना, सहयोग के लिए भी उसका योगदान रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में भी उसका योगदान रहा है। देश की आजादी के बाद, देश के नवनिर्माण में, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि देश में रहने वाले सब लोग बराबर रहेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। आज सवाल इस बात का है कि जब हम अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अगर हम इन आंकड़ों को देख लें तो मैं समझता हूं कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जायेंगे, शरीर के जितने बाल हैं वे शायद खड़े हो जायेंगे। जो अनुशंसाएं केन्द्र शासन की होती हैं, राज्य सरकारों की होती हैं, उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि क्या हम इतने कमजोर हो गये हैं? हम बार-बार कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती। मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत नही हूं। जैसा हम चाहेंगे, जैसी सरकार होगी, जैसा शासन होगा, शासन कार्य जिस ढंग से करना चाहेगा, ब्यूरोक्रेसी वैसा ही करेगी।

अभी हाल ही में मैंने देखा कि 4.2.1998 को भारत के राष्ट्रपति श्री नारायणन साहब के सामने नेशनल कमीशन फॉर एस॰सी॰ एंड एस॰टी॰ ने अपनी दो वोल्यूम की रिपोर्ट सबमिट की है। आप देखें कि उस रिपोर्ट में कमीशन ने क्या लिखा है। उसके खंड-1 में कहा गया है कि केन्द्रीय शासन, केन्द्रीय शासन के मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, उनका बराबर निराकरण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा खंड राज्यों में शिक्षा के विकास, विशेष कर आदिवासियों के विकास, नौकरियों की सुरक्षा, पदोन्नतियों के बारे में हुई घटनाएं तथा एस॰सी॰एस॰टी॰ के ऊपर घटने वाली घटनाओं से संबंधित हैं। मंत्री महोदया, भारत के राष्ट्रपति को उसने अपनी सिफारिशें दो खंडों में प्रस्तुत की हैं और उनको यदि आप देखेंगी, तो आप समझ पाएंगी उनमें क्या-क्या अनुशंसाएं की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं करने के बाद केन्द्र की सरकार या किसी प्रदेश या राज्य की सरकारों की क्या मजाल है कि वे उन सिफारिशों के अनुसार काम न करें या उनका पालन न करें। आयोग द्वारा राज्यों-हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भ्रमण करने और विभिन्न राज्यों में ली गई बैठकों के पश्चात अपनी रिपोर्ट दी है। अगर आप उस रिपोर्ट को देखें या उसको देखने का आप समय निकाल सकें तो उसे अवश्य देखें। उसमें चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं। भारत सरकार की ओर से जो धन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रदेशों को दिया जाता है, उसका कितना दुरुपयोग हुआ है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी धन राज्यों को अनुसूचित जाति, जनजातियों के कल्याण के लिए दिया जाए, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सचमुच यह दुर्भाग्य की बात है कि जब-जब इस पर गहरी चर्चा होती है, तो मालूम होता है कि सुनियोजित ढंग से, सोची-समझी चाल के अंतर्गत, जो सुविधाएं एस॰सी॰एस॰टी॰ को मिलनी चाहिए, वे नहीं आज भी मिल रही हैं। उन सुविधाओं में बहुत कमी कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण रहेगा। उसके बाद संसद ने संविधान में 77 वां संशोधन कर के कानून बना दिया और पदोन्नति में उनका आरक्षण कायम रखा, लेकिन संसद ने जो लाभ देने का निर्णय किया, उस पर शासन के एक आदेश द्वारा रोक लगा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए, उसके बाद संसद निर्णय कर ले और और उसके बाद शासनादेश निकला उसमें यह कहा है—

[अनुवाद]

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के काफी समय बाद पदोन्नत हुए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का उनसे काफी समय पूर्व पदोन्नत हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मुकाबले वरिष्ठता पुनःबहाल होगी।
2. रिक्ति आधारित आरक्षण को पद आधारित रोस्टर के रूप में बदल दिया गया जिसके कारण श्रेणी तीन और चार की कोटियों में सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती लगभग रुक गई है।

यह चौंकाने वाली रिपोर्ट है और इसकी सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया है।

3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध विभागीय परीक्षा के दौरान मूल्यांकन के लिए अर्हता के लिए कम अंकों के लाभ की सुविधा हटा ली गई जिसके परिणामस्वरूप विभागीय पदोन्नतियां अवरूद्ध हो गईं।

4. 77वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में आरक्षण को प्रथम श्रेणी की कोटि में निचले स्तर तक सीमित रखा गया है।

5. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए वर्ष 1989 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा शुरु किया गया उक्त भर्ती अभियान बंद कर दिया गया। भारत सरकार में एक भी सचिव के पद पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों का व्यक्ति नहीं है जबकि कई पद रिक्त पड़े हैं। सरकारी सेवाओं की प्रथम श्रेणी की कोटि के पदों पर वांछित 20.5 प्रतिशत स्तर के मुकाबले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रतिशतता 13.06 है।

इन सभी सिफारिशों का निश्चित समय में कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। परन्तु इनको कार्यान्वित नहीं किया गया। इस सम्मानित सभा द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना की गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही पर विचार किया गया है? सरकार कोई निर्णय लेने में इतनी कमजोर क्यों है?

महोदय, मैं वास्तव में बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में अत्याचार की कई घटनाओं का उल्लेख किया गया। हमने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं होते हुए देखी हैं। मैं इनमें से कई घटनाओं का उदाहरण भी दे सकता हूं।

रात्रि 8.00 बजे

मेरे पास वर्ष 1995, 1996, 1997, 1998 के आंकड़े हैं। वर्ष 1995 में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति 1764 अपराध किए गए हैं। यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। राजस्थान में यह संख्या 5197 है। वर्ष 1996 में यह संख्या बढ़कर 6623 तक पहुच गई। वर्ष 1997 में यह संख्या 5694 थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम इन आंकड़ों की तुलना करेंगे तो यह पायेंगे कि सिफारिशों का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया है। सामूहिक बलात्कार के मामले को ही ले लीजिए। इस मामले पर संसद में उत्तर दिया गया है। मैं सभी राज्यों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। वर्ष 1995 में इसकी कुल संख्या 478 थी। जोकि वर्ष 1996 में 550 तक, वर्ष 1997 में 670 तक पहुंच गई और 1998 में सामूहिक बलात्कार के केवल एक सौ मामले हैं। इस सबंध में मैं यह कहूंगा कि यह संख्या केवल एक सौ नहीं क्योंकि मैं नहीं जानता कि आने वाले महीनों में इनकी संख्या कितनी बढ़ जायेगी।

सभा में मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हमें इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। हमें मात्र इस मामले पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए इस पर एक अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। यदि हम इसकी जांच करेंगे तो यह पाएंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले सभी लाभों को गत कुछ वर्षों में समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसे कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार को कठोर प्रयास करने होंगे।

भारत में माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में आने वाले समय किए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ये कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सिफारिशों को अत्यधिक गम्भीरता से लिया जाए। इस मामले पर गम्भीरता से चर्चा की जानी चाहिए। जब हम आंकड़ों का उदाहरण देते हैं तो ये प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में हमारे समक्ष आएंगे। यह कोई सुखद बात नहीं है। बल्कि यह एक खराब लक्षण हैं। इससे यह गलत संकेत मिलता है कि उस देश में जिसमें महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और डा॰ राम मनोहर लोहिया ने सदैव समानता आदि को सराहा है इतनी खराब स्थिति है।

[हिन्दी]

बीच में जो समानता लाने की बात थी, उस समानता की बात को करने का समय आ गया है। डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बार-बार कही है और क्या हम डा॰ बाबा साहेब की बात को नकारने जा रहे हैं? क्या हम सारी बातों को सुनना चाहते हैं? क्या बहस के अंदर इन सारी बातों को निपटाना चाहते हैं? बहस की आवश्यकता इस बात की नहीं होगी। बहस का सवाल नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि नेशनल कमीशन ऑफ एस॰सी॰, एस॰टी॰ के जितने भी रैकमैंडेशन्स आये हैं, उन रेकमैंडेशन्स का सही ढंग से पालन होना चाहिए तब जाकर हम इस समस्या का समाधान कर पायेंगे। अन्यथा हमारी बहसें जो होती रही हैं, वे होती रहेंगी। यहां पर मेनका जी बैठी हैं और वे बराबर इस बात को देख रही हैं। उनके पास सारी जानकारी है। जानकारियों का अभाव नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें तथा जितने जी॰ओ॰ के इश्यु हुए हैं, उन जी॰ओ॰ को पूरी तरह से समाप्त करें।

[अनुवाद]

***श्री रूपचन्द मुर्मू** (झाड़ग्राम) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस चर्चा में अनेक माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा की है। उन्होंने उनकी समस्याओं के लिए हल भी सुझाए हैं। महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्याएं हमारे देश की व्यापक समस्या का एक हिस्सा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याएं गंभीर और अत्यधिक हैं। महोदय जब तक हम अपने देश की सामूहिक समस्या का हल नहीं ढूंढ़ लेते हैं तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याएं हल नहीं

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रूपचन्द मुर्मु]

की जा सकती हैं। हम सभी को देश में व्याप्त स्थिति की जानकारी है। हमने अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए इस सभा का विशेष सत्र आयोजित किया था। हममें से अधिकांश लोगों ने उस समय हुई चर्चा में भाग लिया था। इस चर्चा में समस्याओं पर पूर्ण रूप से विचार किया गया। देश की सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण समस्या गरीबी है। देश की आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। उसके बाद निरक्षरता की समस्या सभी जगह व्याप्त है। देश में 60 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। बेरोजगार लोगों की संख्या 10 से 12 करोड़ है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश की संपत्ति 10 से 15 प्रतिशत जनसंख्या के हाथों में केन्द्रित है। समाज में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। घोटाले और भ्रष्टाचार भयानक बीमारी की भांति फैल रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए खुली छूट दे दी गई है। साम्प्रदायिकता और धर्म के नाम पर राजनीति के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में है। क्या इस खराब परिदृश्य में आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सर्वांगीण विकास संभव है? ऐसे में आंशिक रूप से ही विकास हो सकता है। ये आदिवासी युगों से वंचित हैं, इनका दमन किया गया है और ये अत्याचार के शिकार हुए हैं। हम हर तरफ क्या देखते हैं? चाहे आर्थिक, सामाजिक या शिक्षा के क्षेत्र हो इन लोगों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी सामन्तों, पूंजीपतियों और जमींदारों ने युगों से इन आदिवासियों का दमन किया है, इन्हें उत्पीड़ित किया है और उन्हें वंचित रखा है। उनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक हैं। इसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब कि क्रांति और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के इतिहास को समुचित अनुभूति के साथ लिखा जाए। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के विरूद्ध संघर्ष किया है। इन तथ्यों को ईमानदारी और सच्चाई से उजागर किया जाए। उन्होंने संथाल, मुण्डा, कोल, भील चौड़ संघर्षों। में भाग लिया है। उन्होंने कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। अब हमारा देश स्वतंत्र है। मैं इस बात को बलपूर्वक कहता हूं कि उनके संघर्ष का इतिहास उचित ढंग से नहीं लिखा गया है। हमें इस कमी को दूर करना चाहिए और स्वतंत्रता के आदिवासियों के इतिहास को प्रमाणित किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि देश के सम्पूर्ण विकास के लिए केन्द्र सरकार के पास सभी संवैधानिक अधिकार हैं। देश में कितनी दुखद स्थिति है। स्वतंत्रता के बाद जो लोग सत्ता में आए उन्होंने लगभग 45 वर्ष तक देश पर शासन किया। स्वतंत्रता के 50 वर्षों में लगभग 45 वर्ष तक एक ही दल ने देश पर शासन किया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिवासी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उनकी अनुचित नीति के कारण कठिनाई में हैं और उसकी कीमत चुका रही हैं। यदि एक उचित नीति तैयार की गई होती और उसका पालन किया गया होता तो हमारे सामने यह स्थिति नहीं होती। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70-75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन लोगों के पास सत्ता है वे केवल 10 से 15 प्रतिशत लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कभी भी इन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। यदि उन्होंने इन लोगों के बारे में सोचा होता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती।

यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना ध्यान भूमि सुधार पर केन्द्रित किया होता तो वास्तव में भूमि जोतने वालों को लाभ हुआ होता। मेरा कहना है कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार ठीक से लागू किया गया होता और उनका पालन किया गया होता तो भूमिहीन अथवा वास्तव में भूमि जोतने वालों को वह भूमि मिल गई होती जिसको वे जोतते रहे हैं। साथ ही यदि नेताओं ने गरीब भूमिहीनों को समुचित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया होता तो देश में व्याप्त वर्तमान स्थिति पूर्ण तरह से भिन्न होती। इन उपायों से हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती। कृषि में अधिक श्रम दिवस होते। इन गरीब लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कुछ धन कमाया होता और उनकी क्रयशक्ति होती तो वे अपने उपयोग के लिए अनेक आवश्यक वस्तुएं खरीदते और अन्दरुनी बाजार बनाने में सहायक होते। उनकी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक कारखाने और उद्योगों की स्थापना हुई होती और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती। इस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के अवसर मिलते। खेद की बात है कि सत्ता में बैठे लोगों ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है इसमें इन नेताओं की स्थूल दृष्टि और स्वार्थी दृष्टिकोण है। अनेक वक्तओं ने रोजगार और कोटे का जिक्र किया है। हमने नौकरियों में आरक्षण लागू किया है और हम इसका समर्थन करते हैं लेकिन नौकरियों में कथित आरक्षण से कितने लोगों को लाभ हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : श्री मुर्मू जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द मुर्मू : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए, महोदय, यदि हम 80 से 90 प्रतिशत लोगों का भाग्य बदल सके केवल तभी हम यह दावा कर सकते हैं कि हमारी कुछ उपलब्धि रही है। लोगों को तभी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। हमारी वाम मोर्चा की सरकार ने राज्य में भूमि सुधार कार्यान्वित किया है। महोदय, केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि केरल और त्रिपुरा में भी भूमि सुधार कार्यान्वित किया गया है। भूमि सुधार लागू किए जाने के कारण वहां लोगों के जीवन में बदलाव आया है। अनेक सदस्यों ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में आंकड़े दिए हैं। महोदय, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर तथाकथित सवर्ण जातियों द्वारा अत्याचार नहीं किया जाता है। गरीबों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। उनकी क्रयशक्ति बढ़ी है। वे अब भूमि के एक टुकड़े पर दो-तीन तरह की फसलें उगा रहे हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पूरे देश में भूमि सुधार लागू किया जाए तो इन दलित लोगों के जीवन में बदलाव लाया जाना संभव हो सकता है।

मैं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से भूमि सुधार के बारे में उनकी नीति जानना चाहता हूं। मौजूदा सरकार ने भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। अनेक अन्य दलों के नेताओं और सदस्यों ने भी भूमि सुधार के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। इसका कारण यह है कि अन्य दलों के मंत्रियों और सदस्यों के कब्जे में कई एकड़ भूमि है। इसलिए वे भूमि सुधार के पक्ष में नहीं हैं। यदि भूमि सुधार कार्यान्वित किया जा है तो उन्हें अपने कब्जे वाली कई एकड़ भूमि से हाथ धोना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुर्मू जी, कृपा अब अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री षणमुगम।

श्री रूपचन्द मुर्मू : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जहां तक शिक्षा का संबंध है अनुसूषित जातिया तथा अनुसूचित जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं।

श्री बूटा सिंह : महोदय, इस सभा की परम्परा रही है कि सभा की कार्यवाही 8 बजे रात्रि के बाद चलने पर सदस्यों के लिए संसद भवन में ही रात के भोजन की व्यवस्था की जाती है। मुझे मालूम नहीं कि यह चर्चा कितनी देर चलेगी। क्या मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या भोजन की कोई व्यवस्था की गई है या हमें दो-तीन घंटे और भोजन के बगैर ही बैठना पड़ेगा?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जितने मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे बोलना चाहते हैं। सदन की राय है कि उन लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक बात है कि यहां मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सैक्रेट्रिएट का स्टाफ है, सारे लोग हैं। जब आपने पहले ही तय कर दिया था कि नौ बजे तक हाउस चलेगा तो पार्लियामेंटरी मिनिस्ट्री का हमेशा से फर्ज रहा है कि जब आठ बजे के बाद हाउस बैठता है तो यहां सब मैम्बर्स के लिए और तमाम स्टाफ के लिए खाने की व्यवस्था होती रही है। बूटा सिंह जी यही जानना चाहते हैं कि क्या वह व्यवस्था नहीं है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम पर उसको फोरगो कर दिया गया है? बकाया डिस्कशन जारी रहेगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : कृपया आप हमें रात के भोजन के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, खाने के लिए तो आपने बोला नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बोलेंगे।

श्री रूपचन्द मुर्मू : जहां तक शिक्षा का संबंध है, आदिवासी काफी पीछे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मामले का मैं अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। आदिवासियों में काफी ज्यादा संख्या में संथाल हैं। ये संथाल पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में फैले हैं तथा अपने अस्तित्व, जीवन तथा शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि इन संथालों को इनकी मातृभाषा संथाली में शिक्षा दी जाए तो उनमें काफी सुधार हो सकता है। अतएव, मैं संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल करने का सरकार ने आग्रह करूंगा। आदिवासियों को अपनी संस्कृति से लगाव है। उन्होंने उच्च स्तर की संस्कृति विरासत में पाई है। उनकी सभ्यता और संस्कृति अवश्य अक्षुण्ण बनाई रखी जाय। तभी हम उनके साथ न्याय कर सकते हैं। उन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

***श्री एन॰टी॰ षणमुगम** (वेल्लौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नियम 193 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं पर चर्चा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं। मैं जन-प्रेणता डा॰ रामदास को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अभी इस महान सभा में बोलने का अवसर दिया।

मैं शुरू में श्री राम विलास पासवान को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस समय इस चर्चा की शुरुआत की।

डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 'भोर का तारा' की तरह थे। इन दलितों को सदियों से अछूत की तरह मानकर अपमानित किया गया। डा॰ अम्बेडकर जनमानस के नेता के रूप में उभरे तथा उन असहाय लोगों के मन में आत्म सम्मान की भावना जगायी जो अकारण दुर्व्यवहार के शिकार बनाए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल राजनीतिक अधिकारिता के माध्यम से ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग समाज में अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यह केवल उनके अथक प्रयास का नतीजा था कि दलितों को अगस्त, 1943 में ही 8.3 प्रतिशत आरक्षण मिला। डा॰ अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण से संबद्ध थे और इसी कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को शैक्षिक संस्थाओं, रोजगार तथा विधानसभा तथा संसद में आरक्षण मिल पाया।

तमिलनाडु में कई नेतागण दलितों के लिए लड़ाई लड़े। उनमें से एक महत्वपूर्ण नेता थनथाई पेरियार थे। अब हमारे बीच डा॰ रामदास, जननेता तथा हमारी पार्टी पट्टाली मक्कल काची के संस्थापक नेता हैं जो पेरियार जैसे महान नेता के रास्ते पर चलते हैं। वह दलितों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक हमारे नेता का संबंध है वे अन्य जातियों तथा वर्गों के लोगों की तरह दलित वर्गों के लोगों को समान अधिकार सुनिश्चित करने में अग्रदूत का काम कर रहे हैं।

हमारे नेता डा॰ एस॰ रामदास हमारी पार्टी पट्टाली मक्कल काची के संस्थापक नेता हैं जिन्होंने पार्टी पदों पर आरक्षण किया है। तिरु दलित इनीमलाई दलित वर्ग से हैं जिन्हें हमारी पार्टी का महासचिव बनाया गया है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एन॰टी॰ षणमुगम]

हमारे नेता ने हाल में हुए चुनाव में चिदाम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत सुनिश्चित की। केवल यही नहीं, जब हमारी पार्टी से किसी को केन्द्रीय मंत्री के रूप में नामित करने का समय आया, उन्होंने घोषणा की कि हमारी पार्टी की प्रथम प्राथमिकता केवल दलित को जाएगी। इस प्रकार उन्होंने दलित इजीमलाई को केन्द्रीय मंत्रीपरिषद में हमारा स्वास्थ्य मंत्री बनाया।

हमारे नेता डा॰ रामदास ने यह भी घोषणा की कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कार्यालय चक्रानुक्रम बना दिया जाय तथा इस पद को एक दलित ही सुशोभित करे। उन्होंने यह आश्वस्त किया कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो पहली बार ही दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी।

भारत के कई जगह चाय की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निषिद्ध किया हुआ है। इन लोगों के लिए अलग कप तथा गिलास रखा गया है। आज भी उन्हें मंदिरों के परिसर में घुसने नहीं दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग शवदाह गृह हैं। कोवियांकुलम गांव में जब दलितों के पार्थिव शरीर को सड़कों से नहीं जे लाने दिया गया तब लोगों के अधिकार के संरक्षक डा॰ रामदास ने अपने कंधे पर उन पार्थिव शरीर को ले गए। इन घटनाओं से हमने सीखा है कि हम जातिविहीन समाज बनाने तथा इन सामाजिक रुकावटों को समाप्त करने के लिए अवश्य प्रयासरत रहें।

अनुसूचित जनजातियों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें उचित शिक्षण सुविधा नहीं मिलती है। पर्याप्त स्वच्छता सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है। उनके निवास स्थानों पर समुचित सड़क व्यवस्था नहीं है। जहां सड़क है, वहां बस परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोग शहर में रहने वाले लोगों से अलग थलग हैं। उनकी स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है। उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में सड़क मिलनी चाहिए। उन्हें स्कूल तथा चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सुविधाहीन लोगों को आवास सुविधाएं तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां वे रहते हैं वहां उचित रोजगार की सुविधा तैयार की जानी चाहिए। सामाजिक न्याय की खातिर उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए। अंत में मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभूदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, राम विलास पासवान जी नियम 193 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार के विषय को यहां चर्चा के लिए लेकर आए हैं। मैं समझता हूं सारे सदन में सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन भावनाओं में एक तूफान, एक आग निकलती है, एक वेदना, एक विडम्बना निकलती हैं। इस वेदना और विडम्बना पर किस प्रकार से इस सदन के सदस्यों को चिंतन करना चाहिए। चर्चा करने से, कानून बना देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। 26 जनवरी, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। उसके रचयिता डा॰ भीम राम अम्बेडकर थे। उस संविधान में उस वक्त से लेकर आज तक समय-समय पर संशोधन होते रहे। उन संशोधनों का कार्यान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय, हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए। इस देश की जनता सांसद की तरफ देखती है, इस सदन की तरफ देखती है। यदि इस सदन में दबे, कुचले लोगों की दुर्दशा के बारे में, एस॰सी॰एस॰टी॰ के बारे में केवल चर्चा होकर रह जाए और उनके कल्याण के लिए कुछ न किया जाए तो यह देश का दुर्भाग्य है।

आज हम अपने देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, देश के लिए यह बड़ी भारी विडम्बना है कि आज भी वही राग अलापा जा रहा है। इस देश के राजनीतिज्ञों ने इस राग को अलापा, आज वही राग हम दुबारा, तिबारा अलाप रहे हैं। इस देश के दबे, कुचले लोग जो वर्षों से सताए जा रहे हैं, पीड़ित हैं, जिनको ब्रिटिश शासनकाल और मुगल शासनकाल से दबाया गया, वे भी अपनी पीड़ा को इस सदन के सामने रख रहे हैं। इस देश के भाग्य विधाताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि कानून बनाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। सामाजिक समस्या की बात की जाती है, केवल चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। लालफीताशाही के लोग जिनके बारे में यह चर्चा चलती है कि यदि हंसों की मीटिंग में अगर कोई एस॰सी॰ का व्यक्ति पहुंच गया तो कहा जाता है कि कौवा आ गया। ये लोग आखिर कहां जाएं? आज यह स्थिति है।

श्री लालू प्रसाद : खुराना जी, आप भूख से मार रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : हाउस की यह मर्यादा रही है कि आठ बजे के बाद हमेशा खाने का प्रबन्ध किया जाता है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : हर बात को हमेशा गुस्से में क्यों करते हैं?...*(व्यवधान)* खाने के लिए चार घंटे पहले एडवांस में नोटिस दिया जाता है। अब संभव नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभूदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों पर विचार कीजिए। चाहे वह आन्ध्र प्रदेश या असम या गोवा या गुजरात या बिहार की बात हो, सिर्फ 1994-95 के आंकड़े बताते हैं कि तीन वर्षों में 32,964 हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुई।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : सरकार आपकी है। अब क्या करना है?.. .*(व्यवधान)* क्या आपको लगता है कि आप गाजियाबाद में कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभूदयाल कठेरिया : मैं पचास सालों की बात कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैंने चिंतन की बात की, इस देश के भाग्य विधाताओं की बात की कि इनकी जिम्मेदारी क्या है? सरकारें तो इधर से उधर आती जाती रहेंगी...*(व्यवधान)* अगर बार-बार टोंकाटोकी की गई तो मैं बैठ जाऊंगा। हमारी बात भी सुनिए। मैं पांच घंटे से बैठा हूं। यह चिंता का विषय है। सुनने का

प्रयास कीजिए। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। चिंता इस बात की है कि सदन के अंदर जाति की, विद्वेष की भावना फैल रही है। आप देखिए, हम राजनीतिक लोगों में तो यह है ही लेकिन प्रशासन में इसका कितना कुप्रचार हो रहा है। आज यदि पुलिस में कोई एस॰सी॰ एस॰एच॰ओ॰ है या दरोगा है, और कहीं पंडित जी उनके शिकंजे में आ गए तो सब प्रकार की उन्हें यातनाएं दी जाएंगी।

यह विद्वेष की भावना देश में फैल रही है। इस भावना के फैलने से देश टूट जाएगा और सारी व्यवस्थायें खराब हो जायेंगी।

महोदय, सदन में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, कुमारी मायावती जी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने जिस तरह की बात कही हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। देश में लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद रोटी मिलती है, लेकिन नेताओं के स्टेचू लगाने पर अरबों रुपए खर्च किए गए, चाहे वे स्टेचू बाबा साहिब अम्बेडकर का हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हो।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही मानसिकता की वजह से एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया।...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : किसी की मेहरबानी पर नहीं बनीं थी। यह आपस की राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग्स थी। उन्होंने भी राज दिया था, भारतीय जनता पार्टी को और उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी राज में आई...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी पार्टी की बात कही है। हम भी कर सकते हैं...*(व्यवधान)* आप लोगों ने भी अपनी पार्टी की बात कही है।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नोट को इज्जत तभी मिलेगी, जब रेजगारी को सम्मान मिलेगा, जिस दिन रेजगारी एक जेब में आ गई, वह जेब को फाड़ डालेगी। इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। समाज के जो दबे, कुचले और पीड़ित लोग हैं, उनकी समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा। अगर उनकी समस्याओं को नहीं समझा गया, तो देश टूट जाएगा।

महोदय, चाहे अत्याचार तमिलनाडु में हो या आन्ध्र प्रदेश में हो, अत्याचार अत्याचार ही है। तमिलनाडु में मंदिर में प्रवेश करने पर महिला की दोनों आंखें निकाल ली गई।...*(व्यवधान)* महिलाओं के ऊपर अत्याचार देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस पर हम लोगों को चिन्ता करनी चाहिए। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। केवल कानून बना देने से या व्यवस्था कर देने से काम नहीं होगा, इस पर हम लोगों को चिन्तन करना होगा। मेरा सुझाव है कि सदन के नेताओं की अलग से एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने पर विचार किया जाए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)* हमें राजनीति दलों से ऊपर उठकर इस समस्या पर विचार करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इन लोगों के विकास की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के॰ वेणुगोपाल** (श्री पेरुम्बदुर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं डा॰ पुरातची तालैवी अम्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा। वह हमारे समस्त परिवारों के नेता के रूप में तथा हमारी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के महा सचिव के रूप में भी हमारे दिलों में राज करती हैं। यह उन्हीं के कारण है कि मेरे जैसा राजनैतिक कार्यकर्ता, जो एक सामान्य कृषि परिवार का है, आज इस महान सदन का सदस्य है और इस चर्चा में भाग ले रहा है। मैं इस महान सदन तक पहुंचने में मुझे सक्षम बनाने के लिए पुनः उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं।

मैं अपने भाषण की शुरुआत आदि द्रविड़ों और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की भर्त्सना करते हुए करता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र श्री पेरुम्बदुर के मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे डा॰ पुरातची थालैवी की पहल पर चुनकर यहां भेजा है। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि आज अनेक वर्षों के बाद भी हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वह दर्जा नहीं दे पाए हैं जिसकी संकल्पना बाबा साहब डा॰ अम्बेडकर ने की थी।

आदि द्रविड़ (अनुसूचित जातियां) और अनुसूचित जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत हैं। उन्हें समाज में अपना अधिकार और हिस्सा मिलना ही चाहिए। जब डा॰ पुरातची थालैवी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों को 69 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे। इन सुविधाओं को प्रदान करने में उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप आड़े आया है। हमें इन जरूरतमंद दलित लोगों को ये लाभ पहुंचाने के लिए संघर्ष करना ही चाहिए।

जब डा॰ पुरातची थालैवी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने आदि द्रविड़ों, अनुसूचित जातियों जैसे समाज के दलित वर्गों के लोगों को पुलिस बल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए नीतियों का अनुसरण किया था। उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों के कद की ऊंचाई 163 सेमी॰ से 161 सेमी॰ घटाकर पात्रता मानदण्ड में छूट प्रदान करते हुए आदेश जारी किए।

उनके शासनकाल के दौरान तमिलनाडु में कई परिवहन निगमों का नाम अनेक शहीदों और त्यागियों के नाम रखा गया था। मुझे यह देखकर दुःख है कि तमिलनाडु की मौजूदा सरीकार इसे समाप्त करना चाहती है। सिर्फ इसलिए कि वे अनुसूचित जाति के नेता त्यागी सुन्दरलिंगम का नाम हटाना चाहते हैं, उन्होंने डा॰ अम्बेडकर, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय नेता कामराज, पेरारिगनार अन्ना, पुरातची थालैवार, एम॰जी॰आर॰ आदि के नामों को भी हटा दिया है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के. वेणुगोपाल]

करुणानिधि की सरकार ने तमिलनाडु में एक जिले का नाम बदल दिया है जो डा॰ अम्बेडकर के नाम पर था। यह आदि द्रविड़ों पर अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है।

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नेता डा॰ पुरातची थालैवी के आशीर्वाद से हमारे गठबन्धन के 30 सदस्य सिर्फ इसलिए विजयी होने में कामयाब हुए क्योंकि तमिलनाडु के लोग करुणानिधि सरकार के डेढ़ वर्ष के राज से उकता चुके थे। दलित विरोधी रवैये से लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं।

जब समाज के शोषित और दलित वर्ग के हम लोग अपनी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी रैली की योजना बनाते हैं तो करुणानिधि सरकार चुनकर हमें जुलूस निकालने अथवा सभाएं आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर देती है। यहां तक कि मेरे जैसे सुनिर्वाचित जन प्रतिनिधि को भी निवारात्मक हिरासत में ले लिया जाता है जिससे हम आन्दोलन के लोकतांत्रिक तरीकों को अपना पाने से वंचित रह जाते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा आदि द्रविड़ों पर किए जा रहे इस तरह के अत्याचार और उत्पीड़न को रोका जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। केन्द्र सरकार को समाज के इस अभागे तबके के समस्त विकास और उन्नति को भी सुनिश्चित करना चाहिए।

मैं आपकी जानकारी में यह बात भी लाना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जबकि वे पांडिचेरी में लगातार दस वर्षों से भी अधिक समय से रहते आ रहे हैं।

संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में एक करोड़ रुपया मिलता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में यह राशि बढ़ाकर 4 करोड़ रु॰ की जाय क्योंकि वहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक होती है। वहां रहने वाले आदि द्रविड़ों की संख्या अधिक होती है।

इसीलिए उन निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार करने के लिए यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारी अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाणपत्र देने से मना कर देते हैं। इससे उन्हें उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और उपायों का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि इन लोगों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

अवदी नगरपालिका (नगर पंचायत) तिरुवेल्लोर जिले में है। मैंने अनु॰ जातियों, अनु॰ जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लाभार्थ सड़क निर्माण हेतु संसद सदस्य स्थानी क्षेत्र विकास निधि से 10 लाख रु॰ अलग किए थे। लेकिन अवदी नगर पालिका ने एक संकल्प पारित करके कि वे उस पैसे से सड़क नहीं बना सकते पैसा मुझे वापस कर दिया है। मैं महसूस करता हूं कि यह केवल राजनैतिक कटुता है जिसकी वजह से नगरपालिका के अध्यक्ष ने ऐसा कदम उठाया है। यह मेरी इस बात को सिद्ध करने का एक ज्वलन्त उदाहरण है कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार जन-विरोधी और दलित-विरोधी है। *मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नगरपालिका के अध्यक्ष को दलितों के लाभार्थ परियोजना शुरु करने से मना करने के लिए वहां से हटा दें।*

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का स्मारक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित श्री पेरुम्बदुर विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले सभी आदि द्रविड़ों को आज तक मकान भूखंड पट्टा नहीं दिया गया है। 50 वर्षों के बाद भी उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई है। पूंगाथातीराम क्षेत्र में लगभग 40 पंचायतें हैं। पेय जल प्रयोजनार्थ अभी भी पानी का प्रयोग वर्षाजल के आम टैंक से किया जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां राजीव गांधी का स्मारक है, लोग पीने और नहाने के लिए पानी वर्षाजल के खुले टैंक से प्राप्त करते हैं। हमने पेयजल की इस समस्या को दूर करने के लिए जिला और राज्य प्रशासन दोनों से अपील की है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नही की गई है। मुझे प्राधिकारियों के उदासीन रवैये को बताते हुए दुख हो रहा है।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक को पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए। इससे श्री पेरुम्बदूर के आस पास के स्थानों का विकास करने में मदद मिलेगी।

मैं आपको अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। दिनांक 10.11.97 को द्वितीय संयुक्त उप-पंजीयक, मद्रास के कार्यालय में एक हिन्दू आदि द्रविड़ लड़की अरुल देवी और एक हिन्दू पिल्ले जाति के लड़के पन्नीर सेल्लम के बीच प्रेम विवाह को दर्ज किया गया। दोनों लड़का व लड़की मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक हैं। पांच माह तक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के बाद लड़का अप्रैल में अपने भाई की सगाई में भाग लेने के लिए चला गया। वह अभी तक नहीं लौटा है। गरीब लड़की को अब चार माह का गर्भ है। अनुसूचित जाति की इन लड़कियों को अन्याय का सामना करना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि समाज इन दलित और पीड़ित वर्गों से संबंधित लड़कियों के आंसुओं को पोंछने के लिए कारगर कदम उठाएं। उन्हें इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के अलावा उन्हें सामाजिक और कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को हल करने के लिए देश के प्रत्येक राजस्व जिले में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की जानी चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को सच्चे मन से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर आज से नहीं हजारों वर्षों से जुल्म होता रहा है। हमें जुल्म के कारणों को जानना चाहिए और उसके निराकरण के लिए सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। अध्यक्ष जी, हमें अभी जानकारी मिली कि इस साल इसी सदन में इस विषय पर पहले भी बहस हुई थी। अभी जब भाजपा की सरकार बनी तो मैं यह नहीं कहता हूं कि यह अत्याचार अभी शुरू हुआ है लेकिन दलितों, आदिवासियों और एस॰सी॰एस॰टी॰ पर जुल्म इनके राज में बढ़ा है। उसका कारण है कि जो जुल्मी और अत्याचारी लोग हैं इनके शासन में आने के बाद उनका मनोबल बढ़ा है। अखबारों और समाचार-पत्रों में आई घटनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि दलितों, आदिवासियों और समाचार पत्रों में आई घटनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि दलितों, आदिवासियों और एस॰सी॰एस॰टी॰ पर जुल्म बढ़ा है। कितने प्रकार के जुल्म हैं। मानसिक जुल्म तो यह है कि उन्हें छोटा समझा गया, अछूत समझा गया, दबा हुआ समझा गया, इसलिए मानसिक शोषण उनका हुआ है। लेकिन मानसिक शोषण के बाद शारीरिक अत्याचार, मारपीट, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाओं की जानकारी अखबारों से हमें पता चलती हैं और यह भी पता चलता है कि ये घटनाएं अब बढ़ी हैं।

हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, गौरवशाली इतिहास है, इतनी सम्पदा यहां है लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान पिछड़ा माना जाता है। इसका मूल कारण यही है कि जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोगों को छोटा, दबा हुआ और शोषित रखा जाएगा, वह देश दुनिया के मुल्कों के साथ बराबरी में या आगे नहीं जा सकता है। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए यह एक कलंक का अध्याय है, काला अध्याय है कि पचास वर्षों की आजादी के बाद भी ऐसा हो रहा है। जिस देश ने महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, डा॰ अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डा॰ राम मनोहर लोहिया, रामास्वामी नायकर जैसे बड़े-बड़े समाज सुधारक दिये लेकिन इन लोगों पर जुल्म समाप्त नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। इसलिए इस पर सभी तरीकों से हम लोगों को उपाय सोचने चाहिए और सभी तरीकों से इस समस्या को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए जिससे दलितों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जुल्म रुकें, अत्याचार बंद हों। कानून भी बने हैं और उपाय भी किए गये हैं, माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय भी रखी हैं लेकिन यह भी सही है कि वे कानून सही ढंग से लागू नहीं हुए हैं।

इसमें मानसिकता का फर्क है और मानस खराब है। इस कारण सही ढंग से इसे लागू नहीं कराया जा सका है। उन्हें कानून के तहत आरक्षण की सुविधा और सहूलियत दी गई हैं। संविधान ने भी उनको अधिकार प्रदान किया है लेकिन हिसाब-किताब देखने से पता चलता है कि वह ठीक से लागू नहीं हुआ है। वह अगर कहीं लागू हुआ है तो इसके जैसे परिणाम आने चाहिएं, वैसे अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। यह चीज विश्लेषण करने से पता लगी है। मैं इस संबंध में बिहार राज्य का उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री पीताम्बर पासवान ने इसका जिक्र किया। डाक्टर लोहिया कहते थे जब तक गरीबों का मन नहीं बढ़ेगा, तब तक उनमें आत्मविश्वास नहीं आएगा। आम तौर से लोग कहते हैं कि गरीब और अमीर दो वर्ग हैं। हिन्दुस्तान में दो तरह की गरीबी से लोग पीड़ित हैं—एक मन की गरीबी से लोग पड़ित हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से गरीब हैं। दूसरी आर्थिक गरीबी से लोग पीड़ित हैं। मानसिक और आर्थिक दोनों गरीबी ही कहलाती हैं। इससे मुक्ति दिलाने के लिए केवल मार्क्सवाद इसका इलाज नहीं है। डाक्टर लोहिया ने कहा था कि विशेष अवसर का सिद्धांत होना चाहिए और इसके तहत रिजर्वेशन होना चाहिए। मानसिक गरीबी हटाने के लिए शिक्षा के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण का प्रावधान कहीं-कहीं नहीं है। लालू प्रसाद जी के शासन काल में आरक्षण का प्रावधान शैक्षणिक क्षेत्र में और टैक्निकल एजुकेशन में किया गया था। कई बार पूरा विपक्ष श्री लालू प्रसाद जी के खिलाफ एकजुट हो जाता था लेकिन वहां के गरीब, दबे लोग लालू प्रसाद जी को छोड़ते नहीं थे। वे आज भी उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका यही रहस्य है कि उन्होंने दबे और कमजोर लोगों को ऊपर उठाया। डाक्टर लोहिया कहते थे कि ऐसे गरीब लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए जिससे विषमता और गैर बराबरी मिटे। दबे समाज के अंतिम आदमी को जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इन लोगों का कल्याण नहीं होगा। लालू जी के समय में कलैक्टर के यहां निर्देश जाता था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को आगे बढ़ाया जाए। अगर वे किसी आफिस में जाएं तो उन्हें सबसे पहले कुर्सी पर बैठाया जाए, तब उनसे कोई बात की जाए। इस तरह से उनकी समस्याओं को सुना जाता था। लालू जी ने उन्हें सम्मान दिया। यही रहस्य है कि सारे लोग एक तरफ हो जाते थे लेकिन करोड़ों कमजोर और पिछड़े लोग लालू जी को अपने हृदय में बसा लेते थे।

बिहार में आदिवासियों और दलितों के साथ जो सम्मानजनक व्यवहार हुआ है, उससे उन्हें लगता है कि असली आजादी अब मिली है। इसी तरह का व्यवहार हिन्दुस्तान भर के दलितों, आदिवासियों के साथ होना चाहिए। उनको बराबरी का अधिकार दिलाया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। उनको पढ़ाई से लेकर सभी दूसरी आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिएं। नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उनकी किस तरह तरक्की हो सकती है? इसी तरह से राज्य सभा और लैजिस्लेटिव कौंसिल में आरक्षण होना चाहिए। यदि लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण है तो राज्य सभा और लैजिस्लेटिव कौंसिल में आरक्षण क्यों नहीं है? इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। राजनैतिक और सेवा के क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण केवल कागजों में न होकर असलियत और व्यवहारिक रूप में होना चाहिए। अगर इसके लिए नए कानून बनाने की जरूरत हो तो बनाना चाहिएं। जैसा एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि स्पैशल कोर्ट अथवा समरी ट्रायल बनाने चाहिएं। कानून होने के बाद भी आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर जुल्म हो रहे हैं।

जो कसूरवार लोग हैं, उन पर इस तरह से सख्त कार्यवाही होनी

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

चाहिए ताकि कोई हिम्मत नहीं कर सके। चूंकि बहुत दिन से पीछे छूटे हुये जुल्म की गुंजाइश है और इसीलिये उन्हें ताकतवर बनाना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह अब आपको अपनी बात खत्म कर देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 39 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। यदि उनकी बकरी बगल में फसल खा जाती तो उनकी प्रताड़ना होती है। यदि कोई गरीब महिला खेत में शौच के लिये जाती तो उस पर जुल्म-अत्याचार होता। इसलिये कहता हूं कि लैंड टू टिलर। जो जोतेगा, वह खायेगा, लूटने वाला जायेगा, कमाने वाला खायेगा। इसलिये हमारी नीति लागू हो कि जो जमीन जोते-बोये, वही जमीन का मालिक होवे। जब डा. राम मनोहर लोहिया का अरमान पूरा होगा तभी हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचार की समाप्ति होगी, तब दुनिया के मुल्कों में हिन्दुस्तान नं. वन का ताकतवर और प्रतिष्ठा वाला देश होकर आगे बढ़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, आपका नाम सभापति की सूची में है। अतः आपको अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मेहनत मजदूरी करता, उसको छोटा माना गया, जो कपड़ा गंदा करे, वह बड़ा आदमी हो गया। जो कपड़ा साफ करे, उसको छोटा आदमी माना गया। जो बैठकर खाये, उसको बड़ा आदमी माना गया लेकिन जो मेहनत मजदूरी करके अनाज पैदा करता, जो कपड़ा बनाता, जो सड़क बनाता, जो घर बनाता उसको छोटा माना गया। जो बैठकर खाता, वह बड़ा आदमी माना गया। यही बीमारी है जिस कारण इतने वर्षों से गुलामी का निर्माण हुआ। जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बंद नहीं होगा, यह देश दुनिया के मुल्कों में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका इलाज जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरदुआर्स) **:** अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्री राम विलास पासवान द्वारा जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरु की है, उस पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : महोदय, अब कितने वक्ता बोलने के लिए रह गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी छः वक्ता बोलने के लिए शेष हैं। इसका कारण यह है कि दलों की संख्या अधिक है। इस सभा में 41 दल हैं।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला : आज हमारा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ के समापन पर पहुंच रहा है। आज हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। उनके सपने क्या थे? उन्होंनें सोचा था कि स्वाधीनता के बाद अपना संविधान बनाना है, एक सुंदर जगह तैयार करेंगे जहां समतामूलक समाज का गठन होगा। उन्होंने देखा कि उस समय स्वाधीनता के बाद समतामूलक समाज की स्थिति ऐसी नहीं थी। कुछ लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में जानते थे। उनकी उन्नति के लिये अगर कोशिश नहीं करते तो समतामूलक समाज गठन करने की जो कल्पना उन्होंने की थी, वह कभी भी पूरी नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में बहस कर रहे हैं। हमें इस बहस को सिर्फ उनकी समस्याओं तक ही सीमित नहीं मानना चाहिये, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना जाये। हमें मालूम है कि आज जितने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग चाय बागानों में काम करते हैं, चाहे वनों में रहकर वनों की रक्षा क्यों न करते हों, लेकिन आज वे पिछड़े हैं। आज हमारी स्वाधीनता के 50 साल बाद भी हम लोग यहां समीक्षा कर रहे हैं। दो दिन पहले जब यहां चर्चा हुई तो शासक दल के कई सदस्यों ने गर्व के साथ कहा कि हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया है। वे समझते हैं कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस देश को विकास के पथ पर आप तीव्र गति से ले जाना चाहते हैं, इस देश को तब तक तीव्र गति से विकास की ओर नहीं ले जा पाएंगे जब तक हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं करते, जब तक हमारा दृष्टिकोण अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति नहीं बदलता, जब तक पिछड़े वर्ग को हम दूसरे वर्गों के समान नहीं ला पाते हैं, तब तक हमारे देश का विकास और उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। नौकरियों में आरक्षण के मामले पर ध्यान देना चाहिए। जिन अधिकारियों पर इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए ताकि इन जनजातीय एवं अनुसूचित जातियों का उत्थान करने के लिए, जो प्रावधान बनाए हैं, उन प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कोशिश करनी है उस पर ध्यान दिया जाए। मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि आज असम में जो आदिवासी चाय बागानों में हैं, वन-बस्तियों में रहते हैं या खेत-खलिहानों में काम करते हैं, मध्य

प्रदेश, बिहार, रांची या उड़ीसा से गए हैं, पश्चिम बंगाल में जो रहते हैं, उन आदिवासी लोगों को वहां ट्राइबल का दर्जा दिया गया है, लेकिन जैसे ही बंगाल की सीमा पार करके वे असम में प्रवेश करते हैं, चाय बागानों में करोड़ों का मुनाफा मालिकों को देते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं, वहां उनको शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर विशेष रूप से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए ताकि उनको शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का दर्जा मिले और उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिले, अच्छा मौका नौकरी या कालेजों में पढ़ने का मिल सके ताकि वे उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।

आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों पर आदिवासियों अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह के अत्याचार बंद हों इसके लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा और इसमें यदि सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में भूमि संस्कार कानून लागू करके भूमिहीन लोगों को वहां की वर्तमान सरकार ने जमीन दी, वहां की सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया, जिला परिषद् की सभापति महिलाएं होंगी, अनुसूचित जाति की महिलाएं चेयरपरसन होंगी, वैसे ही जहां प्रधान की जगह खाली है, वहां प्रधान के रूप में अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाएं होंगी, जिस तरह से वहां की सरकार ने कोशिश की है उस दिशा में हमें भी आगे बढ़ना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा॰ सुशील इन्दौरा (सिरसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपनी बात की शुरूआत भारत की आजादी से करूंगा। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे फाउंडिंग फादर्स और हमारे संविधान निर्माताओं के लिए यह चिंता का विषय बना कि विदेशी शासन की पराधीनता और शोषण से पीड़ित होने के बाद स्वतंत्र भारत की प्रगति समाज के सभी वर्गों के साथ विकास पर निर्भर थी। तभी यह सोचा गया था कि जो लोग दलित हैं, पिछड़े हुए हैं या शोषित हैं, उनकी एक श्रृंखला बनाई थी, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति का रूप दिया गया और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। ताकि दीनता, विहीनता, और हीनता से ऊपर उठकर समाज के दूसरे वर्गों के साथ समान रूप से चलकर एक इज्जतदार जिंदगी बसर कर सकें। उसी के तहत रिजर्वेशन पालिसी लागू की गई थी। लेकिन यह देखने में आया है कि रिजर्वेशन पालिसी आज तक ठीक ढंग से लागू नहीं हुई। इस पर समय-समय पर बड़ी चर्चाएं हुईं, कुछ विरोध हुए, कुछ लोग इसके फेवर में भी बोले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो लोग समाज में शोषित हैं, उन पर अत्याचार वे लोग करते हैं जिनकी मानसिकता संकीर्ण है। चाहे उन्हें सामन्तवादी मान लीजिए, साम्प्रदायिक मान लीजिए या धर्म की बात मान लीजिए। जब कभी भी इस प्रकार की बातें हुई हैं तो पहला वार शोषित समाज के लोगों पर हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हुआ। ताकि दूसरे लोग अपना फायदा उठा सकें। कभी-कभी राजनीतिक लोगों ने भी उनको अपना हथियार बनाया और अपना मतलब हल किया।

अध्यक्ष जी, अत्याचार के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं—जैसे अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर न बैठने देना, किसी को अपने नल से पानी न भरने देना या मंदिर में न जाने देना, इस प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कुछ सुधार करते हुए आजादी के पचास सालों में थोड़ा बहुत ऊपर उठ पाये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी बिरादरियां हैं जो आज भी आरक्षण के लाभों से वंचित हैं। ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट है जिसके अनुसार कुछेक विशेष जातियों को छोड़कर, इसमें दो-चार जातियों को छोड़ दिया जाए, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, अन्य किसी को कोई फायदा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग पहले अपनी जाति के धंधे में थे, जैसे चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, उनसे आज उनका धंधा छूट गया है। वह धंधा आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास चला गया है, जो कि एक विकास का मार्ग है। आज जो बड़ी-बड़ी टैक्सटाइल मिलें चल रही हैं, पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे। जो उनका ट्रेडीशनल धंधा था, वह उनके हाथ से छूटकर दूसरे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चला गया। फिर इनका विकास कैसे होगा। आज आजादी के पचास साल बीतने के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुत लोग पिछड़े हुए है।। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हिंदुस्तान में नेशनल लैवल पर एक अयोग का गठन किया जाए, जिसमें हर समुदाय के लोग हों। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा हर जाति विशेष के लोग उसमें हिस्सेदारी करें। जिसकी ब्रांचें स्टेट में तहसील और ब्लॉक लैवल पर भी हों, ताकि हर आदमी आपस में मिल-बैठकर एक दूसरे के सहयोग और बातचीत से समस्याओं का निदान कर सके।

रात्रि 9.00 बजे

लोग आगे बढ़ सकें और एक दूसरे के काम आ सकें।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां दोपहर बाद तीन बजे,से अत्यन्त लोक महत्व के विषय, इस देश के वीकर सैक्शंस पर चर्चा चल रही है और अब तक चर्चा को चलते हुए छः घंटे हो गए हैं, लेकिन हमको इस बात का बहुत दुख है कि दूरदर्शन के साढ़े आठ बजे के राष्ट्रीय समाचार में इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

[श्री राम विलास पासवान]

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में वैसे जरा सी कोई बात हो जाती है, कोई हल्ला-गुल्ला हो जाता है, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा उसका खूब प्रचार-प्रसार किया जाता है, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और चर्चा को चलते हुए छः घंटे हो गए हैं, लेकिन दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचारों में इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया गया है, यह बड़े दुख, अफसोस और शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मंत्री महोदय ने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की और वहां दूरदर्शन ने इस महत्वपूर्ण विषय पर ब्लैक आउट कर दिया। यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस देश के वीकर सैक्शंस के ऊपर जब इतनी महत्वपूर्ण चर्चा सदन में चल रही है, तो दूरदूर्शन द्वारा इसके बारे में कोई भी समाचार न दिए जाने के पीछे क्या रहस्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कमजोर वर्ग के लोगों की इस चर्चा में पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर सभी पार्टी के लोगों ने चर्चा के दौरान एक स्टेंडर्ड मैनटेन करने का काम किया और बहुत कंसट्रक्टिव सुझाव दिए, लेकिन दूरदर्शन ने जिस प्रकार से इस चर्चा के बारे में राष्ट्रीय समाचार में कोई समाचार नहीं दिया, ब्लैक आउट कर दिया, यह मैं समझ नहीं सका।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम विलास पासवान जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इस विषय की महत्ता को देखते हुए चर्चा के लिए एक दिन और बढ़ाया है ताकि यह डिस्कशन चले और ज्यादा से ज़्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की ओर से जो सुझाव आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में गहराई से जाकर चिन्तन किया है।

आपने जो बात कही, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके समय में ही आपकी सरकार ने यह आर्डीनेंस लागू किया था, जिसके अनुसार प्रसार माध्यम दूरदर्शन और आकाशवाणी आटोनौमस बाडी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : औटोनौमस का मतलब क्या होता है? मैं यह बात शुरू से सुन रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की हमेशा से नीति रही है कि सूचना एवं प्रसारण माध्यमों की पार्लियामेंट के प्रति एकाउंटेबिलिटी रहे। इसलिए जो शुरू में एक्ट बना था, उसमें संसद के प्रति जवाबदेही थी, उसको उस रूप में पारित न कर आपकी सरकार के समय में एक नया आर्डीनेंस लाकर जो प्रसार भारती बोर्ड बनाया गया है, उसकी संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। इसीलिए हमारे समय में जो शुक्रवार को बिल पास हुआ है, उसके अनुसार हम उसको सुधारने और संसद के प्रति जवाबदेह बनाने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी राम विलास पासवान जी ने जो बात दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार में इस विषय के बारे में समाचार न देने की कही है, मैं आपकी और सदन की भावनाओं से निश्चित रूप से *सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदया को अवगत करा दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को टेकअप करें।...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : संसद समाचार दोनों सदनों के संबंधित सचिवालयों द्वारा तैयार किये जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि मैं श्री रामविलास पासवान जी की भावनाओं को संबंधित मंत्री महोदय तक अवश्य पहुंचा दूंगा और कहूंगा कि वे इस बात की छानबीन करें।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामेंट की कार्यवाही है और आप अध्यक्ष होने के नाते हमारे सरपरस्त हैं और इसके मालिक की हैसियत से यहां हैं और आपके संरक्षण में सारी चीज चलती हैं, उसका समाचार न देना और ऊपर से यह कहना कि औटोनौमस बाडी है, यह ठीक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेस औटोनौमस नहीं है, क्या शिक्षा के संस्थान औटोनौमस नहीं हैं? मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से मंत्री जी को डायरैक्ट किया जाए कि वे फाइंड आउट करें कि इस चर्चा के समाचार दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार में न देने के क्या कारण हैं और कल पार्लियामेंट में आकर जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? श्री खुराना ने इस संबंध में पहले ही जानकारी दे दी है।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, उसका दूरदर्शन पर कोई समाचार न दिया जाना ठीक नहीं है। दूरदर्शन कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है, यह पब्लिक प्रापर्टी है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कल संसद को संबधित मंत्री महोदय इस बारे में जवाब दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान आपने यह बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में ला दी है और मंत्री महोदय ने इस संबंध में उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय का कोई समाचार दूरदर्शन द्वारा न दिया जाना बिलकुल ठीक नहीं है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना ने इस संबंध में उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : खुराना जी की बात से मैं सहमत हूं। सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं और एस॰सी॰एस॰टी॰ पर चर्चा चल रही है। सारा राष्ट्र जानना चाहता है कि आखिर संसद में क्या हो रहा है? संसद सर्वोपरि है और आप हमारे संरक्षक हैं। हमें देखने में आ रहा है कि वीकर सैक्शन, एस॰सी॰, एस॰टी॰ की बातों को लगातार इस तरह से दबाने का काम हो रहा है।...*(व्यवधान)* गलत मैसेज गया है।...*(व्यवधान)* इस मामले को दबाना, न्यूज को सप्रैस करना भी प्रिविलेज का मामला बनता है। आप इसके लिए सम्मन करिये और हम लोग प्रिविलेज लेकर आते हैं। चाहे दूरदर्शन का कोई भी बड़ा आदमी क्यों न हो लेकिन संसद से कोई भी बड़ा नहीं है। यह कह देना कि आटोनौमस है, हमने उसी दिन कह दिया था कि आटोनोमी को खत्म करिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद जी रात्रि के 9 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपके हुक्म से हम बराबर बैठे हुए हैं। आप हमें पुकार नहीं रहे तब भी हम बैठे हुए हैं। राष्ट्र को बताना पड़ेगा कि न्यूज को क्यों दबाया गया?...*(व्यवधान)* आप प्रिवेलेज का सम्मन करिये। संसद किसी को भी जेल में बंद करने का अधिकार रखती है। हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसे बाहर नहीं भेजा जा रहा है। आप इसे देखिये कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आप सरकार को कल तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दें। मैं संसद समाचार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।...*(व्यवधान)* आप डायरेक्शन दे देंगे कि कल लाओ, परसों लाओ।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने कहा कि भावनाओं को हम पहुंचा देंगे। मैं चाहता हूं कि पार्लियामैंट्री मिनिस्टर की हैसियत से यह जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रीता चौधरी को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह पार्लियामेंट के अंदर की बात है और आपकी जो भावना है, वह हम मिनिस्टर को बता देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है ओर इसको दबाने की कोशिश की गई है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी को कह दूंगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी मिनिस्टर हो लेकिन वे कल पार्लियामैंट में पोजीशन बता दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही यह कह दिया है कि वे संबंधित मंत्री के पास आपके विचार भेज देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। सबसे पहले मैं श्री राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने एक अहम मुद्दा एस॰सी॰, एस॰टी॰ की समस्याओं पर चर्चा के लिए रखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती ठक्कर, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया श्रीमती रीना चौधरी को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री आर॰ एस॰ गवई (अमरावती) : महोदय, यह आपके क्षेत्राधिकार में आता है। कृपया सरकार को निर्देश दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है। अब कृपया श्रीमती रीना चौधरी को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी : यह बहुत ही खेद का विषय है कि देश की आजादी में अनुसूचित जाति-जनजाति की अहम भूमिका रही है। अगर हम देखें, तो अनुसूचित जाति की वीरांगना उदा देवी से लेकर महाराजा बिजली पासी की देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका रही है। लेकिन आज आजादी के 50 साल बीत जाने के बाद वास्तविकता क्या है? वह यह है कि दलित समाज के जो लोग खेत में काम करते हैं, वे खेत के मालिक नहीं हैं। जिस उद्योग में काम करते हैं, उसके वे मालिक नहीं हैं। जो दलित भट्टों पर ईंट थापते हैं, वे उसके मालिक

[श्रीमती रीना चौधरी]

नहीं हैं, जो चारपाई बनाता है, वह खुद जमीन पर सोता है तथा जो दलित जूता बनाता है, वह खुद नंगे पांव रहता है। यदि उनको आरक्षण न मिला होता तो आज स्थिति में जो सुधार आया है, वह न आ पाता। दलितों पर और सामाजिक रूप से दुर्बलों पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी जो संख्या है, वह वास्तविक हम तक नहीं पहुंच पाती है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भी नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति आयोग तक भी नहीं पहुंच पाती है। दलितों के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने ढंग से भारतीय सामाजिक जीवन की इन कड़वी सच्चाइयों के बारे में जन-जागृति की ज्योति जताई थी।

आरक्षण के माध्यम से काफी परिवर्तन आया है। लेकिन आज भी अन्य वर्ग के लोगों में दलित समाज के लोगों के प्रति जो करूणा और मैत्री की भावना होनी चाहिए, उसकी कमी है। वे इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, सम्पत्ति के रूप में उनका इस्तेमाल करना एक आम बात है कि उनके नाम पर हमें आसानी से कोई चीज मिल जाएगी। उनके नाम से कोई चीज लेकर उन्हें बन्धुआ मजदूर की तरह रखना एक आम बात हो गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए अनेक योजनाएं हैं जैसे शादी-ब्याह के लिए पैसा देना, आवास की सुविधा आदि, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि उनकी लड़की की शादी के लिए दस हजार रुपये दिए जाते हैं तो उन तक सिर्फ चार या पांच हजार रुपये ही पहुंच पाते हैं। आवास के बारे में भी आपस में बंद कमरे में समझौता हो जाता है कि किसे कितना दिया जाएगा। पता लगता है कि जिसके पास पहले से ही काफी सुख-सुविधाएं हैं, वे आवास पा रहे हैं और वास्तव में जिनके लिए वे सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। शादी-ब्याह के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता।

मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में एक महिला कैबिनेट मंत्री थी। उन्होंने कानपुर के महिपालपुर में अपनी उपस्थिति में हरिजनों की बस्तियां उजाड़ी, उन पर कहर ढहाया। समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय की बहुत चर्चा हुई थी। मलीहाबाद, जो मेरी कौन्सटीटूऐंसी है, वहां महमूदखेड़ा में सावित्री नाम की एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसे नंगा करके घुमाया गया। ये सब चीजें जो हम आजादी के पचास वर्षों बाद देख रहे हैं, इस मानसिकता का प्रमाण है कि आज भी हमारी सोच में कहीं कोई कमी है, हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उत्थान के बारे में जिस तरह चाहते हैं, उसमें कहीं कमी है। हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। छुआछूत के नाम पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार आज भी देखने को मिलता है। मुम्बई में एक दलित लड़की को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलितों पर सबसे ज्यादाअत्याचार हो रहे हैं। 1977 से 1985 तक दलितों पर जो अत्याचार हुए, उनमें प्रति वर्ष 33 प्रतिशत कत्ल, 900 गंभीर चोटें, 39 प्रतिशत बलात्कार, 71 प्रतिशत आगजनी की घटनाएं हुई हैं और सिर्फ 75.8 प्रतिशत अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। 1990 में एस•सी•, एस•टी• के लोगों पर 17,737 अत्याचार के मामले हुए जिनमें से 3600 मामलों का खुलासा हुआ और 82 प्रतिशत मामले पुलिस ने दर्ज ही नहीं किए और सजा केवल 22 केसों में दी गई। आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अपने सर्टीफिकेट बनवाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहां जो अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति अच्छे पद पर नहीं है, न डी•एम• है न एस•पी• है। कुछ अच्छे रैंक के ऑफिसर होने के बाद भी उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे पास कई संस्थाओं से पत्र आते हैं, सूची उपलब्ध कराई जाती है कि किस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हम सांसद हैं लेकिन विधायकों को कई बार सिर्फ इस वजह से उच्च अधिकारियों की तरफ से गलत तरह का बर्ताव किया जाता है क्योंकि वे अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं। इसलिए हम अपने प्रति उनका व्यवहार काफी बदला हुआ महसूस करते है। यह इस बात का प्रमाण है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी, जब हम कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर भी यदि हमें सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति होने की वजह से अधिकारी और अन्य लोगों से मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़े तो यह हमारे लिए शर्म की बात है और कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कमी है। मैं इस चीज को महसूस करती हूं कि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति आई•ए•एस• या आई•पी•एस• हो जाता है तो वह कई बार इस बात को स्वीकार करने से मना कर देता है कि ये मेरे मां-बाप हैं।

कहीं न कहीं इस जाति के लोगों की मानसिकता में भी काफी फर्क है। अगर हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन लायें, पीछे मुड़कर देखें और उन लोगों के बारे में सोचें तो यह एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उनके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं।

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, हमें दो-दो मिनट बोलने का मौका दे दीजिए। इस पर हम भी बोलेंगे, हम आदिवासी हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो• जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि सब को बोलने का मौका दिया जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, 11 बजे तक के लिए हाउस का समय बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कब तक चलता रहेगा? पहले ही रात्रि के 9 बजकर 15 मिनट हो गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने केवल दो घंटे आबंटित किए थे। लेकिन हम इस मामले पर छः घंटे से चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया स्थिति को समझें। सभापति सभी दलों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन रात्रि भोज के बिना हम और कितनी देर तक चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक सुझाव है।

हाउस दो दिन के लिए, कल और परसों के लिए बढ़ गया है। आपका कहना ठीक है, 9.30 बजने वाले हैं, यहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे लोग मैम्बर्स से लेकर स्टाफ तक परेशान है। आप ऐसा कर दीजिए कि कल 11 बजे से 12 बजे तक लोग बोल लें और कल 12 बजे मिनिस्टर रिप्लाई कर दें। 2...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : कल भी फिर वही बात होगी।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि सभी को दो-दो मिनट का मौका दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके दल के एक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आप दो मिनट में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

डा॰ रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से लंच और डिनर लिए बिना चर्चा में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आश्वासन दिया था कि आप सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे। यदि आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम सभा से उठकर चले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : डा॰ रवि मल्लू, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसी मुथियारी, आप कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, हाल ही बनाए गए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री और इस सम्मानित सभा के विद्वान माननीय सदस्यों मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अति महत्वपूर्ण और अति चिन्ताजनक विषय, जो इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों पर अत्याचार, भेदभाव और शोषण करने से संबंधित है, पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे खेद है कि मुझे इस विषय पर बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

मैं हिन्दी में भी कुछ बोलना चाहूंगा। भारत वर्ष के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो दर्द है तकलीफ है, कम समय में बोलकर उसका समाधान होना मुश्किल है। मेरे दिल में जो इसके लिए सुझाव है, वह मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय सहित इस सम्माननीय सभा के विद्वान माननीय सदस्य इस देश के दलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के हितों की रक्षा करने के लिए मेरे साथ सहानुभूति रखते होंगे।

जब तक भारत सरकार नियोजन और नीति तैयार करने में अपना दृष्टिकोण नहीं बदलती है, तब तक न तो भारत सरकार और न ही हम लोग इस देश के दलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाखों करोड़ों व्यक्तियों के भाग्य को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए भारत सरकार और राष्ट्र द्वारा नीति संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं भारत सरकार और इस सम्मानीय सभा के विद्वान सदस्यों दोनों से अनुरोध करता हूं कि वे निम्नलिखित तथ्यों पर गम्भीरता और निष्ठापूर्वक विचार करें। सुधारात्मक उपायों के रूप में मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं।

जब तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों दोनों में रहने वाले आदिवासी लोगों और निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों क लिए एक पृथक राज्य नहीं बनाते हैं तब तक इस देश के न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत सरकार से चाहे वह तत्कालीन सरकार हो अथवा वर्तमान

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

सरकार हो अथवा भावी सरकार हो, न्याय मिलने की संभावना नहीं है। अतः इन उपयुक्त क्षेत्रों के आदिवासी लोगों के लिए पृथक राज्य स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यहां मैं कुछ बातों का विशेषरूप से उल्लेख करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड, तेलंगाना और विदर्भ की उचित मांगों को बिना किसी लड़ाई-झगड़े के अविलम्ब विचार किया जाना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि इस सभा के सभी माननीय सदस्य अपनी दलगत भावना से उभर कर एक हो जाएं और इस मामले पर एकमत होकर निर्णय दें। आदिवासियों के कल्याण, आदिवासियों के विकास और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आदिवासियों के कल्याण, विकास और सुरक्षा के लिए एक पृथक आदिवासी कार्य मंत्रालय की स्थापना की जाए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन करके एक पृथक आयोग स्थापित किया जाए। एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति संबंधी वित्त और विकास निगम की भी स्थापना की जाए। आदिवासी लोगों पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को थोपा न जाए। अनुसूचित जनजाति के लोगों को और रियायतें दी जाएं। अनुसूचित जनजाति के वर्तमान आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाए। अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण कोटा भी बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : केवल एक प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा॰ रवि मल्लू।

डा॰ रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने न केवल मुझे अपितु दूसरे माननीय सदस्यों को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उस देश के लिए जो अपने विकास और कल्याण की पुनरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है, उसके 50 वर्ष का समय निश्चित तौर पर एक अच्छी अवधि है जिसमें हमें विकास और कल्याण के संबंध में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, आप जानते हैं जब डा॰ अम्बेडकर संसद में संविधान प्रस्तुत कर रहे थे उस समय उन्होंने यह कहा था कि यदि सत्तारूढ़ सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विकासोन्मुखी और कल्याण कार्यक्रमों को हाथ में नहीं लेगी तो दलित लोगों द्वारा लोकतंत्र का ढांचा विध्वंस कर दिया जाएगा। उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि चाहे कोई भी दल सत्ता में हो, उसे उस दिन को याद रखना पड़ेगा और संविधान में परिकल्पित विचारधारा के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। आज जबकि स्वतंत्रता प्राप्त हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं? संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी। उन्होंने यह पाया था कि कुछ समुदाय दलित थे और वे गांवों में नहीं रह रहे थे। उन्हें अछूत समझा जा रहा था। इन सभी अछूत समुदायों को संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए हैं और इन दलित लोगों के हक में इन विशेषाधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार बनाई गई थी ताकि वे लोग समाज में खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है? स्वतंत्रता मिलने के 50 वर्ष के बाद भी, यदि गांवों की ओर एक दृष्टि डालें तो आप अभी भी यह पाएंगे कि वहां पर जाति प्रथा और अस्पृश्यता विद्यमान है। यदि आप गांवों में जाएं तो आप केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की आवास योजनाओं के तहत चलाई जा रही इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाई गई अलग आवास कालोनियों को देखेंगे। यह धनराशि कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ खर्च की जा रही है। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि वे आम जनता से एक अथवा दो किलोमीटर की दूरी पर इन घरों का निर्माण कर रहे हैं। हर किसी को इस बात की जानकारी है लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। यदि सामाजिक असमानता और आर्थिक विसंगति जारी रहेगी तो क्या होगा? माननीय मंत्री महोदय कुछ समय निकालकर वहां जाएं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों पर एक नजर डालें। देश में उग्रवाद नक्सलवाद और अशांति का मुख्य कारण संविधान में गरीब लोगों विशेषकर दलित लोगों के लिए बनाई गई आरक्षण नीति और दिए गए निर्देश का अनुपालन न करना है।

आप देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हाल ही में मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि न्यायपालिका में एक न्यायाधीश ने कुर्सी पर बैठने से पहले "शुद्धि" करवाई क्योंकि अनुसूचित जाति का एक न्यायाधीश उस न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा था। क्या भारत में स्वतंत्रता मिलने के 50 वर्ष के बाद भी इस प्रकार की घटना होना शर्मनाक नहीं है कि न्यायपालिका, जो देश की उच्चतम संस्था है में एक न्यायाधीश को कुर्सी पर बैठने से पहले "शुद्धि" करवानी पड़ी। इससे ग्रामवासियों को क्या संदेश मिलेगा? हम इस देश की जातियों, समुदायों और धर्मों को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम इस मसले को खुला नहीं छोड़ रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति ने यह "शुद्धि" करवाई है

तो नियमों के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसे यह कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केवल यही नहीं दिल्ली में अनुसूचित जाति की एक महिला मंदिर जाना चाहती थी। उसे न केवल मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई अपितु बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा भी गया... *(व्यवधान)* मैं पिछली कई शताब्दियों से अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यहां से ऐसे ही नहीं जा सकता हूं। मुझे अपने विचार व्यक्कत करने के लिए निर्वाचित किया गया है। मुझे न केवल अनुसूचित जाति के लोगों ने अपितु दूसरे लोगों ने भी निर्वाचित किया है। इन लोगों ने मुझे इस सम्माननीय सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा है ताकि उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ कार्रवाई की जा सके और मामले को हल किया जा सके। अन्यथा यहां पर आने का क्या औचित्य है। हम कुछ और कार्य भी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डा॰ रवि मल्लू : महोदय, मैं कांग्रेस दल की ओर से बोल रहा हूं...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे राज्य में अनुसूचित जाति की करीब सात महिलाएं जीवन यापन के लिए पत्ते इकट्ठे करने गई तो कुछ लोगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसके अलावा कुछ युवक जो इज्जत के तथा आत्म सम्मान के साथ कार्य करना चाहते थे, मगर उनको गंजा कर दिया गया. ..*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ उठाना चाहिए, आपस में लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से उस राज्य में राजनीतिक दलों के कुछ नेता एक समूह को दूसरे समूह के विरूद्ध भड़का रहे हैं। समस्याओं का यही एक महत्वपूर्ण कारण है। इन सब पर बहस की गई थी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सात कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए थे जो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध जा रहा है। मैं इन्हें पढ़ना नहीं चाहता। श्री आर॰ एस॰ गवई ने ज्ञापनों का पहले ही जिक्र किया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से एक बार फिर इन कार्यालय ज्ञापनों का अध्ययन करने का अनुरोध करूंगा।

मैं आपको एक और बात बताना चाहता था। इन चीजों के अलावा मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के साथ चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग के समकक्ष दर्जा दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि में बहुमत प्राप्त है, इसे कर्मचारी संघों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

सभी निजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बैंकों, संस्थानों और विभिन्न अन्य संगठनों में आरक्षण लागू होना चाहिए। न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा॰ मल्लू आप ने करीब दस मिनट ले लिए हैं।

डा॰ रवि मल्लू : आरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए... *(व्यवधान)* क्या बात है? आप मुझे बोलने देंगे या नहीं?

महोदय, विभिन्न मजदूर संघों के पदों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बैंकों के निदेशक मण्डलों में मजदूरों, अधिकारियों एवं निदेशकों को रोस्टर प्रणाली का अनुसरण करते हुए बारी-बारी से नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वो इन संगठनों में अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा कर सकें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबादी में उनके प्रतिशत के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण पर तत्काल एक अधिनियम लाया जाना चाहिए और इसे संविधान की नवीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री पुन्नू लाल मोहले हैं।

डा॰ रवि मल्लू : महोदय, मुझे केवल एक मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : डा॰ मल्लू कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति के संबंध में कहना चाहूंगा। आरक्षित पदों को भरने के लिए जो विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा था, उसे बंद कर दिया गया । उसे पुनः चालू किया जाए। अनुसूचित जाति/जनजातियों के रिक्त पदों की पूर्ति में जानबूझ कर अवहेलना करने वाले, जानबूझ कर भर्ती न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्हें प्रमोशन में प्राथमिकता नहीं दी जाती। जो प्रमोशन के लायक होते हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता। डीपीसी और सीपीसी की बैठक होती है, उन्हें बुलाया जाता है, परन्तु उनके प्रकरण पर कार्यवाही न करके जनरल लोगों से पदों की पूर्ति कर ली जाती है। पर 28 पदों में से एन॰टी॰पी॰सी॰ कोरबा, बिलासपुर मध्य प्रदेश में सीपीसी होने के बाद एक भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जो अधिकारी ऐसा करते हैं, उनको तीन महीने से छः महीने तक सजा देने का प्रावधान हो, उन्हें सेवामुक्त करने का प्रावधान हो। ऐसा करने से देश में समानता आ सकती है, अन्यथा वे संविधान को देखते रहेंगे। 50 साल तक देखा गया लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई, यह चिन्ता की बात है।

महोदय, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, सुनिश्चित रोजगार योजना हो, आईआरडीपी या अन्य कोई योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

योजना हो, गंदी बस्ती उन्मूलन योजना हो, कोई प्राइवेट संस्था हो, यूनिवर्सिटी हो, बैंक हो, किसी योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रतिशत के हिसाब से नियुक्ति नहीं की जाती, भर्ती नहीं की जाती। मैं चाहता हूं कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए, कानून में संशोधन किया जाए। लड़की के विवाह के लिए अभी 1000 रुपया दिया जाता है, क्या इतने रुपए में ये लोग अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। इतने ही रुपये में पूंजी वाले बड़े लोग अपनी लड़की की शादी में निमंत्रण कार्ड एवं दोने-पत्तल खरीदते हैं। 18,000 रुपए इन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। अगर हम शहर की बात करें तो इतने रुपए में यहां सन्डास की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। जो सन्डास बनाते हैं वे कैसे गुजर-बसर करेंगे। क्या वे लोग इसी तरह अपने घर बनाएंगे? इससे लकड़ी का भी घर नहीं बन सकता, यह सोचने और चिन्ता करने की बात है।

जो सामाजिक रीति-रिवाज हैं उनमें लोगों की आर्थिक और सामाजिक दशा दुधारने के लिए सिर्फ यहां अच्छे-अच्छे वातावरण, अच्छी-अच्छी नीतियां और भाषण करने से कुछ नहीं होगा। देश की संसद में आए हुए लोग वायदा करें कि अपने संविधान के प्रति, रक्षा के प्रति देश तथा अपने क्षेत्र में जाकर इन बातों को अमल में लाएं। जिलास्तर पर योजनाओं की मोनिटरिंग हो। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं पिछली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में था, उस समय मैं वहां अनुसूचिवत जाति का चेयरमैन था। हमारे यहां मोनिटरिंग की व्यवस्था की जाती है, अनुसूचित-जाति के लोगों को भर्ती करने की जब बात होती है, रिकार्ड मंगाया जाता है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी अनदेखी करते हैं। वे रिपोर्अ भी कमेटी में नहीं भेजते। वहां कितने पद रिक्त हैं, कितने प्रमोशन के लायक हैं, कितने लोगों को बुलाया गया, उन्हें नियुक्ति दी गई या नहीं उनका जो बुलाए गए हैं वे योग्य कैंडीडेट नहीं पाए जाते, इस कारण उनकी भर्ती नहीं की जाती। शासकीय अधिकारी शासन को रिपोर्ट पेश करते हैं।

महोदय, जिला रोजगार कार्यालय में सभी शिक्षित बेरोजगार लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाली संस्था से नाम मंगाए जा सकते हैं, उसे मेरिट बेसिस पर पदों में लिया जा सकता है। मेरा कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। चाहे हत्या के या बलात्कार के मामले हों या अन्य इसी प्रकार के मामले हों, उन सभी पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। इतना कहा कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस॰ अजय कुमार (ओट्टापलम) : मैं सभापति को हालांकि सत्र की समाप्ति पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं पर चर्चा की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बुद्ध तथा महात्मा गांधी की भूमि पर स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी दलितों पर संगठित तथा घृणित उत्पीड़न होता रहता है।

मुझे विश्वास है कि यह महा, सभा कई बार इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार कर चुकी होगी परन्तु दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरों के अनुसार गया कहा गया हैं कि दलितों के खिलाफ एक वर्ष में 30,000 घटनाओं से भी ज्यादा अपराध हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के दिशा निर्देश के रूप में कई कानून, अधिनियम तथा दिशानिर्देश आए हैं। परिस्थिति से निबटने के लिए कई राज्य सरकारों ने विशेष न्यायालय गठित किए हैं। यह दुर्भाग्य है कि अधिकांश ऐसे न्यायालय अस्त व्यस्त हैं तथा विश्वास की काफी कमी है। मैं इन पहलुओं पर विस्तार से नहीं बोलूंगा लेकिन दलितों की मनोघात के विशिष्ट कारणों पर केन्द्रित करूंगा।

मामला बहुमुखी है—राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक। डा॰ अम्बेडकर ने यह विचार प्रकट किया था कि दलितों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 10 वर्ष का पर्याप्त समय होगा। लेकिन ऐसा पांच दशकों के बाद भी नहीं हुआ है। दलितों को आरक्षण देना तथा उन्हें अधिकारिता प्रदान करना विभिन्न मुद्दे हैं। अब तक हमने केवल आरक्षण तथा ऊपरी राहत पर ध्यान केन्द्रित किया है। बीमारी का पता नहीं लगाया गया है तथा इसका उपचार नहीं किया गया है। बहुसंख्यक दलित अमानवीय तथा अस्वस्थ वातावरण में बिना किसी सहायता के रह रहे हैं। राज्य की वित्तीय चर्चा के रूप में इतना कह देना काफी होगा कि दलितों के लिए सोची गई विभिन्न योजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई हैं। ये योजनाएं दिल्ली में तैयार की जाती हैं तथा निष्ठारहित अफसरशाहों तथा राजनीतिज्ञों के वर्ग द्वारा प्रेषित की जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एस॰ अजय कुमार : महोदय, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। मैंने एक मिनट तक बोला है।

ये अफसरशाहों तथा राजनीतिज्ञों के अविश्वासी वर्ग द्वारा प्रेषित की जाती हैं जो उन लोगों की वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं।

कई बेहतरीन सुझाव थे जिन्हें विगत में नही सुना गया। भूपतियों के पास करोड़ों हेक्टेयर भूमि है जिस पर खेती नहीं होती है। उचित भूमि सुधार उपाय क्रियान्वित किए जा सकते हैं जिससे अतिरिक्त भूमि भूमिहीन दलितों को दी जा सके। मैं यह कहते हुए काफी खुश हूं कि मेरा केरल राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने 1959 में भूमि सुधार उपाय शुरू किए। इस अधिनियम ने राज्य से जमींदारी प्रथा का बिल्कुल अंत कर दिया। भूमि पर काम करने वाले इसके स्वामी बन गए। जमींदारों द्वारा भूमि पट्टे पर देना समाप्त कर दिया गया। इस सुधार से राज्य के सामाजिक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। 1959 में, भूमि सुधार अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि केरल की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच अतिरिक्त भूमि वितरित कर दी जाये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में राज्य में व्यापक परिवर्तन हुआ।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जवाब दे सकते हैं।

श्री एस॰ अंजय कुमार : उन्हें सामाजिक हैसियत मिली। यदि सरकार उनकी स्थिति में सुधार चाहती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या चल रहा है? मैं नहीं जानता, आप हर बार क्यों चिल्ला रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दीजिए...*(व्यवधान)* केवल दो मिनट का समय दे दीजिए, हमें अपने समाज की बात कहनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां रहती हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं माननीय सदस्यों के प्रति...*(व्यवधान)* के लिए आभारी हूं मैं उस तरह से नहीं बोल सकती कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी : आप पहले ही बोल चुके हैं। बैठिए।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी।

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोल सकती।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उठाने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।... *(व्यवधान)* मैं वास्तव में ऊब चुकी हूं। प्रो॰ कुरियन कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। यह क्या है? हम लोग कब तक इस तरह से सभा की कार्यवाही चला सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी : वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए माननीय सदसयों को धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? हम लोग सभा को इस तरह कितने समय तक चला सकते हैं? दस बज चुके हैं। कुछ मर्यादा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा में कतिपय विषयों पर सर्वसम्मति है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया व्यवधान नहीं डालिए।...*(व्यवधान)*

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : यदि माननीय मंत्री उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं तो सभा स्थगित कर दी जाए।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : नहीं।...*(व्यवधान)* मुझे यह कहने दें कि इस सभा में कुछ विषयों पर इतनी सर्वसम्मति थी कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। रेलवे से संबंधित विषय भी ऐसा ही विषय है।

हम लोग देर रात्रि तक बैठे। रेल मंत्री पूरे समय तक चर्चा में बैठे रहे। अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की समस्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रत्येक सदस्य सिर्फ दो या तीन मिनट का समय मांग रहा है। आखिरकार हम दस बजे तक बैठे, यदि हम अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की समस्याओं के संबंध में चर्चा करने हेतु विषय में 11 बजे तक बैठने जा रहे हैं, तो उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री को पूरी चर्चा में बैठना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को मात्र दो तीन मिनट दिया जाना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि उन्हें केवल तीन मिनट समय ही लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन आप सभा में कितने समय तक चर्चा जारी रखेंगे। आप जानते हैं कि कितने सदस्य हैं? हम सभी सदस्यों को कैसे समय दे सकते हैं?

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, आप केवल दो-तीन मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : आप तीन मिनट होने पर घंटी बजा दीजिए।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : आप तीन मिनट की बात करते हैं किंतु आप 15 मिनट लेते हैं।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : महोदय, कृपया दो तीन मिनट दीजिए। आप तीन मिनट के बाद सबको रोक सकते हैं। कृपया अनुमति दें, आखिरकार वे हमारे सदस्यगण हैं। हम लोग पहले ही लेट हो चुके

[श्री पी॰ जे॰ कुरियन]

हैं। अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए हमें एक घंटा और समय देना होगा। श्री राम नाईक, चूंकि आप विपक्ष में भी थे इसलिए आप समस्या को बेहतर ढंग से जानते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, बोलने के लिए माननीय सदस्य की उत्सुकता प्रशंसनीय है। जब हमने इस पर चर्चा की थी तो उस समय हमने इस पर चर्चा की थी तो उस समय हमने यह निर्णय लिया था कि इसके लिए दो घन्टे का समय निर्धारित किया जाए। तीन से लेकर अब दस बजने वाले हैं। हम इस विषय पर सात घंटे चर्चा कर चुके हैं और अभी कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है। इस पर चर्चा पूरी कर पाना कठिन होगा। ऐसा भी हुआ है कि जब हमें मालूम था कि केवल दो घंटे चर्चा होनी है हमने उस चर्चा के लिए और समय दिया है। वह रेल बजट का उदाहरण दे रहे हैं और हम उस पर चर्चा के लिए पूरी रात बैठे थे।

एक पहलू और है जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्री महोदय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसके बावजूद वह 12 बजे से यहां पर बैठी हैं। अतः इस कठिनाई को भी समझना चाहिए और उन्हें उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : जब आप विपक्ष में थे तो आपने क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वी॰ पाटील (लातूर) : मैं समझता हूं कि सभा में बहुत अच्छी चर्चा हुई है और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सभी ने कही हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि इतनी देर तक बैठने के बाद यदि आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का समय और दे दें तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे। मंत्री महोदया भी इसमें सहयोग करने की कृपा करेंगी क्योंकि इस चर्चा का यह सुखद निष्कर्ष होगा। यदि प्रत्येक सदस्य को दो या तीन मिनट का समय दिया जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है कि मंत्री महोदया, संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्षपीठ मुझे निराश नहीं करेंगे।

श्री राम नाईक : यदि इस बात को मान भी लिया जाये तो मैं आपको उनकी कठिनाई बताता हूं।...*(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)* मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को कह रहा हूं। आप बोलते चले जा रहे हैं। ऐसी बात है तो वह भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*...यह तो चर्चा का तरीका नहीं है। आप उठकर चिल्लाते जा रहे हैं। यह तो चर्चा का तरीका नहीं है। हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं और आप चिल्लाते जा रहे हैं। यह तो कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रेम चन्द्रन जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : इस तरह से चिल्लाइए मत। कृपया बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : प्रो॰ कुरियन जी आपको अपने सदस्यों को नियंत्रित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

पी॰ एम॰ सईद (लक्षद्वीप) : यह कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आप अध्यक्ष नहीं हैं। इस तरह से मत बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : यदि आप नहीं चाहते हैं कि हम बोलें तो हम बाहर चले जाते हैं। जनजातीय लोगों को मरने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : आपको सदस्यों की सूची अध्यक्ष को देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय उस सूची में से सदस्यों को बुला सकते हैं।..*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : केवल दो मिनट का समय दिया गया है। लेकिन हम उनके बोलने का बुरा नहीं मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय करें कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि वे प्रत्येक सदस्य को दो मिनट दिए जाने की समय सीमा का पालन करें तो हम उससे सहमत हो सकते हैं।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : अब तक हमें चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए थी।

श्री राम नाईक : आप पिछले 15 मिनट से एक ही बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम इसका बुरा नहीं मान रहे हैं। हमें इसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए। यह 10.15 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, बहुत से सदस्यों ने नियम 377 के अधीन सूचना दी है। वे 12 बजे से बैठे हुए हैं। उनको टेबल पर ले करने का निर्देश दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बाद में दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि पिछले 21 साल से इस सदन में रहने के बाद मैंने इस प्रकार की हालत कभी नहीं देखी जब दूर-दराज द्वीप से आने वाले लोगों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छः प्रकार के आदिवासी हैं जो आदिम जाति के हैं। इनमें शॉम्पेन, निकोबारी, सेंटीनली, पुंगी, जारवा और अंडमानी हैं। इसमें जारवा जनजाति, आदिम जाति आज भूखों मर रही है। प्रशासन उनको भोजन

देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ऐन्थ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया कि इनको भोजन नहीं देना है, सिर्फ केला और नारियल देना है। पका केला नहीं दे सकते, कच्चा केला देना है। कच्चा केला पकाकर वे लोग खाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक समय जिनको होस्टाइल कहा जाता था वे लोग नाव में आकर, दिन भर चलकर जनपद पहुंचते हैं और उधर खाना मांगते हैं तो उन्हें खाना नहीं दिया जाता। इस प्रकार कुछ दिनों बाद ही ये जातियां विलुप्त हो जाएंगी। मैं मांग करना चाहता हूं कि संसद सदस्यों का एक दल उस द्वीप में भेजना चाहिए जो उनकी हालत को देखे, खासकर जो प्रिमिटिव ओरिजिनल्स हैं, उनकी हालत को देखना चाहिए।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि शॉम्पेन लोग जो ग्रेट निकोबार में रहते हैं, इंडोनेशिया के बॉर्डर पर हैं। वहां ऐसी हालत है कि उनके लिए कोई डाक्टरी इलाज नहीं है। डाक्टर हैं लेकिन उधर नहीं जाते हैं, कोई स्टाफ उधर नहीं रहता है। इसलिए एक पार्लियामेंटरी टीम सरकार की तरफ से जाए और वहां छः ट्राइबल्स की हालत को देखे। इससे उनकी हालत में सुधार हो सकता है। उनके लिए तुरंत भोजन का बंदोबस्त किया जाए, खाने का बंदोबस्त किया जाए, नहीं तो जो जारवा आदिम जाति है, वह खत्म हो जाएगी।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि छठे शेड्यूल के मुताबिक ट्राइबल्स के लिए ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल बननी चाहिए, इसमें कोई दूसरा मत नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक स्टेट में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं, दूसरी स्टेट में वह दर्जा उन्हें नहीं मिला। बहुत दिनों से बात चल रही है कि सभी स्टेट्स में उनकी मान्यता हो, लेकिन उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ। इस पर निर्णय होना चाहिए और अगर कोई असुविधा है तो सभी पार्टियों को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो ये बातें चलती रहेंगी। अंत में जो घटना कल दिल्ली में हुई है, जैसा समाचार-पत्रों में आया है, मैं पार्टी बेसिस की बात नहीं करता, इधर बहुत से लोगों की बातें सुनीं, अपनी अपनी पार्टी की बात लोग बोलते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि 50 साल की आजादी में क्या हुआ? हम इतनी चर्चा करते हैं लेकिन 50 साल में कुछ नहीं हुआ। इस देश में बहुत कुछ आदिवासी और जनजातियों के लिए हुआ है लेकिन और होना चाहिए तथा इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनना चाहिए।

रात्रि 10.00 बजे

इस पर राष्ट्र की हर पार्टी और सभी लोग मिलकर ध्यान दें। ताकि इस स्थिति में हम परिवर्तन ला सकें। मैं दिल्ली की घटना के बारे में बता रहा था कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्त्ता ने जिस तरीके से एक जाटव, हरिजन महिला को मारा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। यूनियन टैरीटरी का मामला होने के नाते होम मिनिस्टर को इस पर एक बयान देना चाहिए कि उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया है, क्या काम किया है। सिर्फ जुबानी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अपनी सिन्सयरटी को हमें सदन के सामने और देश के सामने रखना पड़ेगा कि हम सही मायने में इस काम को करना चाहते हैं, छुआछूत को हटाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार खत्म करना चाहते हैं, हमें इसका प्रमाण देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप नाराज हो गये थे। आखिर में हमारी बात को सुना गया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। किसी ने कहा है—जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आज 32 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में भूखे-नंगे हैं और इन 32 करोड़ लोगों के लिए हमारे बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वही लोग हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस सदन का वक्त लगा रहे हैं। हम सही मायने में ऐसा मानते हैं कि एक सार्थक बहस इस सदन में हो रही है। आजादी के इन पचास वर्षों में जिन्होंने इन गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समता और बराबरी के लिए बड़े युद्ध लड़े, ऐसा करके उनके प्रति आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, डा॰ राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले और पेरियार जैसे महापुरुषों के जो संघर्ष थे, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हमने इस बहस के माध्यम से अर्पित की है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारा मुल्क फूला नहीं समा रहा है जब हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अणुशक्ति हो गये हैं। लेकिन मैं शासन के उन लोगों को जरूर कहूंगा कि हम बम फोड़कर अणुशक्ति तब तक नहीं हो सकते, जब तक हम जनशक्ति को मजबूत न करें। मुरझाये चेहरे, भूखे पेट, नंगे बदन, नंगे पांव करोड़ों लोग जिस मुल्क में झोंपड़ियों में सिसक-सिसककर अपनी जिंदगी जीने के लिए विवश हों, वह देश अगर कहे कि हम एक बम फोड़कर बहुत ताकतवर हो गये हैं तो मैं कहूंगा कि ताकतवर तब होंगे जब इस मुल्क के करोड़ों गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग जब ताकतवर होंगे, तभी मुल्क ताकतवर होगा। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा—शांति नहीं तब तक जब तक न सुखभाग नगर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। यह गैरबराबरी का आलम जब तक इस मुल्क में है तब तक एक ताकतवर और शक्ति के रूप में खुद को गौरवान्वित अनुभव करना, मैं समझता हूं कि एक छलावे के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। आज जो केन्द्र के द्वारा इन जातियों के लिए, इन वर्गों के लिए प्लान बनाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको स्पीकर के रूप में देखना इन पचास वर्षों की एक उपलब्धि है। देश का राष्ट्रपति आज दलित वर्ग से है और देश की सर्वोच्च संस्था का अध्यक्ष भी उसी वर्ग से हैं। आपके रहते इन गरीब तबकों के लिए जो प्लान बनाये जा रहे हैं, जो केन्द्र से योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। आजादी का स्वाद, आजादी का अर्थ तब तक बेमतलब रहेगा, निरर्थक रहेगा जब तक स्वतंत्रता का लाभ इन अनुसूचित जाति और जनजातियों तक नहीं पहुंचेगा। हम डा॰ राम मनोहर लोहिया को इस देश का असली सर्जन मानते हैं जिसने विशेष अवसर का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए बड़े संघर्ष किये।

[श्री आनन्द मोहन]

हम सदन में बैठे हुए उन महान योद्धाओं का भी अभिनंदन करेंगे जिनका नाम वी॰पी॰ सिंह है, वह आज सदन में मौजूद नहीं हैं। श्री लालू यादव, श्री मुलायम सिंह यादव, भाई रामविलास पासवान, प्रकाश अंबेडकर, कांशीराम और कु॰ मायावती जैसे लोग हैं जो लगातार इस जंग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम उन तमाम लोगों का भी अभिनंदन करना चाहते हैं औरआपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आज आजादी के 50 वर्षों के बाद देश में कोई दलित महिला नंगी कर के घुमाई जाती है और संविधान द्वारा जो उनको हक दिए गए हैं, उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है, तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर दंड देने की कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय,

हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए
हमें विषमता नहीं समानता चाहिए
हमें अन्याय नहीं न्याय चाहिए
हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए।
इस देश के आदिवासी और दलितों को चलने नहीं देंगे
तो हम भी इन्हें यहां से हिलने नहीं देंगे
अगर हमारी समस्याओं पर हमें बोलने नहीं देंगे
तो हम भी तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय, दलितों की समस्या पर मेरा कहना यह है कि पुराने जमाने में जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई थी वह कर्म के अनुसार की गई थी। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है—चतुर्वर्णम मयाकृत्वा, गुणकर्म विभागशः, लेकिन बाद में इसे जाति के ऊपर आधारित कर दिया गया। यहीं से इसमें खराबी पैदा हो गई और आज स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि हमें इस विषय पर इस सदन में चर्चा करने पर विवश होना पड़ रहा है। इकनौमिक इक्वैलिटी के लिए मेरा सुझाव यह है कि देश में जो भूमिहीन लोग हैं, आदिवासी और दलित भूमिहीनों को जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी दे दी जाए। जो भी उनके अधिकार हैं, उन्हें उनको देने की चर्चा होनी चाहिए और उन्हें उनको दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मंदिरों में आज भी दलितों को प्रवेश नहीं मिलता। हमें इस पर विचार करना चाहिए और उन्हें मंदिरों में प्रवेश आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : क्या मंदिर में प्रवेश करने के लिए संसद में आने जैसा संघर्ष करना होता है...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, रामायण में बाल्मीकि ने लिखा है कि हमें विद्या ग्रहण करने से इसलिए वंचित रखा गया, क्योंकि उनको मालूम था कि हम कुशाग्र बुद्धि हैं और यदि हम पढ़ेंगे, तो एकदम आगे आ जाएंगे। हमें इसीलिए गांवों के बाहर रखने का प्रयत्न किया गया क्योंकि यदि हम गांव के अंदर आएंगे तो कहीं वे हम से टच न हो जाएं। हम तो खुद उनको टच नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हें अनटचेबल रखना चाहते हैं आपकी सरकार आई है, मेरा आपसे कहना है कि आप भी गरीबों, दलितों और पिछड़ों को न्याय दीजिए। हमारी अपेक्षाएं आपकी सरकार से ज्यादा हैं। दलितों के रिजर्वेशन में जो बैकलाग है, उसे पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन को लागू करिए और इस देश के लोगों को न्याय दीजिए। इस देश के लोगों को न्याय देने के संबंध में चर्चा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि दलितों में से एक केबीनेट मिनिस्टर बनाने का भी काम होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि मेनका गांधी जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। इनको स्टेट मिनिस्टर से यदि कैबीनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इनको कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। यदि इस देश में महात्मा गांधी का सपना पूरा करना है, तो इस देश का प्रधान मंत्री दलित होना चाहिए। हम चाहते हैं और आपको भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश का प्रधान मंत्री दलित समाज से हो और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि आपका सहयोग मिला, तो इस देश का प्रधान मंत्री एक न एक दिन दलित समाज से बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री ज्ञान सिंह (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में काफी समय से आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बारे में उनको सुख-सुविधाएं दिए जाने के बारे में चर्चा हो रही है।

सभी माननीय सदस्यों अपने अपने सुझाव दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या विडम्बना है कि "तनों से बंधे दिलों से दूर, प्रजातंत्र का कैसा दस्तूर"। हम इस पर कब तक चर्चा करते रहेंगे। यहां पर मैं एक बात अपील के रूप में कहना चाहूंगा कि अपनेपन की कमी के चलते आज इस तरह की विसंगतियां हुई हैं। आजादी के बाद गरीब तबकों के लोगों की सहायता के लिए तमाम राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से कई अनुदान, बैलगाड़ी अनुदान, बैल जोड़ी अनुदान, मकान बनाने के लिए अनुदान दिये जाते हैं लेकिन फिर भी आदिवासी जाति के लोग परेशान हैं। किसका दोष है? यहां पर दोषी कौन है? अगर इसकी छानबीन करें तो शासन प्रशासन के बीच में जो कमी है, जब तक अपनेपन की कमी है तब तक हम आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों में सुधार और बदलाव नहीं कर सकते। जिस मशीनरी के हाथ में इस समाज को उठाने की, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आज सरकारी पोस्टों पर बैठे हुए अधिकारी के मन में एक ही बात आती है कि ये गरीब तबके के लोग हैं और इन्हीं का नाम लेते जाओ और अपना काम करते जाओ। इस व्यवस्था में परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी वनों की सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि समय अमूल्य है। आदिवासी भाई जो जंगलों पर काश्त करते चले आ रहे हैं, उन पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरे देश में अनावश्यक रूप से मुकदमे तैयार करके न्यायालय में दिये जा रहे हैं। लाखों लोग पेशियों में परेशान हैं। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जिन आदिवासी भाईयों की जमीन को जोतने के नाम पर केस चलाये हैं, उनको आदेश देना चाहिए कि वे केस तुरंत वापिस लिये जायें।

दूसरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार केन्द्र में है। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान देश के सामने यह घोषणा की थी कि हम महिलाओं को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। मैं उसकी सराहना करता हूं।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हर समाज में दहेज प्रथा को लेकर हत्या होती हैं। महिलायें फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। हमारे हिन्दुस्तान में एक आदिवासी समुदाय ऐसा है जिसमें आदिवासी कन्या को दहेज के नाम पर फांसी नहीं लगानी पड़ती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन आदिवासियों में यह विस्मरणीय प्रचलन है, उनको आप पुरस्कृत करने की घोषणा करें ताकि इससे देश के सवर्ण वर्ग को प्रेरणा मिले। हमारे आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है और उसमें कन्या पक्ष के लोगों को सहयोग देकर हम कन्या की शादी कराते हैं। मैं आपको धन्यावद देता हूं कि आपने मुझे इस सुअवसर पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भास्कर राव पाटील (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज इस सदन में अनुसूचित जाति-जनजाति के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। मेरे से पहले सदस्यों ने जो बातें कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं परन्तु मैं यह जिक्र करना चाहूंगा और उसे कम से कम समय में करने की कोशिश करूंगा। मैं जिस क्षेत्र नांदेड़ जिले को रिप्रेजेंट करता हूं, वह महाराष्ट्र का एक जिला है। नांदेड़ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसके पहले हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जिस जाति को शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में रखा गया है, उस जाति को महाराष्ट्र में शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में नहीं रखा गया है।

अभी यहां कुछ बातें कही गई। श्री रामविलास पासवान जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका नाम अभी तक हमारी सूची में नहीं है खासतौर पर महाराष्ट्र में वडर समाज, जो पत्थर फोड़ने वाले लोगों का समाज है, वह काफी पिछड़ा हुआ है लेकिन आज भी वह समाज पिछड़ी जातियों की सूची में नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उस सूची में सुधार होना चाहिए। महाराष्ट्र में खासतौर पर मेरी कान्स्टीटूऐंसी में एक हटकर हाटकर समाज है, जो दूसरे राज्य में एस॰टी॰ की सूची में आता है, उसी तरह धनगर और धनगढ़ जाति महाराष्ट्र में है, दूसरे राज्यों में धनगढ़ जाति को एस॰टी॰ की सूची में रखा गया है लेकिन महाराष्ट्र में उसे एस॰टी॰ का दर्जा नहीं दिया गया। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश में धोबी पिछड़ी जाति में आते हैं लेकिन महाराष्ट्र में धोबी को पिछड़े समाज में नहीं मानते। मेरी कान्सटीटूऐंसी में एक समाज, मछुआरों (कोली और भोद) का है, जिसे हम एस॰टी॰ में नहीं लेते। इस सूची में सुधार होने की आवश्यकता है। इसी तरह से अभी एक भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुम्हार को पिछड़ी जाति में लिया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कुम्हार को पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया गया। हमारे यहां नाई को भी ऐसी जातियों में नहीं लिया गया।

मैं आपके माध्यम से शासन से यह कहना चाहूंगा कि इस सूची में सुधार हो। जब हम राज्य सरकार से इस बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि यह केन्द्र का विषय है, राज्य के अख्तियार में यह विषय नहीं आता। हमारे यहां एक भोई समाज है, नाईक साहब जानते हैं, भोई समाज मछुआरों का समाज है, उस समाज को भी न्याय नहीं मिला। इन सब समाजों को आप सूची में डालें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ...(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)* जब सबको मौका दिया है तो हमको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* हमारे साथ अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कृपया बैठ जाइए। हम सभी को अवसर कैसे दे सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया। काफी हो चुका।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : हम ट्राईबल एरिया से चुनकर आए हैं।. ..*(व्यवधान)* क्या हम अपने समाज की बात नहीं रख सकते?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण

[श्री कांतिलाल भूरिया]

चाहते हैं।...*(व्यवधान)* राज्यों में बच्चों को ढाई सौ रुपये से 260 रुपये दिए जाते हैं लेकिन वहां 115 रुपये दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* इतनी बड़ी विषमता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कुछ सदस्यों द्वारा इस विषय पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : राज्यों में इतने अपराध होते हैं। ...*(व्यवधान)*

इस समय असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा मेघालय शैड्यूल सिक्स में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधान सभा ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा है। उसको लागू करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, बहुत हो चुका। यह क्या हो रहा है? मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें। श्री भूरिया, कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके नेता को बता सकता हूं कि यह ठीक नहीं है। ये क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन, ये क्या है? अपने सदस्य से बैठने को कहें। यह काय है?

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : ट्राइबल वैलफेयर के लिए ट्राइबल सब-प्लान में भारत शासन ने 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसमें से एक हजार करोड़ रुपया इस साल अब तक रिलीज किया जा चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : बाकी का 18,000 करोड़ रुपया जो बचा है, उसको भी रिलीज करना चाहिएउ, वरना इस तरह से ट्राइबल्स का विकास कैसे होगा। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कृपया बैठ जाइए। ये क्या है? आपको प्रक्रिया से अवगत होना ही चाहिए। बिना प्रक्रिया जाने ही आप बोल रहे हैं। मंत्री जी कृपया अपना उत्तर जारी रखें।

श्री के॰ एच॰ मुनिप्पा (कोलार) : महोदय, कृपया मुझे थोड़ा सा समय दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। ये क्या है? आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों का आभारी हूं। मैं उन्हें उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने हेतु माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं। मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी।

इससे पहले कि मैं शुरू करू, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के संसद सदस्यों के साथ इस समस्या पर विस्तृत विचार करने तथा इनके समाधान हेतु संसदीय सौध में आयोजित होने वाली बैठक में इन्हें आमंत्रित करने जा रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि तत्कालीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 30वें प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम, द्वितीय तथा विशेष प्रतिवेदनों को जनवरी 1998 में की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन सहित राज्य सभा तथा लोक सभा पटल पर क्रमशः 27 जुलाई 1998 तथा 28 जुलाई 1998 को रखा गया है। महोदय, हम इस बात का श्रेय तो ले ही सकते हैं कि मेरे द्वारा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का कार्यकरण संभालने के बाद प्रतिवेदन सभा पटल पर शीघ्र रखे गए।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के पश्चात् ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और

*. कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को छः वर्ष के बाद सभा पटल पर रखा गया है। मैंने लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को चर्चा के लिए सूचना पहले ही भेज दी है।

तीसरे तथा चौथे प्रतिवेदन की अंग्रेजी प्रति प्राप्त हो चुकी है। आयोग से हिंदी की प्रति भेजने का भी अनुरोध किया गया है। की-गई-कार्यवाही ज्ञापन भी तैयार किया जा रहा है।

रात्रि 10.24 बजे

[श्री पी॰एम॰ सईद *पीठासीन* हुए]

दूसरा मुद्दा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार से संबंधित है। महोदय, मेरा दृढ़ विचार है कि अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हों। अथवा घट रही हों। हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अमानवीय व्यवहार का एक भी मामला समाज पर धब्बा है। तथापि यदि हम तथ्यों को इसी रूप में देखें तो हाल के वर्षों में अत्याचारों की घटनाओं में कमी आ रही है।

वर्षवार रिपोर्ट किए गए मामले निम्नलिखित है :

1995	38,494
1996	36,413
1997	32,326

जनवरी, 1998 से जून, 1998 के दौरान मार्च को छोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के *अंतर्गत* रिपोर्ट की गई हत्या, घायल किए जाने के मामलों में कमी आयी है।

मैं सभा को यह जानकारी भी देना चाहती हूं कि वर्ष 1995 और 1996 के दौरान क्रमशः 3393 तथा 5514 व्यक्ति दोषी करार दिए गए। इसी प्रकार वर्ष 1995 और 1996 के दौरान क्रमशः 33,716 तथा 32,152 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। न्यायालयों में लंबित मामले सरकार के लिए चिंता का विषय रहे हैं तथा यह मंत्रालय राज्य सरकारों से इन मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट विशेष न्यायालयों के गठन सहित कदम उठाने का बार-बार अनुरोध कर रहा है। राज्यों को समान-आधार पर उनके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर केंद्रीय सहायता दी जाती है। देश के छः राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में 55 विशिष्ट न्यायालय स्थापित किए गए हैं। यह आशा की जाती है कि अन्य राज्यों द्वारा भी इस उद्देश्य हेतु न्यायालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता 50:50 के अनुपात तथा संघ शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत आधार, पर कानूनी सहायता, अभियोजनों को शुरू करने अथवा इन पर निगरानी रखने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों की स्थापना, राहत और पुनर्वास उपाय, समय-समय पर सर्वेक्षण कराने और अत्याचार संभाव्य क्षेत्रों की पहचान और अन्य संबंधित मामलों सहित उन्हें इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 27.17 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जारी की गई है।

वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यों को 16.47 करोड़ रुपए जारी किए गए।

मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक अनुसूचित जाति की महिला पर किए तथाकथित अत्याचार, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान द्वारा अपने पहले भाषण में किया गया था, के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगी। 13 जुलाई, 1998 को बिजनौर जिले के ग्राम इनायतपुर में श्रीमती इमरती देवी (अनुसूचित जाति) को श्रीमती ओमवती (अनुसूचित जाति) और अन्य लोगों (अनुसूचित जाति) द्वारा मारा-पीटा गया और उसके कपड़े फाड़े गए। बिजनौर जिले के पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुर द्वारा संख्या 121/98 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। यह जानकारी दी गई कि पांच मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कारागार में भेजा गया है। दो पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया था, को स्थानांतरित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच करने के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित महिला को राहत राशि के रूप में अब तक 4000 रु॰ दिए जा चुके हैं। चूंकि पीड़ित महिला और मुलजिम दोनों ही अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखते हैं इसलिए यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पी ओ ए) अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार का मामला नहीं बनता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कम से कम एक मुलजिम गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर-अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता हो।

कई माननीय सदस्यों ने ऐसे कई मामले प्रस्तुत किए हैं। यदि आप उनके बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करें तो मुझे उनकी छानबीन करने में प्रसन्नता होगी और हम इस बात का पता लगा सकेंगे कि क्या प्रत्येक मामले में कोई कार्रवाई की गई है अथवा नहीं।

तीसरा मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारों ने शिक्षा के विकास, रोजगार सृजन और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना और आदिवासियों के लिए उप योजना अन्य नीतियां हैं जिनके लिए राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बराबार अपने राज्य के बजट में से धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है। मैं यह बात स्वीकार करती हूं कि कुछ राज्य अपेक्षित प्रतिशतता प्राप्त नहीं कर पाए हैं लेकिन इसमें निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है। केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए धनराशि जुटाना अपेक्षित है और इस संबंध में कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को कुछ हद तक सफलता

[श्री राम विलास पासवान]

मिली है। जहां तक सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के लिए तैयार की गई योजनाओं का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हम 2323.30 करोड़ रुपए के वित्तीय आबंटन की तुलना में 2908.65 करोड़ रुपए व्यय कर पाए हैं।

वर्ष 1992-93 में 405.98 करोड़ रुपए के वित्तीय आबंटन की तुलना में 1998-99 में वित्तीय आबंटन को बढ़ाकर 789.93 करोड़ रुपए किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि हुई है।

महोदय, जब से मैंने सरकार में इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है मैंने इन योजनाओं में कई सुधार किए हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा।

पहला, सभी योजनाओं में विकलांगता को शामिल किया गया है।

दूसरा, मैट्रिकोत्तर योजना के अंतर्गत जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उन सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जो मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी मैट्रिकोत्तर मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्ड को पूरा करते हैं। पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भिक पांच वर्षों के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जाती है। तथापि, संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा इस जिम्मेवारी को वहन करने की स्थिति में नहीं थे और इसलिए वे इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय योजना से वंचित रहे। सरकार ने अब पूर्वोत्तर राज्यों को जिम्मेवारी लेने से छूट प्रदान कर दी है। दूसरे शब्दों में, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, केन्द्र सरकार और मेरे मंत्रालय द्वारा पूरी जिम्मेदारी उठाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, भूत में भी यदि किसी माता-पिता के दो से अधिक लड़के होते थे, तो केवल दो लड़के ही इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने के पात्र होते थे। अब मेरा मंत्रालय सभी पात्र लड़कों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। सभी लड़कियां इससे पहले ही छात्रवृत्तियां पाने की हकदार थीं। उक्त योजना में हाल ही में किए संशोधन के बाद सभी बच्चे चाहे वे लड़का है अथवा लड़की, छात्रवृत्ति पाने के पात्र हो गए हैं।

तीसरी बात लड़कों और लड़कियों के लिए 'हास्टल' योजना के अंतर्गत हास्टल के खर्चे के एक हिस्से को मुक्त करने का निर्णय लिया गया है ताकि विकलांग बच्चों के लिए इसे सुलभ बनाया जा सके।

चौथी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत शेयरपूंजी को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पांचवीं बात नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप, जो गत दो वर्षों से नहीं दी जा रही थी, को चालू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश और अल्प खानाबदोश आदि के 30 छात्रों को विदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के साथ यात्रा किराया प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : क्या आप छात्रवृत्ति बढ़ाएंगी?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : छठी बात यह है कि गैर-सरकारी संगठनों के लिए व्यापक योजना बनायी गई है। विगत में राज्य सरकारों की ओर से सिफारिशों के विलंब से प्राप्त होने के कारण इनमें से कई अथवा अधिकांश प्रस्तावों को समय से मंजूरी नहीं दी जा सकी। अब इनके निरीक्षण और मूल्यांकन का कार्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और मूल्यांकन का कार्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की संभावना का दायरा बढ़ा दिया गया है। ताकि इसमें मानवाधिकार, पर्यावरण, विधिक सहायता, महिलाओं की समस्याएं, जागरूकता पैदा करने, अन्य ग्राहक सेवाएं आदि जैसी बातों को शामिल किया जा सके।

सातवीं बात यह है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए किए गए अन्य पहलकारी कदमों में से मैं कतिपय योजनाओं का उल्लेख कर सकती हूं जो कि पृथक रूप से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए हैं।

आठवीं बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। पिछला आयोग श्री यू॰एन॰ धेबर की अध्यक्षता में 1960 में गठित किया गया था। लगभग 40 वर्ष बीत गए हैं और ऐसा कोई आयोग स्थापित नहीं किया गया है। इस सरकार ने जनजातीय विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा करने हेतु ग्यारह सदस्यीय आयोग को स्थापित करने को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। इस संबंध में अब तक अपनाए गए दृष्टिकोण और नीति की समालोचनात्मक समीक्षा किए जाने और इसे पुनःनिर्धारित किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे मुख्यधारा में लाने के लिए निश्चित समय अवधि में जनजातीय लोगों को सभी तरह की प्रमुख सुविधाएं और इनको कम से कम समाज के शेष वर्गों के समतुल्य लाने के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

नौवीं बात यह है कि कुछ जनजातीय समूह हैं जिनका अस्तित्व अनिश्चित है और उनमें से कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे 75 जनजातीय समूहों की आदिम जनजातीय समूहों के रूप में पहचान की गई है जिनमें से कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। मैं थोड़ी देर में इस बात पर आऊंगी। मौजूदा विकास कार्यक्रमों से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार ने उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छ पेयजल की

आपूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण देने, शिक्षा सुविधाएं और पूर्ण खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आरंभ में इस योजना के लिए चालू वर्ष में पांच करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

दसवीं बात इस सरकार ने वन क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले जनजातीय लोगों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान पच्चीस करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अधिकांश संसद सदस्यों की यह मांग थी क्योंकि यह महसूस किया गया कि वनों में रह रहे जनजातियों के साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है। अतः हमने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया है।

आपने हाईस्कूल उपरान्त छात्रवृत्ति के बारे में पूछा था। छात्रवृत्ति की दरें बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार जानने के लिए उनसे परामर्श किया जा रहा है। यह आवश्यक है क्योंकि पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य सरकारों को प्रतिबद्ध देयता के लिए धन उपलब्ध कराना होता है।

आप में से कुछ लोगों ने जो कुछ कहा है मैं उन पर एक-एक करके चार्च करूंगी। यदि मुझसे गलती से कोई बात छूट जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें।

मेरे पूर्ववर्ती की तरह मेरे कार्यालय में बहुत से लोग आते हैं अथवा पत्र भेजते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को पुनर्जीवित किया जाए और इसमें और लोगों के नाम शामिल किए जाएं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में अन्य समुदायों को शामिल करने हेतु नए प्रस्तावों के तौर तरीकों के संबंध में पहली बार विचार किया जा रहा है। एक बार इस कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों की ओर से आए लगभग 1400 अनुरोध पत्रों संबंधी कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की वर्ष 1994-98 और 1995-96 की रिपोर्टें भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को परिचालित कर दी गई हैं ताकि वे समुचित कार्यवाही करके राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन भेज सकें क्योंकि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित मुद्दों से केन्द्रीय सरकार का संबंध है। सभी सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों से इन ज्ञापनों के प्राप्त होने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक समग्र की गई कार्यवाही ज्ञापन तैयार करेगा और इसे सभा के दोनों पटलों पर रखा जाएगा।

अनेक सदस्यों ने यह बात कही है कि एक जाति विशेष किसी राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है परन्तु किसी दूसरे राज्य में नहीं। आप सभी जानते हैं कि इस संबंध में बहुत ही कम कार्य किया गया है क्योंकि आप में से कुछ तो सरकार में भी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार किसी राज्य का कोई समुदाय विशेष अनुसूचित अधिसूचित किया गया है और कभी-कभी राज्य के भाग के लिए भी।

संविधान में किसी समुदाय विशेष को अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित करने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस बात की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों से हो चुकी है। यदि हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा। जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। काश कि हम सब सहमत हो जाएं तो हम इस मामले में प्रगति कर सकते हैं।

अंडमानियों के बारे में बताया गया है कि वहां की पांच आदिम जातियां विलुप्तप्रायः होने जा रही हैं। जैसाकि मैं पहले ही कह चुकी हूं केन्द्र सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष के दौरान समग्र स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना शुरू की जा रही है।

अब मैं बूटासिंह द्वारा उठाई गई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की समस्या पर आती हूं। मैं संभवतया कार्मिक और प्रशिक्षण की सेवाओं को सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत इसलिए नहीं ला सकती क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी सेवा शर्तों को कवर करता है। केन्द्रीय सेवाओं में अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आरक्षण का विषय इसलिए सौंपा गया है कि यह उसकी शासकीय जिम्मेदारी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जिन आदेशों पर नाराजगी जाहिर की है वे सभी 30.1.97, 2.7.97, 22.7.97 और 29.7.97 को केबिनेट को तत्संबंधी जानकारी देने के पश्चात उस समय जारी किए गए थे जब श्री राम विलास पासवान सदस्य थे। यह मेरे सत्ता में आने से बहुत पहले की बात है। यदि आप यह कहते हैं कि वे अब गलती पर हैं तो मुझे इस बात का भय है क्योंकि मैं तो यहां थी ही नहीं और न ही यह सरकार थी। ये आपकी सरकार के समय की बात है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं।

मैंने अपनी सरकार के संबंध में भी कहा था कि यह सरकार का सवाल नहीं है। यह बात मैंने उस समय भी कही थी, जब हम सरकार में थे।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : हम अब उनसे इसकी जांच करवाएंगे।

श्री राम विलास पासवान : मैंने सुझाव दिया था कि डीओपीटी के मिनिस्टर और जो आपकी नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वैलफेयर आफिस को भी बुला लीजिए। साथ में शेड्यूल्ड कास्ट्स

[श्री राम विलास पासवान]

और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संसद सदस्यों और तमाम पोलिटिकल पार्टीज, जिनको आप बुलाना चाहें, बुला लीजिए। इसके साथ हमने जो भी पाइंट्स तैयार किये थे, उस पर भी विचार करके कोई अंडरस्टैंडिंग निकले, तभी सुधार हो सकता है। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी सरकार को पावर है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। मेरा यह सुझाव है कि आप एक बैठक बुला लीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : यह एक अच्छा विचार है। जब हम संसद सदस्यों से मिलेंगे तो उस समय डीओपीटी के प्राधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहेंगे।

कुछ सदस्यों ने किसी प्रकार के षडयंत्र का आरोप लगाया है जिसके कारण डा॰ अम्बेडकर फाउन्डेशन की बैठक स्थगित हुई। परन्तु यह सही नहीं है। आम बैठक 10 अगस्त को करने का निर्णय किया गया था परन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित कर दी गई। हम जिन बातों का प्रस्ताव करना चाहेंगे वे सभी तैयार होने की प्रक्रिया में हैं। सभापति अर्थात् मैंने 2 सितम्बर 1998 को बैठक की नई तिथि निर्धारित की है और इसकी सूचना सदस्यों को दे दी गई है। इस फाउन्डेशन की आम सभा बैठक के सदस्यों को कार्यसूची भेजी जा रही है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति से उत्कृष्ट सुझाव प्राप्त हुए हैं। मेरे विचार से यहां एक सदस्य उपस्थित हैं और अन्य सदस्य नहीं हैं। उनका कहना है कि हमने राज्यों को, गैर-सरकारी संगठनों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्यधिक धनराशि उपलब्ध करायी है परन्तु अधिकांश संसद सदस्य यह नहीं जानते हैं कि किसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है और इसके परिणामस्वरूप वे हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि यह अच्छा है या खराब है। विशेषतः वे उन राज्यों में विपक्ष में होते हुए यह भी पता लगाने की स्थिति में नहीं हैं कि उनके राज्यों द्वारा धनराशि का वास्तव में उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

अतएव हमने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक तीन-चार माह में संसद सदस्यों को उनके राज्य को और गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा देते हुए सूची भेजेंगे ताकि वे यह बता सकें कि यह ठीक है या नहीं और इसमें क्या कमी रह गई है ताकि वे चाहे जिस स्तर पर हों, सत्ता में भागीदार हो सकें।

मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार द्वीप समूह) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं?...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा नामक समुदाय उग्र जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है। ये भ्रमणशील जनजाति है। जब ये घूमते-घूमते गांवों में पहुंचते हैं तो वहां धावा बोल देते हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता और भूखे-प्यासे रहते हैं। अतएव मैं भारत सरकार से इन लोगों को तत्काल भोजन उपलब्ध कराकर इनकी सुरक्षा करने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, नियम 377 के अंतर्गत आज के मामलों के बारे में क्या हुआ?

सभापित महोदय : मैं इसी के बारे में कहने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही स्थगित करने से पहले सभा नियम 377 के अंतर्गत मामलों पर चर्चा करेगी। यदि सभा की सहमति हो तो आज की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर प्रस्तुत मान लिया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी हां हम सभी सहमत हैं।

सभापति महोदय : आज की कार्यवाही के लिए नियम 377 के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर प्रस्तुत माना जाये।

रात्रि 10.43 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी एजेंसियों को लिखे गए पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया (पोरबन्दर) : महोदय, सरकार का स्टैंडिंग आर्डर है तथा कन्वेंशन है कि "संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर तुरन्त दिए जाएं एवं उन पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए" लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है।

सांसदों के पत्रों के उत्तर नहीं दिए जाते, ऐसी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि ज्यादातर सासंदों की फरियादें हैं। अतः हम जैसे जनता के नुमाइन्दों की यह हालत है, तो आम जनता के पत्रों के उत्तरों की तो बात ही क्या करनी?

मेरे पास ऐसे बहुत पत्र हैं जिनको लिखे हुए दो-दो और तीन-तीन वर्ष हो गए, उनका आज तक उत्तर नहीं दिया गया। जब संबंधित विभागों के अधिकारियों को पूछते हैं, तो जवाब देते हैं कि आप जैसे

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

अन्य सांसदों के दो-दो, तीन-तीन हजार पत्र विभाग में पड़े हैं। आपकी बारी दो-तीन वर्ष के बाद आएगी। दो-तीन वर्ष के बाद पत्र को देखने की बारी आएगी और उस पर विचार करके कार्रवाई करने में दो-तीन वर्ष और लग जाएंगे।

महोदय, जब एक-एक पत्र का उत्तर देने में इस प्रकार से चार या पांच वर्ष लगेंगे, तो कैसे काम चलेगा। तब तक नया चुनाव आ जाएगा या जैसे पूर्व में दो-तीन बार संसद समय से पूर्व भंग हो गई और सरकारें बदल गईं और यदि दूसरी सरकार आ जाएगी तो पहली सरकार के निर्णय को पलट देगी, तो फिर जनता के काम कैसे होंगे। यह हालत है देश की, जनता की, सांसदों की एवं सरकारी ब्यूरोक्रेटिक अफसरों की। इसमें सुधार लाना चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार को हर मंत्रालय को आदेश देना चाहिए और नियम व कन्वेंशन बनाना चाहिए कि ब्यौरेवार जवाब दो-तीन महीने में ही देना चाहिए। यह जिम्मेदारी अफसरों पर डाल देनी चाहिए और जवाबदेही, पारदर्शिता होनी चाहिए, तब देश में अफसरशाही सुधरेगी।

(दो) गुजरात में भावनगर और तारापुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं नियम 377 के अधीन एक अति लोक महत्व का मामला वैस्टर्न रेलवे पर गुजरात डिवीजन में बहुत वर्षों से लटका हुआ है। उस पर सदन एवं रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1947-48 में जब भावनगर रेलवे का विलय सौराष्ट्र रेलवे एवं वैस्टर्न रेलवे में हुआ, इसमें भावनगर के पूर्व रियासत के महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह जी गोकिल ने कुछ करोड़ रुपया "भावनगर तारापुर ब्राडगेज रेलवे लाइन" के लिए अलग रिजर्व रखा था। इस रेलवे लाइन का इंजीनियरिंग एवं ट्रैफिक सर्वे भी हो चुका है। पूर्व रेल मंत्री ने रेल बजट में कुछ वर्षों पहले इसके लिए आश्वासन भी दिये थे।

भावनगर के "सौराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कामर्स", रेलवे पैसेंजर्स एसोसियेशन एवं कई संस्थानों ने इस रेलवे लाइन की वर्षों से मार्ग की हुई है एवं कई बार धरना, आंदोलन, भूख हड़तालें, बंद, रास्ता रोको आंदोलन, घेराव वगैरह भी जनता ने किये।

यह "भावनगर-तारापुर ब्राडगेज रेलवे लाइन" बन जाये तो भावनगर एवं आसपास के क्षेत्रों का देश के सारे क्षेत्रों से संपर्क हो जायेगा एवं पूरे क्षेत्र का विकास हो सकेगा। भावनगर का पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, द्वारका, ओखा आदि का सीधा संपर्क बन जायेगा क्योंकि वैसे भी अब सब जगह "ब्राडगेज लाईन" हो चुकी है।

मैंने पिछले 10 वर्ष से संसद के अंदर एवं बाहर ये प्रश्न उठाया है व रेल मंत्रियों को 10 वर्षों में अनेक पत्र लिखे, आवेदन दिये, मिले लेकिन रेलवे मंत्रालय द्वारा इस पर समुचित कार्यवाही नहीं हुई।

रेल मंत्री से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि "भावनगर तारापुर" ब्राडगेज रेलवे लाइन की मांग जितनी जल्दी हो सके, पूरी की जाये।

[अनुवाद]

(तीन) गुन्टाकल-हैदराबाद और गुन्टाकल-शोलापुर बरास्ता वाडी के बीच चलने वाली रेल गाड़ी को पुनः चलाये जाने की आवश्यकता

श्री बासवराज पाटील सेडाम (गुलबर्गा) : वाडी होते हुए गुंटकल-हैदराबाद और गुंटकल-शोलापुर मार्ग के बीच चलने वाली 14 रेलगाड़ियों (अप और डाउन) को कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किए बिना रद्द कर देने से बंगलौर, मुम्बई, हैदराबाद इत्यादि की प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को कठिनाइयां और समस्याएं पैदा हो गई हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करने हेतु इस क्षेत्र के संसद सदस्यों की विशेषरूप से गुलबर्गा जिले की एक बैठक तत्काल बुलाएं। यह क्षेत्र दक्षिण रेल और मध्य रेल के अंतर्गत आता है।

मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और गुलबर्गा, रायचूर तथा बिदर जिलों के हजारों यात्रियों के हित में जो आवश्यक होगा, करेंगे।

(चार) सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर आरक्षित पदों को भरा जाये तथा उक्त वर्ग के कर्मचारी एवं अधिकारियों की प्रमोशन को रोकने वाले अधिकारियों द्वारा जानबूझकर प्रमोशन न देने पर कानून के अंदर सख्ती से कार्यवाही की जावे तथा 3 माह से 6 माह तक सजा का प्रावधान हो एवं उन्हें सेवा मुक्त करने का नियम बनाया जाये जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

(पांच) महाराष्ट्र के खम्बाटकी घाट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के समानान्तर लेनों के निर्माण हेतु स्वीकृति दिये जाने और पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले (सतारा) : खम्बाटकी घाट में 773/0 से 781/0 किमी॰ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर मौजूदा दो लेन बहुत बुरी स्थिति में हैं। इस लेन पर 1994 से यातायात कई गुणा अर्थात् लगभग 150 प्रतिशत बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जल

[श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले]

भूतल परिवहन मंत्रालय से 1994 में घाट सेक्शन में अतिरिक्त दोहरी लेनों के निर्माण हेतु संपर्क किया गया था जिसकी मंजूरी जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सं॰ आर डब्ल्यू॰/एन॰ एच॰–12012/641/94 डब्ल्यू॰ (एम॰ए॰एच॰) दिनांक 14.11.94 के जरिए दे दी गई थी। महोदय, इतनी दूरी के बीच भारी यातायात के कारण लगभग प्रतिदिन छः से आठ घंटे तक यातायात जाम रहता है। कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में अनेक उद्योगों की स्थापना के कारण इन स्थानों को जाने वाले लोगों को बार-बार इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, पहाड़ी पर्यटक स्थल, महाबलेश्वर को भी बड़ी संख्या में पर्यटक, खासतौर से गुजरात, मुम्बई, और पुणे से जाते हैं। बार-बार होने वाले यातायात जाम से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां सतारा, कोल्हापुर जिलों में उद्योग लगाने की योजनाएं बना रही है लेकिन वे यातायात अवरुद्ध होने के कारण हिचकिचा रही है।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 4 पर 773/0 से 781/0 कि॰मी॰ के बीच खम्बाटकी घाट में मौजूदा दो लेनों को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ उसके समानान्तर एक सुरंग सहित दो लेनों वाली एक अतिरिक्त सड़क का निर्माण करने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने इस प्रयोजनार्थ न तो परियोजना को मंजूरी दी है और न ही राज्य सरकार को कोई पैसा दिया है।

अतएव मैं जल भूतल परिवहन मंत्रालय से मामले को देखने और महाराष्ट्र की राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा इस प्रयोजनार्थ यथाशीघ्र आवश्यक धन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : मैं आपका ध्यान गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों, विशेषकर पश्चिम महाराष्ट्र की उन समितियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिन्हें नए चीनी उद्योग लगाने हेतु आशय-पत्र लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किए जा चुके हैं।

इन आशय-पत्रों का क्रियान्वयन लम्बे समय तक न रोका जा सके, इस उद्देश्य से आशय-पत्रों के क्रियान्वयन हेतु तीन वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि सरकार ने चीनी की नई मिलें लगाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने में गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी है, लेकिन इन प्रयासों के बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि भातरीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड को सहकारी समितियों सहित चीनी उद्योग की स्थापना हेतु प्राप्त ऋण आवेदनों पर किसी आवेदन विशेष की जांच इसके गुण-दोष पर विचार किए बगैर नहीं करने का निर्देश जारी किया है। इस कदम से चीनी उद्योग के उद्यमी हतोत्साहित हुए हैं तथा वे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई द्वारा भी उनके ऋण संबंधी आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार इन आशय-पत्रों का वहां भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है जहां चीनी उद्योग अर्थक्षम है तथा नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए लिए गये ऋण की वापसी की क्षमता रखता है। राज्य सरकार द्वारा एनसीडीसी से धन दिए जाने के संबंध में भी धनराशि का उचित वितरण नहीं किया जा रहा है। चीनी उद्योग विशेष के संबंध में ऋण आवेदनों की जांच करने हेतु कतिपय केंद्रीयकृत मशीनरी होनी चाहिए तथा किसी विशेष चीनी उद्योग के नाम पर ऋण की राशि चेक द्वारा जारी की जानी चाहिए।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र की सहकारी समितियों को उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक निदेश जारी करें।

(सात) नासिक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री माधवराव पाटील (नासिक) : मैं सरकार का ध्यान नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय के अभाव में करदाताओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

वर्ष 1996-97 के दौरान नासिक का राजस्व 481 करोड़ रुपए था जो कि गोवा एवं गुन्टूर के विद्यमान आयुक्त कार्यालयों से ज्यादा था जिनका कि राजस्व क्रमशः 266 करोड़ रुपए एवं 451 करोड़ रुपए था वर्ष 1997-98 का अहमदाबाद, कानपुर एवं कलकत्ता जैसे द्विशासित आयुक्त कार्यालयों का औसत राजस्व क्रमशः 459 करोड़ रुपए, 414 करोड़ रुपए और 434 करोड़ रुपए था। जबकि नासिक के मामले में यह 537 करोड़ रुपए था। इसके बावजूद अधिसूचना जारी करते समय नासिक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय स्थापित करने पर विचार नहीं किया गया। नासिक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय स्थापित करने की मांग, वित्त मंत्रालय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड में पिछले 15 वर्षों से लंबित है। मगर विभाग का पुनर्गठन करते समय और छोटे एवं चुस्त आयुक्त कार्यालय हेतु योजना के क्रियान्वयन के दौरान सरकार ने इस मांग पर विचार नहीं किया। करनिर्धारितियों एवं विभागीय कर्मचारियों को औरंगाबाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह नासिक से 200 कि॰मी॰ दूर है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र नासिक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय स्थापित करें।

(आठ) उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, उत्तर प्रदेश में कोई भारी उद्योग नहीं है और न ही कोई ऐसा उद्योग है, जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। उद्योगों के अभाव में बेरोजगारी के कारण लोग अन्य राज्यों को पलायन कर जाते हैं। इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास उत्तर प्रदेश में काफी पीछे है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा, जो नहीं दिया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहां पर कोई आधारभूत और भारी उद्योग लगाया जाये और लघु और कुटीर उद्योगों के लगाने हेतु उद्यमियों को करों में राहत दी जाये और उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित किये जायें।

(नौ) डिंडीगुल और त्रिची बरास्ता करूर के बीच पुनः रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी॰ श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल में त्रिचि तक छोटी रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी रहने की वजह से, इस क्षेत्र में दस से अधिक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को आने-जाने में और सामान को लाने-ले जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन सभी रेलगाड़ियों को करूर मार्ग से होते हुए डिंडीगुल से त्रिचि मार्ग परिवर्तित करके इनकी सेवाएं बहाल की जाएं।

मैं माननीय रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे और अधिक प्रभावी योजना तैयार करके कम से कम अगले तीन माह के भीतर मद्रास-त्रिचि रेल लाइन को बदलने संबंधी परियोजना पूरी करवाएं क्योंकि पिछले कई माह से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों मे जाने वाले यात्री बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

(दस) खनिज उत्पादक राज्यों, विशेषरूप से बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को उनके खनिजों के बाजार मूल्य के अनुपात में बढ़ी हुई रायल्टी का भुगतान किये जाने की आवश्यकता

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने तथा उन्हें अधिक साधन सम्पन्न बनाने के लिए केन्द्र वचनबद्ध है। नेशनल एजेंडा में इसे उच्च स्थान दिया गया है। मेरा निवेदन है कि बिहार, म॰प्र॰, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए इनकी खनिज सम्पदा की रॉयल्टी की दर उसके बाजार मूल्य से वृद्धि के अनुपात से बढ़ाकर अपना वचन पूरा करें तथा बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कर दें जिससे बिहार राज्य के ऊपर आर॰ई॰सी॰ (ग्रामीण बिजलीकरण उपक्रम) की कर्ज का भुगतान किया जा सके। ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाकर शीघ्र गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके जिससे लघु उद्योग की स्थापना कर नवयुवकों में फैली बेरोजगारी को दूर किया जा सके।

(ग्यारह) समेकित जनजातीय विकास एजेंसी में जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके इसका पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चन्दूलाल अजमीरा (वारंगल) : आदिवासियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा भारी धनराशि आबंटित की जाती है। योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने, जलापूर्ति, सिंचाई तथा संचार सुविधाओं का कार्य किया जाता है। इस समय आदिवासी विकास परियोजनाओं/एजेन्सियों के प्रमुख के रूप में क्षेत्र के समाहर्ता चेयरमैन तथा परियोजना अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है वाइस-चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र के अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं पर वे परियोजनाओं के प्रमुख हैं। आदिवासी अफसरों को अपनी समस्या से अवगत नहीं करा सकते हैं। क्योंकि वे अफसरों की भाषा नहीं समझते हैं। अफसर उनसे बात करना नहीं चाहते हैं। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति से आदिवासियों के स्तर में सुधार नहीं हुआ हालांकि उन पर काफी धनराशि खर्च की गई। आन्ध्र प्रदेश के नौ आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अनतर्गत कोई क्षेत्र शायद ही ऐसा हो जहां पर सुधार देखा जा सकता हो। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में विशेष रूप से आइ॰टी॰डी॰ए॰ परियोजना के लिए धनराशि का उपयोग नहीं होता है।

अतएवं मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि जनहित तथा जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए आदिवासी उपयोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए वर्तमान प्रशासनिक सीढ़ी मे परिवर्तन करके एक गैर-सरकारी संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति को चेयरमैन के रूप में नामित किया जाना चाहिए। यदि ये परिवर्तन किए जाएं तो तभी आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों/उप योजना क्षेत्रों में सुधार होगा। आई॰टी॰डी॰ए॰ परियोजना क्षेत्रों के लिए भी खर्च की लेखा परीक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार आई॰टी॰डी॰ए॰ के प्रशासनिक ढांचे में तदनुसार पुनर्गठन करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

(बारह) सिरसा और निकटवर्ती क्षेत्रों में बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ सुशील इन्दौरा (सिरसा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सिरसा तथा पड़ौसी जिला हिसार से होती हुई भटिंडा-दिल्ली, भटिंडा-बीकानेर और भटिंडा-जयपुर रेल लाइनें हैं। इन पर अनेकों हाल्ट हैं जिनका लाभ दूर-दराज गांवों में रहने वाले निवासी उठा रहे हैं, किंतु सरकार ने अब इन हाल्टों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसका परिणाम यह होगा कि इन दूर-दराज गांवों में रहनेवाले बेसहारा ग्रामीण अलग-थलग पड़ जायेंगे। गाजूवाला, खावराकलां, जोधका आदि जैसे और अनेक हाल्ट उसी श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रमुख नगर सिरसा तथा डबावाली के बीचों-बीच से रेल लाइन गुजरती है जो कि नेशनल हाइवे न॰10 को काटती है। पर इन पर कोई ओवरब्रिज नहीं है। अतः रेल आने के संकेत के साथ रेल फाटक बंद हो जाता है और सारा ट्रैफिक जहां का तहां रुक जाता है तथा पूरे शहर में देखते ही देखते जाम लग जाता है और सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त शहरों में ओवर ब्रिज निर्माण कराए जाएं तथा प्रस्तावित हाल्टों को जंद करने के विचार को त्यागा जाए ताकि सुदूर ग्रामों के निवासी अलग-थलग न होने पाएं।

(तेरह) गुजरात में कान्डला पत्तन से जार्डन को चले एम॰वी॰ गोल्डन हारवेस्ट शिप के गायब हो जाने के मामले की जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, 9 जून, 1998 को एम॰वी॰ गोल्डन हार्वेस्ट नामक मालवाहक जहाज गुजरात कांडला बंदरगाह में 48,000 टन यूरिया भावनगर से जॉर्डन ले जा रहा था। दुख की बात यह है कि वह जहाज वायु, बरसात और तूफान के कारण बीच में गायब हो गया है जिसका अभी तक पता नहीं चला है।

उस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक जहाज क्रू सेवा में थे। गुजरात बंदर तटरक्षक ने जहाज गुम होने की सूचना दी है।

हमारा आपसे आग्रह है कि हमारा जहाज वास्तव में डूब गया है अथवा पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वैसे हमारी राय है कि अगर जहाज डूबता तो उसके अवशेष अवश्य नजर आते। पूरी जानकारी भारत सरकार दे।

(चौदह) भू-मंडलीय जलवायु में तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह स्थापित तथ्य है कि वातावरण में कार्बनडाईआक्साइड की मात्रा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि 1998 का पूर्वार्द्ध पिछले 120 वर्षों में सबसे अधिक गर्म समयान्तराल था। भारतीय उपमहाद्वीप में मई में तापमान सामान्य से काफी अधिक था। नई दिल्ली में इस वर्ष मई में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक था। इस तरह की स्थिति से समुद्र तल में वृद्धि होने, समुद्रों के निकट स्थित शहरों के जलमग्न होने, ध्रुवीय हिमखण्डों के पिघलने की घटनाएं हो सकती हैं जिससे भविष्य में जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खनिज कोयले इत्यादि के जलने से उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों के कारण विश्व के तापमान में वृद्धि हुई है।

'द ग्लोब इन्टरनेशनल' जो 54 से अधिक देशों के पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध सांसदविदों का एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते रहे हैं और उसे विश्व के तापमान में होने वाले परिवर्तनों के विनाशक प्रभावों की चेतावनी देते रहे हैं इसने अमेरिका और अन्य औद्योगिक देशों जो निरन्तर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, को चेतावनी दी है कि उन्हें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और इससे पहले कि इन देशों और शेष विश्व को नुकसान हो उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए। ग्लोग के समर्थ और विद्वान नेता (अध्यक्ष) टाम स्पेन्सर जो प्रतिष्ठित और विख्यात सांसदविद हैं ने पश्चिमी औद्योगिक देशों से यह सिद्धान्त प्रतिपादित करके कानूनी रूप से बाध्यकारी इक्विटी प्रोटोकॉल वार्ता शुरू करने के लिए कहा है कि वातावरण में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाने वाली तारीख तक विचार-विमर्श करके निर्धारित की जाए। उन्होंने विश्वव्यापी समस्या के विश्वव्यापी समाधान पर जोर दिया है। श्री टॉम स्पेन्सर ने उन लोगों से एक प्रश्न पूछा है जो अभी तक विश्व को तापमान बढ़ने से भयभीत नहीं हुए हैं और उनसे यह पूछा है कि मानसून अक्सर देरी से क्यों आता है, नदियां क्यों सूख गई हैं या अक्सर बाढ़े क्यों आती हैं, जंगल क्यों जल रहे हैं, पशु क्यों मर रहे हैं या कुछ देशों में समुद्र का पानी शहरों तक आ जाने के क्या कारण हैं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह दैवीय नहीं बल्कि मानवीय कार्यों का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल बुधवार, 5 अगस्त, 1998 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 अगस्त, 1998/14 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एस. एस.—48/5/36/98 (एन.)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वांईट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि., जनक पुरी, नई दिल्ली–58 द्वारा मुद्रित।